FOR REFERNCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 4, अंक 8

शुक्रवार, 3 मार्च, 2000
13 फाल्गुन, 1921 (शक)

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 60
Date 8/12/2K

(खंड 4 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 4, तीसरा सत्र, 2000/1921 (शक)]

अंक 8, शुक्रवार, 3 मार्च, 2000/13 फाल्गुन, 1921 (शक)

विषय	कालम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 140	10–51
अतारांकित प्रश्न संख्या 1295 से 1524	51–412
सभा पटल पर रखे गए पत्र	413–420
समिति के लिए निर्वाचन	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट	420–421
सभा का कार्य...	421–425

लोक सभा

शुक्रवार, 3 मार्च, 2000/13 फाल्गुन, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे भूतपूर्व सहयोगी श्री बी. रचैया के निधन की दुखद सूचना देनी है।

श्री बी. रचैया छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1977-79 के दौरान कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह 1974 से 1977 तक राज्य सभा के भी सदस्य थे।

श्री रचैया ने अपना राजनीतिक जीवन 1952 में कर्नाटक विधान सभा के सदस्य के रूप में आरम्भ किया और 1971 तक इसके सदस्य रहे। उन्होंने राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया और वे 1962 से 1967 तक वन, मत्स्यन, रेशम कीट पालन, 1967-68 के दौरान राजस्व और वन तथा 1968-70 के दौरान कृषि और उद्यान-कृषि मंत्रालयों के मंत्री रहे।

एक योग्य संसदविद श्री रचैया विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने 4 अगस्त, 1979 से 14 जनवर, 1980 तक केन्द्रीय उद्योग राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और केरल के राज्यपाल पद को भी सुशोभित किया।

महान स्वतंत्रता सेनानी श्री रचैया ने 1942 और 1947 के स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया था।

पेशे से वकील और कृषक श्री रचैया सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया।

श्री बी. रचैया का निधन 78 वर्ष की आयु में 14 फरवरी, 2000 को बंगलौर में हुआ।

हम अपने इस साथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 121, श्री अधीर चौधरी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। मुझे भाषण देना है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नरेश पुगलिया।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, सदन के नेता कहां हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहस शुरू कराइये। मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण देना चाहता हूं। लेकिन पिछले छः दिनों से ऐसा चल रहा है, हमें राष्ट्रपति जी को धन्यवाद तो देने दीजिए। सर, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, इन्हें हाउस चलने देने के लिए कहिये। *...(व्यवधान)*

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला): सर, सत्तापक्ष नियम 184 के तहत चर्चा कराने से इसलिए कतरा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि घटक दलों में इस पर आपस में काफी गुस्सा है। *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय कुंवर सर्वराज सिंह, श्री रामदास आठवले, श्री अनिल बसु तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, ऐसा नहीं, कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, यह उचित तरीका नहीं है। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? हर समय आप सभा के बीचों बीच आ जाते हैं। क्या यह उचित है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: संपूर्ण राष्ट्र आप लोगों के व्यवहार को देख रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक दिन आप सभा के बहुमूल्य समय को नष्ट कर रहे हैं। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या यह सभा की शालीनता है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया पहले अपने-अपने स्थान पर जाइए और फिर अपी बात कहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप जो कहना चाहते हैं कहिए किंतु सभा के बीचों-बीच न आएं। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुनूंगा किन्तु पहले अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, अपने-अपने स्थान पर जाइए। सभा में किसी मामले को उठाने का यह तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया पहले अपने-अपने स्थान पर जाइए फिर मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.08 बजे

(इस समय कुंवर सर्वराज सिंह, श्री रामदास आठवले, श्री अनिल बसु और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय: अब श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को अपनी बात कहने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: अध्यक्ष महोदय, कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद हम भी अपनी बात कहना चाहते थे किंतु हमें इसकी अनुमति नहीं दी गई *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नागिरी): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काल है। लिस्ट में दिए हुए प्रश्नों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मदन लाल खुराना: महोदय, यह प्रश्न काल है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मदन लाल खुराना, मैं उनकी बात सुन रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मदन लाल खुराना, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न-काल है, इसका क्या हो रहा है, क्या प्रश्न काल चलाया जा रहा है या नहीं

और क्या इसे स्थगित करने हेतु विपक्ष की तरफ से आपके पास कोई प्रस्ताव आया है, पहले हमें यह बताइए। छः दिन से हम देख रहे हैं, सदन में यही हो रहा है और प्रश्न-काल को चलने नहीं दिया जा रहा है। यह कब तक चलेगा। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, विगत छः दिन से हम देख रहे हैं कि प्रश्न काल नहीं चलने दिया जा रहा है। यह कब तक चलता रहेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या आपको क्वेश्चेन ऑवर सस्पैंड करने के लिए कहा है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, क्या उन्होंने प्रश्न काल के निलम्बन की सूचना दी है? हम यह जानना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने प्रश्न काल को निलम्बित नहीं किया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, क्या आप क्वेश्चेन ऑवर सस्पैंड कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं उनका निवेदन सुन रहा हूँ। कृपया यह समझने का प्रयास कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सदन का मजाक बना दिया है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, हम आपकी बात को मानना चाहते हैं लेकिन ये मानने नहीं देते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हम भाजपा के अपने मित्रों की वेदना समझ सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): आप लोग व्यथित हैं। हम व्यथित क्यों होंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, आज बंगाल में क्या हुआ है? ...*(व्यवधान)* आपके मिनिस्टर ने वहां के एम.एल.ए. को पीटा ...*(व्यवधान)* आज बंगाल में क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)* आप हमको उपदेश दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री खुराना, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): अध्यक्ष महोदय, इनके पास कोई इश्यू नहीं है। ...*(व्यवधान)* ये हाउस का और देश का समय बर्बाद कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आज देश के सामने गरीबी की समस्या है, अशिक्षा की समसया है, बेरोजगारी की समस्या है। ...*(व्यवधान)* ये इन मुद्दों से भाग रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: आज बंगाल में क्या हो रहा है? आप बंगाल को देखिये। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मदन लाल खुराना जी, आपको आर.एस.एस. ने धोखा दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): क्या आप उनके ठेकेदार लगे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): पहले यहां आर.एस.एस. का सफाया करेंगे। ...*(व्यवधान)* उसके बाद आगे की कार्यवाही करेंगे। ...*(व्यवधान)* बंगाल की लड़ाई बंगाल में लड़ेंगे और आर.एस.एस. की लड़ाई भारत की जमीन पर लड़ेंगे। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, इनके बोलने के बाद आप हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): राष्ट्र आपको देख रहा है। ...*(व्यवधान)* आप सदन की धज्जियां उड़ा रहे हो। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: लोकतंत्र की धज्जियां तो आप उड़ा रहे हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, यह समझने की कोशिश कीजिए कि संपूर्ण राष्ट्र सभा की कार्यवाही देख रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं देखता हूँ कि हमारे अच्छे मित्र श्री मदन लाल खुराना कुरुक्षेत्र से वापस अधिक युयुत्सु बन कर आए हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: मैंने आज पेपर में पढ़ा है कि बंगाल में यह हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीधे शिकार बने हैं। मैं नहीं जानता कि वे इतनी शेखी क्यों मार रहे हैं। श्री खुराना, यह शेखीबाजी आपको शोभा नहीं देती है।

पिछले कई दिनों से सभा कार्य नहीं कर सकी है वे हमें दोष देंगे और हम उन्हें दोष देंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दो।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम एक दूसरे को दोष दे रहे हैं किंतु इसका परिणाम यह है कि सभा की कार्यवाही नहीं चल रही है।

आज हम एक विशेष स्थिति में हैं जहां पर देश की एकता और अखण्डता से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हमारे प्रक्रिया के नियमों में से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम को विपक्ष पर लागू होने नहीं दिया जा रहा है।

आज सदन के नेता की अनुपस्थिति भी स्पष्टतः दिखाई दे रही है। इस मामले पर सभा में रोष व्यक्त किये जाने के बाद वे एक बार भी सभा में नहीं आए। सभा की कार्यवाही कई दिनों तक नहीं चल पाई।

महोदय, हमने बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण को इस राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। हम कम से कम यह अपेक्षा करते हैं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ चटर्जी, अध्यक्षपीठ को आपसे भी अपेक्षा है कि आप इस गतिरोध को दूर करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह गतिरोध कैसे समाप्त किया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यह एक तरफा कार्य नहीं हो सकता है। सरकार कायरता दिखा रही है। वह संसद का सामना करने से कतरा रही है। वह संसद को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दे रही है। सरकार के पास इसे स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। वह नियम 184 के अधीन चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दे रही है? हमने कहा है कि हम इसे अविश्वास प्रस्ताव के रूप में नहीं मानेंगे। हमने उन्हें बताया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हम उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि हम इसे अविश्वास प्रस्ताव के रूप में नहीं मानेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिए। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने की अनुमति दी है। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: उनके पास गतिरोध समाप्त करने का समाधान ढूंढने का साहस क्यों नहीं है? वे इस गोरखधंधे को जारी नहीं रख सकते हैं। वे विभिन्न दलों की इस खिचड़ी को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वे इस सभा को दबाने का प्रयास कर रहे है। हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। महोदय मुझे यह कहते हुए खेद है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आप हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, अब आपको डा. विजय कुमार मल्होत्रा को बोलने का मौका देना होगा। ...*(व्यवधान)* महोदय, आपको डा. विजय कुमार मल्होत्रा को बोलने की अनुमति देनी होगी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: ये आपकी रूलिंग के खिलाफ बोल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.17 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, यह समझने की कोशिश करो। यह क्या हो रहा है? कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाओ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आप लोगों से अपने-अपने स्थान पर जाने का आग्रह कर रहा हूं। आप इस मामले को अपने स्थान पर जाकर उठा सकते हैं। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। यह अच्छा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पहले आप अपनी जगह पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। यह क्या है। अपनी जगह पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। आप इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे अपने स्थान पर जाने का आग्रह कर रहा हूं। आप इस मामले को अपनी जगह पर जाकर उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों की बात एक-एक कर सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। मैंने श्री माधवराव सिंधिया को बोलने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल वे लोग ही सभा में व्यवधान पैदा नहीं कर रहे हैं अपितु आप भी सभा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं? यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अपनी सीट में बैठ जाइए, प्लीज।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

दीर्घकालिक वित्तीय नीति

***121. श्री अधीर चौधरी:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "फिक्की" ने सरकार से कम से कम पांच वर्षों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय नीति बनाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कई विकसित और विकासशील देशों में दीर्घकालिक वित्तीय नीतियां चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) जी, हां।

(ख) राजकोषीय नीति तैयार करते समय सरकार विभिन्न व्यवसायी/व्यापारी/कारोबारी संगठनों द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखती है। सरकार कर नीति में क्षमता एवं संभाव्यता की आवश्यकता को समझती है और आर्थिक परिस्थिति तथा नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप राजस्व एवं व्यय के बीच उचित संतुलन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नीतियां तैयार की जाती हैं। कराधान के मामले में ऐसी कर संरचना की दिशा में बढ़ने का मूल प्रयास रहा है जो सरल हो, सुदृढ़ आर्थिक सिद्धान्तों को अपनाती हो, संयत कर दरों पर निर्भर करती हो और व्यापक आधार तथा बेहतर प्रवर्तन पर जोर देती हो। उत्पाद शुल्क के मामले में केन्द्र में केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवेट) की 16 प्रतिशत की एक ही दर में संपरिवर्तन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे राज्यों द्वारा अपने बिक्री करों को 1.4.2001 तक मूल्य वर्धित कर (वैट) में परिवर्तित करने के उनके सहमत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन मिलेगा। सीमा-शुल्क की दरों को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है ताकि उन्हें कुछ वर्षों में मोटे तौर पर एशियाई स्तरों पर लाया जा सके। प्रत्यक्ष करों के मामले में कम्पनी एवं व्यक्तिगत करों की सामान्य कर दरें बनाये रखने पर जोर दिया जाता रहा है। राजकोषीय घाटे के मध्यावधिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय दायित्व अधिनियम में सन्निहित सुदृढ़ सांस्थानिक कार्यतंत्र की जांच एवं उसके लिए उचित सिफारिशें करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। व्यय प्रबंधन एवं पुनर्गठन के लिए एक व्यय आयोग गठित किया गया है।

(ग) से (ङ) राजकोषीय नीतियों में उद्देश्यों, लक्ष्य परिवर्तिता, सांस्थानिक विस्तार एवं कार्यान्वयन के तरीकों के संदर्भ में विकसित एवं विकासशील देशों में काफी भिन्नता है। किसी देश द्वारा चलाई जा रही राजकोषीय नीति अधिकांशतः इसकी अर्थव्यवस्था, राजकोषीय स्थिति, सांस्थानिक-संरचना और नीतिगत उद्देश्यों के इसके आकलन का कार्य है।

हथकरघा विकास केन्द्र और गुणवत्ता वाले रंगाई एकक

***122. श्री तेजवीर सिंह चौधरी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने हथकरघा विकास केन्द्र और गुणवत्ता वाले रंगाई एकक कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यवार कितने हथकरघा विकास केन्द्र और गुणवत्ता वाले रंगाई एकक खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित किये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में देश में 1459 हथकरघा विकास केन्द्र तथा 310 उत्कर्ष रंगाई इकाईयाँ कार्यशील हैं। राज्यवार विवरण को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में है।

(ख) और (ग) स्कीम को 1.4.1998 को बंद कर दिया गया था अतः 2000-2001 के दौरान कोई नये हथकरघा विकास केन्द्रों तथा उत्कर्ष रंगाई इकाईयों को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि, 9वीं योजना की शेष अवधि के लिए स्कीम के अंतर्गत कार्यशील हथकरघा विकास केन्द्रों तथा उत्कर्ष रंगाई इकाईयों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर जारी की जाने वाली शेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 35.00 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

विवरण

देश में कार्यशील हथकरघा विकास केन्द्रों तथा उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	कार्यशील इकाईयों की सं. ह.वि.के.	उ.रं.ई.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	327	119
2.	बिहार	10	10
3.	गुजरात	5	–
4.	हिमाचल प्रदेश	10	3
5.	कर्नाटक	28	2
6.	केरल	72	12
7.	मध्य प्रदेश	26	1
8.	महाराष्ट्र	20	–

1	2	3	4
9.	नागालैंड	141	7
10.	उड़ीसा	214	40
11.	पांडिचेरी	5	–
12.	राजस्थान	1	–
13.	तमिलनाडु	324	36
14.	त्रिपुरा	13	10
15.	उत्तर प्रदेश	87	48
16.	पश्चिम बंगाल	176	22
	कुल	1459	310

बिक्री कर की समान दर

***123. श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों की स्थायी समिति ने विभिन्न राज्यों में करों की विभिन्न दरों को समाप्त करते हुए बिक्री कर की समान दर करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप मूल्य सूचकांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या एक समान बिक्री कर के कार्यान्वयन ने विवाद पैदा कर दिया है क्योंकि दिल्ली के कुछ व्यापारी अपना व्यापार उन राज्यों में ले जा रहे हैं जहां बिक्री कर की एक समान दर के बावजूद बिक्री कर कम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) और (ख) 16.11.1999 को हुए राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 1.1.2000 से बिक्री कर की एक-समान न्यूनतम दरें होंगी। सिफारिश की गईं न्यूनतम दरें अधिकांश वस्तुओं के लिए शून्य, 4%, 8% और 12% और कुछ वस्तुओं के लिए विशेष दरें 1% और 20% है। तथापि, राज्य किसी वस्तु के लिए सिफारिश की गई न्यूनतम दर से ऊपर कोई दर तय कर सकते हैं।

(ग) बिक्री कर भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि-54 के तहत राज्य का एक विषय है, अत: बिक्री कर की दरें और इसके फलस्वरूप किसी वस्तु के मूल्य पर प्रभाव राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न हो सकता है।

(घ) बिक्री कर की एक-समान न्यूनतम दरों के कार्यान्वयन के कारण दिल्ली के व्यापारियों के दूसरे राज्य में चले जाने का कोई दृष्टान्त सूचित नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान के लिए समिति

***124. श्री राम शकल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए गठित अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की समीक्षा कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन जिलों की पहचान की गई है;

(ग) सरकार ने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की है; और

(घ) औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) समीक्षा दल ने पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित मानदण्डों की सिफारिश की:

(1) 1500 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 250 अथवा उससे कम सकल समेकित्त सूचकांक (जो वित्तीय मानक आधारभूत मानक और औद्योगिक मानक के लिए परिभाषित सूचकांकों पर आधारित हैं) वाले जिलों को पिछड़े जिलों के रूप में अधिसूचित किया जाना था।

(2) रेल पथ सीमा रहित जिलों अथवा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित जिलों की विशेष श्रेणियों के लिए निश्चित आंकड़ों में छूट दी गई थी और उन्हें 500 पर चिन्हित किया गया था।

(3) यह भी सिफारिश की गई थी कि "उद्योग रहित जिलों" को समेकित सूचकांक होने के बावजूद भी पिछड़े जिले के रूप में अभिनिर्धारित किया जाएगा।

अभिनिर्धारित जिलों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) अध्ययन दल और समीक्षा दल की रिपोर्टों के आधार पर केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया था कि औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को दो श्रेणियों अर्थात् श्रेणी-क और श्रेणी-ख में वर्गीकृत किया जाएगा। समीक्षा दल द्वारा यथाअभिनिर्धारित सभी "जिलों" को श्रेणी-क जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 250 आंकड़ों से अधिक और 500 आंकड़ों से कम सूचकांक वाले जिलों को श्रेणी-ख जिले के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है।

आयकर अधिनियम के उपबंधों एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन किया गया है ताकि श्रेणी-क जिलों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को 5 वर्षीय करावकाश तथा श्रेणी-ख जिलों में स्थापति औद्योगिक इकाइयों के लिए तीन वर्षीय करावकाश का प्रावधान किया जा सके। इन दोनों श्रेणियों में स्थित इकाइयां अगले 25 वर्षों के लिए अपनी कराधेय आय से प्राप्त अपने लाभ की 25% की और कटौती (कम्पनियों के मामले में 30%) का लाभ उठाती हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की श्रेणी-क की सूची में 11 जिले हैं और श्रेणी-ख की सूची में 24 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में इन दोनों श्रेणियों के अंतर्गत औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

250 से नीचे के समिष्ट सूचकांक वाले जिले

जिला	राज्य
1	2
1. गौंड़ा	बिहार
2. गुमला	बिहार
3. अररिया	बिहार
4. गढ़चिरोली	महाराष्ट्र
5. मधेपुरा	बिहार
6. सिद्धार्थ नगर	उत्तर प्रदेश
7. दुमका	बिहार
8. मान्डला	मध्य प्रदेश
9. खगरिया	बिहार
10. किशनगंज	बिहार
11. मालदा	पश्चिम बंगाल
12. पलामू	बिहार
13. फुलबनी	उड़ीसा
14. मधुबनी	बिहार
15. कालाहांडी	उड़ीसा
16. जहानाबाद	बिहार
17. सहरसा	बिहार
18. पश्चिम दिनाजपुर	पश्चिम बंगाल
19. नवादा	बिहार
20. बहराइच	उत्तर प्रदेश
21. सीतामढ़ी	बिहार
22. साहेबगंज	बिहार
23. मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल
24. कूच बिहार	पश्चिम बंगाल
25. बांकुरा	पश्चिम बंगाल
26. पन्ना	मध्य प्रदेश
27. प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश
28. महाराजगंज	उत्तर प्रदेश
29. जालौर	राजस्थान
30. औरंगाबाद	बिहार
31. पूर्वी चम्पारन	बिहार
32. बांदा	उत्तर प्रदेश
33. बाड़मेर	राजस्थान
34. पूर्णिया	बिहार
35. बस्तर	मध्य प्रदेश
36. सिवान	बिहार
37. वैशाली	बिहार
38. बस्ती	उत्तर प्रदेश

2. श्रेणी (1) के अंतर्गत न आने वाले "उद्योगविहीन जिले"

जिला	राज्य
1. सरगुजा	मध्य प्रदेश
2. चमोली	उत्तर प्रदेश
3. जैसलमेर	राजस्थान
4. लोहरदग्गा	बिहार
5. छत्तरपुर	मध्य प्रदेश
6. उत्तरकाशी	उत्तर प्रदेश
7. चुरू	राजस्थान
8. वायानाड	केरल
9. इडुक्की	केरल
10. जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल

3. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित जिले जो पिछड़े हैं और श्रेणी (1) तथा (2) के अंतर्गत नहीं आते हैं:

जिला	राज्य
1. अलमोड़ा	उत्तर प्रदेश
2. पिथौरागढ़	उत्तर प्रदेश
3. टिहरी गढ़वाल	उत्तर प्रदेश

4. रेल सम्पर्क रहित जिले जो पिछड़े हैं तथा श्रेणी (1), (2) और (3) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

जिला	राज्य
1. द डांग्स	गुजरात
2. बांसवाड़ा	राजस्थान

विवरण II

उत्तर प्रदेश के श्रेणी "क" के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

1. सिद्धार्थनगर
2. बहराइच
3. प्रतापगढ़
4. महाराजगंज
5. बांदा
6. बस्ती
7. चमोली
8. उत्तरकाशी
9. अल्मोड़ा
10. पिथौरागढ़
11. टिहरी गढ़वाल

उत्तर प्रदेश के श्रेणी "ख" के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

1. हरदोई
2. ललितपुर
3. हमीरपुर
4. बदायूं
5. फतेहपुर
6. आजमगढ़
7. एटा
8. बाराबंकी
9. इटावा
10. देवरिया
11. गाजीपुर
12. बलिया
13. जौनपुर
14. सीतापुर
15. जालौन
16. उन्नाव
17. फैजाबाद
18. कानपुर देहात
19. मैनपुरी
20. गौंडा
21. फर्रुखाबाद
22. सुल्तानपुर
23. मिर्जापुर
24. मऊ

[हिन्दी]

कोयले की खपत

*125. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से कोयले की मांग लगातार घट रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान देश में आज तक कितना कोयला उठाया गया;

(घ) क्या देश में विद्युत, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, रसायन और कागज क्षेत्र कोयले के प्रमुख उपभोक्ता हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में कोयले की कितनी मात्रा की मांग की गई और उसकी आपूर्ति की गई और उक्त वर्षों के प्रत्येक वर्ष के अंत में कोयले का कितना भंडार बाकी था?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों से कोयले की समग्र प्रक्षिप्त मांग मूर्त रूप नहीं ले पा रही है, जिसके फलस्वरूप कोयला कंपनियों से उठान में कमी आई है। कोयले की कम उठान के निम्नलिखित कारण हैं:-बाजार स्थिति में सामान्य मंदी, कोयला आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को प्रयोग में न लाया जाना तथा सीमेन्ट क्षेत्र द्वारा अ-कोककर कोयले के आयात में वृद्धि।

(ग) से (ङ) विद्युत, इस्पात तथा सीमेन्ट क्षेत्र कोयले के प्रमुख उपभोक्ता हैं। वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के दौरान कोयले की क्षेत्र-वार मांग तथा उठान नीचे दी गई हैं:

(आंकड़े मिलियन टन में)

क्षेत्र	1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000	
	मांग	उठान*	मांग	उठान*	मांग	उठान*	मांग (पूरा वर्ष)	उठान (अप्रैल-दिस., 99)
विद्युत	210.00 (5.00)	199.00 (2.58)	205.90 (4.10)	212.92 (3.62)	220.70 (3.70)	204.68 (3.02)	214.00 (3.00)	160.70 (1.62)
सीमेंट	17.50	11.34	18.20	10.13	15.00	8.61	10.00	7.13
इस्पात	40.50	25.55	41.40	23.61	36.83	24.98	36.83	15.13
उर्वरक	4.40	4.38	4.40	4.64	4.50	4.11	4.30	2.39
अन्य (रसायन और कागज सहित)	52.60 (2.70)	46.19	53.48 (2.70)	42.45 (2.10)	48.35 (3.80)	46.20	46.70 (2.70)	33.80
जोड़	325.00 (7.70)	286.46 (2.58)	323.38 (6.80)	296.96 (5.72)	325.38 (7.50)	288.58 (3.02)	311.83 (5.70)	219.15 (1.62)

कोष्ठक के आंकड़े मिडिलिंग्स को दर्शाते हैं।
*उठान—आयातित कोयला शामिल नहीं है।

कोयला कंपनियों के पास विक्रय योग्य कोयले के शेष स्टाक का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

कंपनी	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (दिसम्बर, 99 तक)
कोल इंडिया लिमिटेड	26.86	26.41	29.96	20.11
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड	1.83	1.37	1.67	0.59
अन्य	0.25	0.28	0.27	0.17
जोड़	28.94	28.06	31.90	20.87

[अनुवाद]

रबर का आयात

*126. **श्री पी.सी. थामस:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक रबर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे आयात की पुनः अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या किसानों ने प्राकृतिक रबर के स्थान पर प्रयोग किये जाने वाले पदार्थों और प्रयोग किए गए टायरों के आयात को रोकने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) प्राकृतिक रबड़ का आयात प्रतिबंधित सूची में है और इसके आयात की अनुमति निर्यात हेतु अग्रिम लाइसेंस या विशेष आयात लाइसेंस परदी जाती है। अग्रिम लाइसेंस पर किए जाने वाले आयात पर भी दिनांक 20.2.99 से प्रतिबंध लगा दिया गया है जो अभी जारी है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) पालियूरेथिन जो एक बहुद्देशीय सामग्री है, का आयात कम मात्रा में होता है और इससे प्राकृतिक रबड़ को कोई खतरा नहीं है।

प्रयुक्त/रीट्रिडिड टायरों के आयात हेतु 25 अरीकी डालर से 175 अमरीकी डालर प्रति टायर का एक न्यूनतम सीआईएफ मूल्य निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कानून

*127. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गोड़ा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कानून कब तक बनाए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार ने काले धन के पैदा होने पर रोक लगाने हेतु कौन-कौन से अन्य उपाय किये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार काले धन की उत्पत्ति को रोकने के लिए समय-समय पर आवश्यक विधायी राजकोषीय वित्तीय और प्रशासनिक उपाय करती रही है। कराधान की दरें उत्तरोत्तर रूप से युक्तियुक्त बनाई गई है। इसके अलावा आयकर अधिनियम 1961 में काले धन की उत्पत्ति को रोकने के उद्देश्य से बहुत से प्रावधान निहित हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ धारा 44कक और 44कख के अंतर्गत समुचित मामलों में खातों का अनिवार्य अनुरक्षण और उनकी लेखा परीक्षा, धारा 40क(3) 269घघ और 269न के अंतर्गत नकद लेन-देनों पर प्रतिबंध, अध्याय **ग के अंतर्गत संपत्तियों की पूर्वप्रक्रियाधिकार खरीद और कर चूककर्त्ताओं को दण्डित करने के लिए अर्थदण्ड और अभियोजन से संबधित उपबंध शामिल हैं।

[अनुवाद]

कृत्रिम धागे का उत्पादन

*128. **श्री तिरुनावकरसू:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूती धागे की तुलना में कृत्रिम धागे के उत्पादन को अपेक्षाकृत अधिक बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सूती धागे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई अभियान शुरू करने का है क्योंकि इस उष्णकटिबन्धीय देश के लिए सूती वस्त्र सबसे अधिक उपयोगी है;

(घ) क्या हमारे देश के लोगों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वस्त्र के धागे की सामग्री तैयार करने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) सरकार ने कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने तथा घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ निर्यात के लिए वांछित कोटि के वस्त्रों का उत्पादन करने के लिए प्रयोक्ता उद्योग को उसकी उपलब्धता सुकर कराने के लिए चालू वर्ष 1999-2000 से कपास प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की है।

(घ) से (ङ) फैब्रिक/कपड़े की उपयुक्तता विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के लिए प्रमाणित है। हमारे देश में विभिन्न जलवायु परिस्थितियाँ होने के कारण अलग-अलग क्षेत्र में कपड़े की किस्म की आवश्यकताओं में भी भिन्नता है। तथापि, देश का अधिकांश क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय प्रकृति का होने के कारण हमारे देश के लोगों के लिए कपास, विस्कोस और कपास/विस्कोस, ब्लैंडिड कपड़ा/फाईबर वस्त्र सामग्री के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास और विस्कोस/सैल्योलोसिक फाईबरों/यार्नों के असमान कम नमी (पसीना) सोखने की क्षमता वाले पोलिएस्टर और अन्य सिंथेटिक फाईबर यार्नों का भी उपयुक्त मात्रा में कपास और विस्कोस के साथ मिश्रित करके उपयोग किया जाता है ताकि उसमें नमी सोखने की उपयुक्त क्षमता प्रदान की जा सके। शीतोष्ण जलवायु वाले उत्तरी पहाड़ी और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्णतः मानव निर्मित फाईबर के वस्त्रों का भी उपयोग किया जाता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए कानून

*129. **श्री अनंत गुढ़े:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 2000 के "द बिजनेस स्टैंडर्ड" में "आरबीआई मूट्स लेजिस्लेशन फार एनबीएफ सीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के बारे में किए गए अध्ययन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का बेहतर विकास करने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(घ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यकलापों के संबंध में पर्यवेक्षी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र में किन-किन गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को दिशा-निर्देशों और विवेकपूर्ण मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी हां।

(ख) समाचार रिपोर्ट में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को विनियमित करने के लिए एक नया कानून बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। इसमें एनबीएफसी की कार्य-प्रणाली के कुछ पहलुओं पर आरबीआई कर्मचारियों के लिए की गई टिप्पणियां भी शामिल हैं। वर्तमान में एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय 111-ख के अधीन विनियमित होती है। एनबीएफसी के साथ व्यवहार करने के लिए एक नए कानून को बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एनबीएफसी का कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया है। संभवत: इसमें सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट का सन्दर्भ दिया गया है जिसमें एनबीएफसी क्षेत्र के स्वस्थ विकास तथा एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने संबंधी दो उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उचित दिशा-निर्देश जारी करके टास्क फोर्स की (1) उच्च प्रवेश स्तर निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ); (2) सार्वजनिक जमा चाहने वाली एनबीएफसी के लिए जोखिम आस्ति अनुपात के लिए उच्च पूंजी (सीआरएआर); (3) स्थावर-सम्पदा एवं गैर-उद्धृत निवेश संबंधी एक्सपोजर पर उच्चतम सीमा; (4) आवेदन-फार्म और सार्वजनिक जमा राशियों के लिए विज्ञान में प्रकटीकरण; (5) संलग्न कंपनियों को एक्सपोजर के लिए मानदण्ड सुदृढ़ करना; (6) विज्ञान में दिए जाने वाले ब्यौरे की समीक्षा; तथा (7) कंपनियों से लिए जाने वाले ऋणों तक गैर-निगमित निकायों की पहुंच से संबंधित सिफारिशों का कार्यान्वयन किया है। (1) प्रतिभूति-रहित जमाकर्ताओं को चल आस्तियों का प्रथम चार्ज देना; (2) जमाकर्ता शिकायत निवारण प्राधिकरण का गठन; (3) वाणिज्यिक बैंकों की तरह अनियमित एनबीएफसी को शीघ्रता से बन्द करना; (4) सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व अनुमोदन लेने हेतु किसी विशेष एनबीएफसी अथवा एनबीएफसी के किसी ग्रुप को निदेश देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को शक्तियां प्रदान करना; (5) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा कपटपूर्ण गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों की आस्तियों की कुर्की तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्ति कये जाने वाले अभिरक्षक को ऐसी आस्तियों के प्रबन्धन का अधिकार देना; (6) गैर-पंजीकृत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा अप्राधिकृत जमाराशि लेने को संज्ञेय अपराध बनाना; (7) अनिगमित निकायों द्वारा अप्राधिकृत जमाराशि लेने को संज्ञेय अपराध बनाना; (8) जनता के जमाराशियां जुटाने संबंधी विज्ञापनों पर प्रतिबंध इनसे संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कानून में संशोधन अपेक्षित है।

सांविधिक संशोधनों की अपेक्षा वाली सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों से संबंधित नए अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, कृतिक बल की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को उन गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों की सूची दी गई है जिन्हें पंजीकृत किया है और जिनके पंजीकरण अनुरोध को ठुकरा दिया गया है। बैंकों से गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को ऋण के प्रवाह को सुकर बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के लिए मई 1999 में बैंक ऋण पर अधिकतम सीमाओं को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कंपनी विधि बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के बीच बेहतर समन्वय के लिए चार महानगरीय केन्द्रों में क्षेत्र स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है। जमाकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी प्रचार अभियान शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता की जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का वार्षिक निरीक्षण शुरू कर दिया है। 1 सितम्बर 1999 से गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के लिए अलग से एक कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति की गई है।

(घ) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी क्षेत्र का स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने तथा जमाकर्ताओं की धनराशि को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न विनियामक तथा पर्यवेक्षी उपाय किये हैं। जनता से जमाराशि स्वीकार करने वाली/जनता की जमाराशि रखने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने चार प्रकार के व्यापक तंत्र विकसित किए हैं। इनमें ये शामिल हैं:

* गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का स्थल पर निरीक्षण;
* आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों से प्राप्त आवधिक नियंत्रण विवरणियों के माध्यम से इनकी स्थलेत्तर निगरानी;
* प्रभावी बाजार आसूचना नेटवर्क; और
* गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षकों द्वारा अपवाद रिपोर्ट जमा करने की प्रणाली।

विभिन्न प्रकार की चूकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए चूककर्ता गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक ने उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) को चूककर्ता कंपनियों को वापसी अदायगी का निदेश देने के विशेष अधिकारों सहित जमाकर्ताओं के दावों का न्याय

निर्णय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। चूककर्ता गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने चार महानगरीय केन्द्रों में समन्वय समितियों का भी गठन किया है।

कुछ अपराधों को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों से संबंधित प्रस्तावित नए कानून में कुछ अतिरिक्त दण्डात्मक प्रावधानों को शामिल किये जाने का प्रावधान है।

(ङ) 25 लाख रुपए और उससे अधिक की निवल स्वाधिकृत निधि वाले महाराष्ट्र के उन गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिन्होंने जमाराशियां स्वीकार की हैं और विवेकपूर्ण मानदण्डों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन किया है।

विवरण

25 लाख रुपए और उससे अधिक की निवल स्वाधिकृत निधि वाले महाराष्ट्र के उन गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के नाम जिन्होंने जमाराशियां स्वीकार की हैं तथा विवेकपूर्ण मानदण्डों का उल्लंघन किया है

क्र.सं.	कम्पनी का नाम
1	2
1.	अप्पू लीजिंग कंपनी प्रा.लि.
2.	एवन कैपिटल सर्विसिज लि.
3.	बजाज हायरर्स एंड लेसर्स लि.
4.	भोजवानी लीजिंग एंड फाइनेंस लि.
5.	चैम्बर्स इक्विटी एंड फाइनेंसिएल कं. लि.
6.	दानी कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट कं. प्रा.लि.
7.	दानी इंटरप्राइजेज प्रा.लि.
8.	दानी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स कं. प्रा.लि.
9.	दानी होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग कं. प्रा.लि.
10.	दानी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स लि.
11.	एम्पायर सिक्यूरिटीज एंड कैपिटल लि.
12.	फोर्ब्स कैम्पबेल होल्डिंग लि.
13.	आईआईटी कैपिटल सर्विसिज लि.
14.	इंडोकाउंट फाइनेंस लि.
15.	केएफआईसी फाइनेंसिएल सर्विसिज लि.
16.	मफतलाल फाइनेंस लि.
17.	माडर्न होम क्रेडिट एंड कैपिटल लि.
18.	न्यूक्लेयस सिक्यूरिटीज लि.
19.	रंगुद्यान ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
20.	सेंटीनल कैपिटल लि.
21.	श्रीयम सिक्यूरिटीज एंड फाइनेंस लि.
22.	सीकाम लि.
23.	टाइम्स गारन्टी फाइनेंसिएल लि.
24.	ट्रांसकार्प फाइनेंस लि.
25.	वारियर (इन्वेस्टमेंट) लि.
26.	व्हाइट फील्ड लीजिंग एंड कैपिटल लि.
27.	जौरी लीजिंग एंड फाइनेंस कार्पोरेशन लि.

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम

***130. डा. रामकृष्ण कुसमरिया:** क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो देश में कोयले की वार्षिक वृद्धि, मांग और खपत संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान मांग और उपलब्धता के बीच अंतर बढ़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ङ) सरकार द्वारा कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) कोयले का देशीय उत्पादन देश में अकोककर कोयले की

मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। किन्तु, कोककर कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है।

(ख) वर्ष 1996-97 से वार्षिक मांग, उत्पादन तथा उठान से संबधित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(मिलियन टन में)

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
मांग	325.00 (7.70)	323.38 (6.80)	325.38 (7.50)	311.83 (5.70)
उत्पादन	285.63	295.80	292.27	208.18 (दिसम्बर, 99 तक)
विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा उठान (आयातित कोयले को छोड़कर)	286.46 (2.58)	296.96 (5.72)	288.58 (3.02)	219.15 (1.62) (दिसम्बर, 99 तक)

(कोष्ठक के आंकड़े मिडलिंग्स को दर्शाते हैं)

(ग) और (घ) चालू वर्ष के दौरान अकोककर कोयले की कमी की कोई संभावना नहीं है। किन्तु, चूंकि अपेक्षित गुणवत्ता के कोककर कोयले का उत्पादन मांग से कम है, अत: इस्पात संयंत्र अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोककर कोयले का आयात कर रहे हैं।

(ङ) कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ, नई परियोजनाओं को आरंभ करना तथा नई खानों को खोलना, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी को उन्नत किया जाना शामिल है।

[हिन्दी]

***131. श्री अनंत गंगाराम गीते:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों विशेषरूप से महाराष्ट्र की पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए अनुदान की पूरी राशि जारी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पूरी धनराशि जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) दसवें वित्त आयोग द्वारा महाराष्ट्र में पंचायती राज संस्थाओं को कुल 347.01 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की गई है। अभी तक 216.88 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले जारी किए गए अनुदानों के उपयोग का ब्यौरा नहीं दिया है और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है इसलिए बकाया राशि जारी नहीं की गई है।

(ग) और (घ) दसवें वित्त आयोग की अवधि केवल 31 मार्च, 2000 तक है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा आय कर की चोरी

***132. श्री रामदास आठवले:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 2000 में किए गए एक सर्वेक्षण से रक्षा विमान उपकरण की आपूर्ति करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा आयकर की चोरी करने संबंधी बिक्री मामले का पता चला है;

(ख) क्या सरकार को 1 फरवरी, 2000 के ''हिन्दुस्तान'' में ''दो विदेशी कम्पनियां आयकर की चोरी के मामले में फंसी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश की छोटी और बड़ी कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों द्वारा आयकर चोरी के ऐसे मामलों का भी पता चला है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ऐसे प्रत्येक मामले में कोई जांच कराई गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अर्थात् मैसर्स स्नेक्या और मैसर्स सोफेमा के संबंध में सर्वेक्षण कार्रवाई के दौरान यह पाया गया था कि इन कंपनियों के प्रवासी कर्मचारियों को भारत में की गई सेवाओं के लिए भारत में दिए जा रहे वेतन के अलावा विदेश में वेतन और अनुलाभ दिया जा रहा था और भारत से बाहर दिये गये वेतन और अनुलाभों पर कोई कर नहीं काटा जा रहा था। सर्वेक्षण के बाद की जांच जारी है ताकि कर अपवंचन की निश्चित धनराशि का निर्धारण किया जा सके।

(घ) और (ङ) वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान यह पता चला था कि कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में की गई सेवाओं के लिए विदेशों में अपने कर्मचारियों को भुगतान किये गए वेतन के कुछ भाग के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती नहीं की थी। सांविधिक ब्याज सहित कर की सम्पूर्ण राशि जो 640 करोड़ रुपये से अधिक है, आयकर विभाग द्वारा पहले ही वसूल कर ली गई है। ऐसी कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) जी, हां।

(छ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133क के अंतर्गत कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर सर्वेक्षण किए गए हैं। सभी मामलों में सांविधिक ब्याज भी प्रभारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे कई मामलों में जहां लागू है, स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए अधिनियम की धारा 271-ग के अंतर्गत अर्थ दंड लगाया गया है।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	2
1.	आल निप्पन एअरवेल कं. लि.
2.	मैसर्स अन्तुसु कार्पोरेशन
3.	मैसर्स आई.एच.आई.
4.	मैसर्स डेन्सो इंडिया
5.	मै. फ्युजी बैंक लि.
6.	मैसर्स ई पी डी सी
7.	मसैर्स जापान ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन
8.	मैसर्स एरिक्शन कम्युनिकेशन प्रा.लि.
9.	मैसर्स अल्काटेल मोदी नेटवर्क्स सिस्टम्स
10.	मैसर्स अल्काटेल साऊथ एशिया पैसिफिक लि.
11.	मैसर्स केगेलक इंडिया लि.
12.	मैसर्स केगेलक इंडिया लि. (नोएडा आफिस)
13.	मैसर्स ह्युन्दई इंजी. कन्स लि. कम्पनी
14.	मैसर्स देवू मोटर्स इंडिया लि.
15.	मैसर्स बैंक परिबा
16.	मैसर्स एयरोफ्लोट
17.	जापान रेडियो कं. लि.
18.	मैसर्स असाही ग्लास कं. लि.
19.	मैसर्स केशियो भारती मोबाइल कम्यूनिकेशन लि.
20.	मैसर्स फ्युजीत्सु लि.
21.	मैसर्स इटोचु कार्पोरेशन
22.	मैसर्स चोरी कं. लि.
23.	मैसर्स एस्कोर्टस यामहा मोटर्स लि.
24.	मैसर्स फ्यूजी फोटो फिल्म (सिंगापुर)
25.	मैसर्स हिटाची कैबिल्स लि.
26.	मैसर्स एक्सेडी सीके लि.
27.	मैसर्स होंडा मोटर्स कं.
28.	मैसर्स केन्वूड
29.	मैसर्स जुकी सिंगापुर
30.	मैसर्स हिटाची इंडिया ट्रेडिंग प्रा.लि.
31.	द बैंक आफ टोकियो
32.	दी साकुरा बैंक लि.

1	2
33.	जापान एअरलाइन्स
34.	मैसर्स सान्वा बैंक लि. नई दिल्ली
35.	मैसर्स नेशनल पैनासोनिक
36.	मैसर्स निशो इनाई कारपोरेशन
37.	मैसर्स मित्सुबीशी कारपोरेशन
38.	एल जी इलैक्ट्रानिक्स
39.	मैसर्स सेमसंग इलैक्ट्रानिक्स
40.	द कमर्शियल बैंक आफ कोरिया लि.
41.	द बैंक आफ नोवा स्कोटिया
42.	नोकिया प्राइवेट लिमिटेड
43.	मैसर्स लुफ्तहांसा एयरलाइन्स
44.	मैसर्स टोक्यो मोटर्स कारपोरेशन
45.	मैसर्स सोनी इंडिया प्राइवेट लि.
46.	मैसर्स सोनी गल्फ
47.	मैसर्स सोनी कारपोरेशन लि.
48.	मैसर्स एस डब्ल्यू एस इंडिया होल्डिंग लि.
49.	मैसर्स सूमी मदरसन इनोवेटिव इंजी. लि.
50.	मैसर्स सूमी मदरसन इनटेग्रेटिड टेक्नालाजी लि.
51.	मैसर्स मदरसन सूमी सिस्टम लि.
52.	मैसर्स एन इ सी कार्पोरेशन
53.	मैसर्स मारूबेनी कारपोरेशन, नई दिल्ली
54.	मैसर्स वाई के के इंडिया प्रा.लि.
55.	मैसर्स मितसुई कंसट्रक्शन कं. लि.
56.	मैसर्स मितसुई केनसेतसू इंडिया प्रा.लि.
57.	मैसर्स टी.एस. टेक. कं. लि.
58.	मैसर्स सुमिटोमो कारपोरेशन
59.	मैसर्स सनदन विकास इंडिया लि.
60.	मैसर्स तोशिबा कारपोरेशन
61.	मैसर्स रूबेनी कारपोरेशन (प्रोजेक्ट आफिस)

1	2
62.	मैसर्स मरूबेनी इंडिया प्राइवेट लि.
63.	मैसर्स मितसुई मेरीन एण्ड फायर इंश्योरेंस कम्पनी लि.
64.	मैसर्स टेरूमों कारपोरेशन
65.	मैसर्स मित्सुबीशी इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन इंडिया (सम्पर्क आफिस)
66.	मैसर्स शोबा कारपोरेशन (मुनजई)
67.	मैसर्स मोरीरको कं. लि.
68.	मैसर्स मित्सुई एंड कंपनी
69.	मैसर्स के ई आई एच एन कार्पोरेशन
70.	मैसर्स सवरोंस लि.
71.	मैसर्स सुमिटोमो इलेक्ट्रीक इंडस्ट्री लि.
72.	मैसर्स रिसो कागाको कार्पोरेशन
73.	मैसर्स केनवुड कार्पोरेशन
74.	मैसर्स लमेक्स इंडस्ट्रीज लि.
75.	मैसर्स यसुदा फायर एण्ड मेरिन इंश्योरेंस कं. लि.
76.	मैसर्स पत्सुशिता टेलीविजन एण्ड आडियो इंडिया लि.
77.	मैसर्स सताके कारपोरेशन
78.	मैसर्स मत्सुशिता इलैक्ट्रिक्स वर्क्स लि. (नेशनल पैनासोनिक)
79.	मैसर्स निशा इवाई कार्पोरेशन (बम्बई कार्यालय)
80.	मैसर्स टोयोटा त्सुशियों कारपोरेशन
81.	मैसर्स पायनियर इलेक्ट्रिक कारपोरेशन
82.	मैसर्स समितामो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज लि.
83.	मैसर्स आई सी आई इंडिया लि.
84.	नेमुरा ट्रैडिंग कं. लि.
85.	मित्सुबीशी हैवी इंडस्ट्रीज लि.
86.	किन्शो मताई सी कार्पोरेशन
87.	सुमिकिन बसन कारपोरेशन

1	2
88.	द आलही बैंक लि.
89.	द सुमितोमो मेरीन एंड फायर इन्सुरेंस कारपोरेशन
90.	द सुमितोमो बैंक लि.
91.	निशीमेल कारपोरेशन
92.	टोमेन कारपोरेशन
93.	हिताची जी. मटोर इंजी. लि.
94.	सकूरा कैपिटल मार्केट
95.	मैसर्स क्वाशी कारपोरेशन
96.	मैसर्स नगासे एण्ड कं. लि.
97.	मैसर्स मुराटे मशीनरी लि.
98.	बी.पी.एल. सान्यो लि.
99.	बी.पी.एल. सान्यो फाइनेंस
100.	योकागावा ब्लूस्टार
101.	इंडो निशिन फूड्स लि.
102.	जुकी सिंगापुर लि.
103.	हिताची कोकी

[अनुवाद]

आकाशवाणी/दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों से मिलने वाले राजस्व में कमी

***133. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:**
श्रीमती गीता मुखर्जी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आकाशवाणी/दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों से होने वाली राजस्व प्राप्ति में गत तीन वर्षों के दौरान कमी आई है अथवा वह निर्धारित लक्ष्य से काफी कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य तथा उसकी प्राप्ति के संदर्भ में तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और उसमें कमी आने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने वाणिज्यिक राजस्व बढ़ाने हेतु उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए कोई समिति/कार्य दल गठित किया है; और

(घ) इस संबंध में 2000-2001 के लिए बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के वाणिज्यिक राजस्व के संबंध में लक्ष्य तथा उपलब्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(आंकड़े करोड़ रु. में)

वर्ष	दूरदर्शन		आकाशवाणी	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1997-98	520.50	490.35	97.00	84.04
1998-99	400.00	399.32	93.39	74.20
1999-2000	500.00	363.58 (जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार)	86.45	51.77 (दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार)

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के संबंध में लक्ष्यों तथा अर्जित राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) सरकार ने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर वाणिज्यिक समय के विपणन के बारे में अध्ययन करने और उपयुक्त विपणन नीतियां अपनाने हेतु सिफारिशें करने के लिए श्री सिद्धार्थ सेन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 25 जुलाई, 1997 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इसके अलावा, प्रसार भारती ने विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अद्यतन करने और इसकी मुख्य सिफारिशें को लागू करने हेतु उपाय सुझाने के लिए जुलाई, 1999 में क्वाद्रा एडवाइजरी नामक विपणन परामर्श फर्म की सेवाएं प्राप्त की थीं। उक्त फर्म ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और प्रसार भारती द्वारा इसकी सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है।

(घ) राजस्व में वृद्धि करने हेतु दूरदर्शन द्वारा किए गए उपायों में उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम प्रसारित करना, दर सूची को तर्कसंगत बनाना, उपग्रह चैनलों को डिजीटल रूप में परिवर्तित करना, मुख्य चैनलों की प्रसारण अवधि को बढ़ाकर 24 घंटे करना तथा अगले पांच वर्षों में क्रिकेट आयोजनों का विपणन करना शामिल हैं। आकाशवाणी द्वारा देश में कुछ और वाणिज्यिक केन्द्र शुरू किये जाने तथा शार्ट वेव पर खाड़ी देशों के लिए वाणिज्यिक सेवा शुरू करने की योजना है।

विवरण I

आकाशवाणी

राज्य	वाणिज्यिक केन्द्रों की संख्या	1997-98		1998-99		(दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
गुजरात	अहमदाबाद	4,45,00,000	3,75,16,234	4,35,00,000	2,16,70,426	4,35,00,000	1,85,64,909
कर्नाटक	बंगलौर	6,75,00,000	5,41,89,223	5,36,00,000	3,98,47,236	5,00,00,000	1,93,86,711
मध्य प्रदेश	भोपाल	5,43,00,000	5,94,23,067	5,65,00,000	3,49,26,521	3,93,00,000	2,00,30,653
पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पूर्व	कलकत्ता	6,30,00,000	5,18,35,776	6,65,00,000	3,42,10,358	6,40,00,000	3,69,89,163
पंजाब तथा हिमचाल प्रदेश	चंडीगढ़	2,52,00,000	2,01,17,696	2,14,00,000	1,11,97,311	2,27,00,000	75,300,88
उड़ीसा	कटक	1,72,00,000	1,68,15,476	1,87,00,000	1,09,78,300	1,47,00,000	56,32,688
तमिलनाडु	चेन्नई	13,55,00,000	10,37,63,380	13,25,00,000	5,91,39,290	10,35,00,000	6,01,52,979
दिल्ली/ हरियाणा	दिल्ली	7,94,00,000	6,37,74,551	7,88,00,000	7,08,37,928	10,54,00,000	6,03,74,956
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	10,00,00,000	7,31,58,072	9,66,00,000	5,44,56,408	9,05,00,000	5,17,55,990
राजस्थान	जयपुर	3,60,00,000	3,13,54,588	3,39,00,000	1,78,83,917	3,05,00,000	1,24,26,846
उत्तर प्रदेश	कनपुर	8,90,00,000	8,23,78,095	9,16,00,000	5,23,10,105	7,20,00,000	4,06,29,616
महाराष्ट्र	मुम्बई	14,07,00,000	10,92,60,550	11,94,00,000	8,32,79,398	12,62,00,000	5,97,03,404
बिहार	पटना	3,55,00,000	3,90,62,127	4,20,00,000	2,45,67,065	3,85,00,000	1,26,44,204
जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	52,00,000	71,00,280	85,00,000	36,80,918	57,00,000	26,73,356
केरल	त्रिवेन्द्रम	7,70,00,000	5,33,55,494	6,64,00,000	5,00,08,472	5,80,00,000	4,01,45,935
राष्ट्रीय नेटवर्क बुकिंग (केन्द्रीय विंडो)			3,72,53,096		17,29,97,373		6,90,21,902
जोड़		97,00,00,000	84,03,67,044	93,39,00,000	74,19,91,526	86,45,00,000	51,76,63,400

विवरण II

दूरदर्शन

1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के लिए सकल राजस्व

(करोड़ रु. में)

राज्य	केन्द्र का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	निर्धारित लक्ष्य	31 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार प्राप्त लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
	राष्ट्रीय नेटवर्क	275.00	263.88	225.00	211.55	287.00	223.70
	डीडी-2/मेट्रो	100.00	93.79	55.00	73.51	50.00	31.65
	डीडी-इंटरनेशनल	1.00	0.54	.55	0.47	1.50	0.72
दिल्ली	1. दिल्ली अ.श.ट्रां.	5.00	4.93	6.00	5.8	8.00	6.34
गुजरात	1. अहमदाबाद	2.00	1.90	2.80	2.78	3.00	1.88
कर्नाटक	1. बंगलौर	22.00	21.97	15.25	13.73	15.00	11.04
मध्य प्रदेश	1. भोपाल	1.00	0.97	1.50	1.81	2.00	1.08
	2. रायपुर**						
उड़ीसा	1. भुवनेश्वर	2.50	2.05	2.25	2.01	2.00	1.37
पश्चिम बंगाल	1. कलकत्ता	20.00	15.58	18.00	16.80	25.00	19.43
असम	1. गुवाहाटी	1.00	0.96	1.00	0.98	1.50	0.62
आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद	20.00	18.10	16.00	14.62	22.00	15.48
राजस्थान	1. जयपुर	1.00	0.92	1.25	1.21	2.00	1.38
पंजाब	1. जालंधर	3.00	2.50	5.25	5.02	5.50	3.69
उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ	3.00	2.80	3.25	3.10	4.00	3.19
	2. गोरखपुर						0.13
	3. बरेली**						
महाराष्ट्र	1. मुम्बई	15.00	14.49	14.75	14.25	25.00	12.29
	2. नागपुर						

1		2	3	4	5	6	7	8
बिहार	1.	पटना	1.00	0.64	1.25	1.20	1.00	0.67
	2.	मुजफ्फरपुर**						
तमिलनाडु	1.	चेन्नई	30.00	27.64	14.90	14.70	25.00	14.24
केरल	1.	त्रिवेन्द्रम	18.00	16.60	15.50	15.31	20.00	14.44
जम्मू एवं कश्मीर	1.	श्रीनगर		0.09	.50	0.46	.50	0.22
	2.	जम्मू						0.02
गोवा	1.	पणजी						0.002
मेघालय	1.	शिलांग**						
त्रिपुरा	1.	अगरतला						0.001
पांडिचेरी	1.	पांडिचेरी**						
		कुल	520.50	490.35	400.00	399.32	500.00	363.583

लक्ष्य, केवल राजस्व अर्जक केन्द्रों के संबंध में है।

**गैर-राजस्व अर्जक।

लापता सूचीबद्ध कम्पनियां और "सेबी"

***134. डा. संजय पासवान:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सेबी" ने लापता सूचीबद्ध कम्पनियों के मामलों को भारतीय दंड संहिता या अन्य राज्य कानूनों के तहत समुचित कार्यवाही शुरू करने हेतु राज्य सरकारों को भेजने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए "सेबी" को अधिकार प्रदान किए हैं;

(ग) यदि हां, तो "सेबी" द्वारा ऐसे मामलों का निपटान न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "सेबी" ने आम निवेशकों की शिकायतों को दूर करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है;

(ङ) यदि हां, तो "सेबी" द्वारा अभी तक प्राप्त की गई/सुलझाई गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(च) "सेबी" का पुनर्गठन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) जी, हाँ। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अन्य विनियामक अभिकरणों नामत: भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) तथा कंपनी कार्य विभाग (डी.सी.ए.) द्वारा की गई कार्रवाई के अलावा सेबी तथा कंपनी कार्य विभाग के प्रतिनिधियों से युक्त एक केन्द्रीय समन्वय तथा निगरानी समिति ने उन मामलों जिनमें बेईमानी और धोखाधड़ी पाई गई है, को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजने का निर्णय लिया।

(ख) और (ग) सेबी अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निवेशक हित के संरक्षण के लिए कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए सेबी को शक्तियां प्रदान की गई हैं। जो कंपनियां पूंजी बाजार में पब्लिक इश्युओं के द्वारा संसाधन जुटाती हैं, वे सेबी के विनियामक दायरे के अंतर्गत आती हैं। सेबी ने अब तक 57 कंपनियों तथा 214 निदेशकों को पांच वर्ष की अवधि के लिए पूंजी बाजार से किसी भी रूप में सहबद्ध होने से वंचित कर दिया है।

(घ) और (ङ) सेबी ने एक निवेशक शिकायत निवारण तथा मार्गदर्शन प्रभाग गठित किया है जो उन निवेशकों की मदद करता है जो सेबी को कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें करते हैं। प्रत्येक शिकायत अभिस्वीकृत की जाती है। इसके अलावा, सेबी के सभी कार्यालयों में तथा सेबी वेबसाइट पर भी एक मानक शिकायत

प्ररूप उपलब्ध है। प्रत्येक शिकायत पर कंपनी के साथ तुरन्त कार्रवाई की जाती है तथा प्रत्येक तिमाही उसका परिशीलन किया जाता है। सेबी को अब तक निवेशकों से कंपनियों के विरुद्ध 25,10,368 शिकायतें/परिवाद प्राप्त हुए हैं। सेबी ने इनके निवारण के लिए संबंधित कंपनियों के साथ कार्रवाई की है। इनमें से, कुल 23,98,765 परिवाद अर्थात लगभग 96% निपटाए जा चुके हैं।

(च) सेबी एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। सरकार का इस प्राधिकरण को इसके कार्यकलापों को प्रभावी तथा सक्षमता से पूरा करने योग्य बनाने के उद्देश्य से सेबी की भूमिका को सुदृढ़ करने का प्रयास रहा है। सेबी की कार्यप्रणाली का इसकी सक्षमता तथा प्रभावीपन में सुधार करने के उद्देश्य से लगातार पुनरीक्षण किया जाता है।

500 रुपए के करेंसी नोटों को वापस लेना

***135. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान/दुकानें 500 रुपए के करेंसी नोटों को लेने से मना कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इन नोटों को लेने से मना करने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या उपाय करने का सरकार का विचार है;

(घ) क्या सरकार देश में जाली करेंसी नोटों के प्रचलन को रोकने की दृष्टि से 500 रुपये के करेंसी नोटों को बदलने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) से (ग) कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों द्वारा 500 रु. मूल्यवर्ग के नोटों को स्वीकार करने से मना करने के कुछेक मामले भारतीय रिजर्व बैंक के नोटिस में लाए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उसके द्वारा जारी किए गए सभी 500 रु. के नोटों की वैधता बनी हुई है। अतः उन्हें सभी लेनदेनों में स्वीकार किया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे अपनी सभी शाखाओं को सभी लेनदेनों के लिए 500 रु. के नोट बेरोकटोक स्वीकार करने के निर्देश दें। भारतीय रिजर्व बैंक से इसी प्रकार के निर्देश देश में सभी शाखाओं को जारी करने के लिए कहा गया है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) अब यह पता लगाई गई 500 रु. मूल्य वर्ग के जाली करेंसी नोटों की संख्या प्रचलन में इन नोटों की संख्या की तुलना में अत्यन्त मामूली है और सरकार ने खतरे को रोकने के लिए पहले ही पर्याप्त कदम उठाए हैं।

प्याज का निर्यात

***136. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष प्याज के उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए इसका निर्यात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) सरकार ने दिनांक 9.2.2000 से 31.3.2000 तक की अवधि के दौरान प्याज की सभी किस्मों के 100,000 मी. टन के निर्यात की अनुमति प्रदान कर दी है। वर्ष 1999-2000 के लिए, सरकार ने कुल 3.15 लाख मी. टन प्याज के निर्यात की अनुमति प्रदान की है।

(ख) सभी किस्मों के 100,000 मी. टन प्याज का निर्यात नेफेड, कर्नाटक स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोडयूस प्रोसैसिंग एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लि. (के.ए.पी.ई.सी.), बंगलौर, कर्नाटक स्टेट काआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन लि., (के.एस.सी.एम.एफ.), बंगलौर, महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एम.एस.ए.एम.बी.), पुणे, गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि. (जी.ए.आई.सी.), अहमदाबाद तथा आंध्र प्रदेश स्टेट को-आपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन लि. (ए.पी. मार्कफीड), हैदराबाद के माध्यम से किया जाएगा। मार्च, 2000 के अंत तक,

इन निर्यातों से 15 मिलियन अमरीकी डालर (64.5 करोड़ रुपए) की विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है।

[हिन्दी]

उपग्रह चैनल के क्षेत्र में विदेशी इक्विटी

***137. श्री शिवराज सिंह चौहान:**
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपग्रह चैनल के क्षेत्र में 49 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विदेशी भागीदारी को कुल इक्विटी पूंजी के केवल 2.5 प्रतिशत तक ही सीमित करने हेतु कोई अनुरोध मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चर्म उत्पादों का निर्यात

***138. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2000-2001 के दौरान चर्म उत्पादों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चर्म उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) आमतौर पर निर्यात लक्ष्य का निर्धारण वित्त वर्ष पूरा होने के बाद, निर्यात रुझान, निर्यात के स्वरूप आदि का विश्लेषण करके पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात निष्पादन के आधार पर किया जाता है। इसलिए वर्ष 2000-2001 के लिए यह लक्ष्य अभी तय किये जाने हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चर्म एवं चर्म उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे निम्न हैं:

(1) वाणिज्य मंत्रालय बाजार विकास सहायता के अंतर्गत विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दौरा करने, विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने और विदेशों में प्रचार/विज्ञापन देने समेत बाजार संवर्धन प्रयास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेशों में 5-6 प्रमुख बाजारों में प्रचार एवं विपणन पर लगातार ध्यान देने पर जोर दिया गया है।

(2) विपणन का संवर्धन करने के लिए सहायता दृष्टिकोण का समर्थन किया जा रहा है और इस विषय पर मार्गदर्शी सिद्धांतों में उचित संशोधन किए गए हैं।

(3) उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल का आयात करने के लिए शुल्क छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्यातकों की सुविधा के लिए वार्षिक अग्रिम लाइसेंसिंग योजना शुरू की गई है।

(4) यद्यपि अप्रैल, 1999 में घोषित संशोधित नीति में पुराने पूंजीगत सामान का आयात प्रतिबंधित है, तथापि सरकार ने चर्म एवं चर्म उत्पाद उद्योग समेत उद्योग द्वारा पुराने पूंजीगत सामान के आयात के लिए विशिष्ट लाइसेंस शीघ्रता से जारी करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

(5) चर्मशोधन आधुनिकीकरण निधि का सृजन किया गया है ताकि उत्पाद विकास के साथ-साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन में मदद की जा सके।

(6) मशीनरी और उपकरणों के आयात की अनुमति शून्य प्रति संतुलनकारी शुल्क के साथ 5% न्यूनतम शुल्क की दर पर दी गई है।

(7) निर्यात संवर्धन पूँजीगत सामान योजना के अंतर्गत चर्म एवं चर्म उत्पाद उद्योग हेतु पूंजीगत सामान के आयात के लिए शून्य शुल्क सुविधा प्रदान की गई है।

(8) भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धात्मक गति प्रदान करने के लिए अधिकांश आवश्यक निविष्टियों पर लगने वाले आयात शुल्कों को घटाकर एक समान 20% कर दिया गया है।

(9) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अलंकरण उपलब्ध कराने के लिए चर्म परिधान विनिर्माताओं-निर्यातकों को पूर्व वर्ष के निर्यात निष्पादन के 2% की सीमा तक शुल्क मुक्त आयात की सुविधा प्रदान की गई है।

(10) विभिन्न चर्म उत्पाद बनाने के लिए अधिक कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए और नए निवेश आमंत्रित कर क्षमता बढ़ाने हेतु एकीकृत चर्मशोधन एकक स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

(11) सीएलआरआई से भारत में विभिन्न चर्म उत्पाद केन्द्रों में जांच सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए अध्ययन करने के लिए कहा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर और एफ.एम. बैंड सुविधा

***139. श्री प्रियरंजन दासमुंशी:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से लगी सीमा पर स्थित संवेदनशील जिलों में दूरदर्शन के कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर बिल्कुल प्रभावी नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं;

(ग) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपवर्ती क्षेत्रों, विशेषकर नेपाल सीमा के समीपवर्ती जिलों में टी.वी. कार्यक्रम रिले करने के लिए उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने और एफ.एम. सुविधा उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीपवर्ती जिलों में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर और एफ.एम. बैंड सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निम्नलिखित टेलीविजन ट्रांसमीटर नेटवर्क के जरिए दूरदर्शन कार्यक्रम उपलब्ध कर रहा है:

क्षेत्र	उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की संख्या	अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की संख्या	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की संख्या	ट्रांसपोजरों की संख्या
भारत-बंगलादेश सीमा	8	21	5	1
भारत-नेपाल सीमा	1	26	7	-
भारत-पाकिस्तान सीमा	10	25	21	1

औसतन, एक विशिष्ट उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का प्रभावी कार्यक्षेत्र क्रमशः 75 कि.मी., 15 कि.मी. तथा 5 कि.मी. होता है। तथापि, भौगोलिक स्थलों एवं भू-भागीय स्थितियों के कारण कुछ क्षेत्रों में प्रसारण उपर्युक्त रूप से प्रभावी नहीं हो सकता है।

सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की सेवाओं में सुधार लाने को बहुत अधिक प्राथमिकता दे रही है। तदनुसार, इन क्षेत्रों में निम्नलिखित टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं:

क्षेत्र	उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की संख्या	अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की संख्या	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की संख्या	ट्रांसपोजरों की संख्या
भारत-बांग्लादेश सीमा	6	5	–	2
भारत-नेपाल सीमा	1	3	–	–
भारत-पाकिस्तान सीमा	15+1 (विद्यमान ट्रांसमीटर का उन्नयन)	13	66+11 (विद्यमान ट्रांसमीटर का उन्नयन)	–

जहां तक रेडियो का संबंध है, सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज के लिए सामान्यत: लंबी रेंज वाले मीडियम वेव ट्रांसमीटरों को प्राथमिकता दी जाती है। एफ.एम. ट्रांसमीटरों की अपेक्षाकृत कम रेंज होती है। फिलहाल, सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्नलिखित रेडियो ट्रांसमीटर प्रभावी सेवा प्रदान कर रहे हैं:

क्षेत्र	मीडियम वेव	एफ.ए.
भारत-बंगलादेश सीमा	12	4
भारत-नेपाल सीमा	4	–
भारत-पाकिस्तान सीमा	8	–

इन रेडियो सेवाओं में और सुधार करने हेतु निम्नलिखित ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं:

क्षेत्र	मीडियम वेव	शार्ट वेव	एफ.एम.
भारत-बांग्लादेश सीमा	1+1 (पुराने ट्रांसमीटर का प्रतिस्थापन)	–	5
भारत-नेपाल सीमा	–	–	2
भारत-पाकिस्तान सीमा	10+5 (पुराने ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन)	1 (1 कि.वा. के स्थान पर 50 कि.वा. में प्रतिस्थापन)	2+2 (पुराने ट्रांसमीटर का प्रतिस्थापन)

(ङ) देश के सीमावर्ती जिलों में फिलहाल कार्यान्वयनाधीन आकाशवाणी एवं दूरदर्शन परियोजनाओं को 9वीं योजना अवधि के अन्त तक चरणों में पूरा किये जाने की संभावना है।

पुरानी कारों का आयात

***140. श्री सुरेश कुरुप:**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "फिक्की" ने उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए पुरानी कारों के आयात की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस आयात से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू आटोमोबाइल उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या घरेलू आटोमोबाइल उद्योग ने सरकार से पुरानी कारों का आयात न करने का आग्रह किया है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) घरेलू आटोमोबाइल उद्योग के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (छ) सैकेंड हैंड कारों को निर्यात और आयात मदें, 1997-2002 के आईटीसी (एचएस) वर्गीकण के एक्जिम कोड उप-शीर्ष 87.03 के तहत वर्गीकृत किया गया है और इस समय इन मदों का आयात प्रतिबंधित है।

फिक्की ने सैकेंड हैंड कारों का आयात करने की अनुमति देने के लिए सरकार से कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया है। तथापि, सोसाइटी ऑफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि सैकेंड हैंड कारों का मुक्त आयात करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

भारत की अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं को देखते हुए भारत द्वारा भुगतान संतुलन कारणों से आयातों पर लगाए गए सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों को दिनांक 1.4.2001 तक हटाने होंगे। तथापि, मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद भी आयात लागू टैरिफों, तकनीकी मानकों और पर्यावरणीय तथा सुरक्षा मानकों के अधीन ही किए जाएंगे। इन उपायों या इनके मिले-जुले उपायों का प्रयोग हमारे घरेलू आटोमोबाइल उद्योग को बचाने के लिए समुचति रूप से किया जोगा। सभी संबंधित पहलुओं की जांच करने के बाद, इस विषय पर निर्णय यथासमय लिया जायेगा।

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामले

1295. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) कर-अपवंचनकर्ताओं द्वारा कर से बचने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं और कर-प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों का पता लगाने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान सरकार द्वारा कितनी धनराशि की वसूली की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के बहुत से मामलों का पता लगाया गया है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	मामलों की संख्या
1996-97	7053
1997-98	6312
1998-99	7345

(ख) कर अपवंचकों द्वारा कर से बचने के लिए ये तरीके अपनाए जा रहे हैं:

(1) चोरी छिपे माल हटाना, (2) कम मूल्यांकन करना, (3) माडवेट क्रेडिट का दुरुपयोग, और (4) गलत वर्गीकरण और/अथवा छूट अधिसूचनाओं का दुरुपयोग करना। सरकार द्वारा कर-प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) लेखा परीक्षा की आधुनिक पद्धति लागू करना;

(2) प्रभावकारी ढंग से आसूचना एकत्र करने अपवंचन रोधी उपाय करना, उत्पादन और निकासी की आकस्मिक जांच करना और उत्पाद शुल्क माल का चोरी-छिपे विनिर्माण करने और उसे हटाने की घटनाओं की रोकथाम करने के लिए मार्गस्थ जांच करना; और

(3) टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनिवार्य अर्थदण्ड लगाने के लिए उपबंध बनाने, अपवंचित शुल्क पर अर्थदण्ड के रूप में ब्याज लगाने, अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य पर आधारित मूल्यांकन करने जैसे विधायी उपाय; और संसाधित टैक्सटाइल वस्त्रों पर उत्पादन क्षमता पर आधारित लेवी लगाना।

(ग) नोटिस जारी करने, मामलों का न्यायनिर्णयन करने और अपीलीय अधिकार समाप्त होने के बाद ही धनराशि की वसूली की जाती है। अतः अभियान के दौरान अंतिम वसूलियां नहीं की जाती हैं। भाग (क) में उल्लिखित मामले में, तीन वर्षों के लिए कथित शुल्क अपवंचन की राशि क्रमशः लगभग 1421.42 रुपये, 1558.23 रुपये और 2365.87 रुपये (आंकड़े करोड़ रुपयों में) बैठती है, और कानून के तहत पहले ही कार्यवाही कर दी गई है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

1296. श्री मोहन रावले: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश का मुख्य उद्देश्य संसाधन जुटाना है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण और व्यवसायीकरण के उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश का एक लक्ष्य संसाधन जुटाना तथा सरकार के धन का इष्टतम उपयोग करना है।

(ख) ऊपर (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

मसालों का निर्यात

1297. श्री टी. गोविन्दन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गत एक वर्ष के दौरान मसालों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनके निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यातित मसालों के मूल्य में कोई गिरावट नहीं आई है, यद्यपि निर्यातित मात्रा में 4% की मामूली गिरावट आई है। वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए मसालों के निर्यात नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रुपये में)	
		रुपये	यू एस डालर
1997-98	242071	1466.81	394.45
1998-99	231389	1758.02	419.68

(ख) सरकार मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देती है। निर्यातित मसालों की मात्रा में मामूली गिरावट मूल्यवर्धित मसालों के निर्यात पर ध्यान देने के कारण आई है। मूल्यवर्धन निर्यातित मसालों की मात्रा में मामूली कमी को बराबर कर देता है।

(ग) सामान्य व्यापार नीतिगत सुधारों के अलावा मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किये गये कुछ उपायों में शामिल हैं: मसालों के निर्यात पर लगने वाले उपकरण को युक्तिसंगत बनाकर 0.5% की दर निर्धारित करना ताकि उन्हें विदेशी बाजार में कीमत प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, ब्रांड संवर्धन योजनाओं जैसे "लोगो संवर्धन" का कार्यान्वयन, गुणवत्ता उत्पादों के प्रसंस्कर्त्ता/निर्यातक की पहचान के रूप में "मसाला घराना प्रमाण-पत्र" प्रदान करना, गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रक्रिया उन्नयन और उत्पाद विकास आदि।

[हिन्दी]

सीमेंट का उत्पादन

1298. प्रो. रासासिंह रावत: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सीमेंट की मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने राजस्थान में सीमेंट उद्योग की व्यापक संभावना का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान में कार्य कर रही सीमेंट फैक्ट्रियों की स्थान-वार संख्या कितनी है तथा इनमें से प्रत्येक फैक्ट्री में सीमेंट का कितना उत्पादन होता है;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान सीमेंट की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया; और

(च) सरकार द्वारा सीमेंट के निर्यात को और प्रोत्साहन देने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) "सीमेंट उद्योग संबधी कार्यदल" द्वारा 1998-1999 के लिए चित्रित 86 मिलियन टन की मांग के प्रति इस उद्योग ने 87.91 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया। वर्ष 1999-2000 में (जनवरी, 2000 तक) इस उद्योग ने 93 मिलियन टन की अनुमानित मांग के प्रति 81.55 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया।

(ख) और (ग) सीमेंट उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। राजस्थान राज्य में कच्चे माल की उपलब्धता का लाभ उठाते हुए वहां और अधिक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए उद्यमी स्वतंत्र हैं।

(घ) इस समय राजस्थान में 14 बड़े सीमेंट संयंत्र कार्य कर रहे हैं, जिनकी क्षमता 14.37 मिलियन टन है। इन संयंत्रों का स्थान-वार और फैक्टरी-वार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान निर्यात किये गये सीमेंट और खंगर (क्लिंकर) की मात्रा इस प्रकार है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	सीमेंट	खंगर
1997-1998	2.68	1.72
1998-1999	2.06	1.45

(च) समेंट निर्यातकों को अनेक प्रोत्साहन दिये जाते हैं, जैसे—अदा किये गये उत्पाद शुल्क पर शुल्क वापसी; शुल्क पात्रता पास बुक स्कीम के तहत 8% की दर से सीमेंट और खंगर के निर्यात के लिए शुल्क पात्रता और सीमेंट के उत्पादन के लिए अपेक्षित कोयले, फर्नेश आयल, पैकेजिंग सामग्री इत्यादि का करमुक्त आयात।

विवरण

राजस्थान में चल रही सीमेंट फैक्टरियां

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	स्थान	सीमेंट उत्पादन 1998-1999	(लाख टन में) 1999-2000 (अप्रैल-जनवरी)
1.	लखेड़ी	लखेड़ी	3.96	4.50
2.	डी एल एफ सीमेंट लि.	पाली	12.18	10.64
3.	बिनानी सीमेंट	सिरोही रोड	14.00	13.48
4.	बिड़ला सीमेंट	चित्तौड़गढ़	4.54	5.06
5.	चित्तौड़ सीमेंट	चित्तौड़गढ़	9.77	8.71
6.	मंगलम सीमेंट	मोरक	3.65	3.29
7.	नीर श्री सीमेंट	मोरक	7.36	7.49
8.	आदित्य सीमेंट	शुंभपुरा	.10.67	11.42
9.	निंबाहेड़ा-जे.के. सीमेंट	निंबाहेड़ा	16.41	15.43
10.	जे.के. मंगोल सीमेंट (जी)	मंगरोल	0.66	1.28
11.	लक्ष्मी सीमेंट यूनिट 1 और 2	सिरोही रोड	15.71	14.87
12.	जे.के. उदयपुर उद्योग लि.	उदयपुर	5.57	4.75
13.	श्री सीमेंट एंड राज सीमेंट	ब्यावर	19.78	18.32
14.	श्री राम सीमेंट्स	कोटा	2.41	2.26
	राजस्थान		126.67	121.50

[अनुवाद]

प्राकृतिक रबड़ का आयात

1299. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ साउर्दन इंडिया (यूपीएएसआई) ने अग्रिम अनुज्ञप्ति योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ के आयात के निलंबन को जारी रखने हेतु अनुरोध किया है जिससे देश में शामिल मूल्य संतुलित स्तर तक पहुंच सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में कब तक एक निर्णय ले लिया जायेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) जी, हां। 1 फरवरी, 1999 में लगाया गया प्रतिबंध जारी है।

वस्त्र उद्योग को स्पर्द्धात्मक बनाना

1300. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "मल्टी फाईबर" समझौते के वर्ष 2005 में समाप्त होने से पूर्व वस्त्र उद्योग को स्पर्द्धात्मक बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में हस्तकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्रों को किस प्रकार की सहायता तथा प्रोत्साहन प्रदान किया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी हां। सरकार द्वारा उद्योग के आधुनिकीकरण व उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) जैसी योजनाएं पहले ही आरंभ की गई हैं, जिससे वे और अधिक स्पर्द्धात्मक बन सकें। वस्त्र क्षेत्र में नये निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात हकदारी (कोटा) नीति अधिसूचनाओं में विनिर्माता निर्यातक हकदारी व नई निवेशक हकदारी प्रणाली भी शामिल हैं।

(ग) हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र मुख्यत: बहु-फाईबर समझौते (एम.एफ.ए.) द्वारा प्रभावित नहीं हैं। सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में नई योजनाएं आरंभ की हैं, जिनमें परियोजना पैकेज, कार्यशाला-सह-आवास, बचत निधि, स्वास्थ्य पैकेज, समूह बीमा, निर्यात योग्य उत्पादों और उनके विपणन का विकास, राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो का आयोजन, प्रदर्शनियों, मेलों और हाट आदि शामिल हैं।

जहां तक हस्तशिल्प क्षेत्र का संबंध है, मास्टर शिल्पकारों को उनके विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है। मास्टर शिल्पकार अधिक आयु व दुर्बल होने के कारण कार्य करने में असमर्थ/अक्षम होते हैं, उन्हें पेंशन की व्यवस्था दी जाती है। उनके शिल्प कौशल की पहचान के रूप में, उत्कृष्ट शिल्पियों व बुनकरों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाता है। पुरस्कार में 25,000 रु. का नकद पुरस्कार, एक ताम्रपत्र व एक अंगवस्त्रम् शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र के शिल्पकारों को पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर प्रदर्शनी के लिए व्ययों की 100% प्रतिपूर्ति व मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान की जाती है।

ओरियंटल बैंक आफ कामर्स में धोखाधड़ी

1301. श्री रामसागर रावत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जनवरी, 2000 के "दैनिक जागरण" में "ओरियेंटल बैंक में फिर करोड़ों का घोटाला— मुख्य प्रबन्धक समेत ग्यारह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं तथा शेष मामलों में मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स ने सूचित किया है कि वर्ष 1995 में न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी शाखा, नई दिल्ली के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि शाखा के प्रभारी मुख्य प्रबंधक ने उन्हें दी गई ऋण शक्तियों का उल्लंघन किया था, अपने नकदी ऋण एवं ओवरड्राफ्ट खाते में कुछ पार्टियों को अनधिकृत रूप से स्वीकृत सीमाओं से अधिक सहायता दी थी, बेजमानती ओवर ड्राफ्ट/दस्तावेज भुनाई की सुविधा दी थी और इस प्रकार बैंक के 1120.95 लाख रुपये के दायित्व के जोखिम में डाल दिया

था। उन्हें दिनांक 21.12.1995 से निलम्बित कर दिया गया था और बैंक की गुड़गांव शाखा में प्रभारी प्रबन्धक के रूप में कार्य करते समय उनके द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं के लिए बैंक की सेवा से हटाकर उन्हें भारी दण्ड दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने उनके तथा कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध तीन मामले पंजीकृत किए हैं और जांच पूरी करने के बाद दिसम्बर 1999 में न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं। सी.बी.आई. ने बैंक के किसी अन्य कर्मचारी को आपराधिक रूप से अन्तर्ग्रस्त नहीं पाया था।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सोने की खानें

1302. **श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों पर सोने की खानों का पता लगाया गया है और इन खानों का सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ख) इनके सर्वेक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है और इनसे कितनी आय होने की आशा है;

(ग) ये खानें राज्यों के स्वामित्व में रहेंगी या केन्द्र के स्वामित्व में और यदि यह दोनों के स्वामित्व में रहेंगी तो दोनों के स्वामित्व की अलग-अलग प्रतिशतता कितनी रहेगी; और

(घ) इनसे कितनी रॉयल्टी प्राप्त होने की संभावना है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) मध्य प्रदेश राज्य में अभी तक किसी सोने की खान का पता नहीं चला है।

(ख) से (घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

[अनुवाद]

आर्थिक सुधार

1303. **श्री अनन्त नायक: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आर्थिक सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपायों को राज्य स्तर पर भी लागू किये जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों को क्या दिशानिर्देश दिए गए हैं; और

(घ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) वित्तीय सुधारों में संस्थाओं और बाजारों, जो वित्तीय प्रणाली का गठन करते हैं, की कार्यकुशलता एवं सुरक्षा सुधारने के लिए बनाये गये उपाय शामिल हैं। चूंकि वित्तीय प्रणाली किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है अतः वित्तीय सुधार सम्पूर्ण देश पर लागू होते हैं। वित्तीय प्रणाली (1991) पर पहली नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट के आधार पर शुरू किये गये वित्तीय सुधारों के अंग के रूप में जो उपाय किये गये थे उनमें सांविधिक ऋण शोधन अनुपात और नकद रिजर्व अनुपात में चरणबद्ध तरीके से कमी करना, ब्याज दरों को विनियमन मुक्त करना, पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड और आय मानने संबंधी मानदण्ड, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और वसूल न हो सकने वाले ऋणों के लिए प्रावधान करना शामिल है। बैंकिंग क्षेत्रक सुधार (1998) पर नरसिम्हन समिति की दूसरी रिपोर्ट पर आधारित उपायों में सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियों के लिए जोखिम भार को चरणबद्ध तरीके से लागू करना, मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान करने वाली अपेक्षाएं, और जोखिम भारित परिसम्पत्ति अनुपात (सी.आर.ए.आर.) में न्यूनतम पूंजी 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करना शामिल है। हाल में किये गये उपायों में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली (संशोधन) अध्यादेश 2000 का प्रख्यापन जिसका उद्देश्य ऋणों की शीघ्र वसूली को सुविधाजनक बनाना है और 2000-2001 के केन्द्रीय बजट में किए गए प्रस्ताव, जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकारी शेयरधारिता कम करके 33 प्रतिशत करना (बैंकों के सरकारी क्षेत्रक स्वरूप को परिवर्तन किए बिना) ताकि वह पब्लिक से पूंजी जुटा सकें और दूसरी नरसिम्हन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप बैंक के बोर्डों में आवश्यक लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करने के लिए कानूनी प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तन और कमजोर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्गठन संबंधी कार्यदल द्वारा सुझाये गए वित्तीय पुनर्गठन प्राधिकरण के संशोधित रूप का गठन शामिल है। वित्तीय क्षेत्रक में जिन अन्य सुधारों का प्रभाव पड़ेगा उनमें संसद द्वारा पारित (1) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में प्रतिभूतियों की परिभाषा में व्युत्पन्न विलेखों को शामिल करते हुए प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 1999, और (2) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए. विधेयक) जो अन्य बातों के साथ-साथ प्राइवेट सेवा प्रदायकों के लिए बीमा क्षेत्रक को खोलता है और कुल प्रदत्त पूंजी के अधिकतम 26 प्रतिशत की शर्त पर विदेशी इक्विटी को घरेलू बीमा कंपनियों में अनुमति देना है, शामिल हैं।

मांस निर्यातकों को राजसहायता

1304. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
मोहम्मद अनवारुल हक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''एनीमल राइट्स इंटरनेशनल'' ने मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति गठित करने की मांग की थी;

(ख) क्या ए पी ई डी ए अथवा किसी अन्य संगठन द्वारा मांस/मांस उत्पादों के निर्यात हेतु राजसहायता दी जाती है और यदि हाँ, तो प्रत्येक निर्यातक को दी गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन की शर्तों का उल्लंघन करके राजसहायता दी जा रही है;

(घ) यदि हाँ, तो मांस निर्यातकों को राजसहायता देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हाँ।

(ख) एपीडा ने ऐसी कई योजनाएं तैयार की हैं, जिनके तहत विभिन्न विकास एवं संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए मांस तथा मांस उत्पादों सहित एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान मांस एवं मांस उत्पादों के विभिन्न निर्यातकों को एपीडा द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

वर्ष 1997-98 के दौरान किए गए भुगतान

1. बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु योजना:

अल-शदाब एक्सपोर्ट्स	-	1,50,000 रु.

2. गुणवत्ता तथा गुणवत्ता नियंत्रण के संवर्धन हेतु सहायता योजना

(1)	फेयर एक्सपोर्ट्स (इं.) प्रा.लि.	-	2,04,767 रु.
(2)	उप निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण) का कार्यालय, पशु पालन विभाग, महाराष्ट्र सरकार	-	5,00,000 रु.
(3)	अलाना इंवेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कं. लि.	-	1,04,557 रु.
(4)	अलाना कोल्ड स्टोरेज लि.	-	23,535 रु.
(5)	फ्रिगोरिफ्रिको अलाना लि.	-	75,880 रु.
	कुल		9,08,739 रु.

3. मांस संयंत्रों का उन्नयन

(1)	ए आई एम एल ई ए (देवनार बूचड़खाना, मुंबई के उन्नयन हेतु)	11,88,327 रु.
(2)	एम ए एफ सी ओ लि.	19,58,176 रु.
	कुल	31,46,503 रु.

1998-99 की अवधि के दौरान किए गए भुगतान

बुनियादी सुविधाओं का विकास

01.	प्रेमराज कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.	विशेष परिवहन ईकाई	2,50,000/-

निर्यात संवर्धन एवं बाजार विकास

01.	हिन्द एग्रो इंडस्ट्रीज लि.	साहित्य	80,000

मांस संयंत्र का उन्नयन

01.	अल-कबीर एक्सपोर्ट्स लि.	10,28,066

(ग) भारत कोई निषिद्ध इमदाद प्रदान नहीं करता है और एपीडा द्वारा जो सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है, वह डब्ल्यू टी ओ में भारत के दायित्वों के अनुरूप है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मांस एवं मांस उत्पादों के निर्यातों का हिस्सा राष्ट्रीय उत्पादन का केवल लगभग 4% बनता है। इसलिए, एनीमल राइट्स इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तावित एक समिति द्वारा मांस एवं मांस उत्पादों के निर्यात से उत्पन्न होने वाली सामाजिक आर्थिक समस्याओं का अलग से आकलन किए जाने से कोई लाभदायक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

[हिन्दी]

पट्टे की अवधि के पश्चात् खनन कार्य

1305. श्री रामानन्द सिंह: क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मध्य प्रदेश में विशेषकर सतना और पन्ना जिले में पट्टे की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी बाक्साइट, खड़िया, चूना पत्थर, सीमेंट पत्थर और हेमाटाइट खानों में खनन कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के इन दो जिलों में उक्त खनिजों के खनन हेतु कितनी-कितनी अवधि के पट्टे प्रदान किये गये थे; और

(ग) सरकार द्वारा इस अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) खनिज रियायती नियमावली, 1960 (एम.सी.आर.) के प्रावधानों के अधीन पट्टा अवधि की समाप्ति से 12 महीने पूर्व यदि खनिज पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन किया जाता है तो मौजूदा खनन पट्टा संबंधित राज्य सरकार के खनन पट्टा के नवीकरण के आवेदन-पत्र के निपटान तक जारी रहता है।

अवैध खनन, यदि कोई होता है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अवैध खनन को रोकने के लिए खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 में कई प्रावधान हैं। इस संबंध में प्रावधानों को और सुदृढ़ करने के लिए, खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 में हाल ही में धारा 23(ग) जोड़ी गई है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को अवैध खनन रोकने के लिए नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को बैंक ऋण

1306. श्री सुबोध राय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को ऋण मुहैया कराने के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई दिशानिर्देश जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने देश के जनजातीय क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोली हैं और जो राज्यों के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को ऋण मुहैया करा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। सरकार ने गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उधार देने के संबंध में बैंकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों का देश के विभिन्न भागों में शाखा नेटवर्क है और वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के सभी वर्गों को ऋण प्रदान कर रहे हैं। उनकी शाखाओं का राज्य-वार नेटवर्क संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्य-वार और बैंक-वार शाखाएं

		भारतीय स्टेट बैंक	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	स्टेट बैंक आफ इंदौर	स्टेट बैंक आफ मैसूर	स्टेट बैंक आफ पटियाला	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	इलाहाबाद बैंक	आंध्रा बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	816	5	523	2	18	4	3	7	23	795
2.	अरुणाचल प्रदेश	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	206	1	—	—	—	—	—	—	62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	बिहार	929	11	—	—	—	1	—	—	233	3
5.	गोवा	49	—	—	—	3	1	—	—	1	1
6.	गुजरात	442	7	6	8	3	4	353	3	24	5
7.	हरियाणा	164	8	5	2	—	125	—	1	29	1
8.	हिमाचल प्रदेश	146	—	—	—	—	74	—	—	3	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	120	—	—	—	—	3	—	—	3	—
10.	कर्नाटक	297	3	113	1	482	4	2	12	15	20
11.	केरल	225	1	6	—	10	—	2	556	5	7
12.	मध्य प्रदेश	688	6	3	334	2	5	3	2	173	7
13.	महाराष्ट्र	808	23	171	23	17	10	21	11	85	28
14.	मणिपुर	16	—	—	—	—	—	—	—	2	—
15.	मेघालय	87	—	—	—	—	—	—	—	1	—
16.	मिजोरम	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैण्ड	43	—	—	—	—	—	—	—	4	—
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	190	25	12	10	10	39	8	7	45	14
19.	उड़ीसा	472	2	5	—	1	—	—	1	55	77
20.	पंजाब	239	7	2	—	—	350	—	—	37	2
21.	राजस्थान	163	660	2	7	1	12	3	1	31	3
22.	सिक्किम	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	तमिलनाडु	576	5	15	2	28	4	5	66	25	33
24.	त्रिपुरा	33	—	—	—	—	—	—	—	1	—
25.	उत्तर प्रदेश	1382	21	5	8	—	54	3	3	624	9
26.	पश्चिम बंगाल	737	15	6	3	5	2	3	3	474	16
27.	अंडमान एवं निकोबार	18	—	—	—	—	—	—	—	1	—
28.	चंडीगढ़	26	1	1	—	—	23	—	—	3	2
29.	दादरा एवं नगर हवेली	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	दमन एवं दीव	3	—	—	—	—	—	4	—	—	—
31.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	पाण्डिचेरी	12	—	1	—	1	—	—	1	1	1

		बैंक आफ बड़ौदा	बैंक आफ इंडिया	बैंक आफ महाराष्ट्र	केनरा बैंक	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	कार्पोरेशन बैंक	देना बैंक	इंडियन बैंक
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	69	73	28	175	103	66	18	207
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	1	–	–	–
3.	असम	13	8	–	15	103	–	2	20
4.	बिहार	110	405	1	117	385	4	10	28
5.	गोवा	28	30	9	23	23	31	16	6
6.	गुजरात	693	226	34	41	223	35	530	39
7.	हरियाणा	25	20	5	53	78	11	9	18
8.	हिमाचल प्रदेश	5	7	–	11	27	1	–	2
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3	4	–	7	11	–	2	1
10.	कर्नाटक	37	59	41	540	57	210	27	65
11.	केरल	43	70	3	244	73	53	11	89
12.	मध्य प्रदेश	91	260	121	48	442	6	105	14
13.	महाराष्ट्र	295	618	901	203	488	66	268	77
14.	मणिपुर	3	–	–	–	3	–	–	–
15.	मेघालय	2	2	–	2	4	–	–	2
16.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	नागालैण्ड	4	–	–	–	2	–	–	1
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	66	53	16	83	70	36	26	29
19.	उड़ीसा	35	117	1	40	50	5	2	47
20.	पंजाब	45	70	5	102	93	8	8	32
21.	राजस्थान	323	42	6	24	97	6	15	10
22.	सिक्किम	1	1	–	1	10	–	–	–
23.	तमिलनाडु	104	113	13	470	163	73	25	744
24.	त्रिपुरा	2	1	–	1	3	–	–	1
25.	उत्तर प्रदेश	511	222	9	209	427	18	38	32

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20
26.	पश्चिम बंगाल	100	202	13	71	246	14	28	58
27.	अंडमान एवं निकोबार	–	–	–	1	–	–	–	1
28.	चंडीगढ़	5	7	1	14	7	2	1	6
29.	दादरा एवं नगर हवेली	1	–	–	1	–	–	6	–
30.	दमन एवं दीव	1	1	–	–	1	–	1	–
31.	लक्ष्यद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	पाण्डिचेरी	1	1	1	3	1	1	–	22

		इंडियन ओवरसीज बैंक	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	पंजाब नेशनल बैंक	पंजाब एंड सिंध बैंक	सिंडिकेट बैंक	यूनियन बैंक आफ इंडिया	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	यूको बैंक	विजया बैंक
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	आंध्र प्रदेश	116	15	53	4	305	129	12	43	80
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	2	2	2
3.	असम	15	2	45	5	5	46	188	114	8
4.	बिहार	18	8	453	10	26	86	113	214	9
5.	गोवा	12	1	5	1	18	14	2	5	5
6.	गुजरात	55	25	89	8	50	180	14	81	30
7.	हरियाणा	14	107	321	37	50	43	4	26	10
8.	हिमाचल प्रदेश	4	10	216	11	1	10	1	121	1
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2	7	66	10	2	5	1	13	2
10.	कर्नाटक	63	4	42	5	491	98	7	28	418
11.	केरल	113	6	18	3	119	132	2	20	70
12.	मध्य प्रदेश	9	42	220	29	23	191	6	127	6
13.	महाराष्ट्र	70	50	147	25	146	338	29	120	70
14.	मणिपुर	1	—	2	2	—	—	22	3	2
15.	मेघालय	1	—	6	—	1	3	12	4	2
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	1	1

1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
17.	नागालैण्ड	—	—	—	1	—	—	2	2	3
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	29	65	152	61	82	55	25	40	26
19.	उड़ीसा	73	7	51	2	—	48	98	164	7
20.	पंजाब	38	202	493	356	12	69	4	87	7
21.	राजस्थान	11	86	288	21	12	52	6	141	11
22.	सिक्किम	_	_	_	_	_	_	_	2	1
23.	तमिलनाडु	664	17	85	8	104	135	12	68	49
24.	त्रिपुरा	1	_	_	1	_	2	42	5	1
25.	उत्तर प्रदेश	74	221	902	126	218	472	42	124	35
26.	पश्चिम बंगाल	65	42	219	18	47	87	719	297	23
27.	अंडमान एवं निकोबार	1	—	1	—	5	—	1	1	1
28.	चंडीगढ़	3	9	27	18	2	7	1	7	3
29.	दादरा एवं नगर हवेली	_	_	_	_	_	_	_	_	_
30.	दमन एवं दीव	_	1	_	_	_	1	_	1	_
31.	लक्ष्यद्वीप	_	_	_	_	9	-	_	_	_
32.	पाण्डिचेरी	8	1	1	_	2	1	1	6	1

निजी बीमा कम्पनियों का पंजीकरण

1307. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कम्पनीज अधिनियम, 1956 के तहत निजी बीमा फर्मों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारत सरकार ने अपने दिनांक 13.5.1999 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कम्पनी रजिस्ट्रार को भारतीय रिजर्व बैंक अथवा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के परामर्श से कम्पनियों के नाम के साथ ''बीमा'' अथवा ''जोखिम निगम'' शब्दों के साथ पंजीकृत करने की अनुमति दी है। लेकिन, चूंकि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अभी गठन नहीं हुआ है, इसलिए इन शब्दों के साथ कम्पनियों के पंजीकरण के लिए प्राधिकरण द्वारा अभी कोई अनुमोदन नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में एल.पी.टी.

1308. **श्री अशोक अर्गल:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के कैलारास-विजयपुर में कम शक्ति के रिले ट्रान्समीटर स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त रिले केन्द्रों पर पर्याप्त कर्मचारी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपरोक्त केन्द्र चौबीसों घंटे कार्य कर रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसे पूर्ण रूप से चलाने के लिए अब तक क्या उपाय किये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) रिले केन्द्र अंशकालिक प्रसारण कर रहे हैं, क्योंकि विभिन्न आकाशवाणी/दूरदर्शन सुविधाओं के लिए स्टाफ मानदण्डों के संशोधन के लम्बित रहते प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए केवल नाममात्र स्टाफ ही मंजूर किया गया था। स्टाफ मानदण्डों को संशोधित कर दिया गया है और ये केन्द्र स्टाफ के पुन: तैनात होते ही और उनके कार्यभार ग्रहण करते ही पूर्णकालिक प्रसारण शुरू कर देंगे।

[अनुवाद]

कम्युनिटी लिस्निंग स्कीम

1309. श्री पवन कुमार बंसल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कम्युनिटी लिस्निंग स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा रिसीविंग स्रोतों का राज्यवार/संघ राज्य-क्षेत्रवार कितनी आपूर्ति की गई है; और

(ख) वर्तमान टेलीविजन युग में रेडियो की प्रासंगिकता और महत्व के संरक्षण और रखरखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) वर्तमान में जम्मू और कश्मीर राज्य में ही सामुदायिक श्रोता स्कीम प्रचालित हो रही हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान रिसीविंग सेटों की आपूर्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	आपूर्ति किए गए रिसीविंग सेटों की संख्या
1996-97	15
1997-98	39
1998-99	30

(ख) आकाशवाणी ने अपनी प्रासंगिकता के संरक्षण एवं रख-रखाव के लिए कई कदम उठाए हैं और कई नई सेवाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी द्वारा हाल ही में की गई पहलों में कुछ पहलें इन्टरनेट पर रेडियो, दूरभाष पर समाचार, मांग पर रेडियो, स्काई रेडियो, रेडियो में दूरभाष, डिजिटल ऑडियो प्रसारण आदि हैं।

[हिन्दी]

फर्जी समाचार-पत्र

1310. श्री सुरेश चन्देल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में फर्जी समाचार-पत्रों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या उन फर्जी समाचार-पत्रों का पंजीकरण अभी बेरोक-टोक तरीके से चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक का कार्यालय केवल उन समाचार-पत्रों का रिकार्ड रखता है जो प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किये जाते हैं जिसमें यह शर्त होती है कि किसी समाचार-पत्र को संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी घोषणा को अधिप्रमाणित किए जाने के पश्चात् ही प्रकाशित किया जा सकता है। प्रथम संस्करण प्रकाशित होने का सत्यापन हो जाने के पश्चात् ही पंजीकरण किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु रणनीति

1311. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक उद्यम संबंधी स्थायी समिति ने राजकोषीय घाटे को पूरा करने हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु एक दीर्घावधि योजना तैयार करने के लिए किसी पुनर्गठन आयोग की स्थापना करने प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी की बिक्री हेतु एक पुनर्गठन कोष बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की सम्भावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) लोक उद्यम संबधी स्थायी समिति (स्कोप) ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सभी प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकारी क्षेत्र की पुनर्गठन निधि की स्थापना का सुझाव देते हुए इस बात पर भी विशेष बल दिया है कि यह निधि सांविधिक निकाय द्वारा प्रकाशित की जा सकती है। सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए विनिवेश निधि का गठन करने का सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में दूरदर्शन केन्द्र

1312. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में इस समय कम शक्ति वाले कितने दूरदर्शन केन्द्र संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) इन दूरदर्शन केन्द्रों की मौजूदा रेंज और क्षमताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जम्मू और कश्मीर में सभी मौजूदा अल्प शक्ति ट्रान्समीटरों के सन्तोषजनक रूप से कार्य करने की सूचना मिली है।

(ख) इन अल्प शक्ति ट्रान्समीटरों की क्षमता 100 वा. तथा प्राइमरी रेंज लगभग 15 कि.मी. है।

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर में टी.वी. कवरेज का और विस्तार करने के विचार से, सरकार ने पहले ही निम्नलिखित टी.वी. ट्रान्समीटर परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक विशेष योजना को अनुमोदित कर दिया है:-

(1) नौशेरा, कुपवाड़ा, गुरेज, तिथवाल और साम्बा प्रत्येक में 2 उ.शा.ट्रा. (डीडी-1 और डीडी-2)

(2) पुंछ में एक उ.श.ट्रा. (डीडी-2)

(3) श्रीनगर में एक उ.श.ट्रा. (कश्मीर चैनल)।

(4) 12 स्थानों पर चल अ.श.ट्रा. और 60 स्थानों पर अ.अ.श.ट्रा.

(5) मौजूदा 11 अ.अ.श.ट्रा. को 2×10 वा. से बढ़ाकर प्रत्येक को 2×50 वा. करना।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लंबित परियोजनायें

1313. श्री मोइनुल हसन:
श्री अशोक प्रधान:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आठवीं योजना के दौरान दूरदर्शन नेटवर्क और अन्य मूलभूत ढांचों के निर्माण तथा विकास के लिए किन परियोजनाओं को शुरू किया गया है;

(ख) परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने में कोई देरी हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(च) नौवीं योजना अवधि के लिए प्रस्तावित/मंजूर परियोजनाओं की अनुमानित लागत का परियोजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख)

आठवीं योजना अवधि के दौरान देश में 39 स्टूडियो परियोजनाएं और 658 ट्रांसमीटर परियोजनाएं (उ.श.ट्रां.-39, अ.श.ट्रां./अ.अ.श.ट्रां. 619) शुरू की गई थी/कार्यान्वयनाधीन थीं। आठवीं योजना अवधि के दौरान इनमें से 16 स्टूडियो परियोजनाएं (2 अंतरिम स्थापना सहित) और 415 ट्रा. परियोजनाएं (4 अंतरिम स्थापना सहित उ.श.ट्रां.-25, अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर-390) चालू की गई थीं। चूंकि शेष परियोजनाओं में से 10 स्टूडियो और 148 ट्रांसमीटर परियोजनाएं (उ.श.ट्रा. 7, अ.श.ट्रा./अ.अ.श.ट्रा. 141) चालू कर दी गई हैं। शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इनके नौवीं योजना अवधि के अन्त तक चरणों में पूरा होने की संभावना है बशर्ते अपेक्षित संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) से (ङ) संसाधनों की कमी, स्थल अधिग्रहण में विलम्ब, विद्युत आपूर्ति की समस्या, कानून और व्यवस्था की समस्या, संविदात्मक समस्या आदि के कारण कुछ परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब हो गया है। दूरदर्शन चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निरंतर रूप से मॉनीटरिंग करने और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए सतत् रूप से प्रयास करता आ रहा है।

(च) पिछली योजनाओं में पिछड़ी 23 स्टूडियो और 95 ट्रांसमीटर परियोजनाओं सहित नौवीं योजना में 27 स्टूडियो परियोजनाएं और 411 ट्रांसमीटर (उ.श.ट्रा. 69, अ.श.ट्रा./अ.अ.श.ट्रा./ट्रांसपोजर 342) परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इनमें से 11 स्टूडियो परियोजनाएं (एक अन्तरिम स्थापना सहित) 2 उ.श.ट्रा. परियोजनाएं (एक अंतरिम स्थापना सहित) और 177 अ.श.ट्रा./अ.अ.श.ट्रा. परियोजनाएं चालू कर दी गई हैं। नौवीं योजना के भाग के रूप में विभिन्न राज्यों/संघों शासित प्रदेशों में इस समय कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं। स्टूडियो एवं ट्रान्समीटर परियोजनाओं की स्थापना की अनुमानित पूंजीगत लागत नीचे दी गयी है:

(1)	स्टूडियो	-	3 से 10 करोड़ रुपए
(2)	दूरदर्शन भवन	-	81.6 करोड़ रुपए (स्टूडियो काम्पलैक्स)
(3)	उ.श.ट्रा.	-	3 से 10 करोड़ रुपए
(4)	अ.श.ट्रा./अ.अ.श.ट्रा.	-	08 से 1 करोड़ रुपए।

विवरण

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं

राज्य/संघ शासित प्रदेश	परियोजना	
1	2	
**आंध्र प्रदेश	स्टूडियो	वारांगल
	उ.श.ट्रा.	राजामुंदरी (स्थायी)
		विजयवाड़ा (डीडी-2)
		वारांगल
	अल्पशक्ति ट्रां.	बोबिली
		देवरकोंडा
		कन्डुकुर
		मछलीपट्टनम
		मदुगुला
		मिरयालगुडा
		पासरा
		पेढ्डापल्ली
		पुलामनेर
		पुंगानूर
		सिरीसिल्ला
		सिरपुर
		टेक्काली
		उदयगिरि
		वेलदांडा
		वेमलवाड़ा
		वीनूकोंडा
		जहीराबाद
	अ.अ.श.ट्रा.	दात्तालूर
		कानीगिरि
		मारीपरदू
**अरुणाचल प्रदेश	अ.अ.श.ट्रा.	देवमाली
		इटालीन
		संग्राम
		तुतिंग
**असम	उ.श.ट्रा.	गुवाहाटी (डीडी-2)
	"	सिल्चर (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.	बोकाखत
	ट्रांसपोजर	गुवाहाटी
**बिहार	स्टूडियो	रांची (संवर्धन)
	उ.श.ट्रा.	जमशेदपुर
		मुजफ्फरपुर
		पटना (डीडी-2)
		रांची (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.	बरहरवा
		छातरा
		रामनगर
		रौसेरा
	अ.अ.श.ट्रा.	रामगढ़ हिल
**दिल्ली	स्टूडियो दिल्ली	(डीडी भवन)

1		2
**गोवा	उ.श.ट्रा.	पणजी (डीडी-2)
**गुजरात	उ.श.ट्रा.	सूरत
	″	वड़ोदरा
	अ.श.ट्रा.	व्यारा
**हरियाणा	स्टूडियो	हिसार
	अ.श.ट्रा.	भिवानी (डीडी-2)
		फिरोजपुर झिरका
		करनाल
		महेन्द्रगढ़
		टोहाना
		यमुनानगर
**हिमाचल प्रदेश	उ.श.ट्रा.	शिमला (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.	मण्डी (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रा.	आशापुरी
		आहवा देवी
		बिजली महादेव
		डलहौजी
		झांतिगंरी
		काजा
		नेहरी
		तिस्सा
**जम्मू एवं कश्मीर	अल्प शक्ति	पुंछ
	ट्रांसमीटर	उधमपुर
	अ.अ.श.ट्रा	बफलियाज
		बटालिक
		दरहल
		रिंगडमगोमपा
		तराल
		तुरतोक
**कर्नाटक	उ.श.ट्रा.	हासन
		मंगलौर
		मैसूर
		रायचूर
	अ.श.ट्रा.	बेलाथानगढ़ी
		दनदेली
		हिरीयूर
		हौसदुर्ग
		इंडी
		जामखंडी
		कोप्पा
		मुधौल
		मुंडारगी
		शिंदनूर
		तालीकोटा
	अ.अ.श.ट्रा.	बदमी
		ह्यूविन हिप्पारगी
		कुदलिगी
**केरल	स्टूडियो कालीकट,	त्रिचुर
	उ.श.ट्रा.	कालीकट (स्थायी)
		कन्नानौर
		कोचीन (डीडी-2)
		त्रिवेन्द्रम (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.	कोटाराकारा
		मंजेरी
		पाला
	अ.अ.श.ट्रा.	इराटूपेट्टा
		मुण्डाकायम
**महाराष्ट्र	उ.श.ट्रा.	चन्द्रापुर
		जलगांव
**महाराष्ट्र	उ.श.ट्रा.	नागपुर (डीडी-2)
		रत्नागिरि
	अ.श.ट्रा.	अकलकोट
		भामरागढ़
		दरयापुर
		धादगांव
		खानापुर
		मंगलवेधा
		पल्टन
		पुलगांव रावेर
	अ.अ.श.ट्रा.	अम्बेट
		सकोली
**मणिपुर	उ.श.ट्रा.	चूराचांदपुर
**मेघालय	उ.श.ट्रा.	तूरा (डीडी-2)
	ट्रांसपोजर	शिलांग
**मिजोरम	अ.श.ट्रा.	लौंगतलेई
	ट्रांसपोजर	ऐजवाल
**मध्य प्रदेश	स्टूडियो	ग्वालियर, जगदलपुर
	उ.श.ट्रा.	इन्दौर अम्बिकापुर
		भोपाल (डीडी-2)

1		2
		गुना
		इन्दौर (डीडी-2)
		जबलपुर (डीडी-2)
		शहडौल
	अ.श.ट्रा.	अगर
		भदवानी
		बरेली
		चम्पा
		कैराईरा
		खरोद
		कौंटा
		कुकसी
		लखनाडान
		मुलताई
		पंडारिया
		सिंधवा
	अ.अ.श.ट्रा.	अलोट
		पाथलगांव
**नागालैंड	अ.श.ट्रा.	नोकोकचुंग (डीडी-2)
	ट्रांसपोजर	बाराबस्ती
**उड़ीसा	स्टूडियो	भवानीपटना
	उ.श.ट्रां.	बेरहामपुर
	''	सम्बलपुर
	''	सम्बलपुर (डी.डी.-2)
	अ.श.ट्रां.	चिकिती
	''	तुशारा
	अ.अ.श.ट्रा.	जयापटना
	''	काशीपुर
	''	लाजीगढ़
	''	मच्छकुंड
	''	पाईकमल
	''	सुकिन्दा
**पांडिचेरी	उ.श.ट्रां.	पांडिचेरी
**पंजाब	स्टूडियो	पटियाला
	उ.श.ट्रां.	फाजिल्का (स्थायी)
**राजस्थान	स्टूडियो	उदयपुर
	उ.श.ट्रां.	अजमेर
	''	बाड़मेर (स्थायी)

1		2
	उ.श.ट्रा.	जयपुर (डी.डी.-2)
	''	जोधपुर (डी.डी.-2)
	अ.श.ट्रां.	बाली
	''	भिनमल
	''	किशनगढ़
	''	कुशलगढ़
	''	मकराला
	''	नागर
	''	नसीराबाद
	''	नवलगढ़
	''	पिरावा
	''	सागवाड़ा
	''	संचोर
	''	सोजाट
	''	तारानगर
	''	विजयनगर
	अ.अ.श.ट्रा.	लक्ष्मणगढ़
	''	ईंदी
सिक्किम	स्टूडियो	गंगटोक
	अ.अ.श.ट्रा.	जोरेथांग
तमिलनाडु	स्टुडियो	कोयम्बटूर, मदुरै
	उ.श.ट्रा.	कुम्बाकोनम
	अ.श.ट्रा.	अम्बासमुद्रम
	''	अम्बुर
	''	चिदम्बरम
	''	दिनकानिकोट्टा
	''	इरोड
	''	कल्लाकुरुचि
	''	नट्टम
	''	पलानी
	''	पेरानामपेट
	''	पोल्लाची
	''	वंदावासी
	अ.अ.श.ट्रां.	जिंजी
	''	मेट्टूपलायम
**त्रिपुरा		
	उ.श.ट्रां.	अगरतला (डी.डी.-2)
	अ.श.ट्रां.	अमरपुर
	''	अम्बासा
	''	जोलईबाड़ी

1		2
**उत्तर प्रदेश	स्टूडियो	मथुरा
	उ.श.ट्रां.	आगरा (डी.डी.-2)
	''	इलाहाबाद (डी.डी.-2)
	''	बांदा
	''	गोरखपुर (डी.डी.-2)
	''	लखीमपुर
	उ.श.ट्रां.	लखनऊ (डी.डी.-2)
	''	मसूरी (डी.डी.-2)
	''	वाराणसी (डी.डी.-2)
	अ.श.ट्रां.	बिधूना
	''	डाक पत्थर
	''	धूनाघाट
	''	दूधीनगर
	''	गोपेश्वर
	''	कालागढ़
	''	खेतीखान
	''	कोसी
	''	नरोरा
	''	तालबेहाट
	अ.अ.श.ट्रां.	अरोली
	'	बद्रीनाथ
	''	चमोली
	''	टुगड्डा
	''	केदारनाथ
	''	मनीला
	''	नौगांवखाल
	एक्सर	मसूरी (डी.डी.-2)
**पश्चिम बंगाल	उ.श.ट्रां.	आसनसोल (डी.डी.-2)
	''	बलूरघाट

1		2
	उ.श.ट्रा.	खड्गपुर
	''	कृष्णानगर
	''	मुर्शिदाबाद (डी.डी.-2)
	''	शांतिनिकेतन
	''	बलरामपुर
	''	गरहबेटा
	''	झाल्दा
	''	कूच बिहार
**चंडीगढ़	स्टूडियो	चण्डीगढ़

सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त धनराशि

1314. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा शुल्क विभाग द्वारा गत दो वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर यात्रियों से जब्त की गई विदेशी मुद्रा की धनराशि कितनी थी;

(ख) ये यात्री किन-किन देशों के हैं; और

(ग) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर प्रत्येक यात्री से जब्त की गई विदेशी मुद्रा की धनराशि अलग-अलग कितनी थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) गत दो वित्तीय वर्षों, अर्थात 1998-99 और 1999-2000 (फरवरी, 2000 तक) के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा यात्रियों से जब्त की गई विदेशी मुद्रा की राशि क्रमशः 13,85,86,098.25 रु. और 12,93,04,441.10 रु. है।

(ख) और (ग) प्रत्येक मामले में जब्त की गई राशि तथा यात्री की राष्ट्रीयता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष	उस यात्री की राष्ट्रीयता जिसके पास से विदेशी मुद्रा जब्त की गई	जब्त की गई विदेशी मुद्रा की राशि (रुपए में)
1	2	3
अहमदाबाद विमान पत्तन		
1998-99	भारतीय	896485.00
1999-2000	ब्रिटिश	63045.00
(फरवरी 2000 तक)	ईरानी	30000.00
		93045.00

1	2	3
बंगलौर विमानपत्तन		
1998-99	भारतीय	356000.00
	भारतीय	318000.00
	भारतीय	367000.00
		1041000.00
1999-2000 (फरवरी, 2000 तक)	शून्य	
कलकत्ता विमानपत्तन		
1998-99	भारतीय	22325.00
	भारतीय	38850.00
	भारतीय	106340.00
	भारतीय	36810.00
	भारतीय	67040.00
	भारतीय	54015.00
	भारतीय	167200.00
	भारतीय	8330.00
	भारतीय	42200.00
	भारतीय	333200.00
	भारतीय	254980.00
	भारतीय	124206.00
	भारतीय	62700.00
	भारतीय	30955.00
	भारतीय	75240.00
	भारतीय	18810.00
	भारतीय	69530.00
	भारतीय	103600.00
	भारतीय	102316.00
	भारतीय	708050.00
	भारतीय	1125256.00

1	2	3
	भारतीय	290784.00
	भारतीय	212530.00
	भारतीय	183610.00
	भारतीय	203668.00
	बंगलादेशी	146125.00
	बंगलादेशी	437850.00
	आस्ट्रेलिया	513520.00
	ब्रिटिश	163090.00
	माली	384560.00
	माली	376200.00
	जापानी	250932.00
	जापानी	1373667.00
	जापानी	272076.00
	जर्मन	73120.00
	जर्मन	83000.00
	डच	250992.00
		8767677.00
1999-2000	भारतीय	311000.00
(फरवरी, 2000 तक)	भारतीय	63750.00
	भारतीय	93000.00
	भारतीय	97240.00
	भारतीय	22100.00
	भारतीय	80845.00
	भारतीय	80845.00
	भारतीय	80845.00
	भारतीय	42650.00
	भारतीय	43600.00
	भारतीय	43600.00
	भारतीय	84240.00

1	2	3
	भारतीय	21600.00
	भारतीय	21600.00
	भारतीय	21250.00
	भारतीय	34560.00
	भारतीय	247861.00
	बंगलादेशी	420339.00
	बेल्जियम	419000.00
		2229925.00
कालीकट विमानपत्तन		
1998-99	भारतीय	404470.00
	भारतीय	33447.00
	भारतीय	93231.00
	भारतीय	142465.00
		673613.00
1999-2000 (फरवरी, 2000 तक)	शून्य	
चेन्नई विमानपत्तन		
1998-99	भारतीय	205180.00
	भारतीय	91150.00
	भारतीय	29211.00
	भारतीय	48602.00
	भारतीय	47739.00
	श्रीलंकाई	157500.00
	भारतीय	271531.00
	भारतीय	101660.00
	भारतीय	37680.00
	भारतीय	40035.00
	भारतीय	79935.00

1	2	3
	भारतीय	24795.00
	भारतीय	195578.00
	भारतीय	41750.00
	भारतीय	21205.00
	भारतीय	52162.00
	भारतीय	46246.00
	भारतीय	30510.00
	भारतीय	53775.00
	भारतीय	235200.00
	जर्मन	204820.00
		2016264.00
1999-2000	भारतीय	64945.00
(फरवरी, 2000 तक)	भारतीय	46200.00
	भारतीय	35400.00
	भारतीय	106700.00
	भारतीय	42500.00
	भारतीय	42500.00
	भारतीय	42500.00
	भारतीय	85000.00
	भारतीय	91460.00
	भारतीय	106250.00
	श्रीलंकाई	237855.00
	भारतीय	5621141.00
	भारतीय	163100.00
	भारतीय	459887.00
	श्रीलंकाई	284288.00
	भारतीय	482807.00
	भारतीय	44800.00
	भारतीय	46200.00

1	2	3
	भारतीय	185535.00
	भारतीय	76100.00
	भारतीय	167875.00
	भारतीय	48187.00
	सिंगापुर को कूरियर	412500.00
	भारतीय	60116.00
	भारतीय	63169.00
	श्रीलंकाई	4971735.00
	भारतीय	264700.00
	भारतीय	37125.00
	भारतीय	61875.00
	भारतीय	107000.00
	भारतीय	2295000.00
	भारतीय	7262000.00
	भारतीय	1643000.00
	भारतीय	626000.00
		26285450.00
कोचीन विमानपत्तन		
1998-99	शून्य	
1999-2000	सऊदी अरेबिया	318600.00
(फरवरी, 2000 तक)	भारतीय	591351.00
	सऊदी अरेबिया	495423.00
	रशियन	724500.00
		2129874.60
दिल्ली विमानपत्तन		
1998-99	पाकिस्तानी	1352451.00
	भारतीय	1097220.00
	पाकिस्तानी	3228585.00
	चीनी	1336845.00

1	2	3
	भारतीय	480000.00
	भारतीय	870382.00
	भारतीय	3276025.00
	भारतीय	498000.00
	भारतीय	131000.000
	भारतीय	415675.00
	भारतीय	223581.00
	भारतीय	376000.00
	भारतीय	1620000.00
	नेपाली	536280.00
	भारतीय	349797.00
	भारतीय	181610.00
	कैनेडियन	357262.00
	भारतीय	1756080.00
	इरानी	432112.00
	भारतीय	459800.00
	स्पेनियार्ड	203480.00
	भारतीय	62897.00
	भारतीय	198090.00
	भारतीय	195175.00
	भारतीय	263340.00
	इटेलियन	464090.75
	इटालियन	1373100.00
	किरघीस्तानी	601300.00
	थाइलैंड	753495.00
	पाकिस्तानी	552440.00
	भारतीय	500663.00
	भारतीय	432151.75
	भारतीय	1085500.00

1	2	3
	भारतीय	220123.00
	भारतीय	34509.75
	फ्रांसीसी	1005500.00
	भारतीय	1504375.00
	भारतीय	680315.00
	स्विस	566021.80
	जर्मन	732774.00
	पोलिश	1164500.00
	भारतीय	4402591.00
	भारतीय	1914030.00
	भारतीय	9949375.00
		48149441.25
1999-2000	भारतीय	2777263.00
(फरवरी, 2000 तक)	बर्किना फासो	372800.00
	भारतीय	681600.00
	भारतीय	247800.00
	भारतीय	921462.00
	भारतीय	404350.00
	भारतीय	311815.00
	भारतीय	437275.00
	भारतीय	329700.00
	भारतीय	142800.00
	भारतीय	321926.00
	भारतीय	44100.00
	भारतीय	71050.00
	अमरीकन	3528000.00
	नाइजीरियन	1530952.00
	भारतीय	653050.00
	भारतीय	531250.00

1	2	3
	भारतीय	620500.00
	भारतीय	421245.00
	भारतीय	464400.00
	भारतीय	1252675.00
	भारतीय	491050.00
	अमरीकन	6517755.00
	भारतीय	207975.00
	भारतीय	405543.00
	डेनिस	565425.00
	भारतीय	456890.00
	थाइलैंड	268076.00
	भारतीय	223251.00
	भारतीय	531900.00
	भारतीय	226155.00
	नेपाली	492200.00
	फिनिश	272050.00
	भारतीय	365500.00
	भारतीय	177000.00
	नाइजीरियन	1466300.00
	भारतीय	340775.00
	भारतीय	287019.00
	भारतीय	3070450.00
	भारतीय	5000000.00
	सऊदी अरेबियन	19225000.00
		56656327.50
गोवा विमानपत्तन		
1998-99	शून्य	
1999-2000 (फरवरी, 2000 तक)	नीदरलैंड	13,83,010.00

1	2	3
हैदराबाद विमानपत्तन		
1998-99	भारतीय	141240.00
	भारतीय	117929.00
	भारतीय	322500.00
	भारतीय	279600.00
	भारतीय	486030.00
	भारतीय	534000.00
		1881299.00
1999-2000 (फरवरी 2000 तक)	भारतीय	5420000.00
लखनऊ विमानपत्तन		
1998-99	शून्य	
1999-2000 (फरवरी 2000 तक)	भारतीय	5700003.00
मुम्बई विमानपत्तन		
1998-99	भारतीय	221292.00
	इरानियन	2163945.00
	भारतीय	1006615.00
	जापानी	415435.00
	भारतीय	343922.00
	भारतीय	408500.00
	भारतीय	330800.00
	भारतीय	620000.00
	भारतीय	2039710.00
	भारतीय	555275.00
	भारतीय	152730.00
	तन्जानियन	453440.00
	तन्जानियन	515220.00
	भारतीय	551850.00

1	2	3
	भारतीय	335807.00
	भारतीय	2754627.00
	भारतीय	311004.00
	कीनियन/ब्रिटिश	1248075.00
	भारतीय	219675.00
	भारतीय	754979.00
	भारतीय	496972.00
	भारतीय	651015.00
	भारतीय	249022.00
	भारतीय	66470.00
	भारतीय	730107.00
	भारतीय	331466.00
	भारतीय	52215.00
	भारतीय	864073.00
	भारतीय	593738.00
	केन्याई	917911.00
	भारतीय	368368.00
	भारतीय	249600.00
	श्रीलंकाई	1454250.00
	भारतीय	1821925.00
	केन्याई	475747.00
	भारतीय	875650.00
	भारतीय	181940.00
	भारतीय	2537850.00
	भारतीय	503360.00
	भारतीय	426490.00
	मारिशियस	167820.00
	मारिशियस	246700.00
	भारतीय	977600.00

1	2	3
	केन्याई	289120.00
	मेडागास्कर	1429982.00
	यू.ए.ई.	270725.00
	येमिनी	1284545.00
	भारतीय	157[illegible]364.00
इंडो	इंडोनीशियन	3766125.00
	भारतीय	7400142.00
	भारतीय	415000.00
	भारतीय	314752.00
	भारतीय	95923.00
	भारतीय	46500.00
	भारतीय	83200.00
	भारतीय	84942.00
	भारतीय	109202.00
	भारतीय	119835.00
	भारतीय	107082.00
	भारतीय	85000.00
	भारतीय	45150.00
	भारतीय	51301.00
	भारतीय	42193.00
	भारतीय	91505.00
	भारतीय	59000.00
	भारतीय	23250.00
	भारतीय	12829.00
	भारतीय	6960.00
	भारतीय	6960.00
	भारतीय	9744.00
	भारतीय	40900.00
	भारतीय	9720.00

1	2	3
	भारतीय	278600.00
	भारतीय	2090.00
	भारतीय	36050.00
	भारतीय	2303540.00
	भारतीय	2581317.00
	मारीशियस	598500.00
	भारतीय	172000.00
	भारतीय	6094000.00
	कत्तारी	9068000.00
		69764238.00
1999-2000 (फरवरी, 2000 तक)	भारतीय	5147150.00
	भारतीय	183000.00
	भारतीय	1011360.00
	यू.ए.ई.	1104450.00
	भारतीय	779907.00
	यू.ए.ई.	1109707.00
	भारतीय	4573106.00
	भारतीय	396245.00
	भारतीय	344994.00
	येमेनी	2071560.00
	भारतीय	101700.00
	भारतीय	101700.00
	भारतीय	41550.00
	भारतीय	47541.00
	भारतीय	45980.00
	येमेनी	1195600.00
	भारतीय	3422000.00
	इरानियन	2802000.00
		24479550.00

1	2	3
त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन		
1998-99	भारतीय	249440.00
	भारतीय	248000.00
	भारतीय	295625.00
	भारतीय	208750.00
	भारतीय	138000.00
	भारतीय	208250.00
	भारतीय	222175.00
	भारतीय	1606278.00
	भारतीय	48600.00
	अमरीकन	328640.00
	भारतीय	305700.00
	भारतीय	352554.00
	भारतीय	139360.00
	भारतीय	[illegible]5571.00
	भारतीय	450115.00
	भारतीय	149023.00
		5396081.00
1999-2000 (फरवरी, 2000 तक)	भारतीय	20000.00
	बाहरेनियन	183000.00
	भारतीय	1676000.00
	भारतीय	416000.00
	भारतीय	19000.00
	इंडोनीशियन	2613256.00
		4927256.00

[हिन्दी]

कपड़ा मिलों को पुनः चालू किया जाना

1315. **श्री राजो सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार चल रही सरकारी और निजी क्षेत्र की कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से इस समय राज्य-वार कितनी मिलें बंद पड़ी हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन मिलों को पुन: चालू करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन मिलों के कामगारों के वेतन और भत्तों से संबंधित मामले लंबित पड़े हैं; और

(च) यदि हां, तो इन मामलों के निपटान के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) सहकारी क्षेत्र में 156 मिलों के अतिरिक्त सरकारी तथा निजी क्षेत्र में 192 और 1498 मिलें हैं। राज्य-वार वस्त्र मिलों का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ख) सरकारी क्षेत्र में अयुध्या टेक्सटाईल मिल्स, दिल्ली जिसे उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 1996 में बंद किया गया है, को छोड़कर कोई एन.टी.सी. मिल बंद नहीं की गई है।

31.12.1999 की स्थिति अनुसार राज्य-वार बंद सूती/मानव-निर्मित वस्त्र (गैर एस.एस.आई.) मिलों को दर्शानेवाला ब्यौरा विवरण II के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जहाँ तक एन.टी.सी. का प्रश्न है, एन.टी.सी. द्वारा किए गए एकक-वार व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर, सरकार एन.टी.सी. के अर्थक्षम सहायक निगमों के साथ-साथ उनके अंतर्गत अर्थक्षम मिलों के लिए संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है जिसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर निवल पूँजी के सकारात्मक होने के बी.आई.एफ.आर. के मानदण्डों को ध्यान में रखा जा रहा है। कामगारों के हित को पुनरुद्धार योजना में ध्यान में रखा जाएगा।

जहाँ तक एल्गिन मिल्स कंपनी लि. और कानपुर टेक्सटाइल्स लि. का प्रश्न है, बी.आई.एफ.आर./ए.ए.आई.एफ.आर. ने बंद करने के लिए आदेश जारी किया तथा परिसमापन प्रक्रियाएँ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष लंबित हैं।

भारत सरकार ने समय पर रुग्ण तथा संभावित रूप से रुग्ण कंपनियों का पता लगाने की व्यवस्था करने तथा प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक तथा उपचारी उपायों जिसे ऐसे कंपनियों के मामले में लिये जाने की आश्यकता है, के त्वरित निर्धारण के उद्देश्य से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना की है।

बंद मिलों के कामगारों के हित की सुरक्षा करने के लिए एक वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस.) भी स्थापित की गई है।

(ङ) और (च) एन.टी.सी. के मजदूर संघ नेताओं तथा अन्य ने उच्च-न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में वस्त्र मिलों में कार्यरत लिपिकीय स्टाफ तथा उप स्टाफ के बीच सहायक निगमों के कारपोरेट कार्यालयों में कार्यरत लिपिकीय स्टाफ तथा उप स्टाफ के बीच वेतन समानता का दावा करते हुए एक याचिका दायर किया। मामला उच्चतम न्यायालय के पास लंबित है। एन.टी.सी./बी.आई.सी में मजदूरी तथा वेतनों के संबंध में, निधियाँ दिसम्बर, 99/जनवरी, 2000 तक भुगतान के लिए रिलीज की गई हैं।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कताई मिलें	मिश्रित मिलें	कुल मिलें
1	2	3	4	5
राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	96	2	98
2.	असम	6	2	8
3.	बिहार	8	1	9
4.	दिल्ली	0	1	1
5.	गोवा	1	0	1
6.	गुजरात	59	90	149

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	75	2	77
8.	हिमाचल प्रदेश	15	1	16
9.	जम्मू और कश्मीर	2	0	2
10.	कर्नाटक	49	10	59
11.	केरल	32	4	36
12.	मध्य प्रदेश	40	20	60
13.	महाराष्ट्र	127	77	204
14.	मणिपुर	1	0	1
15.	उड़ीसा	15	1	16
16.	पंजाब	68	2	70
17.	राजस्थान	44	8	52
18.	तमिलनाडु	832	26	858
19.	उत्तर प्रदेश	57	16	73
20.	पश्चिम बंगाल	24	15	39
केन्द्र शासित प्रदेश				
21.	दमन एवं दीव	1	2	3
22.	दादर नगर हवेली	3	0	3
23.	पांडिचेरी	9	2	11
	कुल योग	1564	282	1846

विवरण II

31.12.1999 की स्थिति अनुसार राज्य-वार/कारण-वार बंद सूती/मानव-निर्मित फाईबर वस्त्र (गैर-एस.एस.आई.) मिलें

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	हड़ताल	तालाबंदी	वित्तीय कठिनाइयां	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	5	2	20	4	31
2.	असम	0	0	4	0	4
3.	बिहार	0	0	3	0	3

1	2	3	4	5	6	7
4.	दिल्ली	0	0	0	1	1
5.	गुजरात	3	1	73	1	77
6.	हरियाणा	2	1	4	3	10
7.	कर्नाटक	3	0	10	4	17
8.	केरल	2	0	1	0	3
9.	मध्य प्रदेश	0	0	9	1	10
10.	महाराष्ट्र	4	2	25	2	33
11.	उड़ीसा	0	0	3	1	4
12.	पंजाब	3	0	2	0	5
13.	राजस्थान	0	1	6	3	10
14.	तमिलनाडु	30	7	26	20	83
15.	उत्तर प्रदेश	8	2	11	5	26
16.	पश्चिम बंगाल	4	1	8	1	14
	कुल	63	17	205	46	331

[अनुवाद]

"नाबार्ड" ऋण

1316. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोमा राम चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राजस्थान के लिए, विशेषकर सर्वाधिक पिछड़े सूखा प्रवण रेगिस्तानी जिलों—बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर के लिए सिंचाई, जलापूर्ति, सड़कों और मृदा संरक्षण हेतु कितना ऋण स्वीकृत किया गया;

(ख) ऋण किन शर्तों पर स्वीकृत किया गया;

(ग) स्वीकृत राशि में से कुल कितनी राशि जारी की गई;

(घ) क्या ऋण के उपयोग की समुचित निगरानी की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) 1 से 5 के अधीन सिंचाई एवं सड़कों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राजस्थान राज्य को स्वीकृत ऋण की राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

योजनाएं	स्वीकृत राशि
आरआईडीएफ-1 (1995-96)	123.51
आरआईडीएफ-2 (1996-97)	148.22
आरआईडीएफ-3 (1997-98)	162.88
आरआईडीएफ-4 (1998-99)	152.95
आरआईडीएफ-5 (1999-2000)	181.47
कुल	769.03

नाबार्ड ने सूचित किया है कि राज्य में जल आपूर्ति तथा भू-संरक्षण परियोजनाओं के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई थी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़कों एवं सिंचाई के लिए राजस्थान के अत्यन्त पिछड़े सूखाग्रस्त रेगिस्तानी जिलों अर्थात बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर के लिए स्वीकृत ऋण की राशि नीचे दी गई है:

(लाख रुपये में)

जिला	आरआईडीएफ-3	आरआईडीएफ-4	आरआईडीएफ-5
बाड़मेर	317.50	70.88	484.79
जैसलमेर	180.97	-	173.93
जोधपुर	-	76.23	467.26
जालौर	-	-	722.73

(ख) आरआईडीएफ के अधीन राज्य के लिए स्वीकृत ऋणों की शर्तें एवं निबंधन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) नाबार्ड द्वारा यथा सूचित राज्य के लिए स्वीकृत राशि में से दी गई कुल राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

योजनाएं	संवितरित राशि
आरआईडीएफ-3	95.66
आरआईडीएफ-4	14.24
आरआईडीएफ-5	15.18

(घ) और (ङ) जी हां। नाबार्ड राज्य में स्वीकृत आरआईडीएफ परियोजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति की सक्रिय निगरानी अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से करता है।

यह सूचित किया गया है कि आरआईडीएफ के विभिन्न भागों के अधीन राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में अब तक 283 जांच अध्ययन किए जा चुके हैं। कार्यान्वियन की प्रगति, परिदृश्य तथा समस्याओं को निर्धारित करके उन्हें राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति को संप्रेषित किया जाता है जो आवधिक रूप से कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है तथा समस्याओं का निदान करती हैं।

विवरण

ग्रामीण आधारिक विकास निधि के अंतर्गत मंजूर ऋणों की शर्तें

1. राज्य सरकार के वित्त विभाग को राज्य सरकार द्वारा नोडल विभाग के रूप में पदनामित किया जाएगा।
2. भारत के संविधान के 293(1) के अंतर्गत ऋणों से राज्य सरकार की उधार लेने की शक्ति नहीं बढ़ेगी।
3. कार्यों के क्रियान्वयन में राज्य सरकार द्वारा वहन किये गये खर्च का विवरण जमा किए जाने पर आमतौर पर तिमाही आधार पर नाबार्ड ऋण की राशि जारी करेगा।
4. नाबार्ड से प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक खर्च का कोई हिस्सा शामिल नहीं किया जाएगा।
5. नोडल विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि नाबार्ड से आहरित निधियां परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को तत्काल जारी कर दी जाती हैं।
6. राज्य सरकार इस ऋण की राशि का उपयोग सिर्फ और सिर्फ उस उद्देश्य के लिए करेगी जिसके लिए उसे नाबार्ड ने मंजूर किया है।
7. ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीफ) के अंतर्गत मंजूर सभी ऋण भारतीय रिजर्व बैंक को सम्बोधित अप्रतिसंहरणीय प्राधिकार-पत्र से प्रतिभूत होंगे।
8. आरआईडीएफ-3 और 4 के अंतर्गत उधारों पर राज्य सरकार द्वारा अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 12 प्रतिशत वार्षिक होगी। यह ब्याज प्रत्येक वर्ष प्रत्येक तिमाही के अन्त में तिमाही अंतराल पर दिया जाएगा।
9. वापसी-अदायगी के निर्धारित कार्यक्रम के लिए निधियों का प्रत्येक आहरण एक अलग ऋण माना जाएगा।
10. नाबार्ड द्वारा निर्धारित वापसी-अदायगी के कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड को ऋणों की वापसी-अदायगी की जाएगी। इसकी वापसी-अदायगी दो वर्ष की रियायती अवधि सहित आहरण की तारीख से 7 वर्ष के भीतर समान वार्षिक किस्तों में की जाएगी।
11. नाबार्ड इस शर्त के अध्यधीन देय तिथि से पहले ऋण या अग्रिम की अग्रिम वापसी अदायगी स्वीकार करेगा कि किसी अन्य ऋण के लिए राज्य सरकार नाबार्ड की चूककर्ता नहीं है।
12. मंजूर परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार बजट में यथापेक्षित पर्याप्त प्रावधान करेगी।

13. मंजूर परियोजनाओं के संबंध में संशोधित लागत के लिए राज्य सरकार को जहां कहीं आवश्यक होगा, प्रशासनिक अनुमोदन दिया जाएगा ताकि निधियां अबाधरूप से प्रवाहित हों।

14. यदि देय तारीख को मूलधन की वापसी-अदायगी या ब्याज के भुगतान की कोई किस्त बकाया रहती है तो नाबार्ड राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर सकता है।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

1317. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1999 से लेकर आज तक विभिन्न कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में अलग-अलग कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(ग) प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई है;

(घ) क्या कोयला खानों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. की खानों में हुई दुर्घटनाओं और मृतकों/घायलों का ब्यौरा इस प्रकार है:

	वर्ष	घातक दुर्घटनाएं	गंभीर दुर्घटनाएं	मृतक	घायल
कोल इंडिया लिमिटेड	1999	89	351	98	377
	2000 (जवरी, 2000 तक)	07	11	09	13

(ग) कोल इंडिया लि. की कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं के मामलों में प्रभावित परिवारों को भुगतान की गई मुआवजे की राशि नीचे दी गई है:

(लाख रु. में)

	1999	जनवरी, 2000
भुगतान किया गया मुआवजा	147.46	6.68

(घ) जी, हां।

(ङ) दुर्घटनाओं में कमी किये जाने हेतु खानों में उपयोग की गई आधुनिक तकनीकें नीचे दी गई हैं:

(1) इस्पात/धातु सपोर्ट की ओर प्रगामी परिवर्तन।

(2) स्ट्राटा की रॉक मास रेटिंग के आधार पर सपोर्ट योजना को तैयार किया जाना।

(3) एस.डी.एल./एल.डी.एच. आदि के नियोजन जैसी मध्यम प्रौद्योगिकियों को आरंभ किये जाने के द्वारा ग्रीन रूफ क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम अरक्षितता।

(4) कम्प्यूटर समर्थित संवेदकों के माध्यम से खनन पर्यावरण का निरन्तर प्रबोधन।

(5) हैम पर श्रव्य-दृश्य अलार्म की स्थापना।

(6) निरन्तर कार्यरत खानों और पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत यंत्रीकृत मुहानों को आरंभ किये जाने का कार्यक्रम चल रहा है।

उपर्युक्त के अलावा ओपन कास्ट खानों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रबंधन द्वारा भी निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:

- उपकरण की सुरक्षा विशेषताओं के संबंध में मशीन के रख-रखाव पर बल देना।
- केवल एच.एम.वी. लाइसेंस धारकों द्वारा हैम का प्रचालन।
- हैम आपरेटरों द्वारा मॉडल नियमों का अनुपालन।
- डंपरों पर अनधिकृत रूप से चढ़ने से रोकना।
- खान परिसरों में उपयोग में लाये जाने वाले ट्रकों की सड़क के उपयुक्त होने की जांच।
- चालक के लाइसेंसों की जांच और खान के प्रबंधक द्वारा उन्हें अपनी परिरक्षा में रखना।

- संविदा ट्रकों के टिप्पर प्रचालक का अनिवार्य प्रशिक्षण।
- कामगारों के चलने के लिए हैम द्वारा प्रयुक्त हॉल रूफ से भिन्न पृथक लेन/सड़क।

कामगारों के बीच सुरक्षा संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नियमित रूप से निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- कामगारों के प्रशिक्षण के नए माड्यूल्स का कार्यान्वयन।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना और श्रव्य-दृश्य उपकरणों का उपयोग करना।
- कामगारों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण।
- कामगार के स्थल के आसपास सुरक्षा स्लोगन और पोस्टरों को लगाना।
- सार्वजनिक जन संबोधन प्रणाली के माध्यम से सुरक्षा संबंधी चर्चा।
- सुरक्षा सप्ताह मनाना और ट्रेड टेस्ट।
- सुरक्षा संबंधी पुरस्कार।

मूंगफली का निर्यात

1318. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों को देशवार वार्षिक रूप से कितनी मात्रा में मूंगफली का निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या यूरोपीय संघ द्वारा देश से मूंगफली के कुल निर्धारित निर्यात के बड़े हिस्से का आयात किया जाता है;

(ग) क्या यूरोपीय आयोग द्वारा प्रतिवर्ष इसके कतिपय खेपों को अस्वीकार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो यूरोपीय आयोग से उचित बातचीत करके भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान सभी देशों और यूरोपीय संघ (ई यू) को निर्यात की गई मूंगफली की कुल निर्यात मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं:

	सभी देश		यूरोपीय संघ	
वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (करोड़ रु.)
1996-97	1,48,626	325.84	24954	56.37
1997-98	2,45,129	566.30	78031	185.79
1998-99 (अनं.)	55,574	138.48	10048	23.96
1999-2000 (अनं.) (अप्रैल-जून, 99)	30,348	72.17	2654	7.74

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

निर्यातों के देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक बुलेटिन/वार्षिक अंकों में दिए गए हैं, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) भारतीय मूल की मूंगफली की कुछ खेपों में अस्वीकार्य स्तर तक अफ्लाटॉक्सिन की मौजूदगी के कारण यूरोपीय संघ ने यह आश्वासन दिये जाने का अनुरोध किया था कि भविष्य में ऐसी मिलावट को रोकने के लिए उपाय किये जायेंगे और इन उपायों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। 1.4.99 से यूरोपीय संघ को मूंगफली के निर्यात को एम्पीडा द्वारा नामित एजेंसियों/प्रयोगशालाओं द्वारा नियंत्रित अफलाटॉक्सिन स्तर के प्रमाण-पत्र सहित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) में संविदाओं के अनिवार्य पंजीयन के अधीन कर दिया गया है।

उत्तम किस्म के कपास का आयात

1319. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लंबे रेशे वाले उत्तम किस्म के कपास के आयात का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में कपास के आयात की संभावना है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) 19 अप्रैल, 1994 से कपास का आयात खुला सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत किया जाता है। चालू वर्ष के बजट से 5% (10% अधिभार सहित) का आयात शुल्क लगाया गया है। प्रयोक्ता मिलें तथा कपास और वस्त्र उद्योग से संबंधित अन्य सरकार की नीति के ढांचे के भीतर कपास का आयात कर सकते हैं। चालू वर्ष 1999-2000 (अक्टूबर-सितम्बर) के दौरान 1.1.2000 से 15.2.2000 की अवधि के दौरान वस्त्र आयुक्त के पास 10,95,360 गांठों (प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.) की आयात संविदाएं पंजीकृत हुई हैं। तथापि, वास्तविक आयात के ब्यौरों की अभी सूचना मंगवाई जानी है। कपास का आयात मूल्य और गुणवत्ता प्राचलों पर निर्भर होता है।

प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

1320. श्री कोडीकुन्नील सुरेश: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक रबड़ के निर्यात हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मुक्त बाजार में कुल कितना प्राकृतिक रबड़ उपलब्ध है; और

(घ) देश में प्राकृतिक रबड़ की घरेलू खपत का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) एग्जिम नीति (1997-2002) में प्राकृतिक रबड़ का निर्यात मुक्त है। इसके अलावा, रबड़ बोर्ड अनेक संवर्धनात्मक उपायों के जरिए प्राकृतिक रबड़ के निर्यात को बढ़ावा दे रहा है।

(ग) जनवरी, 2000 के अंत में बाजार में लगभग 1,35,000 टन प्राकृतिक रबड़ का बेशी स्टाक उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया था।

(घ) 1999-2000 के दौरान प्राकृतिक रबड़ की खपत 6.28 लाख टन होने का अनुमान है।

औद्योगिक उत्पादन

1321. श्री विकास चौधरी:
श्री सुनील खां:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन में पुनरुद्धार के संकेत के बावजूद वर्ष 1999-2000 में पूंजीगत वस्तु का उत्पादन नहीं बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) औद्योगिक उत्पाद सूचकांक के उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार 1995-96 (अप्रैल-दिसम्बर) से 1999-2000 (अप्रैल-दिसम्बर) के बीच की अवधि के लिए उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों की विकास दर निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

क्षेत्रवार विकास दर (प्रतिशत)

अवधि	मूलभूत वस्तुएं	पूंजीगत वस्तुएं	मध्यवर्ती वस्तुएं	उपभोक्ता वस्तुएं	समग्र
1995-1996	10.5	6.9	18.8	12.0	12.8
1996-1997	3.8	10.9	9.5	6.9	6.9
1997-1998	6.7	6.7	9.0	4.6	6.8
1998-1999	1.9	11.3	5.2	2.0	3.7
1999-2000	5.1	6.6	8.7	4.9	6.2

पूंजीगत माल क्षेत्र की वृद्धि दर अनिवार्यत: औद्योगिक क्षेत्र की कुल वृद्धि दर के पूर्णत: अनुरूप नहीं होती हैं। संभवत: इसका कारण यह है कि पूंजीगत माल की मांग अस्थिर प्रकृति की है और यह व्यवसायियों की आशाओं में वृद्धि से प्रेरित होती है।

[हिन्दी]

रेशम उत्पादन

1322. **श्रीमती शीला गौतम:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई परियोजना शुरु की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां शहतूत की खेती होती है तथा इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिंगणी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) राज्य रेशम उत्पादन विभागों के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय रेशम बोर्ड (के.रे.बो.) राज्यों के सहयोग से योजनाएं/परियोजनाएँ/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही प्रमुख परियोजनाएं हैं:

(1) पूर्वांचल रेशम उत्पादन विकास परियोजना रेशम उत्पादन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के तीन जिलों अर्थात् वाराणसी, गाजीपुर और भदोही में 1993-94 तथा जून, 1999 के बीच छ: वर्षों की एक अवधि से अधिक से 5.64 करोड़ रु. की कुल लागत से क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना में उपर्युक्त तीन जिलों में शहतूत पौधा-रोपण के 3000 एकड़ तथा परियोजना अवधि के अंत तक अपरिष्कृत रेशम उत्पादन को प्रति वर्ष 77.1 मी. टन की एक वृद्धि करने की परिकल्पना है। अब यह परियोजना जून, 2000 तक बढ़ायी गयी है।

(2) नौवीं योजनावधि के लिए स्वीकृत उत्प्रेरक विकास योजना के अंतर्गत जिसमें अन्य राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश शामिल है, 14 लघु परियोजनाओं को 4.04 करोड़ रु. के कुल लागत पर जिसमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंश 2.35 करोड़ रु. है, क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत की गई है। इसमें, 7 परियोजनाओं के लिए निधियां रिलीज की गई हैं।

(ग) शहतूती खेती के अंतर्गत शामिल जिलों तथा क्षेत्रों को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(एकड़ में)

क्रम संख्या	जिला का नाम	शहतूती खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र
1	2	3
1.	लखीमपुर	802.00
2.	सीतापुर	629.29
3.	हरदोई	618.00
4.	उन्नाव	411.48
5.	इटावा/औरैय	325.46
6.	कानपुर (नगर एवं देहात)	56.74
7.	फतेहपुर	346.65
8.	सोनभद्र	0.00
9.	वाराणसी	898.15
10.	संत आर डी नगर	164.24
11.	मिर्जापुर	59.50
12.	गाजीपुर	592.50
13.	जौनपुर	377.00
14.	गोरखपुर	371.30
15.	महाराजगंज	444.00
16.	बस्ती/सिद्धार्थ नगर	425.44
17.	कुशीनगर	683.44
18.	बहराइच/श्रवस्ती	1242.29
19.	गोंडा/बलरामपुर	858.86
20.	मथुरा	60.47
21.	मैनपुरी	24.30
22.	फिरोजाबाद	20.77
23.	मेरठ	139.18
24.	सहारनपुर	108.02

1	2	3
25.	हरिद्वार	210.57
26.	मुजफ्फरनगर	103.00
27.	देहरादून	1660.41
28.	चमोली/रुद्रप्रयाग	200.20
29.	टिहरी	125.90
30.	पौरी	230.96
31.	उत्तरकाशी	127.67
32.	नैनीताल	324.70
33.	यू.एस. नगर	20.00
34.	अलमोड़ा	102.00
35.	पिथौरागढ़	26.50
36.	बरेली	70.96
37.	पीलीभीत	314.77
38.	शाहजहांपुर	385.87
39.	मुरादाबाद	17.50
40.	रामपुर	18.36
41.	रायबरेली	121.00
42.	सुल्तानपुर	89.80
43.	प्रतापगढ़	118.00
44.	इलाहाबाद	121.00
	कुल योग	14048.25

उपर्युक्त में से 3050 एकड़ स्थितर तथा उत्पादक के रूप में अनुमानित हैं।

[अनुवाद]

सरकारी कर्मचारियों को एस.टी.डी. सुविधा

1323. **श्री अमरराय प्रधान:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के किस स्तर के अधिकारी उनके कार्यालयों और निवास स्थानों पर प्रदान किए गए सरकारी टेलीफोनों पर एस.टी.डी. की सुविधा भी प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं;

(ख) क्या उन्हें केवल एस.टी.डी. कालों अथवा स्थानीय कालों का भी रिकार्ड रखना पड़ता है;

(ग) क्या उनके द्वारा व्यक्तिगत/निजी कालों के रूप में प्रमाणित स्थानीय अथवा एस.टी.डी. कालों का भुगतान सरकारी पैसे से कार्यालय द्वारा किया जा सकता है, यदि हां, किस सीमा तक; और

(घ) इस संबंध में विस्तृत नियम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार केवल संयुक्त सचिव या इसके ऊपर के स्तर के अधिकारी ही आवास तथा कार्यालय दोनों जगह एस.टी.डी. फोन की सुविधा के हकदार हैं। निर्धारित सीमा से अधिक कालों (सरकारी उद्देश्य के लिए की गई एस.टी.डी. कालों को छोड़कर तथा अधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित) तथा निजी/वैयक्तिक एस.टी.डी. कालों के प्रभार का खर्च संबंधित अधिकारी को स्वयं वहन करना पड़ता है। चूंकि सरकारी उद्देश्य के लिए की गई एस.टी.डी. कालों को अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कराना पड़ता है, अतः उन्हें कोई रिकार्ड रखने की जरूरत नहीं होती है।

लेखाओं का लेखा परीक्षण

1324. **श्री विजय गोयल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय सभी मंत्रालयों के लेखाओं का लेखा परीक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के लेखाओं का लेखा परीक्षण कार्य कब तक शुरू किया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, लागू नहीं होता।

एच.एम.टी., कालामासी का विकास

1325. **श्री जार्ज ईडन:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, कालामासी का विकास करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) एच.एम.टी. लिमिटेड से कालामासरी यूनिट के लिए 98 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। यह सहायता संयंत्र की मशीनों की मरम्मत और उन्नयन के लिए अपेक्षित है।

इलैक्ट्रानिक मीडिया की भूमिका

1326. श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमान अपहरण संकट के दौरान विदेशी टी.वी. चैनलों सहित इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे संकट में इलेक्ट्रानिक मीडिया की भूमिका से संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपहरण संकट के दौरान इलेक्ट्रानिक मीडिया की भूमिका का कोई औपचारिक विश्लेषण नहीं किया है। तथापि, प्रेस रिपोर्टों में कुछ चैनलों के आचरण की आलोचना की गई है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने अपहरण संकट के दौरान एक दायित्वपूर्ण एवं रचनात्मक भूमिका निभायी। सरकार, इलैक्ट्रानिक मीडिया से उनके कार्यों के प्रति जिम्मेदारी तथा निष्पक्ष आचरण की अपेक्षा करती है।

बांग्लादेश को कोयले का निर्यात

1327. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान असम और मेघालय से बांग्लादेश को कितने कोयले का निर्यात किया गया; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा देश के लिए समग्र रूप से निर्यात आंकड़े रखे जाते हैं और राज्य-वार नहीं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान बंगलादेश को किए गए कोयले के निर्यात की मात्रा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नलिखित है:

मूल्य करोड़ रु. में (मिलियन अमरीकी डालर में)

1996-97		1997-98		1998-99 (अनं.)	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
3.05	52.77 (14.86)	4.45	70.3 (18.92)	5.78	98.5 (23.41)

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस)

वस्त्र का निर्यात

1328. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान निर्यात किए गए वस्त्रों की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) गिरावट के कारण, यदि कोई हों, क्या हैं; और

(ग) वस्त्र निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) वर्ष 1998-99 के दौरान और अप्रैल-दिसम्बर, 1999 की

अवधि में वस्त्रों की मात्रा और मूल्य (अनंतिम) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	मद	निर्यातों का मूल्य (यूएस $ मिलियन)		निर्यातों की मात्रा		
		1998-99	1999-2000 (अप्रै.-दिस.)	1998-99	1999-2000 (अप्रै.-दिस.)	एकक
1.	सिले-सिलाए परिधान	5268.4	3734.3	9533	9655	लाख नग
2.	सूती वस्त्र (क+ख+ग)	3910.3	3013.8			
	(क) सूती फैब्रिक	2012.9	1546.0	1945.21	1680.16	एम. वर्ग मी.
	(ख) सूती यार्न	1419.1	1145.3	487.19	409.57	मि. कि.ग्रा.
	(ग) सूती मेड-अप्स	478.3	322.5	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
3.	मानव-निर्मित वस्त्र	946.4	794.9	254244.42	217959.39	टनों में
4.	ऊन व ऊनी वस्त्र (क+ख+ग+घ)	272.0	214.4			
	(क) ऊनी/वर्स्टेड फैब्रिक्स	27.5	13.6	0.41	0.11	करोड़ वर्ग मीटर
	(ख) ऊनी निटवियर	110.7	106.9	1.72	1.32	करोड़ नग
	(ग) मेड अप्स	110.8	89.2	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
	(घ) यार्न	23.0	4.7	0.27	0.08	करोड़ कि.ग्रा.
5.	रेशम (क+ख)	238.6	216.7			
	(क) रेशम सामान	उपलब्ध नहीं	210.6	285.58	295.86	लाख वर्ग मी.
	(ख) रेशम यार्न	"	6.1	8.65	14.50	लाख कि.ग्रा.
6.	हस्तशिल्प (क+ख)	1681.0	1457.5			
	(क) कालीन तथा फ्लोर कवरिंग	478.7	377.1	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
	(ख) अन्य हस्तशिल्प	1202.3	1080.4	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
7.	कॅयर	66.9	49.6	53872	32506	एम.टी.
8.	पटसन	149.5	100.9	171200	129800	एम.टी.
	कुल योग	12533.0	9582.0			

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1999 की अवधि के दौरान वस्त्रों और क्लोदिंग के निर्यात, वर्ष 1999 की इसी अवधि के दौरान हुए निर्यातों की तुलना में 3.8% अधिक है।

(ग) सरकार वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठा रही है। विशेष रूप से वस्त्र क्षेत्र के संबंध में की गई कुछेक महत्वपूर्ण पहल निम्नानुसार हैं:

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना लागू की गई है।

(2) स्थिरता और निरंतरता प्रदान करने तथा वस्त्र निर्यात में स्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में 2000-2004 की अवधि के लिए नई निर्यातक हकदारी (कोटा) नीति की घोषणा की गई है।

(3) भारतीय वस्त्रों के अप्रैल क्षेत्र-मूल्यवर्द्धित क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोटा और गैर-कोटा देशों को गैर-कोटा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए गैर-कोटा हकदारी (एन.क्यू.इ.) प्रणाली को बनाए रखा गया है।

(4) कुछ निर्धारित वस्त्र मशीनरी के संबंध में शून्य शुल्क निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई.पी.सी.जी.) योजना की प्रारंभिक सीमा को घटाकर 1 करोड़ रु. करना।

(5) निर्यातोन्मुख एकक (ई.ओ.यू.)/निर्यात संवर्धन क्षेत्र (ई.पी.जेड.)/ई.पी.सी.जी. एककों द्वारा सूती यार्न के निर्यात का उदारीकरण किया गया है।

(6) ट्रिमिंग और अलंकरण की कुछ श्रेणियों का शून्य शुल्क पर आयात की अनुमति दी गई है।

राज्यों का आर्थिक विकास

1329. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रतिशत के अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक की शाखाओं की संख्या कितनी है और इन बैंकों ने उपरोक्त राज्यों की अर्थव्यवस्था में कितनी धनराशि का निवेश किया है;

(ख) इन राज्यों की अर्थव्यवस्था के विकास न होने के क्या कारण हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक बैंक में अनुप्रयोज्य आस्तियों की राशि देश के अन्य भागों की तुलना में कितनी है; और

(घ) सामान्यतया उक्त राज्यों और विशेषकर बिहार के आर्थिक विकास में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंक शाखाओं का प्रतिशत हिस्सा और बैंक ऋण निम्नलिखित है:

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंक शाखाओं का प्रतिशत हिस्सा तथा बैंक ऋण (मार्च 1999)

राज्य	अखिल भारत की तुलना में शाखाओं का प्रतिशत हिस्सा	सकल बैंक ऋण (लाख रुपए)
1. अरुणाचल प्रदेश	0.10	6814
2. असम	1.90	221405
3. बिहार	7.59	777394
4. मणिपुर	0.13	16923
5. मेघालय	0.27	19131
6. मिजोरम	0.12	6278
7. नागालैण्ड	0.11	11607
8. उड़ीसा	3.36	435259
9. त्रिपुरा	0.28	30910
10. पश्चिम बंगाल	6.74	2294225
अखिल भारत	100	38946002

(ख) और (घ) राज्य/क्षेत्र में ऋण प्रवाह विभिन्न कारणों जैसे—पर्याप्त आधारिक सुविधाओं की उपलब्धता, क्षेत्र की ऋण खपत क्षमता, मझोले एवं बड़े उद्योगों के विकास, समुचित रूप से विकसित विपणन सुविधाओं, निवेश के लिए प्रेरक वातावरण, उद्यम संबंधी पहल, क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, बैंक देयों की संतोषजनक वसूली स्थिति आदि पर निर्भर करता है। बैंक उन राज्यों में ऋण-प्रवाह बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं, जहां ऋण-जमा (सीडी) अनुपात कम है और इस संबंध में स्थिति की निगरानी संबंधित राज्यों की समय-समय पर होने वाली राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठकों में की जाती है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा आंकड़ा सूचना प्रणाली में पूछे गए तरीके से सूचना प्राप्त नहीं होती है।

अनुप्रयोज्य आस्तियां

1330. **श्री रघुनाथ झा:**
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार निजी तथा सरकारी क्षेत्रों के बैंकों की अनुप्रयोज्य आस्तियों का बैंकवार कुल आंकड़ा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान वसूल की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा यह पिछले तीन वर्षों की तुलना में कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के मार्ग-निर्देशों तथा बैंकों के अपने मार्ग-निर्देशों का उल्लंघन कर बैंक ऋण स्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के आचरण की जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इतने उपाय किए जाने के पश्चात् भी अनुप्रयोज्य आस्तियों के आंकड़ों में कमी होने के बजाय वृद्धि होने के कारणों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) दिनांक 31.3.1999 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अपप्रयोज्य आस्तियां क्रमशः 51711 करोड़ रुपये और 4725.28 करोड़ रु. की थीं। बैंक-वार आंकड़े क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान तथा पिछले तीन वर्षों के नकदी वसूली बढ़ने तथा समझौते/बट्टे खाते डालने के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों में कमी निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	अनुपयोज्य आस्तियों में कमी
1998-99	8720
1997-98	10406
1996-97	9207
1995-96	7752

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर-सरकारी बैंकों के संबंध में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) ऋण मंजूर करते समय प्राधिकारियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के उल्लंघन की जांच-पड़ताल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न विनियामक तंत्र द्वारा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कई अवसरों पर बैंक प्रबंधकों का ध्यान आकर्षित किया है कि विभिन्न कार्यकर्त्ताओं को दी गई विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग पूरी सचेतना से करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बैंकों को कई बार सलाह दी गई है कि विभिन्न स्तर पर पदधारियों को कड़े निर्देश जारी करें कि मंजूर सीमाओं/विवेकाधीन शक्तियों से अधिक अग्रिम राशि देने की अस्वस्थ प्रथा छोड़ दें। खाते के अनुपयोज्य आस्ति में बदलने के कारणों की विभिन्न चरणों पर जांच-पड़ताल की जाती है और बैंक प्रबंधकों द्वारा खाते की पुनरीक्षा के समय या आस्ति वर्गीकरण में भूल के समय कर्मचारियों के उत्तरदायित्व की जांच की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण के समय जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों और अलग-अलग बैंकों के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करके ऋण मंजूर किए गए हैं, वहां कर्मचारियों के उत्तरदायित्व की जांच की जाती है और उस पर टिप्पणी की जाती है तथा बैंकों द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल एवं शुद्ध अनुपयोज्य आस्तियां निरपेक्ष दृष्टि से बढ़ रही हैं, तथापि प्रतिशत की दृष्टि से ये 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार 23.18 प्रतिशत और 14.46 प्रतिशत से घटकर 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 15.89 प्रतिशत और 8.13 प्रतिशत हो गई हैं। इसके अतिरिक्त सभी अनुपयोज्य आस्तियां अशोध्य ऋण नहीं हैं और न ही वसूली से बाहर हैं। किसी खाते के अनुपयोज्य आस्ति बनने के कई कारण होते हैं। कुछ आन्तरिक कारण होते हैं, जैसे दोषपूर्ण ऋण-मूल्यांकन, ऋण संवितरण के समय मंजूरी की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाना, ऋण पश्चात् पर्यवेक्षण में लापरवाही, निधियों का विविधीकरण, वित्तपोषित एकक का अकुशल प्रबंधन आदि कुछ बाह्य कारण भी हैं जिनसे खाते अनुप्रयोज्य आस्तियां बन जाते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण एकक की गैर-अर्थक्षमता या रुग्णता, मांग-पैटर्न, सरकारी-नीति, उद्योग में चक्रीय गिरावट, लागत के कारण परियोजना को पूरा न करना, अधिक समय लगना तथा अन्य कारक, जैसे अपरिष्कृत सामग्री की अनुपलब्धता, ऋण समस्याएं आदि। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर पर स्थलेतर निगरानी प्रणाली और साथ ही स्थल पर मूल्यांकन दौरों और वार्षिक वित्तीय निरीक्षणों के तहत लगातार निगरानी रखी जा रही है।

विवरण I

सरकारी क्षेत्र के बैंक—सकल अनिष्पादित आस्तियां (एनपीए) (रुपये करोड़ में)

बैंकों के नाम	1992-93		1993-94		1994-95	
	कुल एनपीए	कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए का %	कुल एन पी ए	कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए का %	कुल एनपीए	कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए का %
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय स्टेट बैंक	11171.38	20.25	11604.80	24.36	10926.15	19.98
स्टेट बैंक आफ बी. एंड जयपुर	372.21	19.14	365.92	18.19	400.25	17.21
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	457.00	19.03	565.00	21.90	554.23	15.75
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	206.19	21.43	232.65	21.41	199.01	15.28
स्टेट बैंक आफ मैसूर	257.87	17.73	332.47	21.46	284.48	14.44
स्टेट बैंक आफ पटियाला	283.38	13.08	305.38	13.09	330.98	11.42
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	184.79	16.61	231.44	18.92	197.70	12.22
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	282.00	13.63	339.29	13.57	377.88	11.10
स्टेट बैंक समूह का कुल	13214.82	19.64	13976.95	22.94	13270.68	18.50
इलाहाबाद बैंक	1207.00	28.78	1025.03	24.74	1235.11	26.88
आंध्रा बैंक	398.00	19.22	520.78	23.35	377.65	14.30
बैंक आफ बड़ौदा	2409.27	18.97	2630.16	18.77	2689.68	16.58
बैंक आफ इंडिया	4262.00	34.66	3772.00	29.96	2961.00	20.66
बैंक आफ महाराष्ट्र	753.99	34.20	847.67	36.23	734.59	25.71
केनरा बैंक	1947.09	22.10	1653.00	18.22	1523.00	12.93
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2173.00	29.88	2443.00	35.29	2154.78	24.98
कार्पोरेशन बैंक	176.00	14.26	259.01	16.41	260.01	11.69
देना बैंक	620.00	27.85	564.00	22.51	557.00	17.34
इंडियन बैंक	1881.00	23.03	2040.51	26.79	2102.41	24.09
इंडियन ओवरसीज बैंक	2272.00	40.43	2175.18	37.75	2001.41	26.85
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	293.00	12.65	210.95	8.00	221.94	6.14
पंजाब एंड सिंध बैंक	648.50	37.13	637.28	31.63	619.32	22.53
पंजाब नेशनल बैंक	1634.47	15.71	2179.03	21.41	2033.00	17.01

1	2	3	4	5	6	7
सिंडिकेट बैंक	1558.00	32.67	1409.60	29.40	1452.97	27.48
यूको बैंक	1625.00	24.94	1961.81	34.61	1745.60	29.40
यूनियन बैंक आफ इंडिया	780.00	16.82	693.49	12.87	695.95	9.41
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	949.00	30.83	1509.00	45.95	1309.68	36.90
विजया बैंक	451.00	25.37	532.88	26.96	439.40	17,47
राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल	26038.32	25.52	27064.38	25.84	25114.50	19.98
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल	39253.14	23.18	41041.33	24.78	38385.18	19.45

बैंकों के नाम	1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
	कुल एनपीए	कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए का %	कुल एनपीए	कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए का%	कुल एनपीए	कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए का %	कुल एनपीए	कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए का %
1	8	9	10	11	12	13	14	15
भारतीय स्टेट बैंक	10553.53	15.96	10961.54	16.02	11465.36	14.14	14064.75	15.56
स्टेट बैंक आफ बी. एंड जयपुर	337.95	12.45	454.99	13.83	463.04	11.73	675.48	16.11
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	759.74	17.89	849.42	19.19	964.67	18.96	922.56	15.94
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	218.84	14.20	266.76	15.81	299.83	15.03	327.20	14.68
स्टेट बैंक आफ मैसूर	328.93	14.54	467.06	16.92	538.83	17.47	589.44	16.96
स्टेट बैंक आफ पटियाला	399.71	11.49	454.80	11.32	514.75	11.88	717.75	13.98
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	265.98	13.50	326.40	14.79	364.78	14.83	458.27	15.43
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	430.22	11.74	586.85	14.49	911.00	20.06	885.62	18.46
स्टेट बैंक समूह का कुल	13294.90	15.46	14367.82	15.81	15522.26	14.57	18641.07	15.67
इलाहाबाद बैंक	1255.00	23.98	1302.89	23.93	1458.93	23.18	1520.11	20.09
आंध्रा बैंक	332.20	11.61	365.68	11.81	341.30	9.86	450.21	9.42
बैंक आफ बड़ौदा	2840.09	16.16	3116.00	17.15	3129.28	14.63	3685.56	16.03
बैंक आफ इंडिया	2434.00	14.49	2275.00	11.78	2669.00	11.55	3033.56	11.87
बैंक आफ महाराष्ट्र	694.26	21.87	749.43	20.67	709.09	17.39	715.76	15.97
केनरा बैंक	2647.32	17.93	3323.72	20.26	3580.81	18.69	4072.86	18.32

1	8	9	10	11	12	13	14	15
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2420.00	23.91	2520.00	25.00	2414.53	20.47	2436.23	17.41
कार्पोरेशन बैंक	251.83	9.67	316.78	9.92	341.86	7.60	367.99	5.66
देना बैंक	541.00	14.70	674.21	15.10	774.79	13.73	857.90	12.37
इंडियन बैंक	3140.00	34.15	3303.00	39.12	3428.39	38.96	3708.84	38.70
इंडियन ओवरसीज बैंक	2020.00	22.59	1317.00	15.80	1255.00	13.38	1441.00	13.32
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स.	271.30	5.68	367.56	7.36	397.23	6.16	498.03	6.30
पंजाब एंड सिंध बैंक	957.53	27.70	1089.70	30.71	1038.90	26.79	1098.35	23.01
पंजाब नेशनल बैंक	2518.00	18.74	2426.14	16.31	2447.00	14.50	2832.20	14.12
सिंडिकेट बैंक	1311.75	20.97	1291.78	19.32	1185.29	15.31	1074.28	10.72
यूको बैंक	1839.52	24.54	1872.62	28.35	1780.30	24.04	1716.18	22.55
यूनियन बैंक आफ इंडिया	945.86	10.38	987.80	10.38	1194.73	11.18	1462.42	12.41
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1401.00	38.00	1398.00	36.20	1451.00	33.50	1548.58	32.38
विजया बैंक	545.38	20.36	511.96	18.73	532.95	15.21	549.37	13.65
राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल	28366.04	19.52	29209.27	19.05	30130.38	16.88	33069.43	16.02
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल	41660.94	18.01	43577.09	17.84	45652.64	16.02	51710.50	15.89

स्रोत: बैंकों के विवरण

विवरण II

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	सकल एनपीए			निवल एनपीए		
		31.03.97	31.3.98	31.3.98	31.3.97	31.3.98	31.3.99
1	2	3	4	5	6	7	8
1. पुराने बैंक (26)							
1.	बैंक आफ मदुरा	127.80	146.49	162.31	70.70	72.84	86.86
2.	बैंक आफ राजस्थान	194.91	297.94	359.94	132.12	140.29	146.02
3.	बरेली कार्पोरेशन बैंक	18.01	18.16	19.17	5.92	5.07	11.73
4.	बनारस स्टेट बैंक	43.07	57.95	88.31	22.04	41.58	61.15
5.	भारत ओवरसीज बैंक	37.22	45.47	72.63	16.72	22.95	26.39
6.	कैथोलिक सीरियन बैंक	103.96	186.20	189.45	56.04	109.68	141.12
7.	सिटी यूनियन बैंक	41.86	65.93	83.76	25.27	43.39	53.05

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	डिवलप. क्रेडिट बैंक	49.50	52.38	64.75	36.30	39.10	48.82
9.	धनलक्ष्मी बैंक	41.58	92.72	96.35	27.15	60.48	75.31
10.	फेडरल बैंक	267.71	293.92	479.22	214.38	207.03	318.12
11.	गणेश बैंक आफ करूर	4.94	5.08	8.10	3.07	3.48	4.67
12.	जम्मू और कश्मीर बैंक	220.37	215.31	243.59	102.09	98.56	111.86
13.	कर्नाटक बैंक	65.70	92.09	169.04	45.16	55.63	101.83
14.	करूर वैश्य बैंक	29.58	47.40	98.46	11.35	21.59	62.39
15.	लक्ष्मी विलास बैंक	48.65	76.38	88.28	28.37	46.00	61.13
16.	लार्ड कृष्णा बैंक	46.00	80.50	88.98	33.52	55.14	75.73
17.	नैनीताल बैंक	14.16	12.66	10.57	7.04	4.40	2.46
18.	नेदुंगडी बैंक	32.89	60.62	93.25	25.19	46.38	78.79
19.	रत्नाकर बैंक	15.18	21.56	18.86	8.45	10.25	12.76
20.	सांगली बैंक	130.48	90.03	81.05	44.20	36.09	35.98
21.	एसबीआई कोम.इंट.बैंक	47.15	56.24	85.23	9.04	18.88	56.14
22.	सिक्किम बैंक	0.31	11.14	57.50	0.08	9.63	55.98
23.	साऊथ इंडियन बैंक	110.12	156.05	296.51	67.18	90.13	183.16
24.	तमिलनाडु मर. बैंक	76.14	90.39	111.38	25.60	44.33	54.80
25.	यूनाइटेड वैस्टर्न बैंक	123.77	108.31	186.66	92.86	78.24	138.33
26.	वैश्य बैंक	215.07	416.54	589.59	135.52	216.39	398.32
	उप-योग	2106.13	2797.46	3842.94	1245.36	1577.53	2402.88
2. नए बैंक (9)							
1.	बैंक आफ पंजाब	5.82	8.83	41.61	4.98	5.90	30.86
2.	सेंचुरियन बैंक	शून्य	1.81	102.98	शून्य	1.71	63.11
3.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	96.89	77.71	88.83	66.85	52.41	68.44
4.	एचडीएफसी बैंक	2.84	25.30	35.52	1.01	12.55	15.26
5.	आईसीआईसीआई बैंक	18.02	21.96	101.45	15.33	12.84	60.82

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	आईडीबीआई बैंक	6.30	3.00	16.54	4.90	2.70	12.83
7.	इंडसइंड बैंक	48.77	132.57	276.98	40.02	97.01	191.69
8.	टाइम्स बैंक	5.44	17.22	46.32	4.90	15.12	39.48
9.	यूटीआई बैंक	28.02	116.33	172.11	23.42	90.07	136.15
	उप-योग	210.10	404.73	882.34	161.41	290.31	618.64
	कुल योग	2316.23	3202.19	4725.28	1406.77	1867.84	3021.52

एक समान बिक्री कर नीति

1331. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्रीमती गीता मुखर्जी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री रामचन्द्र बैंदा:
श्री संजय पासवान:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 जनवरी, 2000 से एक समान बिक्री कर नीति कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अब तक यह नीति कार्यान्वित की है;

(ग) क्या अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ और कुछ राज्यों ने इस नीति के कार्यान्वयन का विरोध किया है और दिल्ली की प्रमुख मार्किट एक समान बिक्री कर के विरुद्ध हड़ताल पर चली गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) बिक्री कर की एक-समान न्यूनतम दरें अपनाने संबंधी निर्णय को आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया गया है।

(ग) और (घ) इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इस नीति को लागू करने का निर्णय सभी राज्यों की सहमति से लिया गया था। सदर बाजार, चांदनी चौक तथा चावड़ी बाजार क्षेत्रों में कुछ बाजारों में दिनांक 29.12.1999 को आंशिक हड़ताल रही।

(ङ) बिक्री कर की एक-समान न्यूनतम दरें अपनाने संबंधी निर्णय बरकरार है।

समान बिक्री कर

1332. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एल.पी.जी. (रसोई गैस), डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, विद्युत, इलैक्ट्रानिक तथा फोटोग्राफी संबंधी सामानों सहित अन्य कई मदों के मूल्य, समान बिक्री कर व्यवस्था लागू किए जाने की प्रक्रिया में इसमें की गई वृद्धि के कारण, बढ़ गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मूल्य स्थिति पर इसका समग्र प्रभाव क्या पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) और (ख) 16 नवम्बर, 1999 को हुए मुख्यमंत्रियों/राज्यों एवं संघशासित राज्यों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि बिक्री कर की एक-समान न्यूनतम दरों को सभी राज्यों/संघशासित राज्यों द्वारा 1.1.2000 तक अपना लिया जाएगा।

चूंकि बिक्री कर राज्य का एक विषय है, इसलिए बिक्री कर की वास्तविक दरें राज्य-दर-राज्य अलग-अलग हो सकती हैं।

तदनुसार, एक-समान न्यूनतम दरों के संबंध में निर्णय को लागू किये जाने के कारण, कतिपय जिन्सों के मूल्य या तो बढ़ गए अथवा कम हो गए हैं।

नागालैण्ड में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर

1333. श्री के.ए. सांगतम: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेषकर नागालैण्ड राज्य में विभिन्न कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों हेतु रिक्तियां भरने के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु क्या कार्यविधि तैयार की गई है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और ये रिक्तियां कब तक भर दी जाएंगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) वर्तमान में नागालैण्ड राज्य में स्थापित सभी तीन अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों में विभिन्न ग्रेड के 8 पद रिक्त हैं। तथापि, स्टाफ की इस थोड़ी सी कमी से प्रसारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और सभी ट्रान्समीटर पूर्ण रूप से प्रचालन में हैं। प्रसार भारती सभी रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए प्रयासरत है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि. के मुख्यालय का स्थानांतरण

1334. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या बिहार कोयला का प्रमुख उत्पादक है और कोल इंडिया लि. का प्रमुख प्रसंस्करण केन्द्र है;

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लि. का मुख्यालय बिहार के बदले कलकत्ता में स्थापित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोल इंडिया लि. का मुख्यालय कलकत्ता से हटाकर रांची लाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले को कब तक निबटाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) बिहार, भारत में कोयले के मुख्य उत्पादक राज्यों में से एक है। कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) एक धारक कंपनी है, जिसकी आठ अनुषंगी कंपनियां हैं। धारक कंपनी कलकत्ता में अवस्थित है, जबकि को.इं.लि. की कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनियां कोयला खानों के निकट अवस्थित हैं।

(ग) को.इं.लि. के मुख्यालय को कलकत्ता से रांची स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

उद्योगों में आयातित प्रौद्योगिकी

1335. श्री सी.के. जाफर शरीफ: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और विश्व स्तर पर प्रतियोगिता करने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय उद्योगों की प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का प्रबल बनाने हेतु क्या पहल की गई है;

(ख) अनुसंधान कार्य और विकास कर रहे उद्योगों और संस्थाओं को सहायता प्रदान करके नयी प्रौद्योगिकियों का विकास करने हेतु कौन-कौन से विशेष निकायों की स्थापना की गयी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) "प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता पर लक्षित कार्यक्रम ('पेटसर') योजना" विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना के तहत स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और प्रदर्शन तथा आयातित प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उनके उन्नयन हेतु उद्योग को अकेले अथवा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से सहायता अनुदान के रूप में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। "पैटसर" योजना के तहत सहायता-अनुदान आदिप्ररूप (प्रोटोटाइप) विकास, प्रायोगिक संयंत्र के प्रदर्शन, अनुसंधान, परामर्श, उपयोगकर्ता परीक्षण, इत्यादि के लिए प्रदान किया जाता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान "पैटसर" योजना के तहत प्राप्त की गयी उपलब्धियों में ये शामिल हैं—कुल 13 करोड़ रुपये से

अधिक के परियोजना परिव्यय और लगभग 4.5 करोड़ रुपये के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अनुदान वाली 20 से अधिक योजनाओं का पूरा किया जाना, तथा कुल 70 करोड़ रुपये से अधिक परियोजना परिव्यय और लगभग 17 करोड़ रुपये के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा अनुदान वाली 36 नयी परियोजनाओं के लिए अनुमोदन 1 "पैटसर" योजना के तहत समर्पित पूर्ण प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप संबंधित उद्योगों ने, अपनी-अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं के निर्माण के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं।

कार्यान्वयन समीक्षा समिति का गठन

1336. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बेहतर सहयोग और सर्वसम्मति के माध्यम से सुधारों को बढ़ावा देने हेतु कार्यान्वयन समीक्षा समिति का गठन किया है और आठ नए आर्थिक विषयों के संबंध में एक विशेष ग्रुप की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई समिति अपनी सिफारिशें कब तक पेश कर देगी; और

(घ) आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने हेतु अन्य क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन योग्य कार्य योजनाओं पर विचार करने और उनकी सिफारिश करने के उद्देश्य से, प्रधान मंत्री की व्यापार और उद्योग संबंधी परिषद के सदस्यों में से निम्नलिखित विशेष विषयक दलों (सब्जेक्ट ग्रुपों) का गठन किया गया था:

1. निजी क्षेत्रक में अच्छा प्रबंधन।
2. शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में निजी निवेश के लिए नीतिगत ढांचा।
3. विश्व व्यापार संगठन की दुबारा बुलाई गई मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए रणनीति।
4. विनिवेश को कैसे आगे बढ़ाया जाये?
5. भारतीय उद्योग जगत को नियंत्रण मुक्त करने के लिए विनियमों और कार्यविधियों की समीक्षा/परम्परागत उद्योगों में फिर से जान फूंकने के उपायों की सिफारिश।
6. भारत भूमण्डलीकरण में निहित अप्रत्याशित खतरों से किस प्रकार बच सकता है?
7. विद्युत क्षेत्र में सुधार।
8. विदेशों में रह रहे भारतीयों की सम्पदा और प्रतिभा का उपयोग विकास के लिए करना।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त विषयक दलों की सिफारिशों के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए, प्रधान मंत्री के निर्देश पर दिसम्बर, 1999 में कार्यान्वयन समीक्षा समिति का गठन किया गया था। समिति के सदस्य वित्त मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। समिति अपनी प्रथम रिपोर्ट 31 मार्च, 2000 से पूर्व प्रस्तुत करेगी।

[हिन्दी]

विभिन्न मंत्रालयों में रिक्तियां

1337. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न श्रेणियों के कई पद लंबे समय से खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चार वर्ष के दौरान इन खाली पदों को भरने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) इस मंत्रालय में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में समय-समय पर रिक्त होने वाले पदों के संबंध में केन्द्रीयकृत सूचना एकत्र नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

अग्रिम लाइसेंस योजना

1338. श्री सुनील खां: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अग्रिम लाइसेंस योजना के कारण सरकार को कर का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि निर्यात के नाम पर "शून्य" शुल्क का लाभ उठाने के लिए जहाज पर लदे स्क्रैप को समुद्री मार्ग में ही तैयार इस्पात दिखा दिया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) अग्रिम लाइसेंस स्कीम अपने मौजूदा रूप में मात्रा और मूल्य प्रतिबंधों के अध्यधीन निर्यात के लिए निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की व्यवस्था करती है और निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिए बाध्य करती है जिसके पूरा न किए जाने पर पूर्व-निश्चित सीमा शुल्क के साथ 24% की दर से ब्याज, वसूली-योग्य होता है। यह सुविधा जिसमें राजस्व की कुछ राशि छोड़ा जाना अंतर्ग्रस्त है, भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर उच्च गुणवत्ता की निविष्टियों को आसानी से प्राप्त करने और विश्व बाजार में स्पर्धा के लिए समर्थ बनाती है।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अग्रिम लाइसेंस स्कीम के तहत छोड़े गए शुल्क के ब्यौरे निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	छोड़े गए शुल्क की राशि रुपये (करोड़) में
1997-98	3547.00
1998-99	3615.00
1999-2000 (जनवरी, 2000 तक)	3084.00

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें कबाड़ के निर्यात को तैयार स्टील के रूप में दिखाया गया था जिसका उद्देश्य अग्रिम लाइसेंस स्कीम के तहत शून्य शुल्क का लाभ लेना था।

तमिलनाडु में अंशकालिक टी.वी. प्रसारण केन्द्र/रेडियो स्टेशन

1339. श्री पोन राधाकृष्णन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कन्याकुमारी जिले के मार्तण्डम में स्थित अंशकालिक टी.वी. प्रसारण केन्द्रों को पूर्णकालिक बनाने के लिए कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागरकोइल रेडियो स्टेशन पूर्णकालिक केन्द्र की हैसियत से कार्य कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे कब तक पूर्णकालिक केन्द्र के रूप में परिवर्तित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) पूर्ण कालिक आधार पर केन्द्र के संचालन के पर्याप्त स्टाफ की कमी के कारण आंशिक रिले किया जाता है। सरकार ने हाल ही में तदर्थ स्टाफ की तैनाती संबंधी मानदण्डों और दूरदर्शन में स्टाफ की पुनः तैनाती संबंधी योजना को अंतिम रूप दे दिया है इससे प्रसार भारती अल्प शक्ति ट्रान्समीटर, मार्तण्डम से पूर्णकालिक प्रसारण शुरू कर सकेगा।

(ग) और (घ) नागरकोइल का स्थानीय रेडियो केन्द्र सायं 3.00 बजे से रात्रि 9.15 बजे तक अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है।

(ङ) केन्द्र के लिए उपलब्ध स्टाफ एकल प्रसारण के लिए ही पर्याप्त है। दूरदर्शन की भांति आकाशवाणी के लिए भी स्टाफ की तैनाती संबंधी संशोधित मानदण्ड (तदर्थ) तैयार किए गए हैं और तदनुसार स्टाफ की पुनःतैनाती की योजना पूरी होने वाली है। पुनः तैनात किए गए स्टाफ सदस्यों के इस केन्द्र में कार्यभार ग्रहण करते ही उक्त केन्द्र से पूर्ण कालिक प्रसारण (दिन में तीन बार प्रसारण) चालू कर दिया जाएगा।

विदेशी चैनलों पर कर

1340. श्री सुरेश कुरुप: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी टी.वी. चैनलों द्वारा बाहर पैसा भेजने और उनके द्वारा अर्जित लाभ पर कर लगाने की समीक्षा का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 31.3.1998 तक सभी अनिर्णीत मामलों के लिए विदेशी प्रसारण कम्पनियों के मामले में पूर्व अनुमानित आधार पर आयकर की संगणना के लिए दिनांक 2 मई, 1996 के परिपत्र सं. 742 के तहत दिशा-निर्देश जारी किये थे। सभी अनिर्णीत मामलों के लिए इन दिशा-निर्देशों को दिनांक 15.4.1998 के एक अन्य परिपत्र सं. 765 को जारी करके विस्तार किया गया था। उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की जांच की जा रही है ताकि इस बात का निर्णय किया जा सके कि क्या लाभ की दर को संशोधित किया जाना चाहिए अथवा कर निर्धारण अधिकारी को विदेशी प्रसारण कंपनियों के लाभ को निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

आर.बी.आई. द्वारा डॉलर की खरीद

1341. श्री नवल किशोर राय:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय-समय पर खुले बाजार से डॉलर खरीदता है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के प्रथम नौ महीने में माह-वार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कितना अमरीकी डॉलर खरीदा गया और इसकी कितनी राशि चुकाई गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) अपेक्षाकृत कमजोर विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति की एकपक्षीय स्थिति को बराबरी पर लाने के लिए विनिमय दर नीति के एक भाग के रूप में समय-समय पर बाजार में विदेशी मुद्रा (अमरीकी डालर) की खरीद और बिक्री करता है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान (अप्रैल से दिसम्बर 1999) खरीदे गए अमरीकी डालर की मात्रा 17230 मिलियन अमरीकी डालर थी जबकि इसी अवधि के दौरान बिक्री की मात्रा 16542 मिलियन अमरीकी डालर थी। अप्रैल से दिसम्बर तक अमरीकी डालर की माह-वार खरीद और बिक्री नीचे सारणी में दी गई हैं:

माह	विदेशी मुद्रा (विनियमन अमरीकी डालर)	
	खरीद	बिक्री
अप्रैल, 1999	2437.00	2399.00
मई, 1999	2542.50	1568.00
जून, 1999	2348.00	2504.75
जुलाई, 1999	1796.00	2159.00
अगस्त, 1999	1770.00	2011.70
सितम्बर, 1999	1345.00	1870.55
अक्तूबर, 1999	1338.50	1348.49
नवम्बर, 1999	1748.80	1128.00
दिसम्बर, 1999	1904.25	1553.00

[अनुवाद]

तम्बाकू का निर्यात

1342. श्री बी.बी.एन. रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तम्बाकू निर्माता आंध्र प्रदेश के प्रकासम और गुंटूर जैसे जिलों से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर माल की खरीद नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा तम्बाकू डीलरों के मदद हेतु रूस को माल का निर्यात करने की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) आंध्र प्रदेश के नीलामी मंचों पर उपजकर्त्ताओं से तम्बाकू स्टॉक की खरीद का कार्य अभी-अभी 22 फरवरी, 2000 को शुरू किया गया है और आगामी नीलामी मौसम में इसमें अभी और तेजी आनी है।

(ख) चूंकि तम्बाकू का थोक निर्यात रूस द्वारा रुपया भुगतान पर किया जाता है इसलिए भारत सरकार ने रूसी प्राधिकारियों से

अनुरोध किया है कि वे ऋण शर्तों पर रूसी सिगरेट फैक्टरियों को पर्याप्त रुपए की राशि आबंटित करें ताकि वे भारतीय तम्बाकू की खरीद कर सकें। शीघ्र ही एक भारतीय शिष्टमंडल रूस का दौरा करेगा जो इस मामले की छानबीन कर दोनों देशों के तम्बाकू उद्योगों के बीच और अधिक सहयोग की संभावनाएं तलाशेगा।

[हिन्दी]

नई औद्योगिक नीति

1343. **श्री जगदम्बा प्रसाद यादव:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई औद्योगिक नीति के तहत ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कितने कार्यक्रम शुरू किये गये हैं;

(ख) किन-किन राज्यों में इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया है;

(ग) क्या ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों को इन कार्यक्रमों का लाभ मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों से राज्यवार लाभभोगी व्यक्ति कितने हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) 24 जुलाई, 1991 को संसद में प्रस्तुत किये गये ''औद्योगिक नीति'' संबंधी विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ देश के पिछड़े क्षेत्रों का उपयुक्त प्रोत्साहनों, संस्थाओं और अवसंरचनात्मक निवेशों के माध्यम से औद्योगीकरण करने की व्यवस्था की गयी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक ''नयी औद्योगिक नीति'' और अन्य रियायतों की व्यवस्था की गयी है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) 15 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा की शर्त के तहत विकास केन्द्रों पर होने वाले व्यय को केन्द्रीय सहायता से पूरा किया जायेगा;

(2) 5 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत के लिए एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्रों के लिए भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बीच निधि-पोषण का अनुपात 2:3 से बदलकर 4:1 कर दिया गया है। केन्द्र सरकर का हिस्सा अनुदान के रूप में होगा।

(3) पर्वतीय, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गयी परिवहन राजसहायता योजना को 31.3.2007 तक सात वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है; इसकी राशि ''पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि., द्वारा संवितरित की जायेगी।

(4) विकास केन्द्रों में स्थित उद्योगों को 30 लाख रुपये की अधिकतम सीमा की शर्त के अध्यधीन संयंत्र और मशीनों में निवेश के 15% की दर से पूंजी निवेश राजसहायता प्रदान की जायेगी।

(5) विकास केन्द्रों और एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्रों को दस वर्षों की अवधि के लिए आयकर और उत्पाद करमुक्त क्षेत्र बना दिया जायेगा।

(6) नये एककों को दस वर्षों की अवधि के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर 3% ब्याज राजसहायता प्रदान की जायेगी।

(7) 24.12.1997 के पश्चात् पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किए गये तथा अग्नि नीति ''ग'' में शामिल, अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क के सभी औद्योगिक अनुसार सभी औद्योगिक एकक इस योजना के तहत, एककों द्वारा अदा किये गये बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के रूप में राजसहायता के पात्र हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा इस संबंध में लाभभोगियों की संख्या का कोई राज्यवार आकलन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

मछली उत्पादों का निर्यात

1344. **श्री ए. ब्रह्मैया:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक अलग अन्तर्देशीय मछली उत्पाद निर्यात प्राधिकरण के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या एम पी ई डी ए अपने फार्मों से मछली और झींगा निर्यात करने वाले उन किसानों की सहायता और उचित नियमन करने के लिए तैयार नहीं है, जो अपने फार्मों से मछली पकड़ कर उसका निर्यात कर रहे हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश और अन्य तटवर्ती राज्यों के फार्मों में पैदा किए गए झींगे के निर्यात में अलग से विशेष सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रकार के निया.ा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी नहीं।

(ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 के अनुसार, एम्पीडा निर्यातों के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग का विकास करने के लिए उत्तरदायी है। एम्पीडा द्वारा जो उपाय किए गए हैं उन में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:—तटवर्ती और गहरे समुद्र में मछवाही का विकास और विनियमन करना। निर्यात हेतु समुद्री उत्पादों के लिए मानक और विनिर्देशन निर्धारित करना, समुद्री उत्पादों के निर्यात का विनियमन और समुद्री उत्पादों के निर्यातकों का पंजीकरण करना। निर्यातों के लिए वाणिज्यिक श्रिम्प पालन की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से एम्पीडा ने भारत के विभिन्न समुद्र तटवर्ती राज्यों में झींगा की खेती संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ाने में श्रिम्प के किसानों को सहायता देने के लिए तकनीकी वित्तीय गतिविधियां/योजनाएं आरम्भ की हैं। एम्पीडा भारत में समुद्री खाद्य को उसकी सुविधाओं के आधुनिकीकरण और गुणवत्ता उन्नयन इत्यादि के लिए भी सहायता दे रहा है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश राज्य सहित विभिन्न समुद्र तटवर्ती राज्यों में झींगा के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से झींगा की खेती के संवर्धन के लिए एम्पीडा द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण सहित तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु उपलब्ध है। भारत से श्रिम्प के निर्यात को बढ़ाने के लिए एम्पीडा द्वारा शुरू किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं:—रोग से बचाव हेतु श्रिम्प उत्पादकों को रोग निवारक उपाय अपनाने की सलाह देना, एम्पीडा के क्षेत्रीय केन्द्रों पर पी सी आर/डॉट बलाट जांच सुविधाओं की स्थापना करना, खेती के उचित प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से तालाबों की निगरानी करना, श्रिम्प रोग प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एन ए सी ए (एशिया प्रशांत में मत्स्य पालन केन्द्रों को नेटवर्क), थाइलैंड के जरिए एक परियोजना शुरू करना, श्रिम्प फार्मों में निस्सारण निपटान प्रणाली की स्थापना के लिए इमदाद सहायता प्रदान करना और बाजारों के अद्यतन रुझानों के बारे में किसानों को जानकारी देते रहना, इत्यादि।

[हिन्दी]

हाथीदांत की तस्करी

1345. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाथी दांत की तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ लोगों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इसे रोकने हेतु ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश से बड़े पैमाने पर तस्करी के किसी ऐसे मामले का पता नहीं चला है। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा वर्ष 1999 एवं 2000 (आज तक) के दौरान करीब 3.05 लाख रुपए मूल्य के हाथी दांत की तस्करी के प्रयास के केवल दो मामलों का ही पता लगाया गया है। फरवरी, 2000 में पता लगाए गए मामले में, री-भोई जिले (मेघालय) में दो व्यक्तियों को कथित रूप से पकड़ा गया था जो 1.55 लाख रुपए मूल्य के हाथी दांत की तस्करी करके म्यांमार ले जाने के प्रयास में संलिप्त थे तथा इन्हें पुलिस को सौंप दिया गया था जिन्होंने उन्हें इसके पश्चात् विस्फोटक अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उनके पास से 150 कि.ग्रा. विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई थीं।

(घ) और (ङ) सीमा शुल्क विभाग (राजस्व आसूचना निदेशालय सहित) के सभी क्षेत्रीय कार्यालय तथा आसूचना इकाइयां ऐसी तस्करी के प्रयासों को रोकने के लिए सजग हैं। हाथी दांत अथवा अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने के लिए आसूचना एकत्र करने के लिए प्रभावकारी उपाय किये जा रहे हैं तथा विमानपत्तनों, सीमा पर स्थित संवेदनशील स्थानों एवं अन्य सुगम्य स्थानों पर लगातार निगरानी की जा रही है।

[अनुवाद]

आर्थिक अपराध

1346. श्री आर.एल. भाटिया:
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में आर्थिक अपराधों को दांडिक अपराध के रूप में मान्यता दी है;

(ख) यदि हाँ, तो किन आर्थिक अपराधों को किस तारीख से दांडिक अपराध के रूप में मान्यता दी गयी है;

(ग) क्या इस सूची में कुछ और आर्थिक अपराधों को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत, अंतिम उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के संदाय के लिए उपयोग किये जाने योग्य अनुज्ञेय किसी भी शुल्क के संबंध में अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन कथित अधिनियम के अंतर्गत दण्ड देने योग्य बना दिया गया है। यह उपबन्ध दिनांक 1.8.1998 से प्रभावी है।

(ग) और (घ) धन शोधन निवारण विधेयक, 1999, जिसे लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्य सभा की चयन समिति को जांच के लिए भेजा गया है। वह अपराध जनित आय के शोधन के अपराध को दंडनीय अपराध मानने का प्रस्ताव करता है।

बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण

1347. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र के कितने बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) लक्ष्य प्राप्त न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) गैर-सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों की संख्या जो गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए 40 प्रतिशत निवल बैंक ऋण के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हुए और तत्संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मार्च 1999 की स्थिति के अनुसार, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सामूहिक रूप से प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्य को प्राप्त किया है। तथापि, गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ नए बैंकों के मामले में, पर्याप्त शाखा नेटवर्क की कमी, प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने का एक कारण है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का हर सम्भव उपाय करें। वर्ष 1994 में बैंकों से कहा गया था कि लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहने पर उन्हें बैंक-विशिष्ट नीतिगत उगाय करने होंगे।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र उधारों के लिए निर्धारित लक्ष्य न प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक

क्र.सं.	बैंक का नाम	निवल बैंक ऋण की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र उधार का प्रतिशत
1	2	3
मार्च 1997		
1.	बैंक आफ राजस्थान	36.30
2.	रत्नाकर बैंक	37.00
3.	सांगली बैंक	39.71
4.	लक्ष्मी विलास बैंक	39.87
5.	बनारस स्टेट बैंक	34.00
6.	सिक्किम बैंक	1.42
7.	यूटीआई बैंक	20.00
8.	सेंचूरियन बैंक	24.67
9.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	37.73
10.	आईडीबीआई बैंक	21.46
11.	लार्ड कृष्णा बैंक	39.04

1	2	3
मार्च 1998		
1.	बैंक आफ राजस्थान लि.	37.41
2.	रत्नाकर बैंक	33.80
3.	बनारस बैंक	34.91
4.	यूटीआई बैंक	16.49
5.	सेंचूरियन बैंक	26.30
6.	आईडीबीआई बैंक	35.90
7.	आईसीआईसीआई बैंक	37.79
8.	बैंक आफ पंजाब	37.29
9.	एसबीआईसीआई बैंक	24.60
मार्च 1999		
1.	रत्नाकर बैंक	34.77
2.	सांगली बैंक	35.54
3.	यूटीआई बैंक	17.70
4.	सेंचूरियन बैंक	23.75
5.	आईसीआईसीआई बैंक	33.61
6.	बैंक आफ पंजाब	32.46
7.	एसबीआईसीआई बैंक	29.06
8.	टाइम्स बैंक	39.43
9.	इंडसइंड बैंक	34.92

कर्नाटक में आकाशवाणी केन्द्र

1348. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में हसन में आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) का स्वतंत्र स्टेशन है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि हसन और उसके आस-पास के गांव के लोग रुकावटों के कारण आकाशवाणी कार्यक्रम नहीं सुन पाते; और

(ग) यदि हां, तो हसन के लिए एक पूर्णतः स्वतन्त्र आकाशवाणी केन्द्र स्वीकृत करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

स्रोत पर कर कटौती

1349. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का समर्थन किया था जिन्होंने 1998 में स्रोत पर कर कटौती कानून का उल्लंघन किया और उनके विरुद्ध दांडिक कार्रवाई रोकने के आदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे निर्देश जारी करने में शामिल वे अधिकारी कौन हैं; और

(ङ) उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी नहीं, महोदय।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

स्वतंत्र केबल आपरेटर

1350. श्री पी. कुमारासामी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वतंत्र केबल आपरेटर उपग्रह प्रसारणकर्ताओं और सरकार द्वारा उनकी गतिविधियों को न रोकने के कारण बंद होने के कगार पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) उपग्रह प्रसारकों के कारण स्वतंत्र केबल आपरेटरों के बन्द होने की कोई विशेष घटना सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में एच.पी.टी./एल.पी.टी./वी.एल.पी.टी.

1351. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1999 तक महाराष्ट्र में स्थापित और कार्य कर रहे एच पी टी/एल पी टी/वी एल पी टी से संबंधित जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्थानीय प्रसारण केन्द्रों और राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य के कितने गांवों को शामिल किया गया है और कितने गांवों को शामिल किया जाएगा;

(ग) दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त किए गए प्रस्तावों की स्थान-वार संख्या कितनी है और इन पर क्या कार्रवाई की गई;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में कितने टी.वी. टावरों को स्थापित किया जाएगा; और

(ङ) सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में मौजूदा दूरदर्शन केन्द्रों को आधुनिक बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) 31.12.1999 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में 87 टी.वी. ट्रांसमीटर (उ.श.ट्रा.-6 अ.श.ट्रा.-71, अ.अ.श.ट्रा.-9, ट्रान्सपोजर-1) कार्य कर रहे थे। जिला-वार ब्यौरा, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सम्पूर्ण देश में सभी चैनलों के दूरदर्शन कार्यक्रम उपग्रह के जरिए उपलब्ध हैं। स्थलीय रूप से महाराष्ट्र के लगभग 76.6% क्षेत्र और 86.6% जनसंख्या को क्षेत्रीय नेटवर्क के साथ-साथ राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा कवर किया जाता है। जिला अथवा राज्य में कवरेज प्राप्त कर रहे गांवों की संख्या के आंकड़े दूरदर्शन द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) विभिन्न मंचों से समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर टी.वी. ट्रान्समीटर स्थापित करने संबंधी अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे अनुरोधों को स्थल की उपयुक्तता, स्थल की उपलब्धता, परिणामी कवरेज, संसाधनों एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं आदि की उपलब्धता जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर नेटवर्क के विस्तार की योजना बनाते समय इन अनुरोधों को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) (क) में दिए गए ब्यौरे के अलावा 1.1.2000 से अब तक राज्य में 12 ट्रा. (अ.श.ट्रा-3, अ.अ.श.ट्रा.-9) चालू कर दिए गए हैं। कार्यान्वयनाधीन अन्य 16 ट्रान्समीटर (उ.श.ट्रा-5, अ.श.ट्रा-9, अ.अ.श.ट्रा.-2) को 9वीं योजना अवधि के दौरान चरणों में चालू किये जाने की संभावना है।

(ङ) दूरदर्शन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, मुम्बई और नागपुर में पुराने स्टूडियो के स्थान पर आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित नए स्टूडियो चालू कर दिए गए हैं।

विवरण

महाराष्ट्र में जिलावार मौजूदा ट्रान्समीटर
(31.12.99 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	जिला	ट्रान्समीटर	
1	2	3	
1.	अहमदनगर	अ.श.ट्रा.	अहमदनगर
		अ.श.ट्रा.	संगमनेर
2.	अकोला	अ.श.ट्रा.	आकोट
		अ.श.ट्रा.	अकोला
		अ.श.ट्रा.	करंजा
		अ.श.ट्रा.	रिसोड
		अ.श.ट्रा.	वाशिम
3.	अमरावती	अ.श.ट्रा.	अशलपुर
		अ.श.ट्रा.	अमरावती
		अ.श.ट्रा.	चांदपुर
		अ.श.ट्रा.	मोर्शी
		अ.अ.श.ट्रा.	चिकलधर

1	2	3	
4.	औरंगाबाद	उ.श.ट्रा.	औरंगाबाद
		ट्रांसपोजर	औरंगाबाद
5.	भंडारा	अ.श.ट्रा.	धनदारा
		अ.श.ट्रा.	गान्डिर
		अ.श.ट्रा.	तुमसर
6.	बीड	उ.श.ट्रा.	अम्बाजोगई
		अ.श.ट्रा.	अम्बाजोगई (डी.डी. 2)
		अ.श.ट्रा.	बीड
7.	बुलडाना	अ.श.ट्रा.	बुलडाना
		अ.श.ट्रा.	चिखिली
		अ.श.ट्रा.	खामगांव
		अ.श.ट्रा.	महेकर
8.	चन्द्रपुर	अ.श.ट्रा.	बगमपुरी
		अ.श.ट्रा.	चन्द्रपुर
9.	धुले	अ.श.ट्रा.	धुले
		अ.श.ट्रा.	नन्दुरबार
		अ.श.ट्रा.	नवापुर
		अ.श.ट्रा.	शाहाद
		अ.श.ट्रा.	शिरपुर
10.	गढ़ोहीरोली	अ.श.ट्रा.	अहेरी
		अ.श.ट्रा.	गढ़ोरीरोली
		अ.श.ट्रा.	बिरंध
11.	ग्रेटर बंबई	अ.श.ट्रा.	बम्बई
		अ.श.ट्रा.	बम्बई (डी.डी.-2)
12.	जलगांव	अ.श.ट्रा.	अमलनेर
		अ.श.ट्रा.	भुसावल
13.	जालना	अ.श.ट्रा.	जालना
14.	कोल्हापुर	अ.श.ट्रा.	लोहालकरंजी
		अ.श.ट्रा.	कोल्हापुर
		अ.अ.श.ट्रा.	मोल्कापुर

1	2	3	
15.	लातूर	–	–
16.	नागपुर	उ.श.ट्रा.	नागपुर
		अ.श.ट्रा.	नागपुर (डीडी-2)
17.	नानदेड	अ.श.ट्रा.	दिगलूर
		अ.श.ट्रा.	किनवाट
		अ.श.ट्रा.	नानदेड
		अ.अ.श.ट्रा.	शेकर
18.	नासिक	अ.श.ट्रा.	मालगांव
		अ.श.ट्रा.	मनमाड
		अ.श.ट्रा.	नासिक
		अ.श.ट्रा.	सतना
19.	उस्मानाबाद	अ.श.ट्रा.	उस्मानाबाद
		अ.श.ट्रा.	उमरगा
20.	परभणी	अ.श.ट्रा.	हिंगोली
		अ.श.ट्रा.	परभणी
21.	पुणे	उ.श.ट्रा.	पुणे
		अ.अ.श.ट्रा.	जुन्नेर
22.	रायगढ़	अ.श.ट्रा.	खापोली
		अ.श.ट्रा.	माहड़
		अ.श.ट्रा.	मनगांव
		अ.श.ट्रा.	महाले
		अ.अ.श.ट्रा.	कारजेट
23.	रत्नागिरि	अ.श.ट्रा.	चिपलुन
		अ.श.ट्रा.	देवरुख
		अ.श.ट्रा.	राजापुर
		अ.श.ट्रा.	रत्नागिरि
		अ.अ.श.ट्रा.	खोड
24.	सांगली	अ.श.ट्रा.	सांगली
25.	सतारा	अ.श.ट्रा.	कारद
		अ.श.ट्रा.	सतारा
		अ.अ.श.ट्रा.	कोरेगांव

1	2	3	
26.	सिंधुदुर्ग	अ.श.ट्रा.	कानकौली
		अ.अ.श.ट्रा.	मालवा
27.	सोलापुर	अ.श.ट्रा.	अकलुज
		अ.श.ट्रा.	बराही
		अ.श.ट्रा.	पंधारपुर
		अ.श.ट्रा.	सोलापुर
28.	थाणे	अ.अ.श.ट्रा.	बादलापुर
29.	वर्धा	अ.श.ट्रा.	आर्वी
		अ.श.ट्रा.	हिंगनघाट
		अ.श.ट्रा.	वर्धा
30.	यवतमाल	अ.श.ट्रा.	पुआड
		अ.श.ट्रा.	उमरखेड
		अ.श.ट्रा.	वानी
		अ.श.ट्रा.	यवतमाल

[हिन्दी]

भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला

1352. **श्री बृज भूषण शरण सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय हस्तशिल्प विभाग द्वारा आयोजित भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला-2000 की आंतरिक और बाह्य साज-सज्जा के कार्यों के लिए किस संगठन का चयन किया गया है; और

(ख) इसकी चयन प्रक्रिया के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फरवरी, 2000 में आयोजित भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला-2000 के आंतरिक व बाहरी सज्जा कार्यों के लिए मैसर्स ट्रेड शोज इण्टरनेशनल, नई दिल्ली को चुना गया था। यह मेला भारत सरकार द्वारा नहीं अपितु हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक लाभ-निरपेक्ष संस्थान है। इस कार्यक्रम के लिए वित्त व्यवस्था प्रदर्शकों द्वारा किए गए योगदान से की गई।

(ख) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला समिति ने आंतरिक एवं बाह्य सज्जा कार्यों के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव मांगे थे। उक्त समिति द्वारा विस्तृत रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी लगाने के लिए आन्तरिक और बाहरी सज्जा कार्यों में एजेन्सियों के अनुभव, सीमित समय में कार्य पूरा करने की क्षमता, किसी संकल्पना/विचार डिजाइन के उद्देश्यों को प्रस्तुत करने की क्षमता दी गई और स्वीकृत दरों जैसे मानदण्डों को ध्यान में रखा गया।

घटिया कोयले की आपूर्ति

1353. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा घटिया कोयले की आपूर्ति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में जिम्मेवारी निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कंपनियों को पिछले एक वर्ष के दौरान, घटिया कोयले की आपूर्ति के संबंध में 78 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) इन शिकायतों की जांच की गई है और जांच तथा उसके परिणामों के आधार पर 21 व्यक्तियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

(ङ) गुणवत्ता संबंधी शिकायतों में कमी करने के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) फीडर ब्रेकर/कोयला रख-रखाव संयंत्रों की स्थापना।

(2) कोयले को आकारीकृत करना तथा संदलन।

(3) भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों, दोनों ही में, कोयला फेसों का उपयुक्त रूप में आयोजन।

(4) कोयले में मिलावट को समाप्त करने के लिए ऊपरी मलबा (ओ.बी.) बेंचों का अग्रिम।

(5) भार संबंधी विवादों को न्यूनतम करने के लिए लदान स्थलों पर इलैक्ट्रॉनिक वे-ब्रिजों की स्थापना, तथा

(6) सभी लदान स्थलों तथा उतराई स्थलों पर नमूनाकरण/विश्लेषण किया जाना तथा स्वतंत्र रूप से नमूनाकरण/विश्लेषण के लिए एक तीसरे पक्ष के अभिकरण को नियोजित किया जाना।

रुपये का मूल्य

1354. **श्री शंकर सिंह वाघेला:**
श्री अरुण कुमार:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा का मूल्य लगातार घटता गया है;

(ख) यदि हां, तो 1996-97, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के पहले 10 महीनों के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य क्या रहा;

(ग) रुपये के मूल्य में लगातार कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अवधि में रुपये के अवमूल्यन के कारण देश को विशेषकर आयात के क्षेत्र में अनुमानतः कितना अतिरिक्त वित्तीय नुकसान सहना पड़ा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) रुपये की विनिमय दर का मूल्य ह्रास हुआ है जो 1996-97 में प्रति अमरीकी डालर 35.50 रुपये के वार्षिक औसत की तुलना में 1999-2000 (जनवरी, 2000 तक) में 43.26 रुपये हो गया है। क्रय एवं विक्रय दरों के दैनिक औसत के आधार पर अमरीकी डालर की तुलना में रुपये के विदेशी मूल्य को उपर्युक्त अवधियों के दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम रूप में नीचे दिखाया गया है।

(प्रति अमरीकी डालर रुपये)

वर्ष/अवधि	अधिकतम मूल्य	न्यूनतम मूल्य	वार्षिक औसत
1996-97	34.1400	35.9600	35.4999
1997-98	35.6975	40.3600	37.1648
1998-99	39.4800	43.4200	42.0706
1999-2000 (अप्रैल से जनवरी)	42.4400	43.6400	43.2792

(ग) रुपये की विनिमय दर अधिकांशतः बाजार शक्तियों, विदेशी विनियम बाजार में मांग और आपूर्ति की दशाओं के अनुसार दैनिक आधार पर दोनों दिशाओं में इसके उतार-चढ़ाव द्वारा निर्धारित होती है। परन्तु सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक दोनों पूंजी विनिमय दर के उतार-चढ़ाव की मानीटरिंग करते हैं और इसके अत्यधिक अस्थिरता को कम करने, अस्थिरता उत्पन्न करने वाले सट्टेबाजों के कार्यकलापों को रोकने, एक व्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार की दशा विकसित करने और विदेशी मुद्रा रिजर्व का पर्याप्त स्तर बनाये रखने में मदद करने के लिए उचित उपाय करते हैं।

(घ) अमरीकी डालर की तुलना में रुपये के मूल्य ह्रास से वर्तमान एवं पूंजी खातों में भुगतानों के लिए भारतीय रुपये के संदर्भ में रुपयों की जावक में बढ़ोत्तरी हो जाती है। इसके साथ ही साथ मूल्य ह्रास से रुपये के संदर्भ में प्राप्तियों में भी वृद्धि होती है। रुपये के संदर्भ में वृद्धि और कमी किस सीमा तक है यह अनेक बातों पर निर्भर करती है जैसे कि मूल्यों के संबंध में प्राप्तियों/भुगतानों का लचीलापन, माल एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की प्रवृत्तियाँ और सम्पूर्ण देश में विनिमय दरों का उतार-चढ़ाव आदि।

[अनुवाद]

फिल्म उत्सव हेतु पैनल

1355. **श्री के. येरननायडू:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्रीमती रीना चौधरी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन कार्यक्रम फीका रहा और इस फिल्म

में भाग लेने वाले देशों ने इन उत्सवों के कवरेज के लिए ''उत्पीड़न भत्ते'' की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस उत्सव म विभिन्न श्रेणियों की कितनी भारतीय फिल्में सूचीबद्ध की गई और दिखाई गई और कितनी भारतीय फिल्मों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया;

(घ) क्या सरकार ने फिल्म उत्सवों हेतु परामर्शी पैनल गठित करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पैनल के विचारार्थ विषय व उसकी संरचना क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) हालांकि एक समाचारपत्र मद में भारत के 31वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का एक ''फीका'' उत्सव के रूप में वर्णन किया गया था और उल्लेख किया गया था कि ऐसे समारोहों की कवरेज के लिए ''उत्पीड़न भत्ता'' दिया जाना चाहिए तथापि, सम्पूर्ण देश के फिल्म समालोचकों द्वारा इस समारोह के लिए फिल्मों का चयन करने के लिए इसकी कुल मिलाकर प्रशंसा की गयी थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और फिल्म समारोह निदेशालय को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान प्रदर्शन के लिए वर्ष की कुछ अत्यधिक उत्कृष्ट फिल्मों को प्राप्त करने और उसके द्वारा अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयास रहेगा।

(ग) इस समारोह के विभिन्न खण्डों में कुल 49 भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित किया गया था। जयराज द्वारा निर्देशित ''करुणम'' नामक भारतीय फिल्म को एशियाई निदेशक द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया।

(घ) और (ङ) इस मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों को शामिल करके दिनांक 19.1.2000 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार पैनल गठित किया है। यह पैनल फिल्म समारोह निदेशालय की नीतियों और कार्यक्रमों पर फिल्म निर्माताओं तथा उद्योग के प्रतिनिधियों से परामर्श करने के लिए एक नियमित मंच प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। यह निदेशालय को इसकी नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए भी सलाह देगा। इस पैनल के गैर-सरकारी सदस्य सर्वश्री यश चोपड़ा, मणि रत्नम, बाबी बेदी, जहनु बरुआ, सुश्री अपर्णा सेन तथा सुश्री रतनोत्मा सेनगुप्ता हैं।

[हिन्दी]

कमीशन्ड कार्यक्रमों के लिए धनराशि

1356. श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दूरदर्शन पर धारावाहिकों का प्रसारण करने के लिए कमीशन्ड कार्यक्रमों के अंतर्गत धनराशि मुहैया कराती है;

(ख) यदि हां, तो कमीशन्ड कार्यक्रमों के अंतर्गत धनराशि मुहैया कराने के लिए क्या प्रक्रिया और मानदण्ड अपनाये जाते हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) कमीशंड कार्यक्रमों के निर्माताओं द्वारा प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत बजट ब्यौरों को ध्यान में रखते हुए तथा दूरदर्शन की लागत समिति द्वारा उनकी जांच करने/उन्हें अनुमोदित करने के बाद निर्माताओं को निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ग) विवरण निम्नानुसार है:

अवधि	राशि (लाख रु. में)
1996-97	3864.75
1997-98	4629.21
1998-99	4051.16

दूरदर्शन पर कार्यक्रमों की गुणवत्ता

1357. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री रघुनाथ झा:
श्री अजय सिंह चौटाला:
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान आम लोगों और विशेषरूप से युवाओं और छोटे बच्चों के लिए राष्ट्रीय चैनल, डी.डी. मैट्रो और दूसरे चैनलों पर विभिन्न प्रकार के मनोरंजक,

शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को दिखाने के लिए कोई योजना तैयार की है/तैयार करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूसरे देशों की तुलना में दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल और डी.डी. मैट्रो तथा दूसरे चैनलों द्वारा दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में दूरदर्शन के कार्यक्रमों के कवरेज, गुणवत्ता और लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन पहले से ही अपने चैनलों पर विभिन्न प्रकार के प्रायोजित कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहा है जिसमें मनोरंजन, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। युवा और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उनके लिए विभिन्न कार्यक्रमों को भी समय स्लाट आबंटित किया गया है।

(ख) डीडी राष्ट्रीय के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रसार भारती द्वारा देश में दूरदर्शन कार्यक्रमों की कवरेज, गुणवत्ता और लोकप्रियता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

(1) कवरेज के विस्तार के लिए 300 से अधिक ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं/अनुमोदित की गई हैं।

(2) दूरदर्शन केन्द्रों में सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन।

(3) विभिन्न प्रकार के और उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों को समय स्लाट आबंटित करना।

(4) साफ्टवेयर और इसकी प्रक्रिया का विवेकपूर्ण चयन।

(5) प्रत्येक कार्यक्रम की विषय-वस्तु एवं गुणवत्ता की जांच हेतु दूरदर्शन मुख्यालय में पूर्व-दर्शन सेट-अप स्थापित करके नियमित एवं सूक्ष्म पर्यवेक्षण करना।

विवरण

मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, बाल एवं युवाओं की श्रेणी में दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किये जा रहे कार्यक्रमों की सूची

मनोरंजन कार्यक्रम

1. पिकनिक अंताक्षरी
2. मीठी मीठी बातें
3. विलायती बाबू
4. ट्रक धिना धिन
5. राजा का बाजा
6. सरगम
7. नहले पे दहला
8. आपकी पसंद
9. सितारों के संग

शैक्षणिक कार्यक्रम

1. किरन
2. बोल बसंतो
3. इन सर्च ऑफ रीयल हीरो
4. नूरजहां
5. बिजनेस ऑन सनडे
6. स्वराज
7. दृष्टांत

सांस्कृतिक कार्यक्रम

1. सुरभि
2. संस्कृतिनामा
3. स्प्रिट ऑफ यूनिटी कन्सर्ट

बाल एवं युवा कार्यक्रम

1. स्कूल डेज

2. शक्तिमान

3. बेताल पच्चीसी

4. मायावी नगरी।

[अनुवाद]

अस्वीकृत चैक

1358. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अस्वीकृत चैकों के मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए विशेष अदालत के गठन को सुगम बनाने के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1938 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में अपराध होते हैं और ऐसे अपराधों से उत्पन्न इन सभी मामलों पर किसी एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाना न तो व्यवहार्य होगा और न ही जनहित में।

करगिल के शहीदों के लिए कोष

1359. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों ने शहीदों के लिए धनराशि दान में दी है;

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लि. द्वारा अपने कर्मचारियों से सहायक कंपनी-वार एकत्रित की गई कुल धनराशि कितनी है;

(ग) क्या संपूर्ण धनराशि को किसी सरकारी अथवा सैन्य संगठन में जमा करा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार, को.इं.लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों से एकत्रित कुल राशि का सहायक कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कंपनी का नाम	राशि
ई.सी.एल.	रु. 82,24,634.00
बी.सी.सी.एल.	रु. 60,00,000.00
सी.सी.एल.	रु. 1,02,00,000.00
एन.सी.एल.	रु. 56,16,076.00
डब्ल्यू.सी.एल.	रु. 1,86,17,937.00
एस.ई.सी.एल.	रु. 1,96,81,049.00
एम.सी.एल.	रु. 10,50,000.00
सी.एम.पी.डी.आई.एल.	रु. 9,82,800.00
सी.आई.एल./एन.ई.सी.	रु. 5,17,504.00
जोड़	रु. 7,08,90,000.00

(ग) और (घ) 7,08,90,000.00 की कुल राशि को उसके बाद राष्ट्रीय रक्षा कोष में जमा करा दिया गया है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशी मुद्रा

1360. **श्री चन्द्र विजय सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद विदेशी मुद्रा कमाने वाला सबसे बड़ा जिला है;

(ख) जिले ने पीतल के सामान और अन्य संबंधित उद्योगों के निर्यात से भारत के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने विकास संबंधी गतिविधियों और विदेशी मुद्रा अर्जन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुरादाबाद शहर को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला-वार निर्यातों के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा के संबंध में सूचना संकलित नहीं की जाती है। अतः उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के पीतल और उससे सम्बद्ध उद्योगों द्वारा निर्यात के जरिए अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आमतौर पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों को सीधे तौर पर कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

निर्यात संवर्धन

1361. श्री अकबर अली खांदोकर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित योजना से राज्यों को कुछ प्रोत्साहन मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय निर्यात का किस सीमा तक संवर्धन होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) केन्द्र सरकार गुणवत्ता संबंधी बुनियादी सुविधाओं, निविष्टि सहायता, करो में राहत और प्रक्रियात्मक एवं अन्य बाधाओं को हटाने के बारे में पर्याप्त प्रावधान करके निर्यात संवर्धन में राज्यों को भागीदार बनाना चाहती है। राज्यों से भी उन मसलों पर परामर्श किया जाता है जो उनसे विशेष रूप से संबंधित होते हैं। एग्जिम नीति में मानदंड में शिथलता प्रदान करते हुए राज्य सरकार की एक एजेंसी को निर्यात घराने के रूप में मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है।

वर्ष 1993-94 से देश में एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना (ई पी आई पी) लागू की जा रही है जिसके अंतर्गत देश भर में विभिन्न राज्यों में 20 ई पी आई पी स्थापित किए गए हैं। अनुमोदित ई पी आई पी के लिए अब तक 152.26 करोड़ रु. की कुल राशि जारी की गई है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलनकारी योजना भी लागू की जा रही है जिसके अंतर्गत राज्यों और उनकी एजेंसियों को बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और निर्यातों में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 67 परियोजनाओं/कार्यों के लिए 136.05 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

विभिन्न वस्तु बोर्ड राज्य सरकारों के जरिए निर्यातों के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने हेतु योजनाएं लागू कर रहे हैं।

(घ) निर्यातों के लिए बुनियादी सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों से परामर्श करके जो विभिन्न कदम उठाए गए हैं, उनसे निर्यात बढ़ेगा।

असम को निधियां

1362. श्रीमती रानी नरह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत विभिन्न राज्यों, विशेषकर असम को कुल कितनी निधियां जारी की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत स्वीकृत तथा जारी की गई सम्पूर्ण राशि का इन राज्यों ने उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वित्त मंत्रालय, योजना आयोग द्वारा संस्तुत पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अन्य क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता जारी करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, असम सरकार सहित राज्यों को जारी की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत की जाने वाली प्रगति रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार निधियां सामान्यत: मासिक/त्रैमासिक किस्तों में जारी की जाती हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निधियों और व्यय मैकेनिज्म (रचना-तंत्र) और मानीटरिंग (प्रबोधन) योजना आयोग द्वारा नियंत्रित और मानीटर किये जाते हैं। कुछ राज्य विभिन्न समस्याओं, जैसे उपयुक्त स्कीमों आदि को बनाने में देरी होने के कारण कार्यक्रम के अधीन जारी सम्पूर्ण राशि का उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं।

विवरण

असम को जारी निधियों के संबंध में संदर्भित विवरण

(रुपए करोड़ में)

राज्य	एच.ए.डी.पी./डब्ल्यू.जी.डी.पी.			बी.ए.डी.पी.			अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			विशेष केन्द्रीय सहायता		
	96-97	97-98	98-99	96-97	97-98	98-99	96-97	97-98	98-99	96-97	97-98	98-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	4.00	9.00	—	—	—	—	—	—
2. आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. असम	46.32	46.32	50.16	4.12	2.06	4.27	—	—	—	—	—	—
4. बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गोवा	2.34	2.28	2.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. गुजरात	—	—	—	8.58	8.58	8.88	—	—	—	—	—	—
7. हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	4.00	—	—	—	—	—	—
9. जम्मू व कश्मीर	—	—	—	20.68	10.34	31.38	—	—	—	663.00	850.00	850.00
10. कर्नाटक	10.27	10.41	13.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. केरल	9.39	9.84	11.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. महाराष्ट्र	15.10	15.59	18.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. मणिपुर	—	—	—	—	4.00	4.00	—	—	—	—	—	—
15. मेघालय	—	—	—	3.95	3.95	4.11	—	—	—	—	—	—
16. मिजोरम	—	—	—	2.73	6.73	6.82	—	—	—	—	—	—
17. नागालैंड	—	—	—	—	4.00	4.00	—	10.62	—	—	—	—
18. उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. पंजाब	—	—	—	8.54	8.54	7.72	—	—	—	—	—	—

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	राजस्थान	—	—	—	85.63	85.63	56.52	—	—	—	—	—	—
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	4.00	—	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	27.58	27.62	31.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	त्रिपुरा	—	—	—	10.96	10.96	11.34	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	225.00	217.07	337.41	—	—	4.00	4.45	12.38	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	33.35	22.23	22.23	30.81	15.00	29.38	2.60	—	—	—	—	—

उड़ीसा के चक्रवात पीड़ित लोगों को बैंक से ऋण

1363. श्री भर्तृहरि महताब: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के चक्रवात पीड़ित लोगों को उनके पुनर्वास, पुनर्निर्माण और उनके मकानों की मरम्मत के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विशेष अल्पकालिक ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रदान की गई बैंक-वार धनराशि कितनी है; और

(ग) इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की जिला-वार संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। उड़ीसा राज्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक, यूको बैंक ने सूचित किया है कि राज्य में कार्यरत बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित) ने उड़ीसा के तूफान से प्रभावित व्यक्तियों को उनके पुनर्वास और तूफान में क्षतिग्रस्त हुए उनके मकानों के पुनिर्निर्माण और मरम्मत हेतु विशेष अल्पावधिक ऋण उपलब्ध कराए हैं।

(ख) और (ग) बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का बैंक-वार ब्यौरा और लाभार्थियों की जिला-वार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

विवरण I

उड़ीसा राज्य के बैंकों द्वारा बैंक-वार दिए गए अल्पविधि तथा आवासीय ऋणों को दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रु. में)

बैंक का नाम	अल्पावधि ऋण		आवासीय ऋण	
	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5
इलाहाबाद बैंक	172	20.47	19	34.75
आंध्रा बैंक	209	19.80	2	0.20
बैंक ऑफ बड़ौदा	120	14.58	10	8.81
बैंक आफ इंडिया	823	80.69	55	27.20
कनारा बैंक	477	44.03	3	0.30
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	341	62.01	—	—

1	2	3	4	5
इंडियन बैंक	141	9.38	—	—
इंडियन ओवरसीज बैंक	513	33.03	—	—
पंजाब नेशनल बैंक	82	8.63	33	19.75
भारतीय स्टेट बैंक	2866	280.27	—	—
सिंडिकेट बैंक	30	2.75	—	—
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	91	0.40	3	1.90
यूनाइटेड	131	12.24	2	0.35
यूको बैंक	3586	354.21	—	—
वैतरणी ग्रामीण बैंक	354	23.50	6	0.82
बालासोर ग्रामीण बैंक	227	8.45	—	—
कटक ग्रामीण बैंक	555	50.04	—	—
ढेंकानाल ग्रामीण बैंक	842	87.76	—	—
पुरी ग्रामीण बैंक	1350	202.55	37	58.72
राशिकलय ग्रामीण बैंक	256	17.21	—	—
सहकारी बैंक	17339	6180.00	—	—
कुल ऋण	130505	7492.00	170	152.62

विवरण II

उड़ीसा राज्य में बैंकों द्वारा दिए गए अल्पावधि तथा आवासीय ऋणों के लाभांवित व्यक्तियों की जिलेवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

जिले का नाम	अल्पावधि ऋण (सं.)	आवासीय ऋण (सं.)
1	2	3
कटक	21200	3
खुर्दा	6200	53
बालासौर	10600	6
गंजम	13300	4
गजपति	2400	1
मयूरभंज	5700	10
क्योंझर	2300	2
जगतसिंहपुर	13500	43
पुरी	6700	46
भद्रक	5605	2
ढेंकानाल	6500	—
जाजपुर	22800	—
केन्द्रपाड़ा	12400	—
नयागढ़	1300	—
कुल	130505	170

खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1364. **डा. वी. सरोजा:** क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तत्संबंधी स्वीकृत प्रस्ताव की तुलना में वास्तव में बहुत ही कम हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में खनन क्षेत्र में 100 प्रतिशत इक्विटी की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप खनन संभावना पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) ने अब तक खनन क्षेत्र में लगभग 3467 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के आवेदन-पत्रों को अनुमोदित किया है। खनिज क्षेत्र में वास्तविक प्रवाह (इन्फ्लो) लगभग 80 करोड़ रुपये है।

कम प्रवाह के कारणों में यह है कि खनन में बहुत अधिक जोखिम, दीर्घ विकास अवधि के अलावा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का अनुमोदन मिलने के बाद, पार्टियों को परियोजना के वास्तविक क्रियान्वयन से पूर्व संबंधित राज्य सरकारों से पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे प्राप्त करने होते हैं जिसमें समय लगता है।

(ग) से (ङ) सरकार ने, सभी खनिजों (हीरे तथा कीमती पत्थरों को छोड़कर) में 100% की विदेशी इक्विटी को स्वत: मार्ग से अनुमोदित किया है। इसमें गवेषण, खनन, खनिज प्रोसेसिंग तथा धातुकर्म शामिल हैं। हीरे और कीमती पत्थरों के गवेषण और खनन प्रचालन दोनों क्षेत्रों में 74% तक विदेशी इक्विटी को स्वत: से अनुमति मिल जाएगी। 74% से अधिक के विदेशी इक्विटी के प्रस्तावों के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का अनुमोदन लेना होगा। खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 को समुचित रूप से संशोधित किया गया है और राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन से, राज्य सरकारों से खनिज रियायतों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सुगम होने की आशा है। ये प्रावधान निवेशकों की अवधि को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन नीतिगत परिवर्तनों से यह आशा की जाती है कि इससे भारतीय खनिज क्षेत्र के वर्धन और विकास में वृद्धि होगी तथा विश्व स्तरीय खनन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायता मिलेगी।

बैंकों में अध्यक्ष के रिक्त पद

1365. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:**
श्री रघुनाथ झा:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के किन-किन बैंकों में अभी तक अध्यक्ष नहीं हैं;

(ख) इतने लम्बे समय तक इन पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) ये पद कब तक भरे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) इस समय सरकारी क्षेत्र के चार बैंकों अर्थात केनरा बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, यूको बैंक और देना बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद रिक्त है। इन रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद गैर-सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों अर्थात गणेश बैंक आफ कुरुन्दवाड़ लि. और भारत ओवरसीज बैंक लि. में रिक्त है। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है।

सी.सी.आई. की आदिलाबाद इकाई

1366. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम के कर्मचारी संघ ने भारतीय सीमेंट निगम की आदिलाबाद इकाई को पुन: खोलने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय सीमेंट निगम, जिसे बी.आई.एफ.आर. के पास भेजा गया है, को 287 करोड़ रुपये का पैकेज देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी, हां। सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की आदिलाबाद और कुछ अन्य इकाईयों का उत्पादन कार्य बिजली का कनैक्शन कटने, नकद प्रवाह व निगम की अन्य समस्याओं के कारण भी बंद रहा है। कंपनी, बीआईएफआर के संदर्भाधीन है। बीआईएफआर नए मसौदा पुनरुद्धार स्कीम पर विचार कर रहा है।

(ग) और (घ) सरकार का दृष्टिकोण बीआईएफआर द्वारा परिचालित की गई मसौदा पुनरुद्धार स्कीम का परीक्षण करने के बाद ही तय किया जा सकता है।

आवासीय योजनाओं में बैंकों द्वारा निवेश

1367. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकार द्वारा प्रायोजित आवासीय योजनाओं में भाग लेने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो कितने बैंकों ने इन योजनाओं में भाग लिया है और इन्होंने इनमें कितना निवेश किया है;

(ग) क्या इन बैंकों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था और क्या उन्होंने इन लक्ष्यों को पूरा कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चूककर्ता बैंकों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जी जे आर एच एफ) में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का भाग लेना अपेक्षित नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीम आवास के लिए शुरू की गई नई ऋण और आर्थिक सहायता योजना का कार्यान्वयन सीधे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त संस्थाओं अथवा राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। कोई भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक इस योजना में भाग ले सकता है बशर्ते कि, संबंधित राज्य सरकार उसे कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में उसकी पहचान कर दे। इस योजना के अधीन गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

निर्यात में गिरावट

1368. **श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष से विशेषत: वस्त्र, चर्म उत्पाद, रत्न और जेवरात के देश से निर्यात में कमी आनी शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार स्थिति में सुधार के लिए इन वस्तुओं के निर्यातकों को कुछ सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, नहीं। वाणिज्य आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 1999 के दौरान पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में यू एस डालर के रूप में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वस्त्र तथा रत्न एवं आभूषण के निर्यातों में अप्रैल-अक्तूबर, 1999 के दौरान पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में यू एस डालर के रूप में क्रमश: 12.04 प्रतिशत तथा 22.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, चमड़े और उससे बने सामान में उसी अवधि के दौरान 7.64 प्रतिशत की गिरावट आई है।

तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर चर्मशोधन शालाओं के बंद होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों, विशेष रूप से यूरोपीय बाजार में मंदी के कारण चमड़ा के निर्यातों में कमी आई है।

(ग) और (घ) निर्यात वृद्धि को और बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं जिनमें ये शामिल हैं। विकेन्द्रीकरण, क्रियाविधियों के सरलीकरण तथा एग्जिम नीति में वर्णित अन्य विभिन्न उपायों के जरिए कारोबार लागत में कमी लाना, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय कार्रवाई के माध्यम से निर्यातों का संवर्धन करने, थ्रस्ट क्षेत्रों तथा फोकस क्षेत्रों की पहचान के जरिए भी निर्यात संवर्धन के उपाय किये गये हैं।

चमड़ा क्षेत्र के लिए निम्नलिखित वस्तु विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए गए हैं:

(1) इस क्षेत्र में विदेशी निवेश तथा संयुक्त उद्यमों सहित पर्याप्त निवेश को आमंत्रित करने के लिए फुटवियर उद्योग को अनारक्षित करना।

(2) परीक्षण केन्द्रों, इको-लेबलिंग तथा बैंचमार्किंग का विकास/उन्नयन।

(3) उत्पाद विकास के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए आधुनिकीकरण निधि का सृजन करना।

(4) चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के लिए परीक्षण संबंधी प्रयोगशालाओं का उन्नयन/विकास करना।

(5) देश और विदेश के भीतर चमड़ा उद्योग के बारे में निर्यातकों और आयातकों को बाजार आसूचना तथा इलैक्ट्रानिक आंकड़ों का आदान-प्रदान करने तथा विश्व की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए चमड़ा क्षेत्र में व्यापार सूचना स्कंध का विकास करना।

विनिवेश हेतु मार्गनिर्देश के लिए समिति

1369. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जी.ए.आई.एल., भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम आदि कंपनियों के इक्विटी शेयर के विनिवेश हेतु मार्गदर्शन और निर्देश देने संबंधी समिति गठित करने की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कितनी कंपनियों को विनिवेश के लिए और उनके शेयर घटाने के लिए चुना गया है; और

(घ) इन कंपनियों के विनिवेश से क्या लाभ प्राप्त होंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार की नीति यह है कि सामान्यतः मामलों में, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की शेयरधारिता कम करके 26 प्रतिशत पर लाई जायेगी। सामरिक विचारणाओं को समाहित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार अधिकांश धारिता बनाए रखना जारी रखेगी।

नई फिल्म नीति

1370. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना, प्रसारण और सिनेमा मंत्रालय करने हेतु एक नई राष्ट्रीय फिल्म नीति तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम तथा फिल्म समारोह निदेशालय का दर्जा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि., सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। निगम का मुख्य उद्देश्य फिल्म उद्योग के समग्र एवं पर्याप्त विकास की योजना बनाना, इसे प्रोत्साहित करना एवं संगठित रखना और गुणवत्ता वाले सिनेमा को बढ़ावा देना है।

फिल्म समारोह निदेशालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक सम्बद्ध कार्यालय है जिसका दायित्व भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करके अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना तथा देश एवं विदेश दोनों में भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहित करना है।

सिक्किम में दूरदर्शन के कार्यक्रम स्पष्ट न दिखाई देना

1371. श्री भीम दाहाल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सिक्किम के सुदूर क्षेत्रों में दूरदर्शन के कार्यक्रम साफ न दिखाई देने की स्थिति के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) सरकार को सिक्किम के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन के कार्यक्रम साफ न दिखाई देने के बारे में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, दूरदर्शन के विस्तार के लिए अनुरोध समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। मौजूदा 7 ट्रांसमीटरों के अलावा, सिक्किम में जोरथांग में एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है।

ऋण की वसूली

1372. डा. रमेश चंद तोमर:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निदेश दिया है कि वह बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली से संबंधित 1993 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी करें;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के निदेशों के आधार पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऋणों की वसूली आसान बनाने के लिए ऋण वसूली अधिकरण को दी जाने वाली और शक्तियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 10.3.1995 के आदेश में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 (डीआरटी अधिनियम) को, अन्य बातों के साथ-साथ, इन आधारों पर असंवैधानिक और शून्य करार दिया कि अधिनियम में निपटान करने, प्रतिदावा करने या मामलों के एक अधिकरण से दूसरे अधिकरण में स्थानांतरण करने के प्रावधान नहीं हैं। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की और उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के परिचालन पर रोक लगा दी। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले की विभिन्न सुनवाइयों के दौरान न्यायालय द्वारा किया गया मुख्य विचार डीआरटी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाने से संबंधित था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिनियम में परिवर्तन किए जाने संबंधी सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी दल भी गठित किया ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए विचार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी दल और राज्य सभा अधीनस्थ विधायन समिति की सिफारिशों के आधार पर अधिनियम को दिनांक 17.1.2000 के अध्यादेश के माध्यम से पर्याप्त रूप से संशोधित कर दिया गया है। इनमें से कुछ संशोधन निम्नानुसार हैं:

(1) प्रतिदावा करना एवं निपटान करना, अधिकरण द्वारा रिसीवर तथा आयुक्त की नियुक्ति करना, मामलों को एक अधिकरण से दूसरे अधिकरण में स्थानांतरित करना तथा एक अधिकरण में एक से अधिक वसूली अधिकारी की नियुक्ति करना।

(2) अधिकरण को अपीलीय अधिकरण के अंतिम आदेश के आधार पर बढ़ाई गई या कम की गई राशि की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने की शक्ति प्रदान करना।

(3) अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष को अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन करने तथा दूसरे अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष का कार्य करने की शक्ति प्रदान करना।

(4) वसूली को सरल बनाने के लिए वसूली प्रमाण-पत्र को एक अधिकरण से दूसरे अधिकरण में स्थानान्तरित करना।

(5) कंपनी अधिनियम की धारा 529क के उपबंधों के अनुसार अधिकरणों को बिक्री आय को प्रतिभूत ऋणदाताओं के बीच वितरित करने की शक्ति प्रदान करना।

[हिन्दी]

बैंक ऋण चूककर्ता

1373. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि के बैंक ऋण चूककर्ताओं की बैंक-वार संख्या कितनी है; और

(ख) इन चूककर्ताओं से ऋण वसूली के लिए बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक का बकाया राशि वाले चूककर्ताओं की संख्या जिन्हें संदिग्ध अथवा हानि परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

	31.3.1999 की स्थिति के अनुसार	
बैंक समूह	खातों की संख्या	राशि
भारतीय स्टेट बैंक समूह	785	5344.60
राष्ट्रीयकृत बैंक	2173	11137.77
कुल सरकारी क्षेत्र के बैंक	2958	16482.37
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	264	844.13
विदेशी बैंक	157	1221.18
कुल सभी बैंक	3379	18547.68

भारतीय रिजर्व बैंक उपर्युक्त ऋण संबंधी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 111क के अंतर्गत एकत्रित करता है और सूचना का प्रवंटन अधिनियम की धारा 45ङ (2) (ख) द्वारा अपेक्षित समेकित फार्म में ही अनुज्ञेय है।

बैंक नगद वसूली, उधारकर्ताओं से समझौता और देय राशियों के बट्टे खाते डालने जैसे सभी सम्भव उपाय कर रहे हैं। ऐसा करते हुए उन्हें कम से कम लागत में अधिक से अधिक वसूली करनी है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन

1374. **श्री नेपाल चन्द्र दासः क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा प्रबंधित कछार और नौगांव पेपर मिल्स अपर्याप्त विक्रय आदेशों के अभाव में प्रत्येक वर्ष अल्प अवधि के लिए अपना उत्पादन रोक देते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी कागज की आवश्यकता को हिन्दुस्तान पेपर मिल्स से पूरा करने हेतु राज्य सरकार से संपर्क करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दो कागज मिलों को बचाने के लिए हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन जैसे उत्पादित कागज के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है या बाजार में आयातित कागज पर अतिरिक्त लेवी लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में उठाए गए अन्य उपचारात्मक उपाय कौन से हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) सरकार के विभिन्न संस्थानों/निकायों और बाजार से पर्याप्त क्रयादेश के न मिलने के कारण हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ने थोड़े समय के लिए उत्पादन बंद कर दिया था। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से कागज संबंधी अपनी अपेक्षाओं के लिए हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड को संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विपणन निदेशक के पद को बहाल करके हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।

अखबारी कागज का आयात

1375. **श्री वैको: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अखबारी कागज की आयात नीति में कुछ परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई नीति से छोटे अखबारों पर बुरा असर पड़ता है और उन्होंने सरकार से नई नीति को वापस लेने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) अखबारी कागज की मौजूदा आयात नीति अधिसूचना सं. 22 (आरई-96)/92-97 द्वारा दिनांक 29.1.97 को घोषित की गई थी। वर्तमान नीति के अनुसार अखबारी कागज के आयात की अनुमति बगैर आयात लाइसेंस के वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन उनको दी जाती है जिनके पास रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फार इंडिया, भारत सरकार सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया "सर्टीफिकेट फार एनटाइटलमैंट टू इम्पोर्ट न्यूजप्रिंट" होता है।

(ग) और (घ) सरकार को अखबारी कागज की मौजूदा आयात नीति में संशोधन करने के संबंध में स्माल न्यूजपेपर्स एडीटर्स एंड सैलर्स एसोसिएशन, चेन्नई से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। एसोसिएशन ने मांग की है कि (1) अखबारी कागज को स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीपी) के माध्यम से सरणीकृत किया जाए जैसाकि 1991-92 में प्रचलित था; (2) छोटे अखबारों को 2000 रुपए प्रति मी. टन की आर्थिक सहायता मंजूर की जाए; तथा (3) 1991-92 से प्रचलित नीति के अनुसार एनटीसी से छोटे अखबारों को 200 मी. टन आयातित अखबारी कागज आवंटित किया जाए।

भारत की अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए अखबारी कागज के आयात के लिए एसटीसी के माध्यम से सरणीयन को फिर से शुरू करना संभव नहीं होगा।

करेंसी नोटों की प्रमाणिकता हेतु प्रमाण-पत्रों का जारी किया जाना

1376. **श्री दिन्शा पटेल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के देवास टकसाल ने भारतीय करेंसी की प्रमाणिकता से संबंधित प्रमाण-पत्रों को जारी करने से इंकार कर दिया है जिससे विचित्र स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण ऐसे प्रमाण-पत्र के बिना कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 292(1) के अनुसार, केवल टकसाल अथवा भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय के अधिकारियों को मुद्राओं की जांच के लिए विशेषज्ञों के रूप में अधिसूचित किया जाता है। अत: मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस, देवास के अधिकारियों द्वारा जाली करेंसी नोटों की जांच के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र कानूनी रूप से वैध नहीं है। अत: ऐसे प्रमाण-पत्र बैंक नोट प्रेस, देवास द्वारा जारी नहीं किये जाते हैं।

(ख) सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध में उपयुक्त संशोधन करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है ताकि भारतीय मुद्रा की असलियत के बारे में बैंक नोट प्रेस के अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को देश के कानूनी न्यायालयों द्वारा स्वीकार किया जाये।

प्रतिबंधों में ढील

1377. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात के संकेत मिले हैं कि मई, 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत को ऋण सहायता देने के विरुद्ध लगे प्रतिबंधों पर बहुराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियां ढील दे सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यकारी निदेशकों से युक्त एशियाई विकास बैंक के एक उच्च स्तरीय दल के ऋण संबंधी परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए भारत का दौरा करने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो एशियाई विकास बैंक के दल द्वारा किन-किन राज्यों का दौरा किये जाने की संभावना है; और

(ङ) उसके दौरे के बाद कितनी धनराशि का ऋण मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) मई, 1998 के बाद से, विश्व बैंक का कार्यकारी बोर्ड ऐसी परियोजनाओं का समर्थन नहीं कर रहा है जिन्हें मानव की बुनियादी जरूरतों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसके परिणामस्वरूप, विद्युत और सड़क क्षेत्र से संबधित चार परियोजनाओं, जिनके संबंध में मई, 1998 से पूर्व वार्ताएं की गई थीं, को बोर्ड ने अनुमोदित नहीं किया है।

तथापि, भारत सरकार के प्रयासों के कारण विश्व बैंक ने "आंध्र प्रदेश विद्युत पुनर्संरचना परियोजना को अनुमोदित किया था। आईएफसी बोर्ड ने भी इंटिग्रेटिड कोल माइनिंग प्रा.लि., मैसर्स करारों इंडिया लि., मोजर बायर इंडिया लि. और मैसर्स आस्था पावर कार्य.प्रा. लि. को अनुमोदित कर दिया है।

(ग) से (ङ) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के निदेशकों का एक दल 19 फरवरी से 4 मार्च, 2000 तक भारत के दौरे पर आया हुआ है। एडीबी के इस शिष्टमंडल के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, यह दल उत्तर प्रदेश में आगरा, राजस्थान में उदयपुर और जयपुर, गुजरात में अहमदाबाद और आनंद तथा कर्नाटक में बंगलोर और मैसूर की यात्रा करेगा।

सदस्य देशों को एडीबी के निदेशकों के ऐसे वार्षिक दौरे आवर्ती आधार पर किए जाते हैं। ऐसे दौरे उन्हें संबधित देश की विकास-प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाते हैं लेकिन ये दौरे उधार देने के लिए परियोजनाओं का कोई मूल्यांकन करने के लिए आयोजित नहीं किये जाते। उनका यह दौरा भारत के पोर्टफोलियो से संबद्ध नहीं है।

इलायची उत्पादक

1378. **श्री सी. श्रीनिवासन:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे देश के इलायची उत्पादक/निर्यातक ग्वाटेमाला में उत्पादित इलायची द्वारा दी जा रही कड़ी प्रतिस्पर्द्धा से विपरीत रूप से प्रभावित हुए हैं क्योंकि ग्वाटेमाला में इलायची का उत्पादन आधुनिक तकनीक प्रयोग होने के कारण सस्ता पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के इलायची उत्पादकों और निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां। सरकार के पास ग्वाटेमाला द्वारा आधुनिक फार्म तकनीकों का इस्तेमाल किए जाने के बारे में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है।

(ख) इलायची के उत्पादकों और निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। उत्पादकों के स्तर पर मसाला बोर्ड ने इलायची के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया है जिससे उत्पादन लागत में कमी आई है। इस संबंध में उठाए गए कदमों में शामिल हैं: गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन एवं उसकी आपूर्ति, पुराने, अलाभकारी, जर्जर और रोगग्रस्त बागानों का पुनर्रोपण/नवीकरण, सिंचाई एवं भूमि विकास कार्यक्रम और विस्तार एवं परामर्शी सेवाएं।

मसाला बोर्ड द्वारा निर्यातकों के लाभार्थ निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है-

(1) मीडिया अभियानों, पैनल प्रदर्शनों, मेलों और प्रदर्शनियों में पुस्तिकाओं के जरिए इलायची के उपयोग को लोकप्रिय बनाना।

(2) विदेशों में बिक्री संवर्धन दौरे के लिए सहायता।

(3) पैकेजिंग विकास के लिए सहायता।

(4) पुस्तिकाओं/फोल्डरों के मुद्रण हेतु सहायता।

(5) निर्यात पैक की लागत की प्रतिपूर्ति।

(6) विदेशों में नमूनों को भेजने के लिए हवाई भाड़े/कूरियर खर्चों की प्रतिपूर्ति।

(7) आयातक देशों को इलायची निर्यातक प्रतिनिधिमंडल भेजना।

एन.ई.सी. की खुले मुहाने वाली खानें

1379. श्री पवन सिंह घाटोवार: क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की मौजूदा खुली मुहाने वाली खानों में कब तक खनन कार्य किया जा सकता है;

(ख) क्या कोल इंडिया लि. के पास एन.ई.सी. की मौजूदा खुली मुहाने वाली खानों के बंद होने की स्थिति में नयी जगहों पर अन्य खुले मुहाने वाले खानें प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) वर्तमान में नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में 2 ओपनकास्ट खानें, तीरप और टीकाक हैं। तीरप लगभग और 2 वर्षों तक चलेगी। परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे लाइनों के प्रस्तावित अपवर्तन से हुए पुनर्गठन के बाद, यह खान वर्ष 2009-10 तक कार्यरत रहेगी। टीकाक ओपनकास्ट खान वर्ष 2009-10 तक कार्य करती रहेगी।

(ख) और (ग) जी, हां। नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के पास निम्नलिखित नई ओपनकास्ट खानों को आरंभ करने का प्रस्ताव है:

(1) लेडो भूमिगत तथा के-ड्रिफ्ट के बीच यंत्रीकृत ओपनकास्ट परियोजना को वर्ष 2004-05 से आरंभ किया जाना।

(2) केखापानी ओपनकास्ट परियोजना को वर्ष 2009-10 में आरंभ किया जाना।

(3) असम सरकार द्वारा पट्टा प्रदान किये जाने के साथ ही डिल्ली जेपोर कोलियरी के पास स्थित पी.क्यू. ब्लाक को आरंभ किया जाना।

तमिलनाडु में केन्द्रीय निवेश

1380. श्री एम. चिन्नासामी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967 से अब तक अन्य राज्यों की तुलना में तमिलनाडु राज्य में उद्योगों पर कितने प्रतिशत केन्द्रीय निवेश किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): पहली पंचवर्षीय योजना से नौवीं पंचवर्षीय योजना तक स्थापित

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियों के मूल्य के संदर्भ में परिमित अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की तुलना में तमिलनाडु में केन्द्रीय निवेश निम्नानुसार हैं:

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	परिसम्पत्ति का मूल्य (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत के रूप में परिसम्पत्तियों के मूल्य का राज्यवार वितरण
1	2	3
तमिलनाडु	15121	4.81
आंध्र प्रदेश	20253	6.44
अरुणाचल प्रदेश	1044	8.33
असम	14987	4.76
बिहार	21000	6.67
गोवा	163	0.85
गुजरात	23161	7.36
हरियाणा	5248	1.67
हिमाचल प्रदेश	5982	1.90
जम्मू तथा कश्मीर	6905	2.19
कर्नाटक	7392	2.35
केरल	4716	1.50
मध्य प्रदेश	22070	7.01
महाराष्ट्र	56677	18.01
मणिपुर	261	8.08
मेघालय	71	8.02
मिजोरम	100	0.03
नागालैंड	572	0.18
उड़ीसा	18510	5.88
पंजाब	2436	0.77
राजस्थान	6635	2.11
सिक्किम	344	0.11
त्रिपुरा	1022	0.32
उत्तर प्रदेश	22903	7.28
पश्चिम बंगाल	21038	6.69
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	29	0.01
चंडीगढ़	350	0.11
दादर एवं नागर हवेली	0	0.00
लक्षद्वीप	0	0.00
दमन और द्वीव	0	0.00
दिल्ली	18153	5.77
पांडिचेरी	35	0.01
अन्य तथा अनावंटित	17459	5.55
अखिल भारतीय	314635	100.00

निर्यात प्रोसेसिंग जोन

1381. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार ने देश में राज्य सरकारों को गैर-सरकारी क्षेत्र अथवा संयुक्त उद्यम में निर्यात प्रोसेसिंग जोन की स्थापना करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार देश में कुल कितने निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित हैं;

(घ) क्या सरकार ने मौजूदा निर्यात प्रोसेसिंग जोनों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, हाँ। निजी/संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने के लिए

पांच निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई पी जेड) अनुमोदित किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:

	प्रमोटर का नाम	स्थान
1.	मैसर्स डायमंड एंड जेम डेवलपमेंट कारपोरेशन मुम्बई	सूरत (गुजरात)
2.	मैसर्स के फोम लि., मुम्बई	कांदिवेली (पू.) मुम्बई (महाराष्ट्र)
3.	मैसर्स कोलोनैक इंटरनेशनल (प्रा.) लि., मद्रास	सिंगाडिवाकम गाँव कांचीपुरम तालुक (तमिलनाडु)
4.	मैसर्स टिड्को लि., मद्रास	नांगूनेटी, तिरुनेलवेली जिला (तमिलनाडु)
5.	उत्तर प्रदेश सरकार	ग्रेटर नोएडा (जिला गौतम बुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश

सूरत में स्थापित निजी ई पी जेड ने 2.1.96 से कार्य करना शुरू कर दिया है। अन्य निजी/संयुक्त क्षेत्र के ई पी जेडों को अभी कार्य शुरू करना है।

(ग) सरकार द्वारा देश में स्थापित किए गए सात निर्यात संसाधन क्षेत्र कांडला (गुजरात), सांताक्रुज, मुम्बई (महाराष्ट्र), नोएडा (उत्तर प्रदेश), मद्रास (तमिलनाडु), कोचीन (केरल), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 1993 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा निर्यात संसाधन क्षेत्रों के बारे में एक अध्ययन किया गया था जिसने ई पी जेडों के कार्यकलापों की समीक्षा कर इन क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने के लिए कार्य योजना का सुझाव दिया था।

चाय का उत्पादन और निर्यात

1382. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय का कुल कितना उत्पादन और निर्यात हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने परम्परागत और गैर-परम्परागत राज्यों में चाय के उत्पादन को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चाय के निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए और उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) गत तीन वर्षों के दौरान चाय का उत्पादन और निर्यात निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (मिलियन किग्रा.)	निर्यात	
		मात्रा (मिलियन किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रु.)
1997	810.61	203.00	1774.78
1998	870.40	210.34	2309.44
1999	805.61	190.18	1848.63

(स्रोत: चाय बोर्ड)

(ख) और (ग) परंपरागत और गैर-परम्परागत दोनों क्षेत्रों में चाय के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चाय बोर्ड द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं—चाय उद्योग को रोपण विस्तार, पुनःरोपण पुनरुद्धार, छँटाई बागानों में रिक्त स्थानों पर रोपाई, सिंचाई और जल निकासी की सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु बोर्ड द्वारा अपनी विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के जरिए वित्तीय सहायता देना, परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना, अनुसंधान एवं विकास सहायता आदि।

(घ) चाय के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार/चाय बोर्ड संभाव्यता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए निर्यातों का देशवार विश्लेषण कर रहे हैं। चाय बोर्ड ऋण पुनर्भुगतान व्यवस्था संबधी प्रोटोकोल के अंतर्गत भारत से चाय की शीघ्र ढुलाई के लिए रूसी आयातकों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। चाय बोर्ड अलग-अलग बाजारों को होने वाले निर्यातों में आ रही बाधाओं, जब कभी इनका पता चलता है, को हटाने के लिए भी कार्य करता है। चाय के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कतिपय अन्य कदमों में शामिल हैं:

(1) विदेशों में आयोजित प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी;

(2) विशिष्टता रखने वाले स्टोरों और मुख्य बाजारों में जाकर नमूने लेना;

(3) भारतीय चाय की विशिष्टता के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने और चाय बोर्ड के विपणन चिह्न, जो शुद्ध भारतीय चाय का प्रतीक है, को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया अभियान चलाना।

(4) भारत और चाय आयातक देशों के बीच चाय शिष्टमंडलों का आदान प्रदान।

निर्यात में वृद्धि

1383. **श्री सी.पी. राधाकृष्णन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात संवर्धन के लिए सरकार ने एक दीर्घकालिक और एक मध्यकालिक निर्यात रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिसम्बर, 1999 को समाप्त छमाही के दौरान निर्यात में वृद्धि की दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितनी रही?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) वाणिज्य विभाग ने विश्व निर्यात में 1 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने के लिए एक मध्यम अवधि की कार्य योजना तैयार की है, जिसमें क्षेत्रीय तथा दिशापरक पहलू शामिल हैं। क्षेत्र संबंधी कार्य योजना में क्षेत्र विशिष्ट के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है और इन क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया जाता है। दिशापरक कार्य योजना में मौजूदा बाजारों में निर्यातों के अलावा अफ्रीका, लैटिन अमरीकी एवं सी आई एस देशों के उभरते हुए बाजार पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया जाता है।

(ग) अप्रैल-दिसम्बर 1999 की अवधि के लिए वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में डालर के रूप में अनंतिम रूप से 12.93 प्रतिशत रही है।

सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष ऋण

1384. **श्री चिंतामन वनगा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से विभिन्न सहकारी बैंकों तथा सहकारी वित्तीय क्षेत्रों को प्रत्यक्ष ऋण दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रूस को चाय का निर्यात

1385. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री रामजीवन सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूबल की कीमत में गिरावट आने के कारण भारतीय चाय का रूस को निर्यात प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1999 के दौरान रूस को भारतीय चाय के निर्यात में कितने प्रतिशत गिरावट आई है और चालू वर्ष के दौरान कितनी और गिरावट की आशंका है; और

(ग) भारतीय चाय के रूस को निर्यात को बढ़ाने और अन्य बाजारों की खोज हेतु सरकार द्वारा क्या रणनीति तैयार की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं। अप्रैल-नवम्बर, 1999 के दौरान चाय का निर्यात पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि में हुए 48.66 मिलियन किग्रा. की तुलना में 55.95 मिलियन किग्रा. का हुआ था जिसमें 7.29 मिलियन किग्रा. की वृद्धि दर्ज की गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार/चाय बोर्ड ने रूस को होने वाले चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी कार्य नीति अपनी है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) चाय बोर्ड ने रूसी चाय एवं कॉफी एसोसिएशन के साथ दिसम्बर, 1998 में एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अनुसार रूस 1999 से 2005 तक की छः वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक रूप से लगभग एक लाख टन भारतीय चाय का आयात करेगा।

(2) चाय बोर्ड उपरोक्त करार के अधीन ऋण पुनर्भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत भारत से चाय को शीघ्र उठाने के लिए रूसी आयातकों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहा है।

(3) ऋण पुनर्भुगतान व्यवस्था पर रूस को परेषण निर्यातों के जरिए निर्यातों को बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

(4) मूल्यवर्द्धित रूप में अर्थात् पैकेट चाय, चाय बैगों और बल्क चाय की जगह इस्टैंट चाय के रूप में चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(5) चाय के व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से अध्यक्ष, चाय बोर्ड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने जुलाई, 99 में रूस और उक्रेन का दौरा किया।

(6) 16 एवं 17 जुलाई 1999 को सोची में चाय बोर्ड ने एक भारतीय चाय सम्मेलन का आयोजन किया था।

उपरोक्त के अलावा सरकार और चाय बोर्ड संभाव्यता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए चाय के निर्यातों का देश-वार विश्लेषण कर रहे हैं। चाय बोर्ड अलग-अलग बाजारों को होने वाले निर्यातों में आ रही बाधाओं, जब कभी इनका पता चलता है, को हटाने के लिए भी कार्य करता है। चाय के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कतिपय अन्य कदमों में शामिल हैं:

(1) विदेशों में आयोजित प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी;

(2) विशिष्टता रखने वाले स्टोरों और मुख्य बाजारों में जाकर नमूने लेना;

(3) भारतीय चाय की विशिष्टता के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने और चाय बोर्ड के विपणन चिह्न, जो शुद्ध भारतीय चाय का प्रतीक है, को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया अभियान चलाना।

(4) भारत और चाय आयातक देशों के बीच चाय शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन

1386. डॉ. बलिराम: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य तथा विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) उपाध्यक्ष, योजना आयोग, श्रम, भारी उद्योग और लोक उद्यम, वाणिज्य तथा उद्योग, कपड़ा, भूतल परिवहन एवं वित्त इत्यादि मंत्रालयों के मंत्रियों सहित मंत्रियों का समूह गठित किया गया है।

मंत्रियों का समूह (1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन, और (2) रोजगार के विनियमन से संबंधित नए कानून बनाने तथा भारत में संविदा वाले श्रमिकों की सेवा शर्तों के लिए नए विधान से संबंधित प्रस्तावों की जांच करने के अलावा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की मंजूरी, वेतन तथा सांविधिक देयताओं इत्यादि के भुगतान से संबंधित मामलों के संबंध में विचार करेगा और सिफारिश करेगा। समूह द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शेयर

1387. डा. सी. कृष्णन:
श्री वैको:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज कौन-कौन से हैं;

(ख) इनमें से किन-किन बैंकों के शेयर डीमैट फार्म में हैं और किन-किन बैंकों के शेयर फिजिकल फार्म में हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के शेयरों को डीमैट फार्म में रखने और इन शेयरों का बाजार में पूंजीकरण बढ़ाने और क्रय और विक्रय में और अधिक शेयरधारकों की भागीदार बनाने के लिए कम से कम देश के आधे एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने के भी निदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के

अनुसार सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों के नाम, जिनके शेयर स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किये जा रहे हैं, स्टाक एक्सचेंजों के नाम सहित निम्नलिखित हैं:

बैंक का नाम		स्टाक एक्सचेंज के नाम	लेन-देन का रूप
1.	भारतीय स्टेट बैंक	नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एन एस ई), बाम्बे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई), स्टाक एक्सचेंज अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई और नई दिल्ली में	अमूर्त (डिमेट) और मूर्त (फिजिकल) दोनों रूपों में
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	एन एस ई, बी एस ई और जयपुर एस ई	केवल मूर्त रूप में
3.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	बीएसई, बंगलौर एस ई और चेन्नई एस ई	केवल मूर्त रूप में
4.	स्टेट बैंक आप त्रावणकोर	एनएसई, बीएसई, कोचीन एस ई और चेन्नई एस ई	केवल मूर्त रूप में
5.	बैंक आफ बड़ौदा	एन एस ई, बी एस ई, वडोदरा एस ई	केवल अमूर्त रूप में
6.	बैंक आफ इंडिया	मुम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई	केवल अमूर्त रूप में
7.	कार्पोरेशन बैंक	एनएसई, बीएसई/मैंगलौर एसई	अमूर्त रूप में
8.	देना बैंक	एनएसई, बीएसई, दिल्ली एसई और अहमदाबाद एसई	अमूर्त और मूर्त दोनों रूपों में
9.	ओरियंटन बैंक आफ कॉमर्स	एन एस ई, बी एस ई और दिल्ली एस ई	अमूर्त रूप में
10.	सिंडिकेट बैंक	एनएसई, बीएसई, मंगलोर एस ई और बंगलौर एसई	मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों में

(ग) और (घ) यह प्रत्येक बैंक के निदेशक बोर्ड को निर्णय लेना है कि भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य निर्देशों के अध्यधीन किन स्टाक एक्सचेंज में बैंक शेयर सूचीबद्ध किये जायेंगे और किस रूप में लेन-देन किया जाएगा।

नारियल जटा उत्पादों का निर्यात

1388. श्री एस. अजय कुमार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में नारियल जटा-उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि में इनके निर्यात में कमी अथवा बढ़ोत्तरी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नारियल जटा उत्पादों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने के लिए देश में नारियल जटा उद्योग को आधुनिक बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) गत तीन वर्षों के दौरान किया गया कयर निर्यात इस प्रकार

है:

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (रुपये करोड़ में)
1996-97	46468	212.58
1997-98	49850	238.93
1998-99	55490	292.19

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यात में निरन्तर वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(1) कुचले गये नारियल छिलके को गलाने की अवधि को 10 माह से घटाकर 1 माह करने और हरे छिलके से निकाले गए रेशे को 72 घंटे के भीतर गलाने हेतु एक जीवाणु अनुकूल पदार्थ ''कयररैट्ट' विकसित किया गया है।

(2) एक समस्या प्रधान अपशिष्ट सामग्री अर्थात् कयर मज्जा को कंपोस्टिंग से जैविक खाद में बदलने हेतु ''पिथप्लस'' का विकास किया गया है।

(3) हरे छिलके से निकाले गये रेशे को ग्लाने और रैट्ट लिकर के उपचार हेतु कंक्रीट टैंक के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना आरंभ की गयी है।

(4) कयर धागे की कताई के लिए अधिक उत्पादकता और उन्नत गुणवत्ता वाले मोटरयुक्त परंपरागत रैट्ट को लोकप्रिय बनाया गया है।

(5) ऐसे मोटरयुक्त रैट्ट का विकास करके और उसे लोकप्रिय बनाया गया है, जो कताई की नीरसता को कम करता है और उन्नत गुणवत्ता वाले कयर धागे का उत्पादन करता है।

(6) ऐसी स्वचालित कताई मशीन का विकास करने उसे लोकप्रिय बनाया गया है जो कताई की नीरसता को कम करती है तथा उच्च उत्पादकता के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले धागे का उत्पादन करती है।

(7) कयर मैटिंग की बुनाई के लिए अधिक उत्पादकता और उन्नत गुणवत्ता वाले अर्द्ध-स्वचालित लूम का विकास करके उसे लोकप्रिय बनाया गया है।

(8) हैंडलूम पर मैटिंग की बुनाई की नीरसता को समाप्त करने के लिए तथा उच्चतर उत्पादकता के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली कयर मैटिंग के उत्पादन हेतु पूर्ण स्वचालित लूम का विकास किया गया है।

(9) रेशा निकालने, भूरा रेशा क्षेत्र (ब्राउन फाइबर सैक्टर) में कयर धागे तथा उत्पादों के निर्माण हेतु आधुनिक मशीनरी वाले कयर एककों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना तैयार की गयी है।

(10) यू.एन.डी.पी. वित्त-पोषित योजना के तहत ''भारतीय कयर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंतरण, आधुनिकीकरण और क्षमता-निर्माण'' नामक एक परियोजना तैयार की गयी है।

कुरकुंटा (कर्नाटक) में ए.सी.सी. फैक्ट्री

1389. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के गुलबर्गा जिला में कुरकुंटा ए.सी.सी. फैक्ट्री बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और यह कब से बंद पड़ी हुई है;

(ग) क्या इसके कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो कब से; और

(ङ) सरकार द्वारा इस फैक्ट्री को यथाशीघ्र फिर से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) ए.सी.सी. का कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के अंतर्गत करकुंटा में कोई सीमेंट कारखाना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

अल्यूमीनियम संयंत्र को बाक्साइट की आपूर्ति

1390. डा. चरणदास महंत: क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल्को के कोरबा अल्यूमिनियम संयंत्र को मध्य प्रदेश की रक्तिदादर, नन्हुदादर और हजारीदादर खानों से बाक्साइट की आपूर्ति बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन खानों के बंद हो जाने से हजारों परिवारों को जीविका की समस्या से जूझना पड़ रहा है;

(घ) क्या रक्तिदादर और नन्हुदादर खानों की पट्टा अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो हजारों प्रभावित परिवारों की समस्या के समाधान हेतु इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी हां।

(ख) रक्तिदादर और नन्हुदादर खानें 11.9.1999 को खनन पट्टे की अवधि समाप्त होने के कारण बंद कर दी गई थीं। इन खानों में बॉक्साइट भण्डार लगभग समाप्त हो चुके हैं। हजारीदादर खानें 1998 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त होने और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के कारण बंद कर दी गई थीं।

(ग) इन खानों के बंद हो जाने पर, बालको के इन खानों में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य परियोजनाओं में शिफ्ट किया जा रहा है।

(घ) रक्तिदादर और नन्हुदादर खानों के खनन पट्टे की अवधि को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

बाजार विकास सहायता योजना

1391. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 1 अप्रैल, 2000 के पश्चात् बाजार विकास सहायता योजना को जारी रखने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) सरकार विपणन विकास सहायता को अन्य रूप में जारी रखने हेतु विचार कर रही है। विवरणों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

कोयला खानों का निजीकरण

1392. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कोयला खनन हेतु राज्यवार कुल कितने क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) किन गैर-सरकारी कंपनियों अथवा व्यक्तियों ने इसके लिए आवेदन किया है और उड़ीसा में यह कार्य किसे दिया गया है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) (क) देश में ग्रहीत खनन के लिए विनिर्दिष्ट कोयला खनन ब्लॉकों का कुल राज्य-वार क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

राज्य	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
पश्चिम बंगाल	182.00
बिहार	471.15
उड़ीसा	94.11
मध्य प्रदेश	222.30
महाराष्ट्र	47.00
आंध्र प्रदेश	31.52
जोड़	1048.08

(ख) निम्नलिखित कंपनियों को ग्रहीत उद्देश्यों से उड़ीसा में अब तक कोयला खनन ब्लॉकों का आवंटन किया गया है:

1. मेसर्स इंडियन अल्युमीनियम कं.

2. मेसर्स कलिंग पावर कारपोरेशन

3. मेसर्स वीडियोकॉन पावर लि.

4. मेसर्स इंडियन चार्ज क्रोम लि.

5. मेसर्स मोनेट इस्पात लि.

एन.टी.सी. मिलों के कर्मचारियों के वेतनमानों में विसंगतियाँ

1393. श्री किरीट सोमैया: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.सी. (दक्षिण) के तकनीकी पर्यवेक्षण कर्मचारियों को दक्षिण भारत में एन.टी.सी. के कर्मचारियों से कम वेतनमान मिल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में एन.टी.सी. के तकनीकी पर्यवेक्षण कर्मचारी संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी हाँ। एन.टी.सी. (एस.एम. एण्ड एम.एन.) का तकनीकी निरीक्षक स्टॉफ दक्षिण भारत में स्थित एन.टी.सी. मिलों जो कि एन.टी.सी. (टी.एन. एण्ड पी.) लि. तथा एन.टी.सी. (ए.पी.के.के. एण्ड एम.) लि. हैं, के स्टॉफ से कम वेतनमान पा रहे हैं।

(ख) मई, 1990 में यह निर्णय हुआ था कि एन.टी.सी. मिलों (1) एन.टी.सी. (गुजरात) लि., (2) एन.टी.सी. (एस.एम.) लि., (3) एन.टी.सी. (एम.एन.) लि., (4) एन.टी.सी. (टी.एस. एण्ड पी.) लि. में कार्यरत अधिकारियों, तकनीशियनों तथा निरीक्षण स्टॉफ को अन्य पाँच एन.टी.सी. सहायक निगमों की तुलना में वेतनमानों, महंगाई भत्ता, अन्य भत्तों के संबंध में समानता का एक पैकेज क्रियान्वित किया जा सकेगा। हालांकि, एन.टी.सी. (एस.एम.) तथा एन.टी.सी. (एम.एन.) के प्रबंधन ने पैकेज को लागू नहीं किया था। एन.टी.सी. ने सूचित किया है कि, इस अवधि के दौरान, निरीक्षक स्टॉफ के संघ ने न्यायालय से संपर्क किया तथा मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) इस मामले के संबंध में, कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूँकि निरीक्षक स्टॉफ के संघ ने न्यायालय से सम्पर्क किया है, आगामी कार्रवाई, मामले के निष्कर्ष के आधार पर की जाएगी।

घरेलू उद्योग

1394. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या मौजूदा निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की हाल के दिनों में तीखी आलोचना हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा योजनाओं को और लक्ष्यपरक तथा प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार प्रौद्योगिकी और विनिर्माण की स्वदेशी क्षमताओं के उपयोग और विकास तथा उन्हें विश्व स्तरीय मानकों के स्तर पर लाने हेतु प्रतिबद्ध है। भारतीय उद्योग की वृद्धि तथा विकास को सुगम बनाने की नीति के अनुगमन में सरकार द्वारा अनेक पहलें की गयी हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) लाइसेंसमुक्तीकरण का दायरा बढ़ा दिया गया है। छः उद्योगों को छोड़कर अन्यों को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है।

(2) उद्योगों के लिए लाइसेंस आवश्यक नहीं है उन्हें औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में स्थित औद्योगिक सहायता सचिवालय में मात्र एक औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन ही प्रस्तुत करना होता है। 1.7.1998 से औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन के प्रस्तावों में संशोधन की भी अनुमति दे दी गयी है।

(3) स्थान संबंधी नीति को उदारीकृत लाइसेंस नीति के अनुरूप लाने हेतु उसे दुरुस्त बनाया गया है।

(4) सरकार द्वारा पाटन-रोधी निदेशालय और सुरक्षोपाय निदेशालय की स्थापना की गयी है। जहां पाटन-रोधी निदेशालय विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने उत्पादों के अनुचित मूल्य निर्धारण के माध्यम से देशी उद्योग को

दबाने के प्रयासों को विफल किया जाता है, वहीं सुरक्षोपाय निदेशालय द्वारा देशी उद्योगों को आयात में अचानक वृद्धि से संरक्षण प्रदान किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। देश में निर्यातकारी समुदाय द्वारा निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का व्यापक स्वागत किया गया है और वे निर्यात संवर्धन में इनका व्यापक उपयोग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

फिल्म उद्योग की आर्थिक संभावनाएं

1395. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिल्म उद्योग को उद्योग का दर्जा दिये जाने के पश्चात् इसकी आर्थिक संभावनाओं में किस हद तक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इस क्षेत्र से संबधित व्यक्तियों ने अपनी मांगें सरकार को प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो इन मांगों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) फिल्म उद्योग को उद्योग का दर्जा देने के बाद वर्ष 1999-2000 के बजट में मनोरंजन सॉफ्टवेयर के निर्यात में लगी कम्पनियों के मामले में आयकर अधिनियम की नई धारा नामत: 80 एच एच एफ के लाभ लागू किए गए हैं।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), दूरसंचार और मनोरंजन प्रौद्योगिकियों में हो रहे अभिसरण और उसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में इसकी पूर्ण क्षमता का दोहन करने को संभव बनाने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से फिल्म उद्योग से प्राप्त निम्नलिखित प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है।

(1) फिल्मों, टेलीविजन तथा संगीत उद्योग के लिए व्यावसायिक उपस्करों पर सीमा शुल्क की दरें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए निर्धारित शुल्क ढांचे के समान होनी चाहिए।

(2) रंगीन फिल्म की कच्ची सामग्री पर सीमा शुल्क तथा प्रतिलाभ शुल्क को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इसका निर्माण भारत में नहीं किया जाता है।

(3) पूर्व-रिकार्डिड वीडियो कैसेटों पर उत्पाद-शुल्क के भुगतान से छूट को पूर्व-प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

(4) नकली कैसेट डिस्कों (सीडी) के निर्माताओं को अनुचित मूल्य लाभ से वंचित करने के उद्देश्य से कम्पेक्ट डिस्कों पर भी पूर्व-रिकार्डिड कैसेटों की तरह उत्पाद-शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए।

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की नई धारा 80 एच एच एफ के लाभ, मनोरंजन सापटवेयर के निर्यात में लगे मालिकों, व्यक्तियों आदि को भी पूर्व-प्रभाव से दिनांक 1.4.89 से लागू किये जाने चाहिए।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष कर/सकल घरेलू उत्पाद अनुपात

1396. **श्री मोहन रावले: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार प्रत्यक्ष कर/सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात कितना है;

(ख) वर्ष 1990-91 की तुलना में यह अनुपात कितना है;

(ग) प्रत्यक्ष कर/सकल घरेलू उत्पाद में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस अनुपात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) प्रत्यक्ष कर वसूली के प्रस्तावित संशोधित अनुमानों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1999-2000 के लिए प्रत्यक्ष कर/सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 3.01% है।

(ख) इसकी अनुकूल दृष्टि से तुलना की गई है क्योंकि वर्ष 1990-91 के लिए 2.06% की तुलना में वर्ष 1999-2000 के लिए कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 3.01% है।

(ग) भारत में प्रत्यक्ष कर/सकल घरेलू उत्पाद अपेक्षाकृत कम होने का मुख्य कारण संकुचित कर आधार और विभिन्न कारणों से अप्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भरता है।

(घ) इस अनुपात में और आगे वृद्धि करने के लिए कर आधार को व्यापक बनाना, स्रोत पर कर की कटौती के उपबन्धों

की सीमा का विस्तार करना, कर-प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण करना, कर वसूली उपायों आदि को सुदृढ़ करने जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए विनियमन

1397. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे निवेशकों की सुरक्षा के लिए सरकार के पास अपने जमाकर्ताओं से एकत्र की गई राशि का एक भाग जमा करे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि वे जमाकर्ताओं से एकत्र की गई राशि के एक भाग को सरकार के पास जमा करें। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, यथा-संशोधित 1997 की धारा 45 झ ख के संदर्भ में प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था भारत में भारमुक्त "अनुमोदित प्रतिभूति", जिसका मूल्यांकन ऐसी प्रतिभूतियों के वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा, में निवेश करना जारी रखेगी। यह राशि किसी भी दिन के कारोबार की समाप्ति पर 5% से कम नहीं होगी या ऐसा उच्च प्रतिशत, जो भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर और शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट करें, द्वितीय पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्यदिवस के कारोबार की समाप्ति पर बकाया जमाराशियों के 25% से अधिक नहीं होगा। चल आस्ति के रखरखाव की वर्तमान अपेक्षा 15% है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था द्वारा सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकारने संबंधी (रिजर्व बैंक) निर्देशों के संदर्भ में अनुमोदित प्रतिभूतियों को नामोदिष्ट बैंकर के पास सुरक्षा हेतु रखा जाना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

"आटोमोबाइल" उद्योग

1398. **प्रो. रासासिंह रावत:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आटोमोबाइल उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में मारुति उद्योग के साथ प्रवेश करने वाली आटोमोबाइल कंपनियों की स्थिति सहित देश में आटोमोबाइल उद्योग की स्थिति क्या है;

(घ) क्या विदेश की मांग को पूरा करने हेतु भारत में आटोमोबाइल उत्पादन पर्याप्त है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या अधिक कारों के उत्पादन हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) (क) जी, नहीं। आटोमोबाइल क्षेत्र को लाइसेंसमुक्त कर दिया है और लाइसेंस मुक्त क्षेत्रों पर लागू सरलीकृत प्रक्रियाएं आटोमोबाइल क्षेत्र पर भी लागू हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आटोमोबाइल क्षेत्र की मौजूदा स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है। देश में मारूति उद्योग लिमिटेड के साथ प्रवेश करने वाली आटोमोबाइल कंपनियों की स्थिति विवरण II में दी गई है।

(घ) और (ङ) उदारीकरण के बाद, आटोमोबाइल क्षेत्र, चौपहिया क्षेत्र और दुपहिया/तिपहिया क्षेत्र दोनों में पर्याप्त क्षमता का सृजन हुआ है। जहां तक विदेशी मांग पूरा करने का संबंध है, इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं हुआ है।

(च) और (छ) चूंकि उक्त क्षेत्र लाइसेंसमुक्त कर दिया है, अत: कारों का विनिर्माण करने के लिए सरकार की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तथापि, उद्यमियों को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के औद्योगिक सहायता सचिवालय (एस आई ए) में एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर करना होता है।

विवरण I

आटोमोबाइल क्षेत्र की मौजूदा स्थिति

क्षेत्र	उत्पादन 1998-99 (जनवरी 99 तक)	उत्पादन 1999-2000 (जनवरी 2000 तक)	बिक्री (निर्यात सहित) 1998-99 (जनवरी 99 तक)	बिक्री (निर्यात सहित) 1999-2000 (जनवरी 2000 तक)	निर्यात 1998-99 जनवरी 99 तक)	निर्यात 1999-2000 जनवरी 2000 तक)
यात्री कारें	313280	447755	325562	508934	18954	16232
बहु उपयोगी वाहन	91498	95709	88624	92976	1994	3632
वाणिज्यिक वाहन	104221	140183	103578	131330	7102	6358
तिपहिया वाहन	174667	171773	170165	167720	17280	15527
दुपहिया वाहन	2752804	3044499	2757900	3045199	77138	62189

विवरण II

देश में मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ प्रवेश करने वाली आटोमोबाइल कंपनियों की स्थिति

क्षेत्र	उत्पादन 1998-99 (जनवरी 99 तक)	उत्पादन 1999-2000 (जनवरी 2000 तक)	बिक्री (निर्यात सहित) 1998-99 (जनवरी 99 तक)	बिक्री (निर्यात सहित) 1999-2000 (जनवरी 2000 तक)	निर्यात 1998-99 जनवरी 99 तक)	निर्यात 1999-2000 जनवरी 2000 तक)
देवू मोटर्स (इंडिया) लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	8249	29549	00	895
फियेट इंडिया आटोमो. लि.	2738	54	2574	60	00	00
फोर्ड इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	2776	4523	00	00
जनरल मोटर्स लि.	2790	1939	2962	2036	00	00
हिन्दुस्तान मोटर्स लि.	16742	20914	15795	21903	00	00
होंडा सिएल कार्ड इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	7668	7383	00	14
हुंडई ईंडिया मोटर लि.	11763	37686	11201	59773	00	10
इंडिया आटो लि.	7311	16039	7030	17649	6	157
मारूति उद्योग लि.	268566	326693	263681	323058	17155	14618
मर्सडीज बैंज इंडिया लि.	1132	359	1012	748	494	292
पाल-पियुजियेट लि.	389	32	434	9	00	00

(स्रोत: भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता संघ (एस आई ए एम)

[अनुवाद]

लंबित औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन

1399. **श्री रामानन्द सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में बड़े और मंझोले उद्योगों की इकाइयां स्थापित करने हेतु उद्योगपतियों और कम्पनियों के कितने औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई इ एमज) सरकार के पास लंबित हैं; और

(ख) इन आई.इ.एमज के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) मौजूदा औद्योगिक नीति के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने से मुक्त सभी औद्योगिक उपक्रमों को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर करना होता है और इसकी पावती प्राप्त करनी होती है। अन्य किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अत: औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों के लम्बित पड़े होने और/अथवा इनका निपटान संबंधी प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी केन्द्र, सोलापुर, महाराष्ट्र की क्षमता

1400. **श्री रामदास आठवले: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण क्षमता इतनी कम है कि इससे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आसपास के क्षेत्रों में भी ठीक प्रकार से नहीं सुना जा सकता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी केन्द्र, सोलापुर की प्रसारण शक्ति और प्रसारण क्षेत्र बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित उक्त कार्य की अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) एक कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर पर प्रचालित आकाशवाणी, शोलापुर से प्रसारित कार्यक्रम लगभग 34 किलोमीटर की समान दूरी से चारों ओर के क्षेत्र में सुने जा सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आकाशवाणी, शोलापुर स्थित विद्यमान ट्रांसमीटर की क्षमता को स्थानीय जनसंख्या को कवर करने के लिए पर्याप्त समझा गया है। आकाशवाणी, शोलापुर की कवरेज सीमा से बाहर के समीपस्थ इलाकों को महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित अन्य आकाशवाणी केन्द्रों से पर्याप्त रेडियो कवरेज प्राप्त होती है।

[अनुवाद]

आर्थिक विकास

1401. **श्री सुबोध राय: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान नए आर्थिक सुधारों के तहत सरकार द्वारा देश के आर्थिक विकास हेतु तैयार किए गए और शुरु किए गए कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) नौवीं योजना के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए बजटीय प्रावधानों सहित ऐसे कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) आर्थिक सुधार मुख्यतया नीतिगत माहौल में सुधार लाने की दिशा में की गई पहलें हैं। सरकार ने 1991 से औद्योगिक नीति, विनिमय दर नीतियों, विदेशी निवेश नीति, कराधान, आधारभूत सुविधा और वित्तीय क्षेत्र में वृहत आर्थिक सुधार आरम्भ किये हैं। इन सुधारों का अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में तेजी लाने, सन्तोषजनक विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार की स्थिति के निर्माण, मुद्रास्फीति की न्यूनतर दर और विदेशी पूंजी के पर्याप्त मात्रा में अंतर्प्रवाह के रूप में अनुकूल प्रभाव पड़ा है। सुधार एक चलने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य रोजगार और समानता के साथ-साथ तीव्रतर विकास है।

फटे-पुराने करेंसी नोट

1402. **श्री पवन कुमार बंसल: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बैंकों द्वारा विभिन्न मूल्यवर्ग के नोटों की गड्डियों में फटे-पुराने करेंसी नोट लगाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जनता से फटे-पुराने करेंसी नोट स्वीकार करने और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें नष्ट करने हेतु दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) रिजर्व बैंक ने पहले ही सभी बैंकों को केवल साफ दुबारा जारी किए जा सकने योग्य नोट जारी करने के लिए करेंसी चेस्ट रखने के अनुदेश जारी किए हैं।

(ग) रिजर्व बैंक ने करेंसी चेस्ट रखने वाले सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर-सरकारी बैंकों की शाखाओं को गन्दे नोट बेरोक-टोक स्वीकार करने और बदले में दुबारा जारी किये जा सकने योग्य साफ नोट जारी करने के अनुदेश जारी किये हैं। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक नोट वापसी नियम के अधीन जनता से बदली के लिए कटे-फटे नोटों को भी स्वीकार करने के लिए कहा गया है। करेंसी चेस्टों में संचित गन्दे नोटों को उनकी असलियत और परिशुद्धि की जांच के लिए रिजर्व बैंक को भेजा जाता है। जांच के बाद उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा भस्मीकरण द्वारा अथवा उनकी धज्जियां/ब्रिकेटिंग करके नष्ट किया जाता है।

भारतीय वस्तुओं का आयात-निर्यात

1403. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान आज की तारीख तक भारतीय वस्तुओं का सबसे अधिक आयात करने वाले 10 शीर्ष देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त देशों के द्वारा भारत को निर्यात की जाने वाली वस्तु सूची की क्या स्थिति है; और

(ग) सरकार द्वारा भारत के साथ वर्ष 2000-2001 के दौरान अनुकूल व्यापार संतुलन वाले ऐसे देशों में निर्यात बढ़ाने हेतु क्या विशेष प्रयास किये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), कलकत्ता द्वारा अप्रैल-अक्तूबर, 1999-2000 की अवधि के लिए उपलब्ध कराए गए नवीनतम अलग-अलग अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, भारतीय वस्तुओं का आयात करने वाले 10 शीर्ष देशों के ब्यौरे और भारत को वस्तुओं का निर्यात करने वाले देशों की सूची में उनका स्थान निम्नानुसार है:

भारतीय वस्तुओं का आयात करने वाले शीर्ष देश	भारत को निर्यात करने वाले देशों की सूची में स्थान
1. संयुक्त राज्य अमरीका	1
2. हांगकांग	20
3. यू.के.	5
4. संयुक्त अरब अमीरात	6
5. जर्मन संघीय गणराज्य	11
6. जापान	8
7. बेल्जियम	2
8. इटली	19
9. रूस	21
10. नीदरलैंड	25

(ग) निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन उपाय सतत रूप से किये जा रहे हैं। इन उपायों में क्रियाविधियों के सरलीकरण और एक्जिम नीति में यथा निहित विभिन्न अन्य उपायों के अतिरिक्त, व्यापार संतुलन के अंतर को पाटने के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलें तथा थ्रस्ट क्षेत्रों और फोकस क्षेत्रों को अभिज्ञात करना शामिल है।

मुर्गी पालन का विकास

1404. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड (एन ए बी ए आर डी) ने देश में मुर्गी पालन के विकास के संबंध में अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उन्होंने "मुर्गी पालन उद्योग वर्तमान स्थिति एवं अत्यंत संकेन्द्रित क्षेत्रों में स्थिरता" पर एक कार्यकारी दल गठित करके अध्ययन किया है। कार्यकारी दल ने क्षेत्र प्रेक्षण तथा मुर्गीपालन कृषकों, बैंकरों, सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य लोगों के साथ हुई व्यापक चर्चा के आधार पर मुर्गी पालन के विकास से

जुड़ी कुछ सिफारिशें की हैं। कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें नीचे दी गयी हैं:

(1) परियोजना का मूल्यांकन करते समय जैविक पहलुओं का पालन किया जाना चाहिए;

(2) चुकौती तथा छूट अवधि का निर्धारण वास्तविक नकदी प्रवाह विश्लेषण के आधार पर हो एवं वित्तपोषित करने वाले बैंक लचीला दृष्टिकोण अपनाए;

(3) बैंक यथा आवश्यक कार्यशील पूंजी के लिए अलग से ऋण सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।

(4) परियोजना लागत में भूमि लागत शामिल की जाए तथा कुल परियोजना लागत के 10% तक भूमि के मूल्य को मार्जिन राशि के रूप में मान सकते हैं।

(5) प्राकृतिक विपदाओं, बीमारी के प्रकोप आदि की स्थिति में अल्पावधि के आधार पर अतिरिक्त अवधि ऋण/मांग ऋण तथा कार्यशील पूंजी सीमा की स्वीकृति दी जाए तथा विद्यमान ऋण को यथा आवश्यक पुनर्निर्धारित/बढ़ाया जाए;

(6) बैंक 10000 पक्षियों से अधिक वाली सभी मुर्गी पालन परियोजनाओं के लिए कैप्टिव फीड प्लांट का प्रावधान कर सकते हैं;

(7) नई परियोजनाओं के मामले में बैंकों को स्वयं यह निश्चय करना होगा कि उद्यमी को पर्याप्त अनुभव है तथा/अथवा मुर्गीपालन उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त है;

(8) बैंक वित्तीय व्यवहार्यता के अधीन विभिन्न स्थानों पर मुर्गी के बच्चे होना (बडिंग) तथा उसके विकास कार्य के लिए प्रस्तावों को प्रोत्साहित कर सकता है;

(9) 10000 पक्षियों तक की मुर्गीपालक इकाइयों को सामान्यत: समूह के आधार पर माना जाए।

नाबार्ड 15 मई, 1999 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को उचित कार्रवाई करने के लिए एक परिपत्र जारी कर चुका है।

[हिन्दी]

शेखपुर दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

1405. **श्री राजो सिंह:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार की शेखपुर दूरदर्शन प्रसारण सेवा प्रसारण के दौरान आमतौर पर अव्यवस्थित हो जाती है अथवा ठप्प हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छ: माह के दौरान कितनी बार प्रसारण सेवा अव्यवस्थित हुई अथवा ठप्प हुई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सुधार लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का प्रसारण सेवा की खराबी को रोकने के लिए कब तक कार्रवाई करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार में शेखपुरा स्थित अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर सामान्य रूप से कार्य कर रहा है और पिछले 6 माह के दौरान इसमें किसी बड़ी खराबी की सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, स्थानीय विद्युत आपूर्ति के फेल हो जाने के कारण, मुख्य विद्युत लाइन से डीजल जनरेटर और फिर मुख्य विद्युत लाइन में विद्युत आपूर्ति के स्रोत को बदलते समय हर बार लगभग 1 से 2 मिनट तक सेवा में व्यवधान आता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र को बैंक ऋण

1406. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में जिले-वार कितने सरकारी बैंक काम कर रहे हैं;

(ख) क्या इन अधिकांश बैंकों की ओर से कृषि एवं लघु औद्योगिक क्षेत्र सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जिलेवार संख्या

निम्नलिखित हैं:

जिले का नाम	बैंकों की संख्या
अहमदनगर	18
अमरावती	17
भण्डारा	11
बुल्धाना	6
धुले	13
ग्रेटर बम्बई	27
जालना	11
लातूर	11
नान्देड	15
नासिक	20
प्रभानी	8
रायगढ़	15
सांगली	15
सिंधुदुर्ग	8
थाणे	26
वाशिम	5
अकोला	16
औरंगाबाद	22
बिद	6
चन्द्रपुर	14
गाडचीटोली	3
जलगाँव	16
कोल्हापुर	20
नागपुर	27
नान्दुरबार	7
ओस्मानाबाद	6
पुणे	26
रत्नागिरी	11
सतारा	11
शोलापुर	20
वर्धा	12
यवतमाल	13

(ख) जी, नहीं। पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र समेत प्राथमिकता क्षेत्र को दिए गए ऋणों में वृद्धि हुई है जैसा नीचे दर्शाया गया है:

(रुपए लाख में)

	मार्च 1997	मार्च 1998
कुल प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण	1045326	1269768
जिसमें से कृषि क्षेत्र को ऋण	312853	340292

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडोनेशिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंध

1407. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इंडोनेशिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में विस्तार किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन नए क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) क्या भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को स्थापित करने हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) सरकार का इंडोनेशिया के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करने का सतत प्रयास कर रहा है और यह प्रक्रिया इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान (फरवरी 7-9, 2000) भी जारी रखी गई थी।

(ख) इस यात्रा के दौरान अभिज्ञात किए गए कुछ नए क्षेत्र थे: कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, एल एन जी सहित हाइड्रो-कार्बन, बल्क औषधियां, खाद्य उत्पाद तथा उर्वरक।

(ग) एम एम टी सी और इंडोनेशिया में इसकी सहयोगी कंपनी-केडिन के बीच दिनांक 9 फरवरी, 2000 को प्रति व्यापार संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि दोनों में से किसी भी देश से मदों की प्राप्ति हो सके।

(घ) इस समझौता ज्ञापन के तहत अभिज्ञात की गई वस्तुओं. जिन्हें भारत से निर्यात किया जाना है, में शामिल हैं:-गेहूँ, चावल,

सोयाबीन, कॉफी, बल्क औषधि, कच्चा लोहा, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर। इंडोनेशिया से भारत को किये जाने वाले निर्यात की मदों में शामिल हैं: अपरिष्कृत उर्वरक, प्राकृतिक गैस और खाद्य उत्पाद।

रुग्ण उद्योगों को बैंक ऋण

1408. **श्री विकास चौधरी:**
श्री सुनील खां:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में रुग्ण घोषित किए गए उद्योगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन रुग्ण उद्योगों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) इन रुग्ण उद्योगों को बैंकों द्वारा कितना ऋण प्रदान किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इन रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक में निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित करना

1409. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात प्रोसेसिंग जोनों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक से निर्यात किये जा रहे उत्पादों का ब्यौरा क्या है और इसका प्रतिशत देश के कुल निर्यात का कितने प्रतिशत है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में कर्नाटक में किन्हीं निर्यात प्रोसेसिंग जोनों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) सरकार द्वारा देश में स्थापित किए गए सात निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई पी ज़ेड) कांडला (गुजरात), सांताक्रुज, मुंबई (महाराष्ट्र), नोएडा (उत्तर प्रदेश), मद्रास (तमिल नाडु), कोचीन (केरल), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में हैं।

(ख) निर्यातों के बारे में राज्य-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी, नहीं। वर्ष 1992 में यह निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार के अधीन किसी नए ई पी जेड की स्थापना नहीं की जाएगी। तथापि, निर्यात संसाधन क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा या संयुक्त/निजी क्षेत्र में स्थापित किये जा सकते हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

वस्त्र का आयात

1410. **श्रीमती शीला गौतम:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान वस्त्र के आयात में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी•कारण कौन से हैं;

(ग) यदि हां, तो 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान कितने मूल्य के वस्त्रों का आयात किया गया; और

(घ) आयातित वस्त्र और अन्य सामग्री का गुणवत्ता संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किन-किन देशों से आयात किया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान, वस्त्र उत्पादों के आयात में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। आयात में विभिन्न होते हैं प्रमुखतः वाणिज्यिक कारण हैं। गत तीन वर्षों के लिए अनंतिम आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	मूल्य लाख रुपयों में
1996-97	263,987.28
1997-98	301,268.88
1998-99	329,729.21
1998-99 (अप्रैल-नवम्बर)	237,292.59
1999-2000 (अप्रैल-नवम्बर)	262,310.76

स्रोत: डी जी सी आई एस, कलकत्ता

मात्रा के विषय में फैब्रिकों का आयात करने वाले प्रमुख देशों के नाम नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	फैब्रिक का प्रकार	प्रमुख देश
1.	सूती फैब्रिक	चीन पी आर पी, चीन ताईपेई, हांगकांग, जापान, इंडोनेशिया
2.	मानव निर्मित फैब्रिक	चीन पी आर पी, चीन ताइपेई, कोरिया आर पी, हांगकांग, जापान, संयुक्त अरब अमीरात
3.	ऊनी फैब्रिक	इटली, कोरिया आर पी, ब्रिटेन, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका
4.	रेशम फैब्रिक	चीन पी आर पी, चीन ताइपेई, संयुक्त राज्य अमेरिका

[अनुवाद]

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश

1411. **श्री पी.सी. थामस: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितना निवेश हुआ;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु अनुमान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल के लिए इस क्षेत्र में निवेश का योजना-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) उद्योग तथा खनिज क्षेत्र (ग्रामीण तथा लघु उद्योगों सहित) के अंतर्गत योजना परिव्यय:

पंचवर्षीय योजना	केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय	केरल के लिए राज्य योजना परिव्यय (करोड़ रु. में)
प्रथम पंचवर्षीय योजना	142.10	1.04
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	747.00	6.25
तृतीय पंचवर्षीय योजना	1573.00	17.20
चौथी पंचवर्षीय योजना	3299.50	21.96
पांचवीं पंचवर्षीय योजना	9326.52	75.75
छठी पंचवर्षीय योजना	12771.47	159.50
सातवीं पंचवर्षीय योजना	18552.97	208.00
आठवीं पंचवर्षीय योजना	37539.00	810.00
नौवीं पंचवर्षीय योजना	51664.00	1125.86

(स्रोत: योजना दस्तावेज)

आकाशवाणी केन्द्र, कोचीन में कर्मचारी

1412. **श्री जार्ज ईडन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि एफ.एम. रेडियो स्टेशन, कोचीन में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या कर्मचारियों की कमी से रेडियो स्टेशन का काम-काज प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आकाशवाणी को मौजूदा स्टाफ को पुनः तैनात करने एवं पुनः समायोजित करने की सलाह दी गई है ताकि आकाशवाणी का काम प्रभावित न हो।

उड़ीसा के आदिवासियों को बैंक ऋण

1413. **श्री अनंत नायक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़सा में आज की तारीख में विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों में कितनी राशि जमा हुई और कितनी राशि का ऋण दिया गया;

(ग) इन बैंकों द्वारा स्थानीय आदिवासियों को ऋण सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इन बैंकों द्वारा राज्य के आदिवासी लोगों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों की शाखाओं की संख्या और गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों की कुल जमाराशि और बकाया ऋण नीचे दिया गया है:

(राशि लाख रुपए)

बैंक समूह	वर्ष	शाखाओं की संख्या	जमाराशियां	ऋण
भारतीय स्टेट	मार्च, 1997	474	284016	150123
बैंक और	मार्च, 1998	478	349549	172804
अनुषंगी	मार्च, 1999	479	362519	157989
राष्ट्रीयकृत	मार्च, 1997	861	354900	156256
बैंक	मार्च, 1998	862	431356	171956
	मार्च, 1999	883	534773	214823

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंक प्राथमिकता क्षेत्र उधार देने के अंतर्गत जनजातीय लोगों सहित कमजोर वर्गों को ऋण सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने में मार्च, 1996 में 152438 लाख रु. से बढ़कर मार्च, 1997 में 190125 लाख रु. हो गया और पुनः मार्च, 1998 में बढ़कर 208920 लाख रु. हो गया।

(घ) मार्च, 1999 के अन्त की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की 1619 शाखाएं कार्यरत हैं जिनकी कुल जमाराशि 331570 लाख रु. है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के विस्तार से जनता की बैंकिंग की आदत में भी वृद्धि होने की आशा है।

एस.सी.सी.एल. का विस्तार

1414. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लि. के विस्तार संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस तरह के विस्तार हेतु विदेशी वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सिंगरेनी कोलरीज की इक्विटी को व्यापक बनाए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) भारत सरकार ने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) की पूंजीगत पुनर्संरचना योजना को दिनांक 21.3.1999 को अनुमोदित कर दिया है। अनुमोदित पूंजीगत पुनर्संरचना योजना के अनुसार सिं.को.कं.लि. में आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार का इक्विटी निवेश इस प्रकार है:

(1) आंध्र प्रदेश सरकार नौवीं योजनावधि के दौरान कंपनी की इक्विटी में 268.00 करोड़ रु. की राशि का निवेश

करेगी। इस 268.00 करोड़ रु. की राशि में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 1997-98 तथा 1998-99 में कपनी की इक्विटी के लिए पहले से ही प्रदत्त 167.00 करोड़ रु. की राशि तथा नौवीं योजनावधि की शेष अवधि के दौरान कंपनी की इक्विटी में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला 101 करोड़ रु. का अतिरिक्त इक्विटी निवेश शामिल है।

(2) भारत सरकार नौवीं योजनावधि के दौरान कंपनी की इक्विटी में 257.51 करोड़ रु. की राशि का निवेश करेगी। इस 257.51 करोड़ रु. की राशि में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में कंपनी की इक्विटी हेतु पहले से ही उपलब्ध कराई गई 160.47 करोड़ रु. की राशि तथा नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान कंपनी की इक्विटी में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला 97.04 करोड़ रु. का अतिरिक्त इक्विटी निवेश शामिल है।

1665.32 करोड़ रु. के प्रस्तावित निवेश के लिए वित्त-पोषण के ढांचे का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	(करोड़ रु. में)
आंध्र प्रदेश सरकार-इक्विटी	268.00
भारत सरकार-इक्विटी	257.51
भारत सरकार-ऋण	77.50
भारत सरकार-द्विपक्षीय क्रेडिट	61.62
आंतरिक संसाधन	1000.69
जोड़	1665.32

उपर्युक्त प्रस्तावित निवेश से, सिं.को.कं.लि. 1996-97 (आठवीं योजना का अंतिम वर्ष) के दौरान 28.734 मिलियन टन के उत्पादन स्तर से नौवीं योजना के अंतिम वर्ष तक 34.012 मिलियन टन का उत्पादन प्राप्त कर लेगी। नौवीं योजनावधि के दौरान विद्यमान/पूर्ण की जा चुकी, चालू तथा नई परियोजनाओं के अंतर्गत किए गए निवेश का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	नौवीं योजना के दौरान निवेश (करोड़ रु. में)
विद्यमान/पूर्ण परियोजनाएं	746.38
चालू परियोजनाएं	441.32
नई परियोजनाएं	372.59
गैर-खनन परियोजनाएं	105.03
जोड़	1665.32

(घ) और (ङ) नौवीं योजनावधि के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा सिं.को.कं.लि. में इक्विटी के रूप में 268 करोड़ रु. तथा 257.51 करोड़ रु. का निवेश करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित इक्विटी निवेश से 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार 1207.69 करोड़ रु. से बढ़कर सिं.को.कं.लि. का इक्विटी आधार नौवीं योजनावधि के अंत तक 1733.20 करोड़ रु. हो जाएगा।

क्रिकेट मैचों की कवरेज के लिए समझौता

1415. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगले पांच वर्षों के दौरान क्रिकेट कार्यक्रमों को प्रायोजित करने और उन्हें दूरदर्शन पर दिखाने से संबंधित 450 करोड़ रु. का कोई समझौता सरकार/प्रसार भारती द्वारा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले पांच वर्षों के दौरान इस समझौते से दूरदर्शन द्वारा कितनी आय अर्जित किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सितम्बर, 2004 तक भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित किये जाने वाले क्रिकेट आयोजनों के विशिष्ट प्रसारण अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। इसके द्वारा इन आयोजनों के प्रसारण हेतु समय आबंटित किये जाने के संबंध में मैसर्स बुद्धा फिल्म्स लि. के साथ एक करार भी किया गया है। इससे 450 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त होने की आशा है। उक्त करार के अंतर्गत, क्रिकेट मैच केवल दूरदर्शन के चैनल पर दिखाए जाएंगे और उनका विपणन बुद्धा फिल्म्स द्वारा किया जाएगा।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम

1416. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या वित्त मंत्री स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के बारे में 17 दिसम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2818 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत दर्ज ऐसे कितने मामले हैं जिनको आज की तारीख में निपटाया जा चुका है;

(ख) किसी मामले को निपटाने में औसतन कितना समय लिया जाता है;

(ग) क्या स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम में संशोधन करने की जरूरत है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) गत तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए स्वापक औषधि से जुड़े कुल मामलों की संख्या 22980 थी।

(ख) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत पूरे देश में एक मामले की तुलना में दूसरे मामले में एक अदालत की तुलना में दूसरी अदालत में मामलों के निपटान में लगने वाले समय में अन्तर होता है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का संशोधन करने के लिए एक विधेयक 9 जुलाई, 1998 को राज्य सभा में पेश किया गया था। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने, जिसने इस विधेयक की जांच की थी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

फार्म एक्सपोर्ट

1417. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री अरुण कुमार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 दिसम्बर, 1999 के "द इकॉनामिक टाइम्स" में "फार्म गुड्स डिप टु 15 प्रतिशत ऑफ टोटल एक्सपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि उत्पादों के निर्यात में शनै: शनै: कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त निर्यातों का कुल मूल्य कितना था और देश के कुल निर्यात मूल्य का यह प्रथकत: कितने प्रतिशत था;

(घ) क्या सरकार ने लगातार गिरती हुई प्रतिशतता के कारणों का पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हाँ।

(ख) से (ङ) कृषि उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मांग के साथ-साथ आपूर्ति की घरेलू क्षमता, वस्तुओं की प्रचलित वैश्विक कीमतों, व्यापार की जा रही किस्मों और उपभोक्ता अधिमानों पर निर्भर करता है। पिछले चार वर्षों के दौरान देश का कुल निर्यात और कृषि निर्यात (मूल्य करोड़ रु. में) तथा कुल निर्यातों में कृषि उत्पादों के निर्यात का प्रतिशत हिस्सा निम्नानुसार है:

कृषि उत्पादों का निर्यात

वर्ष	देश के कुल निर्यात (करोड़ रु. में)	कृषि निर्यात (करोड़ रु. में)	देश के कुल निर्यातों में कृषि निर्यात का हिस्सा
1995-96	106353.35	17496.40	16.45
1996-97	118817.31	24362.57	20.50
1997-98	126285.76	23798.37	18.80
1998-99	141604	25225	17.81

[अनुवाद]

सुपर बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1418. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फुटकर उपभोक्ता सामान की समस्या से निपटने के लिए सुपर बाजार क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति के परिणामस्वरूप विदेशी निवेशकों को सुपर बाजारों और उपभोक्ता सामान की एक श्रृंखला बनाने का मौका मिलेगा जिससे भारतीय सामान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू सुपर बाजारों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) सरकार ने फरवरी 1998 से पूर्व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) वाले सुपर स्टोर सुपर बाजार परचून भंडार/हैल्थकेयर रिटेल आउटलेट की एक श्रृंखला स्थापित करने के लिए, 4 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

(ग) और (घ) एक कुशल स्वदेशी सुपर बाजार उद्योग के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को चुनौती के रूप में नहीं देखा जाता है। तथापि, चालू नीति के अनुसार, चल रहे सुपर बाजार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति नहीं दी जा रही है। स्वदेशी बाजार में केवल "कैश एण्ड कैरी" थोक व्यापार की ही अनुमति है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजनाओं का क्रियान्वयन

1419. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी व्यय में हो रही कमी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजनाओं के विलम्बित क्रियान्वयन के कारणों पर विचार करने हेतु कोई समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा समिति को विचारार्थ भेजे गए मुख्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) समिति द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सम्भावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) आधारभूत क्षेत्रों की 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के समय एवं उनकी लागत में वृद्धि का परिवीक्षण करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष अपर सचिव/संयुक्त सचिव होते हैं तथा जिसमें प्रतिनिधि के रूप में योजना आयोग, व्यय विभाग तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सदस्य शामिल होते हैं। इस बारे में योजना आयोग ने 19 अगस्त, 1998 तथा 18 नवम्बर, 1998 को दिशानिर्देश जारी किए थे। ये समितियां 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं के संशोधित लागत अनुमान (आर.सी.ई.) पर लागत/समय वृद्धि के प्रतिशत को ध्यान में रखे बिना विचार करेंगी, परन्तु ये समितियाँ उन मामलों पर विचार नहीं करेंगी जिनमें प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग संशोधित लागत अनुमान को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के पूर्व लागत में वृद्धि की स्वीकृति स्वयं की देने में सक्षम हों। लोक निवेश बोर्ड/व्यय वित्त समिति (पी.आई.बी./ई.एफ.सी.) के विचार-क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आने वाली तथा 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के मामले में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपनी अनुशंसा वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और तत्पश्चात संशोधित लागत अनुमान संबंधी प्रस्ताव को अनुसंशाओं तथा की गई कार्रवाई के साथ आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमडलीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) संशोधित लागत अनुमान संबंधी प्रस्तावों को लोक निवेश बोर्ड/व्यय वित्त समिति (पी.आई.बी./ई.एफ.सी.) के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने पर स्थायी समिति उन पर विचार करती है। यह एक सतत प्रक्रिया है और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा पी.आई.बी./ई.एफ.सी. की प्रक्रियाओं द्वारा शासित होती है।

कृषि उत्पादों का निर्यात

1420. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश को तुलनात्मक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से दीर्घकालिक निर्यात नीति बनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में कृषि-उत्पादों का परीक्षण करने के लिए उपलब्ध विश्वस्तरीय रेफरेल-प्रयोगशालाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में इस प्रकार की और अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) कृषि उत्पादों के निर्यात की नीति देश की निर्यात-आयात

नीति का एक अभिन्न अंग होती है। कृषि उत्पादों के निर्यात से संबंधित नीति में मुख्य रूप से भारत की खाद्य सुरक्षा संबधी चिंताओं, कृषि आय को अधिकतम बनाने तथा विदेशी मुद्रा अर्जन को ध्यान में रखा जाता है। कृषि उत्पादों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और कृषि निर्यातों को उत्तरोत्तर व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से जब कभी आवश्यक समझा जाता है। तदनुसार नीतिगत हस्तक्षेप किये जाते हैं।

(घ) से (च) भारत सरकार द्वारा नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड केलिबरेशन लेबोरेटरीज (एन.ए.वी.एल.) को तकनीकी पृष्ठभूमि वाले स्वतंत्र मूल्यांककों की सेवाएं लेकर आई एसओ/आई ई सी गाइड 25 का अनुपालन करने वाली प्रयोगशालाओं के मूल्यांकन का काम सौंपा गया है। एन ए बी एल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों कासय अनुपालन करते हुए मूल्यांककों को प्रशिक्षित किया जाता है। एन ए वी एल द्वारा इन प्रयोगशालाओं की वार्षिक रूप से निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे गुणवत्ता प्रणाली संबंधी मानको और तकनीकी क्षमता को बनाए हुए हैं। ये प्रयोगशालाएं संबंधित मंत्रालयों द्वारा स्थापित की जाती हैं और स्वतंत्र प्रयोगशालाएं निजी क्षेत्र द्वारा भी स्थापित की जाती है। ऐसी कुछ प्रयोगशालाएं जिन्हें एन ए बी एल द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और जो अपने कार्यकलाप के एक भाग के रूप में खाद्य पदार्थों का परीक्षण करती हैं, ये हैं-(1) विमता लेबोरेटरीज लि., हैदराबाद, (2) फूड रिसर्च एनालिसिस सेंटर, नई दिल्ली, (3) ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैन्डर्ड गाजियाबाद, (4) श्री राम इंस्टीच्यूट फार इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली (5) श्री राम इंस्टीच्यूट फार इंडस्ट्रियल रिसर्च, बंगलौर, एस जी एस, चेन्नई, एस जी एस लैब हाउस, चेन्नई।

सी एफ टी आर आई मैसूर और देश की अनेक अन्य एस जी एस प्रयोगशालाएं एन ए बी एल द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु स्वयं को तैयार कर रही है। आई एस ओ/आई ई सी गाइड 25 का अनुपालन करने वाली खाद्य क्षेत्र में वी आई एस द्वारा मान्यताप्राप्त कुछ प्रयोगशालाएं हैं-जय रिसर्च फाउंडेशन, गुजरात (2) चोकाई एनालिरिकल सर्विसेज लि. मध्य प्रदेश, (3) इंटरनेशनल टेस्टिंग सेंटर, हैदराबाद (4) डिफेंस फूड लेबोरेटरी, मैसूर (5) नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीच्यूट (एन डी आर आई), कर्नाटक, (6) नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीच्यूट, हरियाणा, (7) सेन्टर फूड टेक्नालाजीकल रिसर्च इंस्टीच्यूट, कर्नाटक। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन मसाला बोर्ड ने कोचीन में गुणवत्ता मूल्यांकन और उन्नयन प्रयोगशाला स्थापित की है जो भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्म जैविक संदूषकों के लिए मसालों और मसाला उत्पादों के विश्लेषण के अंतर्राष्ट्रीय मानक का अनुपालन करती है। काजू और अन्य खाद्य उत्पादों का परीक्षण करने के लिए सी ई पी सी द्वारा क्वीलोन, केरल में एक करोड़ रुपये कीसय लागत से अंतर्राष्ट्रीय मानक की एक अन्य गुणवत्ता उन्नयन प्रयोगशाला और तकनीकी परामर्शी प्रभाग की स्थापना सितम्बर, 1999 में की गई।

"नाबार्ड" का निष्पादन

1421. श्री अनंत गुढ़े: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान "नाबार्ड" के निष्पादन की राज्य-वार समीक्षा निर्धारित लक्ष्यों तथा उनकी प्राप्ति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में विकासात्मक/उत्पादन क्रियाकलापों के लिए वित्तीय संस्थानों को मिली वित्तीय सहायता के संदर्भ में की है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अद्यतन अवधि के लिए मानक मूल्यांकन मानदण्डों के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान सामान्यतः राज्यों, विशेषरूप से महाराष्ट्र राज्य का क्या निष्पादन रहा है;

(ग) महाराष्ट्र के लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर परियोजना-वार क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) क्या 2000-2001 के दौरान शुरू की जाने वाली प्रस्तावित नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की गतिविधियों की सरकार द्वारा सदा निगरानी की जाती है। नाबार्ड के परिचालन की गहन समीक्षा इसके निदेशक मण्डल जिसमें अन्यों के साथ-साथ वित्त, कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं, द्वारा की जाती है। नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ नाबार्ड की गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा भी संसद के पटल पर रखी गई है। ऋण संबंधी राज्यवार कार्यकलापों, निवेश ऋण एवं उत्पादन ऋण के अंतर्गत उपलब्धियों का विश्लेषण किया जाता है और उसका नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है। नाबार्ड के पास भी एक सुसंगत निगरानी व्यवस्था है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ जिलोन्मुख निगरानी, तकनीकी निगरानी, योजनोन्मुख निगरानी, योजना के कार्यान्वयन की मध्यावधि समीक्षा तथा योजना की कार्योत्तर निगरानी शामिल है। राज्य स्तरीय कमियों और कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयों की भी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों, जिसमें राज्य सरकार, वाणिज्यिक बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के प्रतिनिधि भी होते हैं, में समीक्षा की जाती है। इसके अलावा जहां कहीं भी आवश्यक हो, बकाया मुद्दों का

समाधान निकालने के लिए राज्य सरकार के विभागों के साथ भी बुनियादी विचार-विमर्श किये जाते हैं। नाबार्ड ने सूचित किया है कि वर्ष 1999-2000 के लिए नबार्ड से बैंकों को 5200 करोड़ रु. का पुनर्वित्त प्रवाह था जबकि यह वर्ष 1998-99 के लिए 4520 करोड़ रु. का था। जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, वर्ष 1998-99 के दौरान 356.55 करोड़ रु. प्रदान किये गये थे जबकि 1997-98 के दौरान 332.60 करोड़ रु. का संवितरण किया गया था।

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार, महाराष्ट्र में 5 बैंकों से प्राप्त हुए पुनर्वित्त के 23 निवेश प्रस्ताव नाबार्ड द्वारा स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं। उन पर कार्यवाही करने के लिए नाबार्ड ने बैंकों से अतिरिक्त सूचना मांगी है:

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान पुनर्वित्त की गई योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

महाराष्ट्र में नाबार्ड द्वारा मंजूरी के लिए बकाया प्रस्तावों/परियोजनाओं के ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बैंक का नाम	कुल वित्तीय परिव्यय
1	2	3	4
1.	सुनिताबाई बोंडे एलआईएस, जलगांव	महाराष्ट्र स्टेट को-आप. बैंक	66.38
2.	मुरुदेश्वर एलआईएस, परभणी	-तदैव-	46.28
3.	मोरवाड, परभणी	-तदैव-	154.33
4.	श्री राम एसपीपीएस, कोल्हापुर	-तदैव-	61.35
5.	श्री विठल एलआईएस, कोल्हापुर	-तदैव-	30.44
6.	श्री सिद्धेश्वर एलआईएस, कोल्हापुर	-तदैव-	98.58
7.	जवाहर तालिंकेडे, कोल्हापुर	-तदैव-	167.83
8.	जवाहर उपारे, कोल्हापुर	-तदैव-	380.81
9.	श्री नवनाथ एलआईएस, अहमदनगर	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8.68
10.	श्री जगदम एलआईएस, अहमदनगर	-तदैव-	5.52
11.	वनलक्ष्मी एलआईएस, कोल्हापुर	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	23.42
12.	हनुमान एलआईएस, कोल्हापुर	बैंक आफ बड़ौदा	125.25
13.	श्री छत्रपती साहु एलआईएस, कोल्हापुर	-तदैव-	62.55
14.	ए.बी. ईश्वरखाथी एलआईएस, सोलापुर	भा. स्टेट बैंक	5.96
15.	जी.एस. उम्बरजे, एलआईएस, सोलापुर	बैंक आफ इंडिया	12.56
16.	बी.बी. आधव एलआईएस	भारतीय स्टेट बैंक	6.65

1	2	3	4
17.	कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोकोलिंग यूनिट को-आप. मार्केटिंग सोसाइटी, लासलगांव, नासिक	महाराष्ट्र स्टेट को-आप. बैंक	76.50
18.	नासिक फ्लोरा	बैंक आफ बड़ौदा	393.98
19.	डेवलपमेंट आफ मार्केट यार्ड, धुले	भारतीय स्टेट बैंक	175.00
20.	कन्स्ट्रक्शन आफ शापिंग काम्प्लेक्स, नासिक	महाराष्ट्र स्टेट को-आप. बैंक	316.09
21.	मेसर्स श्रीवर्धा बायोटेक, कोल्हापुर	बैंक आफ इंडिया	138.09
22.	गिनिंग प्रोसेसिंग यूनिट, नासिक	महाराष्ट्र स्टेट को-आप. बैंक	100.29

संक्षिप्ताक्षर: एलआईएस-लिफ्ट सिंचाई योजना

दालों का आयात

1422. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारी मात्रा में दालों का आयात किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयात की गई दालों की मात्रा और कीमत कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) दालें आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण 07.13 के तहत आती हैं। एक्जिम नीति के अनुसार आस्ट्रेलियाई लूपिन सीड्स को छोड़कर सभी दालों का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है। लेकिन ब्लेच फ्लूर अथवा चिसिआ सातिवा जैसी विषाक्त दालों के आयात पर प्रतिबंध है। पिछले तीन वर्षों में आयात की गई दालों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मात्रा टनों में)
(मूल्य करोड़ रुपये में)

	दालों का कुल आयात		सरकारी खाते से किया गया आयात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1997-98	1008161	1194.64	शून्य	शून्य
1998-99	312744	404.52	शून्य	शून्य
1999-2000	137339*	183.24*	97000	139.00

*केवल नवम्बर, 1999 तक

शहरों का दर्जा बढ़ाया जाना

1423. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1995 से आज तक सरकारी कर्मचारियों को आवास भत्ता, नगर भत्तों तथा कुछ अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों में कुछ शहरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें 'ए', 'बी', 'सी' आदि उच्च श्रेणी में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों का ब्यौरा क्या है जिनका दर्जा प्रत्येक वर्ष बढ़ाया गया है तथा उनका दर्जा बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 2000, 2001 तथा 2002 के दौरान विशेषकर गुजरात के जामनगर शहर के संदर्भ में किन-किन शहरों का दर्जा बढ़ाए जाने की योजना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) मकान किराए भत्ते तथा/या नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के नियमन के प्रयोजन के लिए 1995 से निम्नलिखित शहरों को स्तरोन्नत किया गया है:

क्र.सं.	शहर	स्तरोन्नत श्रेणी	वर्ष	मापदण्ड
1.	तिरुचिरापल्ली	बी-2	1995	राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका क्षेत्र का पुनर्गठन
2.	सेलम	बी-2	1995	-वही-
3.	तिरुनलवेली	बी-2	1995	-वही-
4.	आसनसोल	बी-2	1996	-वही-
5.	औलगारेट	सी	1997	-वही-
6.	जम्मू	बी-2	1998	विशेष परिस्तिथि, जैसे शरणार्थियों का अन्तर्वाह (आगमन)
7-8.	दिल्ली व मुम्बई	ए-1	1997	पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर नई श्रेणी जोड़ी गई
9-10.	कलकत्ता व चेन्नई	ए-1	1998	दिल्ली व मुम्बई जैसे महानगर शहरों के साथ समानता

(ग) वर्तमान में किसी शहर के स्तरोन्नयन संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारतीय गैस प्राधिकरण का विनिवेश

1424. श्री माधवराव सिंधिया:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय गैस प्राधिकरण (गेल) के संदर्भ में, इस वर्ष अक्तूबर-नवम्बर में उसके शेयर बेचकर विनिवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रति शेयर विक्रय-मूल्य क्या है;

(ग) कुल कितने शेयर बेचे गए; और

(घ) इससे कितनी धनराशि मिली?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) नवम्बर, 1999 में, सरकार ने जी.डी.आर. बाजार में 70 रु. प्रति शेयर की बाजार चालित कीमत पर गेल के 135 मिलियन शेयरों का विनिवेश किया जिससे लगभग 945 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में एलपीटी/बीएलपीटी

1425. श्री सुरेश चन्देल:
श्री महेश्वर सिंह:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए स्थानवार कितने एल.पी.टी./वी.एल.पी.टी. स्वीकृत किये गये/निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उनके निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन ट्रांसमीटरों की स्थापना हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(घ) इन ट्रांसमीटरों के कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) मंडी में डी.डी.-2 के लिए एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रा.) और बिजली महादेव, डलहौजी, तिस्सा, झांतिगिरि, काजा, आवा देवी, नेहरी और आशापुरी प्रत्येक में एक-एक अर्थात 8 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ.अ.श.ट्रां.) इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं। उपरोक्त ट्रांसमीटरों के लिए उपस्कर प्राप्त कर लिए गए हैं। मंडी में संस्थापन कार्य प्रगति पर है और बिजली महादेव और तिस्सा के लिए स्थल का अधिग्रहण कर लिया गया है। शेष परियोजनाओं के लिए स्थलों के बारे में निर्णय लेने का कार्य प्रगति पर है।

(ग) उपरोक्त 9 ट्रांसमीटरों की कुल पूंजीगत लागत 7.02 करोड़ रु. है।

(घ) मंडी स्थित परियोजना के मई, 2000 तक पूरा होने की संभावना है। शेष परियोजनाओं के 2001 से पहले चरणों में पूरा होने की आशा है, बशर्ते समय पर स्थल और वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

टी.वी. ट्रांसमिशन का कार्यकरण

1426. श्री रामशकल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कम शक्ति वाले अधिकांश टी.वी. ट्रांसमिशन केन्द्र सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन ट्रांसमिशन केन्द्रों में अधिकांश उपस्कर खराब हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन उपस्करों की मरम्मत करने/बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के सभी भागों में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) स्टाफ की कमी के कारण दूरदर्शन नेटवर्क में 718 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों में से 190 ट्रांसमीटर आंशिक प्रसारण को रिले करते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) देश के विभिन्न भागों में इस समय 97 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। कवरेज का और अधिक विस्तार करने के लिए, 72 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं और ये देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

सोने/चांदी की कीमतें

1427. श्री माणिकराव होडल्या गावीत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन धातुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) वर्ष 1996-97 के पश्चात् मुम्बई बाजार में सोने और चांदी की औसत कीमत का विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष/महीना	सोना (रुपए प्रति 10 ग्राम)	चांदी (रुपये प्रति किलोग्राम)
1996-97	5071	7165
1997-98	4347	7352
1998-99	4268	7856
जनवरी, 1999	4347	7715
जनवरी, 2000	4509	8124

वर्ष 1996-97 की 5071 रुपए के सर्वोच्च औसत मूल्य की तुलना में जनवरी, 2000 में सोने के मूल्य में 11.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। जनवरी 2000 तक चांदी के मूल्य में इसके मार्च, 1999 के मूल्य की तुलना में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1997 में सोने के आयात की नीति के उदारीकरण के पश्चात् सोने के घरेलू मूल्यों में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरुप घटबढ़ होती रही है जिस पर विश्व भर की मांग तथा आपूर्ति संबंधी स्थितियों तथा सोने के आरक्षित भंडारों के बारे में केन्द्रीय बैंकों की नीति संबंधी निर्णयों का प्रभाव पड़ता है। चांदी के मामले में इसके मूल्य का निर्धारण पूर्णत: अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के घटनाक्रम पर निर्भर करता है क्योंकि इसकी घरेलू मांग अधिकांशत: आयात द्वारा पूरी की जाती है।

सोने के आयात के उदारीकरण की घोषणा अक्तूबर, 1997 में की गई थी जिसके अंतर्गत सोने को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) योजना में रखा गया था तथा 13 नामित एजेंसियों को सोने के आयात का अधिकार प्रदान किया गया। इससे पिछले कुछ वर्षों में घरेलू मूल्यों में पहले ही काफी गिरावट आई है। भारत सरकार ने वर्ष 1999-2000 के बजट में स्वर्ण जमा योजना की घोषणा की थी जिससे घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अनुप्रयुक्त सोने को एकत्र किया जा सके तथा यह योजना अब प्रचालन में आ चुकी है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग

1428. **श्री तिरुनावकरसू: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र में देश में राज्य-वार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों समेत कितने नए भारी उद्योगों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या भारी उद्योगों के अवाधित विकास हेतु उपयुक्त नीति विकसित करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार के पास ऐसी कौन-कौन सी संयुक्त उद्यम की परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित हैं जिनमें विदेशी निवेश किया गया है और इनमें किये गये राज्य-वार पूंजीगत निवेश का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) विगत 3 वर्षों में भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र में कोई भारी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन की बैठक

1429. **डा. संजय पासवान: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन में विवाद के समाधान की प्रक्रिया में भाग लेने वालों की सूची में बाल श्रम और पर्यावरणकर्त्ताओं से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठन के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत के ऐसे संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक किसी ऐसे संगठन ने विश्व व्यापार संगठन की बैठक में भाग लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विश्व व्यापार संगठन के स्तर पर इन संगठनों की भागीदारी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) की विवाद निपटान कार्रवाईयों में भागीदारी के लिए सिविल सोसायटी गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों को शामिल करने के लिए किसी विशिष्ट सूची के बिना सामान्य रूप से कुछ सदस्य देशों द्वारा प्रस्ताव किये गये हैं।

(ग) और (घ) डब्ल्यू टी ओ पर्यावरण और विकास जैसे मुद्दों पर समय-समय पर विचार संगोष्ठियों का आयोजन करता आ रहा है, जिनमें गैर-सरकारी संगठनों को भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। डब्ल्यू टी ओ द्वारा इस प्रकार की एक विचार गोष्ठी 29 नवम्बर, 1999 को सिएटल में भी आयोजित की गयी थी।

(ङ) भारत डब्ल्यू टी ओ की विवाद निपटान कार्रवाई में सिविल सोसायटी/गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों को शामिल करने का विरोध करता है क्योंकि इससे उसका सरकार-से-सरकार वाला स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसके अलावा, इस बात की आशंका है कि ऐसी भागीदारी से विवाद निपटान तंत्र की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

विजया बैंक में धोखाधड़ी

1430. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने विजया बैंक के साथ 1.37 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में 6 वरिष्ठ अधिकारियों समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में आगे क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) विजया बैंक ने सूचित किया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विजया बैंक, बाराखम्बा रोड शाखा द्वारा एक सम्पदा फर्म को, ऋण सीमा की गारंटी देने वाले तीन विभिन्न व्यक्तियों की भू-सम्पत्ति के जमानत पर, विभिन्न ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में दिनांक 31.1.2000 को विजया बैंक के छ: अधिकारियों समेत तेरह व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है। ऋण सीमा का कार्य संचालन संतोषप्रद नहीं था तथा प्रतिभूति त्रुटिपूर्ण पायी गयी थी। शाखा ने फर्म की सहयोगी संस्था को अस्थायी ओवरड्राफ्ट की भी अनुमति दी थी। बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि फर्म तथा इसकी सहयोगी संस्थाओं का कुल बकाया 137.50 लाख रुपए था।

राज्यों द्वारा मांगे गए ऋण

1431. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार ने कुल कितने ऋण की मांग की है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों को राज्य-वार कुल कितना ऋण स्वीकृत हुआ; और

(ग) राज्यों को अपेक्षित ऋण स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजना सहायता राज्यों को सकल ऋणों और सकल अनुदानों के रूप में जारी की गई है। पिछले दो वर्षों में, राज्यों को जारी केन्द्रीय योजना सहायता के ऋण घटक संलग्न विवरण में राज्य-वार दर्शाए गए हैं। योजना सहायता तथा वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत अंतरण के अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष के दौरान प्राप्तियां (आय) और व्यय में किसी अस्थायी विसंगति पर ध्यान रखने के लिए राज्यों को अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध कराए हैं।

कुछ राज्य सरकारों ने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप पड़ने वाले राजकोषीय भार को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सहायता/मध्यम आवधिक ऋण के लिए अनुरोध किया है। भारत सरकार ने राजकोषीय दबाव झेल रहे राज्यों को उनके द्वारा शुरू किये गये राजकोषीय सुधारों के पैकेज से जुड़ी सहायता के रूप में योजनागत और गैर-योजनागत सहायता प्रदान की है। चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार ने उन राज्यों को बढ़ी हुई अर्थोपाय सहायता प्रदान की है, जिन्होंने स्वीकार्य और प्रबोधन योग्य राजस्व सुधार कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यों को जारी सकल ऋण की राज्यवार राशि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1529.77	1360.58
2.	अरूणाचल प्रदेश	44.64	51.69
3.	असम	131.67	146.38
4.	बिहार	959.21	1383.32
5.	गोवा	54.41	48.46
6.	गुजरात	651.67	906.80
7.	हरियाणा	316.31	288.03
8.	हिमाचल प्रदेश	60.50	79.94
9.	जम्मू और कश्मीर	224.89	235.19
10.	कर्नाटक	620.68	726.58
11.	केरल	381.10	469.09
12.	मध्य प्रदेश	885.65	982.63
13.	महाराष्ट्र	1306.14	1073.09
14.	मणिपुर	62.36	51.08
15.	मेघालय	25.77	32.50
16.	मिजोरम	31.98	32.25
17.	नागालैंड	29.49	36.40
18.	उड़ीसा	830.75	850.19

1.	2	3	4
19.	पंजाब	391.95	299.18
20.	राजस्थान	628.54	806.96
21.	सिक्किम	20.96	24.94
22.	तमिलनाडु	967.09	794.05
23.	त्रिपुरा	41.56	54.84
24.	उत्तर प्रदेश	2035.08	2050.57
25.	पश्चिम बंगाल	1072.38	1468.86
	योग	13304.55	14253.60

दिनाजपुर कताई मिल, पश्चिम बंगाल

1432. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रायगंज स्थित पश्चिम दिनाजपुर कताई मिल को सुदृढ़ करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ संयुक्त रूप से सहयोग करने का वायदा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामाचन्द्रन): (क) से (ग) रायगंज, पश्चिम बंगाल में स्थित दि बेस्ट दिनाजपुर कताई मिल्स पश्चिम बंगाल सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मिल को सुदृढ़ करने सहित दक्ष प्रबंध व चलाने का काम पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है। हालांकि, केन्द्र सरकार द्वारा वस्त्र व पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से एक प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना शुरू की गयी है, जो कि 1.4.1999 से 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रचालन में है। उपर्युक्त योजना, दि दिनाजपुर स्पिनिंग मिल, पश्चिम बंगाल सहित, किसी भी विशेष मिल के संदर्भ में नहीं है। कोई भी पात्र/वस्त्र/पटसन एकक निधियों का उपयोग कर सकता है, जो उपर्युक्त योजना के मानदंडों और संबंधित वित्तीय संस्थान/बैंक के सामान्य वित्तीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत आते हों। केन्द्र सरकार, अपने नीतिगत ढांचे के अंतर्गत वस्त्र उद्योग की उद्देश्य पूर्ति हेतु सदैव सहायता प्रदान करती है।

[हिन्दी]

बीड़ी का निर्यात

1433. **श्री तरूण गोगोई:**
श्री तूफानी सरोज:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से विभिन्न देशों को बीड़ी का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इन देशों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इससे अर्जित की गई आय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अमरीका ने अपने बाजार में भारतीय बीड़ी व्यापार को श्रम मानदंडों के बहाने बंद कर दिया है;

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(च) क्या भारत का बीड़ी उद्योग अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से पूरी तरह प्रभावित हुआ है तथा क्या इस उद्योग में कार्यरत व्यक्ति बेरोजगारी के शिकार हुए हैं; और

(छ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हाँ।

(ख) यू एस ए, कनाडा, आस्ट्रेलिया, यू ए ई, सिंगापुर, स्विटजरलैंड, दक्षिण अरब, मलेशिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, ओमान इत्यादि।

(ग)

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़)
1996-97	662	15.96
1997-98	761	20.04
1998-99	998	30.37
1999-2के (अप्रैल-जनवरी)	887	28.79

स्रोत: तम्बाकू बोर्ड

(घ) अमरीकी सीमाशुल्क ने एक विशेष भारतीय निर्यातक नामतः मै. मनगौर गणेश बीड़ी वर्क्स से बीड़ियों के आयात के खिलाफ इस "उचित संदेह" के आधार पर रोक आदेश जारी किये हैं कि कम्पनी द्वारा बीड़ियों के विनिर्माण में बंधुआ बाल मजदूरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ङ) भारत सरकार ने इस मामले को अमरीका सरकार के समुचित अधिकारों के साथ उठाया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू बचत में गिरावट

1434. श्री नवल किशोर राय:
श्री अरुण कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश की घरेलू बचतों में लगातार गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान हुई घरेलू बचत सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत थी; और

(ग) इसमें हो रही लगातार गिरावट के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान घरेलू बचतों में वृद्धि करने के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के पास नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सकल घरेलू बचतों के अनुसार मापित बचत दर 1996-97 में 23.3 प्रतिशत, 1997-98 में 24.7 प्रतिशत तथा 1998-99 (त्वरित अनुमान) में 22.3 प्रतिशत थी। 1998-99 में बचत दर में गिरावट सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र, दोनों में बचत दर में गिरावट के कारण हुई। बचतों के संवर्धन हेतु उन प्राचलों को सुधारना आवश्यक है जो बचतों के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। इनमें शामिल हैं-अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर, राजकोषीय घाटे का स्तर, कर नीतियां, मुद्रास्फीति, बैंकिंग प्रणाली तथा पूंजी बाजार की सक्षमता तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास। अब तक किए गए विभिन्न आर्थिक सुधार उपायों का घरेलू बचतों के सम्पूर्ण स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है।

परंपरागत जड़ी-बूटी उत्पादों का पेटेंट किया जाना

1435. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में उपलब्ध विभिन्न जैसे नीम, हल्दी, विभिन्न वनस्पतियों और पौधों आदि परंपरागत और प्राचीन भारतीय जड़ी-बूटी औषधियों का कोई सर्वेक्षण कराया है और पेटेंट कानून में इन्हें शामिल करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा इसके प्रयोग का हवाला दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेटेंट कानून के दायरे में लाई गई इन भारतीय चीजों से विदेशी प्रतिस्पर्द्धा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) सरकार ने भारतीय प्राचीन ग्रंथों में औषधों तथा पौधों के उपलब्ध ज्ञान को प्रमाणित करने के कदम उठाये हैं ताकि इनका पेटेंटीकरण रोकने के लिए इसे सार्वजनिक अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत रखा जा सके। इस प्रयोजनार्थ एक परंपरागत ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी टास्क फोर्स की स्थापना की गई है।

(ग) संबंधित सरकारें अपने पेटेंट कानूनों के अंतर्गत पेटेंट प्रदान करती है। जब भी पेटेंट योग्य न पाये गये कतिपय उत्पादों पर पेटेंट लेने के बारे में सूचना प्राप्त होती है तो इस बात का मूल्यांकन करने के प्रयास किये जाते हैं कि क्या पेटेंट की स्वीकृति को चुनौती दी जा सकती है।

[अनुवाद]

तम्बाकू नीलामी के स्थल

1436. श्री ए. ब्रह्मैया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तम्बाकू की खरीद के लिए तम्बाकू बोर्ड ने नीलामी स्थल की घोषणा में विलम्ब किया;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तम्बाकू बोर्ड द्वारा आंध्र प्रदेश से तम्बाकू निर्यात हेतु नए बाजार खोजने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार ने किसानों को कोई आश्वासन दिया है कि उचित दर सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित न्यूनतम मात्रा में माल उठाया ही जाएगा; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में नीलामियाँ 22.2.2000 को शुरू हुई थीं। यह तारीख भारतीय तम्बाकू एसोसिएशन एवं तम्बाकू व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के पश्चात् तय की गयी थी।

(ग) जी, हाँ।

(घ) और (ङ) चूँकि आंध्र प्रदेश में 1999-2000 के फसल मौसम के लिए अनुमानित उत्पादन 101.19 मि.कि.ग्रा. की प्राधिकृत फसल के मुकाबले 145 मि.कि.ग्रा. के लगभग होने की आशा है इसलिए किसानों को आने वाले नीलामी के मौसम में उनके स्टॉक को उठाने अथवा उन्हें लाभकारी कीमत मिलने के बारे में कोई आश्वासन देना कठिन है।

निर्यात बाजार

1437. **श्री आर.एल. भाटिया**: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी देशों में निर्यात योग्य मदों हेतु बेहतर बाजार संबंधी सुविधाओं का पता लगाने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हाँ, तो निर्यात योग्य मदों का ब्यौरा क्या है तथा निर्यात किये जाने वाले देशों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में किसी देश के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या-क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) सरकार जोरदार बाजार प्रयासों के लिए अल्पावधि तथा मध्यम अवधि के कार्यनीति संबंधी उपाय कर रही है। लघु तथा मझौले उपक्रमों को विशेषीकृत व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें उत्पाद विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए तथा कार्यनीति संबंधी गठबंधनों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वे उत्पादों का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन कर सकें और विपणन संबंधी सम्पर्क स्थापित कर सकें।

इन देशों को निर्यात की प्रमुख मदों में ये शामिल हैं: वस्त्र (फैब्रिक्स और मेडअप्स) मानव निर्मित यार्न, फैब्रिक मेडअप्स, रत्न एवं आभूषण हस्तशिल्प, चमड़े की वस्तुएं तथा परिधान, आर एम जी मानव निर्मित फाइबर्स, औषधियां तथा भेषज, चमड़े के फुटवियर, कॉफी चाय, समुद्री उत्पाद, चावल, तम्बाकू, धातुओं की विनिमितियां और मसाले आदि।

यूरोप के अधिकांश देशों के साथ परस्पर परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करके व्यापार का संवर्धन करने के लिए भारत ने करार सम्पन्न किए हैं, संयुक्त उद्यमों की स्थापना की है, शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान व्यापार मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों तथा संगोष्ठियों का आयोजन, सूचना का आदान-प्रदान, और संयुक्त आयोग/समिति/संयुक्त व्यापर परिषद् की बैठकों आदि के माध्यम से समय-समय पर परस्पर रूप से विचार-विमर्श किया जाता है।

दूरदर्शन पर शैक्षणिक चैनल को शुरू करने में विलम्ब

1438. **श्री ए. वेंकटेश नायक**:
श्रीमती रानी नरह:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री तूफानी सरोज:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दूरदर्शन पर उपग्रह से प्रस्तावित शैक्षणिक चैनल के प्रसारण में निरंतर विलम्ब कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले शैक्षणिक चैनल के कार्य में और विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसमें विलम्ब होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) दूरदर्शन पर शैक्षणिक चैनल का प्रसारण कब तक शुरू किये जाने की संभावना है;

(ङ) इस चैनल पर किन कार्यक्रमों को प्रसारित किये जाने की संभावना है और इस संबंध में कौन से विभाग अपना योगदान देंगे;

(च) इस चैनल का लाभ अनुमानतः कितने व्यक्ति उठायेंगे; और

(छ) इससे विद्यार्थियों को कितना लाभ पहुंचने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ)

26 जनवरी, 2000 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से शैक्षणिक चैनल का परीक्षण के रूप में प्रसारण प्रारंभ कर दिया गया है।

(ङ) शैक्षणिक चैनल की विषय-वस्तु में स्वास्थ्य, स्वच्छता विज्ञान, कला, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान प्रचार तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के सामान्य पच्चीकारी कार्यक्रमों सहित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा, विस्तार, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्रों पर आधारित मिश्रित पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम होंगे। इस सॉफ्टवेयर का निर्माण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), राष्ट्रीय शैक्षणिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) केन्द्रीय शैक्षमिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.), राज्य शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान (एस.आई.ई.टी.) राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (एन.ओ.एस.) अंतरिक्ष तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.आई.टी.), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन.ए.सी.ओ.) आदि जैसी प्रमुख संस्थाओं द्वारा किया जाएगा।

(च) विभिन्न खण्ड के लोगों अर्थात् पूर्व-स्कूल बच्चों, स्कूली छात्रों, अनौपचारिक पद्धति के शिक्षार्थियों, अध्यापकों, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के विद्यार्थियों, प्रौढ़ शिक्षार्थियों और इसी तरह के विशेष रूप से दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले, शारीरिक रूप से असहाय तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित लोगों को कवर करने/लाभ पहुंचाने का विचार है।

(छ) इस चैनल को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा के क्षेत्र में एक मिश्रित पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रम प्रसारित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस प्रकार, इससे बहुत ज्यादा संख्या में सभी स्तर तथा विभिन्न विषय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश में मिर्च का उत्पादन

1439. **श्री ए. ब्रह्मनैयाः**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलुः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान देश में राज्य-वार मिर्च का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार ने मिर्च की सुसंघटित खेती को बढ़ाने और इस पर बल देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मसाला-बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में मिर्च की सुसंघटित खेती को बढ़ावा देने के लिए किन्हीं क्षेत्रों का चयन किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(च) मिर्च के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री. मुरासोली मारन): (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मिर्च का राज्य-वार उत्पादन निम्नानुसार रहा है:

उत्पादन (हजार टनों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	562.0	338.3	403.3
अरूणाचल प्रदेश	1.5	1.0	1.6
असम	9.9	9.5	9.7
बिहार	4.5	4.5	4.7
गुजरात	18.8	21.3	18.2
हरियाणा	2.6	2.2	1.5
हिमाचल प्रदेश	0.3	0.3	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	0.4	0.4	0.6
कर्नाटक	161.2	130.08	142.6
केरल	0.5	0.6	0.6
मध्य प्रदेश	17.4	23.7	19.7
महाराष्ट्र	59.6	60.8	57.7
मणिपुर	4.3	4.6	5.3
मेघालय	1.1	1.1	1.1
मिजोरम	3.3	3.3	3.3
नागालैंड	3.8	4.2	9.6
उड़ीसा	40.7	72.4	76.6
पंजाब	7.4	8.0	8.0

1	2	3*	4
राजस्थान	59.7	66.4	49.2
तमिलनाडु	38.2	42.4	39.7
त्रिपुरा	0.9	1.0	1.2
उत्तर प्रदेश	18.6	17.1	15.5
पश्चिम बंगाल	49.7	55.8	51.3
पांडिचेरी	नगण्य	नगण्य	नगण्य
अखिल भारतीय	1066.4	870.1	921.3

(ख) और (ग) मसाला बोर्ड ने यू एन डी पी परियोजना के अधीन असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में मिर्च की कार्बनिक खेती का संवर्धन करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों को उक्त क्षेत्र में मिर्च के किसानों को प्रशिक्षण दे कर गैर सरकारी संगठनों के जरिए कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। मसाला बोर्ड द्वारा गैर सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों इत्यादि के लाभार्थ एक संदर्भिका भी तैयार की जा रही है जिसमें मिर्च की कार्बनिक खेती हेतु दिशा-निर्देश और उत्पादन पद्धतियाँ शामिल हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) मिर्च के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किये गए उपायों में शामिल हैं–न्युक्लियस बीजों का उत्पादन, प्रदर्शन-सह-बीज गुणन प्लाटों की स्थापना, पौध संरक्षण उपायों का प्रदर्शन, मिनी किटों का वितरण, क्षेत्र विस्तार और पैपरिका प्रदर्शनों की व्यवस्था।

मिर्च के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(1) स्वच्छतापूर्ण स्थितियों में मिर्च को सुखाने के लिए इमदाद शुदा लागत पर पोलीथीन की शीटों की आपूर्ति करना;

(2) मिर्च सुखाने के लिए ड्राइंग यार्ड के निर्माण में उपजकर्त्ताओं को सहायता देना;

(3) उपजकर्त्ताओं, व्यापारियों, गैर-सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों और निर्यातकों को नियमित प्रशिक्षण के जरिए गुणवत्ता में सुधार लाना;

(4) मसाला बोर्ड के कार्यकलापों को कार्यान्वित करने एवं उनकी मानिटरिंग के लिए हैदराबाद में एक क्षेत्रीय कार्यालय तथा गुंटूर में एक आंचलिक कार्यालय को खोलना।

इसके अतिरिक्त, मिर्च के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:–गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, "लोगो संवर्धन" जैसी ब्रांड संवर्धन योजनाओं का कार्यान्वयन, गुणवत्तायुक्त उत्पादों के प्रसंस्करणकर्त्ता/निर्यातक की मान्यता के रूप में "मसाला गृह प्रमाण-पत्र" प्रदान करना, मिर्च प्रसंस्करण/विनिर्माण एककों में आई एस ओ 9000 और एच ए सी सी पी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली प्राप्त करने में सहायता देना।

लघु बचत योजनाओं का निष्पादन

1440. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष डाक विभाग के माध्यम से चलाई जा रही लघु बचत योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं में लागू किये गए अथवा विचाराधीन परिवर्तनों/पुनर्गठनों सहित तत्संबंधी योजनावार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजनाओं में अधिक बचत दर प्राप्त करने संबंधी प्रयोजनों को जुटाने हेतु प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, हां। लघु बचतों तथा सार्वजनिक भविष्य निधि योजनाओं की पूरे देश के लिए समग्रत: आवधिक समीक्षा की जाती है। विगत कुछ वर्षों के दौरान संग्रहणों में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है।

समीक्षा के पश्चात् आरम्भ किए गए प्रमुख परिवर्तन निम्नांकित हैं:

(1) डाक घर मासिक आय खाता तथा डाक घर बचत खाता योजनाओं के अंतर्गत जमाओं की उच्चतम सीमा बढ़ा दी गई है।

(2) किसान सहकारिताओं, श्रमिक सहकारिताओं तथा स्व-सहायता दलों को राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (आठवां निर्गम) तथा किसान विकास पत्र योजनाओं में निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है।

(3) लघु बचत अभिकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को उनके द्वारा जुटाए गए जमाओं के लिए देय कमीशन को संग्रहणों को जमा करते समय ही स्रोत पर देकर कमीशन भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय किया गया है।

(4) 16.7.1999 से इन्दिरा विकास पत्र योजना बंद कर दी गई है।

(5) मृतक दावा मामलों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न डाक प्राधिकारियों की शक्तियों में वृद्धि करने हेतु डाक घर बचत बैंक सामान्य नियमावली, 1981, किसान विकास पत्र नियमावली, 1988 तथा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (आठवां निर्गम) नियमावली, 1989 में संशोधन किया गया है।

(6) देश में प्रचलित समग्र ब्याज दर से जोड़ने के उद्देश्य से कुछ लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें 1.1.1999 तथा 15.1.2000 से तथा सार्वजनिक भविष्य निधि पर ब्याज दर 15.1.2000 से संशोधित की गई हैं।

संसाधनों के निरन्तर एवं संवर्द्धित संग्रहण के लिए समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं। लघु बचत योजनाएं आकर्षक प्रतिलाभ, महत्वपूर्ण कर रियायत, सहज नकदीकरण एवं आसान पहुंच का लाभ देती हैं। ये योजनाएं 1.5 लाख डाक घरों के नेटवर्क के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं द्वारा संचालित की जाती हैं। 5 लाख से अधिक लघु बचत अभिकर्ता इन योजनाओं को निवेशकों के घर पर वर्ष पर्यन्त उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा अभिकर्ताओं, राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा आम जनता के लिए प्रचार अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

बैंकों पर गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों का प्रभाव

1441. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कार्य प्रणाली के कारण राष्ट्रीय बैंकों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन शर्तों पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में सुधारात्मक कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जिन शर्तों पर कार्य करने की अनुमति दी जाती है, जनवरी, 1997 में यथा संशोधित वे शर्तें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय 111-ख में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने विद्यमान नियामक ढांचे की समीक्षा करने और निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई से संबंधित कुछ कमियों को दूर करने के लिए अगस्त, 1998 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर एक कार्य दल की नियुक्ति की थी। कार्य दल ने अपनी सिफारिशें अक्तूबर, 1998 में प्रस्तुत की थीं। दिसम्बर, 1998 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देश जारी करके कार्य दल की गई सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं। नए विधान में सिफारिशों को प्रभावी बनाने की परिकल्पना की गई है।

एशियाई विकास बैंक द्वारा विकास कार्यनीति

1442. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने इस वर्ष के प्रथम छमाही में निजी क्षेत्र की सक्रिय सहभागिता को देखते हुए भारत के लिए निजी क्षेत्र के विकास कार्य नीति को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो एशियाई विकास बैंक का विचार किन-किन मुख्य मुद्दों पर अपनी योजना की वृद्धि हेतु निजी क्षेत्र की सहायता देने का है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण

1443. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण शिल्पियों, कुटीर उद्योगों, खुदरा विक्रेताओं को और स्व-रोजगार हेतु बड़े पैमाने पर ऋण प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कुल कितना ऋण प्रदान किया गया;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कोई नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं की उपर्युक्त श्रेणियों को दिए गए ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1999 से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) शुरू की है जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करना है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का कार्यान्वयन बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इस योजना के कार्यान्वयन में भाग लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने दिनांक 19 अप्रैल, 1999 को अपने परिपत्र द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

विवरण

ग्रामीण कारीगरों, खुदरा व्यापार और स्वरोजगार के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा संवितरित ऋण

(लाख रु.)

	1996-97	1997-98	*1998-99
	1	2	3
हरियाणा	1550.79	1075.17	1013.78
हिमाचल प्रदेश	519.54	1266.56	1817.96
जम्मू व कश्मीर	613.62	915.38	980.27
पंजाब	817.33	828.51	938.36
राजस्थान	3344.71	4560.54	4965.08
अरूणाचल प्रदेश	240.20	636.85	381.95
असम	1231.22	1599.16	1853.88
मणिपुर	46.44	81.78	26.93
मेघालय	387.88	391.35	329.02
मिजोरम	189.19	271.67	237.59
नागालैण्ड	0.00	0.00	4.98

	1	2	3
त्रिपुरा	105.03	177.87	288.22
बिहार	6132.34	8877.50	6853.09
उड़ीसा	4467.04	6746.73	5708.66
पश्चिम बंगाल	4088.08	5797.66	4728.84
मध्य प्रदेश	4928.56	6117.72	6273.89
उत्तर प्रदेश	14754.42	17658.40	19397.63
गुजरात	1336.92	2726.28	2776.42
महाराष्ट्र	2538.43	3048.37	4843.10
आंध्र प्रदेश	4838.86	6275.05	6099.15
कर्नाटक	11981.32	12288.00	13790.65
केरल	13965.00	12273.00	15977.83
तमिलनाडु	4035.69	5416.63	5410.77
कुल	82112.61	99030.18	104698.05

*अनंतिम

[अनुवाद]

आई.डी.आर.ए. 1951

1444. **श्री सुबोध मोहिते: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम, 1951 को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को भारतीय उद्योग परिसंघ तथा "एसोचेम" से नए कानून को लागू करने संबंधी सुझाव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ङ) कानूनों विनियमों की समीक्षा तथा कार्यविधियों के सरलीकरण की प्रक्रिया में सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह ने उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 की समीक्षा के संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) तथा एसोचैम सहित शीर्ष उद्योग संगठनों के साथ विचार-विमर्श करके अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। उक्त समूह ने नये उद्योग अधिनियम के अधिनियमन का प्रस्ताव किया है जो विनियमन की बजाए उद्योगों के संवर्धन तथा विकास पर केन्द्रित होगा। सरकार ने विशेषज्ञ समूह द्वारा यथाप्रस्तावित नया अधिनियमन बनाने की संभाव्यता की जांच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

1445. **श्री नरेश पुगलिया: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या और नाम क्या हैं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसरण नहीं करने के कारण पंजीकरण हेतु उनके आवेदनों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है;

(ख) क्या ऐसी कंपनियां अभी भी बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निवेशकर्ताओं के हित में इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूची से हटाए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1468 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पंजीकरण के आवेदन अस्वीकार किए हैं। जिन कंपनियों के पंजीकरण के आवेदन अस्वीकार किये जाते हैं, उनके नामों की सूचना समय-समय पर राज्य सरकारों को दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक अस्वीकृति के बारे में आम जनता को सूचित करने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी निकालता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक अस्वीकृत सभी आवेदनों की समेकित सूची समय-समय पर अपने वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.आरबीआई. ओआरजी.आईएन) पर प्रकाशित करता है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय 111-ख के अंतर्गत एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के लिए किसी कंपनी के आवेदन को अस्वीकृत किये जाने से कंपनी के शेयरों को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करने या ऐसे शेयरों का व्यापार करने पर कोई रोक नहीं लगती है।

उड़ीसा में कोयला-खदानें

1446. श्री भर्तृहरि महताब: क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में उड़ीसा में स्थानवार कौन-कौन सी कोयला-खदानें हैं जिनमें काम चल रहा है;

(ख) 1997-98 और 1998-99 के दौरान इन खदानों में कुल कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन किया गया;

(ग) क्या किसी अभिकरण द्वारा अदोहित कोयला-भंडारों का कोई अन्वेषण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका परिणाम क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) कोल इंडिया लि. के अंतर्गत उड़ीसा में प्रचालित कोयला खानों के स्थल-वार नाम नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	तलचर कोलफील्ड (आंगुल जिला)		इब-घाटी कोलफील्ड्स (झारगसुगुडा जिला)		सुंदरगढ़ जिला
1.	तलचर	भू.ग.	ओरिएंट सं. 1 और 2	भू.ग.	बसुंधरा (पूर्व) ओ.का.
2.	डयूल बेरा	भू.ग.	ओरिएंट सं. 3	भू.ग.	
3.	नंदिरा	भू.ग.	ओरिएंट सं. 4	भू.ग.	
4.	लिंगराज	ओ.का.	हिमगिर रामपुर	भू.ग.	
5.	बालंदा	ओ.का.	हीराखंड बुंडले इन्कलाइन	भू.ग.	
6.	जगन्नाथ	ओ.का.	बेलपहाड़	ओ.का.	
7.	अनंता	ओ.का.	लखनपुर	ओ.का.	
8.	भरतपुर	ओ.का.	लाजकुरे	ओ.का.	
9.	कलिंगा	ओ.का.	समलेश्वरी	ओ.का.	
10.	हिंगुला	ओ.का.	लिलारी री	ओ.का.	

भू.ग. - भूमिगत खानें
ओ.का. - ओपनकास्ट खानें

(ख) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान इन खानों में उत्पादित कुल कोयला इस प्रकार है:

(लाख टन में)

1997-98	421.70
1998-99	435.11

(ग) और (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा में कोयले का क्षेत्रीय अन्वेषण किया है। किन्तु, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. (सी एम पी डी आई एल) तथा खनन एवं भू-विज्ञान निदेशालय, उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा राज्य में भंडारों को निर्दिष्ट करने के लिए विस्तृत अन्वेषण करवाया है। सी.एम.पी.डी.आई.एल. ने उड़ीसा के तलचर और ईब-नदी कोलफील्ड्स में वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान (जनवरी, 2000 तक) विस्तृत अन्वेषण द्वारा कुल 3.70 बिलियन टन कोयला भंडारों को विनिर्दिष्ट किया है।

ऋण सीमा

1447. डा. वी. सरोजा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ऋणों की सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सरकार द्वारा ऋणों की उच्चतम सीमा निर्धारित किए जाने से संबंधित कोई निश्चित प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। इस पर बजट भाषण में उल्लिखित राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक के भाग के रूप में विचार किया जायेगा।

वस्त्र क्षेत्र के लिए रोलैंड बर्जर का आंकलन

1448. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोलैंड बर्जर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वस्त्र उद्योग का परामर्श संगठन है, के अध्ययन के अनुसार वस्त्र क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र बाजार में 6 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने के लिए 72,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) रोलैंट वर्जर द्वारा अध्ययन का कार्य भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा शुरू किया गया है और न कि सरकार द्वारा। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुमान लगाया गया है कि परिधानों में 6 प्रतिशत के बाजार शेयर को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2005 तक 72,000 करोड़ रुपये के निवेश की आशा है।

तथापि, सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठा रही है। इस संबंध में की गयी कुछेक महत्वपूर्ण पहल निम्नानुसार हैं:

1. इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को लागू किया गया है।

2. निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों में विनिर्माता निर्यातक हकदारी और नयी निवेशक हकदारी प्रणालियां शामिल हैं ताकि वस्त्र क्षेत्र में नये निवेश को नया प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि के अनुरूप उनको बनाने के अतिरिक्त बुनाई और प्रसंस्करण में अत्यधिक निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सके।

3. शून्य शुल्क निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के अंतर्गत कुछ निर्धारित वस्त्र मशीनों के संबंध में प्रारंभिक सीमा घटाकर 1 करोड़ रु. कर दी गयी है।

4. सरकार अन्य बातों के साथ-साथ वस्त्र क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नीति को उदार बनाने के लिए समय-समय पर उपाय कर रही है। हाल ही में सरकार ने कुछ अपवाद के साथ वस्त्र क्षेत्र में स्वचल मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति दी है।

5. सरकार ने हाल ही में कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। इस मिशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता मौजूदा जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियों को उन्नत बनाने/आधुनिक बनाकर कपास प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार लाना है।

[हिन्दी]

सरकार द्वारा बुनकरों/यार्न बैंक के उत्पादों की खरीद

1449. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा बुनकरों द्वारा तैयार उत्पाद खरीदने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में विशेषकर महाराष्ट्र में हथकरघा बुनकरों द्वारा तैयार उत्पादों हेतु कोई काटन यार्न बैंक स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वित्तीय रूप से कमजोर बुनकरों की समस्यायें किस प्रकार हल की गई हैं और सरकार द्वारा उन्हें किस प्रकार की सहायता दी गई/दी जा रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) हथकरघा उत्पादों की आपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा अभिकरणों को उनकी आवश्यकता तथा हथकरघा क्षेत्र से उपलब्धता के अनुसार एकल निविदा पद्धति के अंतर्गत भारत सरकार ने हथकरघा निगमों और शीर्ष समितियों (आकाश) का एक संघ स्थापित किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार के पास महाराष्ट्र सहित देश में हथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित उत्पादों की खरीद हेतु कोई सूती यार्न बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं हैं।

(ङ) भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास तथा बुनकरों के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमें तथा कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये हैं। इनमें प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम, कार्यशाला-सह-आवास स्कीम, थ्रिफ्ट फंड स्कीम, समूह बीमा स्कीम, स्वास्थ्य पैकेज स्कीम, स्वतंत्र डिजाइनर स्कीम, निर्यात विकास स्कीम, विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम, मिल गेट कीमत पर यार्न की आपूर्ति तथा हैंक यार्न बाध्यता स्कीम आदि शामिल है।

[अनुवाद]

भारतीय खान ब्यूरो का निष्पादन

1450. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियों के संदर्भ में भारतीय खान ब्यूरो का निष्पादन क्या रहा और वर्ष 2000-2001 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में निरीक्षण की गई खानों का ब्यौरा क्या है और स्वीकृत और अस्वीकृत खनन योजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) राज्य में खानों संबंधी कितने अध्ययन किये गये हैं और उनका क्या निष्कर्ष निकला है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) महोदय, भारतीय खान ब्यूरो के कार्यनिष्पादन का आकलन इसके नेमी कार्यों जैसे राष्ट्रीय खनिज माल-सूची और खनिज मानचित्रों को तैयार करना इत्यादि सहित कई मानदण्डों पर किया जाता है। तथापि, मुख्य परिमाणात्मक मदों के संबंध में लक्ष्यों और उपलब्धियों को संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) तमिलनाडु में, पिछले तीन वर्षों के दौरान, निरीक्षित खानों, खनन योजनाओं व स्कीमों की संख्या जिन्हें अनुमोदित एवं अस्वीकृत किया गया है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1999-2000 (जनवरी तक) सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान, तमिलनाडु में भारतीय खान ब्यूरो ने सात खनिज अध्ययन किए। संबंधित पार्टियों की इच्छा के अनुसार विभिन्न खनिजों की पहचान की गई और उनके अनुमानित प्रतिशत का अनुमान लगाया गया।

विवरण I

(क) वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के दौरान भारतीय खान ब्यूरो का निष्पादन (लक्ष्य और उपलब्धियां) तथा वर्ष 2000-2001 के लक्ष्य

क्र.सं.	कार्यकलाप	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एम.सी.डी.आर. के लिए खानों का निरीक्षण और खनन योजनाएं	2650	2744	2650	2760	2650	2196	2650
2.	एन.एम.आई. के उन्नयन के लिए विशेप भूवैज्ञानिक अन्वेषण	192	192	450	562	1260	901	5015

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	खनन योजनाएं							
	(क) प्रोसेसड	–	887	–	757	–	609	–
	(ख) अनुमोदित	–	829	–	679	–	555	–
	(ग) अस्वीकृत	–	58	–	78	–	54	–
4.	खनन स्कीमें							
	(क) प्रोसेसड	–	201	–	165	–	160	–
	(ख) अनुमोदित	–	190	–	138	–	141	–
	(ग) अस्वीकृत	–	11	–	27	–	19	–
5.	खनिज सज्जीकरण							
	(1) अयस्क प्रसाधन अन्वेषण	70	68	70	70	70	62	70
	(2) रासायनिक विश्लेषण (मूलकों का निर्धारण)	50,000	31,537	50,000	53,348	50,000	46,102	50,000

*जनवरी, 2000 तक

**खनिज संरक्षण और विकास नियमावली

***राष्ट्रीय खनिज मालसूची

विवरण II

विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में निरीक्षित खानों, अनुमोदित और अस्वीकृत खनन योजनाओं तथा स्कीमों की संख्या निम्नानुसार है:

1. तमिलनाडु में निरीक्षित खान

1997-98	146
1998-99	166
1999-2000 (जनवरी तक)	134

2. तमिलनाडु के संबंध में अनुमोदित खनन योजनाएं तथा खनन स्कीमें

	खनन योजनाएं		खनन स्कीमें	
	अनुमोदित	अस्वीकृत	अनुमोदित	अस्वीकृत
1997-98	86	1	19	शून्य
1998-99	33	1	3	शून्य
1999-2000 (जनवरी तक)	45	13	63	शून्य

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में उठाए जाने वाले मुद्दे

1451. श्री के.पी. सिंह देव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और श्रम विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में गैर-व्यापारिक मुद्दे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) से ऐसे मुद्दों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) व्यापार और पर्यावरण के बीच संबंध के बारे में व्यापार और पर्यावरण (सी टी ई) संबंधी डब्ल्यू टी ओ समिति में 1995 से विचार-विमर्श किया जा रहा है जैसा कि व्यापार और पर्यावरण संबंधी मारकेश निर्णय द्वारा अधिदेश है। अन्य समान सोच वाले देशों के सहयोग से भारत ने मौजूदा डब्ल्यू टी ओ नियमों में कुछ विकसित देशों द्वारा यथा प्रस्तावित किसी भी प्रकार के संशोधनों का प्रभावपूर्ण ढंग से विरोध किया है। व्यापार को श्रम मानकों के

साथ जोड़ने का प्रस्ताव कुछ विकसित देशों द्वारा 1996 में सिंगापुर में हुए डब्ल्यू टी ओ के पहले मंत्रालयी सम्मेलन में और वर्ष 1999 में सिएटल में हुए डब्ल्यू टी ओ के तीसरे मंत्रालयी सम्मेलन में भी किया गया था। भारत ने अन्य समान सोच वाले देशों के सहयोग से दोनों सम्मेलनों में इस संयोजन को शामिल करने का प्रभावपूर्ण ढंग से विरोध किया है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का अंतरण

1452. **श्री सुनील खां:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को दूरसंचार विभाग के अधीन अंतरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को भारी उद्योग विभाग ने दूर संचार विभाग में स्थानान्तरित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टी.आर.आई.पी.एस. समझौता

1453. **श्री मोइनुल हसन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं (टी.आर.आई.पी.एस.) पर विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के साथ किये गये समझौते पर वर्तमान समय में समीक्षा हो रही है;

(ख) क्या कुछ विकासशील देशों ने टी.आर.आई.पी.एस. समझौते के कार्यान्वयन में पांच वर्ष के और विलंब की मांग की है; और

(ग) यदि हाँ, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) व्यापार से जुड़े बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के पहलुओं (ट्रिप्स) से संबंधित करार के कुछ उपबंधों में अनिवार्य समीक्षाओं का प्रावधान है। अनुच्छेद 27.3 (ख) में सूक्ष्म जीवों को छोड़कर सभी जीवों और गैर-जैविक और सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं को छोड़कर जैविक प्रक्रियाओं की पेटेंट योग्यता से अलग रखने से संबंधित वर्तमान उपबंधों की समीक्षा की व्यवस्था है। अनुच्छेद 23.4 में मदिरा के लिए भौगोलिक संकेतकों की अधिसूचना और उनके पंजीकरण की बहुपक्षीय प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 24.2 में भौगोलिक संकेतकों से संबंधित उपबंधों के प्रयोग की समीक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 64.3 में ट्रिप्स करार के अनुसरण में की गई उल्लंघनेत्तर शिकायतों के क्षेत्र विस्तार एवं तौर-तरीकों की जांच किया जाना अपेक्षित है जिसमें ट्रिप्स करार पर उन्हें लागू न किए जाने की अवधि को बढ़ाए जाने की संभावना भी शामिल है। अंत में, अनुच्छेद 71 में ट्रिप्स करार के क्रियान्वयन की समीक्षा का प्रावधान है। डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों द्वारा 30 नवम्बर-3 दिसम्बर, 1999 के दौरान सिएटल में आयोजित डब्ल्यू टी ओ के तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उक्त समीक्षाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कुछ प्रस्ताव किए गए थे। तथापि, सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिए गए थे। कुछ विकासशील देशों, खासकर अफ्रीकी विकासशील देशों ने मांग की थी कि विकासशील देशों के लिए ट्रिप्स करार की कार्यान्वयन अवधि बढ़ाई जाए। यद्यपि भारत ने ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किया है तथापि भारत ऐसे समान विचारों वाले विकासशील देशों के समूह का हिस्सा है जिन्होंने क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों पर ऐसे प्रस्ताव किए थे जिनमें विकासशील देशों द्वारा ट्रिप्स करार के अंतर्गत दायित्वों के क्रियान्वयन की समयावधि को आगे और बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल था।

पाटनरोधी

1454. **श्रीमती श्यामा सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने उत्पादों का जमाव कर रही हैं जिससे स्वदेशी कंपनियों, उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत में इस प्रकार के आयात और पाटन पर कुछ प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) 29.2.2000 की स्थिति के अनुसार उन मामलों की सूची संलग्न विवरण I और II (क) तथा II(ख) में संलग्न है जिनमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए

नियमों के अधीन नियुक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निश्चित अथवा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है अथवा जिनमें जांच शुरू की गई हैं और सिफारिश के लिए लंबित पड़े हैं।

(ग) और (घ) पाटनरोधी शुल्क केवल तब लगाया जाता है जब उन विदेशी निर्यातकों के खिलाफ पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की पुष्टि हो जाती है जिनके खिलाफ भारत में वस्तुओं के पाटन के बारे में जांच शुरू की गई है। यह आयातों को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग संभव सीमा तक, केवल उचित व्यापार व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग के लिए टैरिफ तंत्र के जरिए संरक्षण उपलब्ध हैं क्योंकि सभी आयातों पर लागू होने वाला सीमाशुल्क लगाया जाता है। घरेलू उद्योग संगत नियमों के अनुसार सुरक्षोपाय तंत्र के अंतर्गत अधिक आयातों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर सकता है। तथापि, घरेलू उद्योग को मात्रात्मक प्रतिबंधों की किसी प्रणाली के जरिए संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं होगा।

विवरण I

वे मामले जिनके लिए निश्चयात्मक (अंतिम) जांच परिणाम अधिसूचित कर दिये गये हैं

क्रम सं.	उत्पाद	जांच शुरू करने का समय	देश	याचिकाकर्ता का नाम	प्रारंभिक जांच की तारीख	अंतिम जांच की तारीख	शुल्क की सीमा (रु. प्रति एकक) (प्रारंभिक)	शुल्क की सीमा (रु. प्रति एकक) (अंत में)	लागू करने की तारीख	समीक्षा की तारीख	राजस्व विभाग द्वारा लगाई गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	पीवीसी रैजिन	10.06.92	ब्राजील, मेक्सिको, कोरिया गण., यू.एस.ए.	पीवीसी रैजिन विनिर्माता संघ	18.1.93	30.7.93	1050 रु./ मी. टन 2070 रु./ मी. टन	रु. 504/मी टन 2036 रु. प्रति मी. टन	18.01.94	29.9.97 (एम)	शून्य
2.	बिसफिनॉल-ए	12.08.92	जापान	मै. केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि.	10.08.93	18.02.94	निर्यातों का 28.9% सी आईएफ मूल्य	7477 रु. मी. टन	11.03.94	29.9.96 (एम) 11.8.99 (एस)	शून्य
3.	पोटाशियम परमैगनेट	30.12.94	चीन जन. गणराज्य	मै. यूनिवर्सल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज प्रा.लि.		24.7.95	-	5992 रु./ मी.	05.09.95	18.12.98 (एम)	61.153 रु. तथा लैंडिड मूल्य के बीच का अंतर
4.	आइसोब्यूटाइल बेंजीन (आईबी बी)	07.01.94	चीन. जन गणराज्य	मै. विनति ऑरगेनिक्स	30.8.94	27.07.95	2422 रु./ मी. टन	10634 रु./ मी. टन	31.08.95	27.3.98 (एम)	12465 रु./ मी. टन
5.	3, 4, 5 ट्राइ मिथॉक्सी बेन्जल्डिहाइड (टीएमबीए)	11.08.94	चीन जन. गणराज्य	मै. अल्फा ड्रग इंडिया लिमिटेड	31.01.95	24.7.95	9.47 यूएस डालर/कि.	237 रु. प्रति किग्रा.	20.10.95	8.3.99 (एम)	207 रु./ कि.ग्रा.
6.	थियोफाइलीन कैफीन	30.08.94	चीन जन. गणराज्य	मैं बकुल एरोमेटिक्स, मैं कोरस इंडिया मै. सवन फर्मा	31.01.95	26.07.95	63.37% यू.एस.डा. /74.55 % प्रति कि.ग्रा.	108 रु. कि.ग्रा. 101 रु./ किग्रा.	20.10.95	12.11.98 (एम)	संदर्भ कीमत रु. 562.55 सी रु. 594.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	एक्रोलोनाईट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ (एनबीआर)	28.10.94	जापान	मैं गुजरात एपार लि.		19.10.95	-	19036 रु./ मी. टन	14.11.95	1.4.99 (एम)	7882 रु. प्रति मी. टन
8.	बिसफिनोल-ए	30.12.94	ब्राजील, रूस	मै. केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि.	-	20.11.95	-	12582/मी टन 13997 रु./ मी. टन	26.12.95	26.3.99 (एम)	12582 रु./ मी. टन 13997 रु./ मी. टन
9.	सोडियम फेरोसाइनाइड	11.10.95	चीन जन.गण.	मै. साइनाइड्स केम. क.	8.8.96	10.10.96	16358/ मी. टन 20287 रु./ मी. टन	16358 रु./ मी. टन 20287 रु./ मी. टन	20.12.96		
10.	डेडबर्नट मैगनेसाइट (डीबीएम)	16.05.95	चीन जन. गणराज्य	मैगनेसाइट एसोसिएशन ऑफ इंडिया	10.6.96	12.11.96	705 रु./मी. टन- 1264 रु./ मी. टन	705 रु./ मी. टन 1265 रु./ मी. टन	20.12.96		
11.	लो-कार्बन फेरो क्रोम (एलसीएफसी)	06.06.95	रूस कजा-किस्तान	इंडिया फेरो अलॉय प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन	21.5.96	3.12.96	10,000 रु.- 18,600 रु./ मी. टन 18500 रु./ मी. टन	10900 रु.- 18600 रु./ मी. टन 18500 रु./ मी. टन	24.1.97		
12.	8-हाइड्रोक्सी क्विनोलिन	04.03.96	चीन जन गण.	पं. बंगाल फार्मास्युटिक्स, देव कार्पो. लि.	6.9.96	28.2.97	183– 206 रु./ प्रतिकिग्रा.	183- 206 रु./ किग्रा.	1.4.97		
13.	बिसफिनॉल-ए	20.11.95	यू.एस.ए.	केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स	25.10.96	18.3.97	16000 रु./ मी. टन	10000 रु./ मी. टन	29.4.97		
14.	एक्रिलोनाइट्राइल ब्युटाडाइन रबड़ (एनबीआर)	15.03.95	जर्मनी, कोरिया गणराज्य	गुजरात एपार पॉलीमर्स	30.12.96	17.7.97	11557/मी.टन –8975/ मी. टन	8316 रु./ मी. टन 13255 रु./ मी. टन	•30.7.97		
15.	एक्रीलिक फाइबर	13.09.96	यू.एस.ए. थाईलैण्ड, कोरिया	इंडिया एक्रीलिक लिमि. पशुपति एक्रिलोन लिमि.	31.3.97	14.10.97	6.30–42.93 रु./किग्रा.	6.30 रु. से 42.93 रु./ कि.ग्रा.	24.10.97		
16.	उत्प्रेरक	06.09.96	डेनमार्क	यूनाइटेड कैटलिस्ट लि. प्रोजेक्ट्स एंड डेव. इंक.	7.5.97	5.1.98	21.24 रु.- 192.0 रु./ लि.	25.64 रु.- 215.46 रु./ लि.	2.2.98		
17.	अखबारी कागज	20.12.96	कनाडा, यू.एस.ए., रूस	भारतीय अखबारी कागज विनिर्माण संघ	11.6.97	19.3.98	22958 रु.- 26696 रु.	गणना के लिए संदर्भ कीमत	कोई शुल्क नहीं लगाया है		
18.	प्यूरिफाईड टर्फथैलिक एसिड (पीटीए)	20.12.96	कोरिया, थाईलैण्ड	बाम्बे डाईंग एण्ड मै. न्यू. कं.लि., मै. रिलायंस इंड क.लि.पैट इंडिया	4.9.97	19.03.98	1130 रु.- 3375 रु./ मी. टन	1130 रु.- 3375 रु./ मी. टन	11.02.99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स	30.9.96	यू.एस.चीन, स्पेन, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, आस्ट्रिया एवं फ्रांस	इंडियन ग्रेफाइट मैन्यू. एसोसिएशन	9.6.97	27.03.98	9028 रु. से 29695 रु. प्रति मी. टन	5517 रु.- 30997 रु./ मी. टन	5.5.98		
20.	विटामिन सी	26.5.97	जापान एवं चीन गणराज्य	अम्बालाल साराभाई प्रा.लि.	11.3.98	25.5.98	27.59– 61.96 रु./ कि.ग्रा.	27.59 61.96 रु./किग्रा.	24.7.98		
21.	मैग्नेसियम	31.7.97	चीन जन. गण	संदर्भ मैग्नेसियम एंड केम लि.	6.2.98	24.7.98	27509 रु./ मी. टन	157005 रु. /मी.टन संदर्भ कीमत	22.10.98		
22.	मेट कोक	28.8.98	चीन जन. गण.	बी एस ए इंड, बम्बई क्रोपेटइंड एंड कोमर एसोसिएशन धनबाद	20.3.98	27.8.98		4637 रु. न्यूनतम 692 रु./ मी. टन के तहत संदर्भ कीमत	27.10.98		
23.	पालीस्टीरीन	6.9.97	कोरिया गण जापान, ताइवान मलेशिया	एसोसिएशन ऑफ पॉलीस्टीरीन (सुप्रीम राजस्थान मैक डोवेल्स)	12.5.98	14.9.98	2677 रु./ मी. टन- 11388 रु./ मी. टन	1963 13493 रु./ मी. टन	17.11.98		
24.	हॉट रोल्ड क्वायल्स	6.10.97	रूस, कजाकिस्तान एवं यूक्रेन	सेल एंड एस्सार स्टील कोपोर लॉयड इंड टाटा टिस्को	17.6.98	18.11.98		14300 रु./ मी. टन 22000 रु. मी. टन	27.11.98		
25.	लोवास्टेटीन	22.12.97	चीन जन. गणराज्य	आर्टेमिस फर्मास्यूटिकल्स	23.9.98	18.12.98	191869 रु./ कि.ग्रा. तथा लैंडिड मूल्य के बीच का अंतर	191869 रु./ किग्रा. तथा लैंडिड मूल्य के बीच का अंतर	29.1.99		
26.	आर्थोक्लोरो बेन्जेल्डिहाइड	19.2.98	चीन जन गण	चेन्नै पेट्रो. इंटरनेशनल लि.	14.10.98	18.12.98	200.21 रु./ किग्रा. तथा लैंडिड मूल्य के बीच का अन्तर	200.21 रु./ कि.ग्रा. तथा लैंडिड मूल्य के बीच का अन्तर	22.1.99		
27.	एक्रीलिक फाइबर	7.1.98	इटली, स्पेन, पुर्तगाल एवं जापान	इंडियन एक्रीलिक्स लि.	20.10.98	24.12.98	2.69 रु./ कि.ग्रा.- 82.00 रु./ कि.ग्रा.	2.69 रु./ कि.ग्रा.- 82.00 रु./ कि.ग्रा.	22.1.99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	कैल्शियम कार्बाइड	26.1.98	चीन जन. गण, रूमानिया	इंडल केम. एंड मोनोमर्स	24.8.98	22.1.99	1047 रु. से 1460 रु./ मी. टन	499-873 रु./ मी. टन	11.3.99		
29.	डी बर्ट मैग्नेशिया	4.11.97	चीन जन. गण	बिरला पेरीक्लेज		2.2.99	-	390 रु./ मी. टन-994 रु./ मी. टन	17.3.99		
30.	पैराटर्ट ब्युटाइल केटाकोल (पीटीबीसी)	19.2.98	फ्रांस	पूना एंड संस	26.11.98	15.2.99	48.03 रु./ कि.ग्रा.	48.03 रु./ कि.ग्रा.	2.2.99		
31.	साइट्रिक एसिड	18.3.98	चीन जन. गण	मै. सिपुरविया कैमि.	20.10.98	15.3.99	58925 रु./ मी. टन	60324 रु./ मी. टन तथा प्रति मी. टन आयात के लैंडिड मूल्य के बीच का अंतर	29.4.99		
32.	औद्योगिक सिलाई सुई	16.1.98	जापान, कोरिया, चीन	मै. आल्टेक लामर्स लि.	2.12.98	12.4.99	126 रु. से 1924 रु. प्रति हजार सुईयाँ	शुल्क की वापसी (बंद मामला)	20.5.99		
33.	ईपीडीएम	20.5.98	जापान	मै. हरिडिलिया यूनिमर्स लि.	24.12.98	14.5.99	10716 रु. से 114446 रु. प्रति कि.ग्रा. तथा आयात के लैंडिड मूल्य के बीच का अंतर	100644 रु. से 104725 रु. प्रति किग्रा. तथा आयात के लैंडिड मूल्य के बीच का अंतर	13.7.99		
34.	एसबीआर	7.4.98	जापान कोरिया, तुर्की, चीन, ताईवान, यूएसए, जर्मनी एवं फ्रांस	मै. सिंथेटिक कैमि. लि.	21.1.99	2.6.99	48.20 रु./ कि.ग्रा. से 62.16 रु./ कि.ग्रा.	48.20 रु./ कि.ग्रा. से 62.16 रु./ कि.ग्रा.	24.8.99		
35.	एक्रीलिक फाईबर	30.7.98	मैक्सिको	मै. इंडियन एक्रीलिक लि.	7.4.99	25.6.99	83.7 रु. तथा आयात के लैंडिड मूल्य के बीच का अन्तर 2.20 रु./ कि.ग्रा.	83.7 रु. तथा आयात के लैंडिड मूल्य के बीच का अन्तर 2.20 रु./ कि.ग्रा.	16.7.99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	हार्ड फेराईड रिंग मैगनेट्स	24.7.98	चीन जन. गण.	मै. इंडियन हार्ड फेराईट मैनु. एसो.	1.4.99	12.7.99	21 रु. प्रति कि.ग्रा.	36 रु/ कि.ग्रा. तथा आयात के लैंडिड मूल्य के बीच का अंतर	6.8.99		
37.	लो कार्बन फेरो क्रोम	9.12.98	चीन जन. द. अफ्रीका मैसिडोनिया	मैसर्स फेरो एलॉय कार्पो.लि., टिस्को	लागू नहीं होता	22.9.99	अधिसूचित नहीं किया गया है	911 रु.- 6512 रु. प्रति मी. टन			
38.	पीटीएफई	22.1.99	रूस	मै. हिन्दुस्तान फ्लोरो कार्बन लि.	9.6.99	13.10.99	2990 रु./ मी. टन	5200 रु./ मी. टन			
39.	पीएसएफ	25.1.99	इंडोनेशिया	मै. इंडो रामा लि.	27.9.99	21.1.2000	1206 रु.- 2167 रु./ मी. टन	46215 रु.- 46607 रु./ मी. टन			
40.	नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक	26.2.99	इन्डोनेशिया, कोरिया गण., थाईलैण्ड, ताइवान	एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाईबर	5.10.99	22.2.2000	1.77 रु. से 5.32 रु./ कि.ग्रा.	1.77 रु. से 28.91 रु./ कि.ग्रा.			
41.	एनबीआर	21.4.99	ताइवान	गुजरात एपार	28.9.99	23.2.2000	6288 रु./ मी. टन	6288 रु./ मी. टन			

विवरण II(क)

ऐसे मामले जहां प्रारंभिक शुल्क की सिफारिश की गई है, और अंतिम शुल्क लम्बित पड़े हुए हैं

क्र.सं.	उत्पाद	आरंभ करने एवं पूरा करने की तारीख	देश	याचिकाकर्ता का नाम	प्रारम्भिक निष्कर्षों की तारीख	अनंतिम शुल्क की दर
1	2	3	4	5	6	7
1.	सोडियम साइनाइड	8.3.99	यूएसए, जर्मनी, कोरिया और चेक गणराज्य	सियानाइड्स कैमिकल्स क.	15.10.99	रु. 401-रु. 11460 रु./मी.ट.
2.	थर्मल सेन्सटिव पेपर	9.3.99	जापान, फिनलैंड, जर्मनी एवं ई.यू.	आल इंडिया पेपर कोटर्स एसोसिएशन	18.8.99	रु. 5.84-रु. 6.53 वर्ग मी.
3.	पोलिस्ट्रीन	18.3.99	चीन, हांगकांग, सिंगा-पुर थाईलैंड	पोलिस्ट्री प्रोडक्ट्स एसोसिएशन इंडिया	28.9.99	रु. 717-रु. 9354 मी.ट.
4.	एक्रिलिक फाइबर	26.3.99	तुर्की, हंगरी एवं ईयू	फोरम आफ एक्रिलिक फाइबर मेनुफेक्चरर्स	13.10.99	रु. 71 कि.ग्रा.
5.	बेरियम कार्बोनेट	1.4.99	चीन	कोरस इंडिया लि.	4.10.99 (वेरीएबल ड्यूटी)	रु. 17894/मी.टन.

1	2	3	4	5	6	7
6.	प्यारिफाइड टेरे-प्थोलिक एसिड (पीटीए)	22.4.99	जापान, मलेशिया, स्पेन और ताइवान	रिलाइंस इंडस्ट्रीज लि.	22.10.99	ड्यूटी नहीं
7.	सीमलैस ट्यूब	20.5.99	रूमानियां आस्ट्रिया, रूस उक्रेन और चेक गणराज्य	एसोसिएशन आफ सीमलैस ट्यूब्स मैनुफैक्चरर्स	10.11.99	रु. 1136-रु. 13698 13698/मी.टन.
8.	ऑप्टिकल फाईबर	1.7.99	द. कोरिया	स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लि.	5.11.99	रु. 122-रु. 610.14 प्रति कि.ग्रा.
9.	सोडा एश	2.7.99	चीन जनवादी गणराज्य	अल्कली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया	18.11.99	रु. 391.27-रु. 1036/मी.ट.
10.	एक्रिलिक फाईबर	28.7.99	ताइवान	फोरम आफ एक्रिलिक फाईबर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन	10.11.99	रु. 3.37-ई. 10.25 प्रति किग्रा.
11.	ऑक्सो एल्कोहल	29.7.99	द. कोरिया द. अरबिया इंडोनेशिया और रूस	ऑक्सो एलकोहल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन	3.12.99	रु. 2825-रु. 10728 प्रति मी.ट.
12.	विटामिन-सी	10.8.99	रूस और ईयू	अम्बालाल साराभाई इंटरप्राइजेज लि.	17.1.2000	रु. 83.35-रु. 150.49 प्रति कि.ग्रा

विवरण II(ख)

अनंतिम शुल्क की जांच के अधीन मामले

क्र.सं.	उत्पाद	याचिकाकर्ता का नाम	आरंभ करने एवं पूरा करने की तारीख	देश
1.	मेट्रोनिडाजोल	आरती ड्रग्स लि. और अन्य	29.7.99 29.7.2000	चीन
2.	फोटोग्राफिक पेपर	न्यू इंडस्ट्रीज इंडिया लि.	27.8.99 27.8.2000	यू.के., फ्रांस, हंगरी एवं चेक गणराज्य
3.	ई पी डी एम	हरदिलिया यूनिमर्स लि.	27.8.99 27.8.2000	कोरिया
4.	एनिलिन	नर्मदा चेमातुर पेट्रोकैमिकल्स लि.	13.9.99 13.9.2000	यू.एस.ए., जापान, फ्रांस
5.	सोडियम नाइट्रिट	दीपक नाइट्रिट लि.	4.11.99 4.11.2000	चीन जनवादी गणराज्य
6.	पिथालिक एनहाइड्राइड	थिरूमलाइ लि. और हरदिलिया कैमि. लि.	16.11.99 16.11.2000	इंडोनेशिया
7.	सीमलैस ग्रेड अलाय इत्यादि	इस्पात, प्रोफाईल इंडिया, लि.	9.12.99 9.12.2000	रूस, उक्रैन और चीन
8.	बिसफेनोल-ए	केशर पेट्रोप्रोडक्टस लि.	6.1.2000 6.1.2001	ई.यू. और ताइवान

परियोजनाओं को प्रति गारंटी

1455. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी क्षेत्र में अब तक किन परियोजनाओं को संप्रभु प्रति-गारंटी दी गयी है;

(ख) क्या एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को संप्रभु प्रति-गारंटी देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राज्य सरकार की गारंटियों के अतिरिक्त अब तक निम्नांकित विद्युत परियोजनाओं के लिए गारंटियां प्रदान की गई हैं:

1. महाराष्ट्र की डाभोल विद्युत परियोजना।
2. आंध्र प्रदेश की जेगडुपाडु विद्युत परियोजना।
3. तमिलनाडु की नेवेली विद्युत परियोजना।
4. आंध्र प्रदेश की भद्रावती विद्युत परियोजना।
5. आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम विद्युत परियोजना।
6. उड़ीसा की ए.ई.एस.एल.बी. घाटी विद्युत परियोजना।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

फिल्म सेंसरशिप प्रणाली

1456. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अप्रचलित तथा पुराने फिल्म सेंसरशिप प्रणाली की समीक्षा करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली की समीक्षा किए जाने का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। फिल्म प्रमाण के उद्देश्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर इस प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

कटक स्थित आकाशवाणी टावर की मरम्मत

1457. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त हुये कटक आकाशवाणी टावर की अभी तक मरम्मत नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आकाशवाणी टावर और कटक आकाशवाणी स्टेशन के अन्य क्षतिग्रस्त भागों के पुनर्निर्माण में तेजी लाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) उड़ीसा राज्य में हाल में आये बड़े तूफान के दौरान आकाशवाणी, कटक स्थित 10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर के लिए लगाए गए स्व: प्रसारणीय मस्तूल (122 मीटर और 150 मीटर ऊंचे) पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए थे। तथापि, कटक केन्द्र से रेडियो प्रसारण सेवा को 10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर को स्थापित करके पुन: चालू कर दिया गया है।

13.77 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत पर क्षतिग्रस्त 100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर ने 300 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर की स्थापना करने को मंजूरी दे दी गई है। कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं और ट्रांसमीटर की आपूर्ति करने और टावर के उत्थापन के लिए आदेश दिये जा रहे हैं।

एफ.एम. रेडियो स्टेशन

1458. श्री सी.पी. राधाकृष्णन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान समय में राज्य-वार कितने एफ.एम. रेडियो स्टेशन कार्यरत हैं;

(ख) अगले वर्ष के दौरान राज्यवार कितने नये एफ.एम. रेडियो स्टेशन खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उक्त स्टेशन के लिए नये मानदंडों और नियमों पर नियंत्रण रखने वाली कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) वर्तमान में देश में. एफ.एम. प्रसारण सुविधा वाले आकाशवाणी के 107 आकाशवाणी केन्द्र कार्य कर रहे हैं। राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) आकाशवाणी द्वारा 29 स्थानों पर स्थापित किये जा रहे नए एफ.एम. आकाशवाणी केन्द्रों को अगले वर्ष अर्थात् 2000-2001 के दौरान चालू किये जाने की आशा है। राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 100% भारतीय स्वामित्व वाली निजी कम्पनियों को 40 शहरों में 108 एफ.एम. आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए जाने का प्रस्ताव है। स्थानवार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ग) और (घ) आकाशवाणी के रेडियो केन्द्र कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता द्वारा शासित होते हैं और ये प्रसार भारती बोर्ड के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे। निजी एफ.एम. प्रसारक भी उल्लिखि संहिताओं का पालन करेंगे। निजी प्रसारकों के क्रियाकलाप की मानीटरिंग सूचना और प्रसारण मंत्रालय एवं संचार मंत्रालय के बेतार नीति समन्वयन स्कंध द्वारा की जाएगी।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	एफ.एम. चैनलों वाले केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9
2.	असम	3
3.	बिहार	6
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	3
6.	हरियाणा	2
7.	हिमाचल प्रदेश	4
8.	जम्मू एवं कश्मीर	3
9.	कर्नाटक	7
10.	केरल	4
11.	मध्य प्रदेश	12
12.	महाराष्ट्र	14
13.	मेघालय	1
14.	मिजोरम	1
15.	नागालैंड	1
16.	उड़ीसा	5
17.	पंजाब	3
18.	राजस्थान	10
19.	तमिलनाडु	2
20.	त्रिपुरा	2
21.	उत्तर प्रदेश	7
22.	पश्चिम बंगाल	3
23.	संघ शासित क्षेत्र	4
	कुल	107

विवरण II

क्र.सं.	राज्य	चालू किए जाने वाले संभावित एफ.एम. चैनलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	अरूणाचल प्रदेश	2
3.	गुजरात	3
4.	जम्मू एवं कश्मीर	2
5.	कर्नाटक	3
6.	केरल	3
7.	मणिपुर	1
8.	मेघालय	1
9.	मिजोरम	2
10.	मध्य प्रदेश	3
11.	नागालैण्ड	1

1	2	3
12.	तमिलनाडु	2
13.	त्रिपुरा	2
14.	उत्तर प्रदेश	1
15.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	29

विवरण III

क्र.सं.	केन्द्र	चैनलों की संख्या
1	2	3
1.	कलकत्ता	11
2.	चेन्नई	11
3.	दिल्ली	11
4.	मुम्बई	10
5.	अहमदाबाद	3
6.	बंगलौर	5
7.	हैदराबाद	3
8.	इन्दौर	4
9.	लखनऊ	3
10.	पुणे	6
11.	विशाखापतनम	7
12.	आगरा	1
13.	इलाहाबाद	1
14.	औरंगाबाद	1
15.	भोपाल	2
16.	भुवनेश्वर	1
17.	चंडीगढ़	1
18.	कोचीन	1
19.	कोयम्बटूर	1
20.	कटक	1
21.	गुवाहाटी	2
22.	जबलपुर	1
23.	जयपुर	1
24.	जालंधर	1
25.	जामनगर	1
26.	कानपुर	1
27.	लुधियाना	1
28.	मदुराई	1
29.	मैसूर	1
30.	नागपुर	1
31.	पणजी	2
32.	पटना	2
33.	रायपुर	1
34.	राजकोट	1
35.	शिलांग	1
36.	श्रीनगर	2
37.	त्रिची	1
38.	तिरुनेलवेली	1
39.	त्रिवेन्द्रम	1
40.	वाराणसी	1
	कुल	108

गैर-योजना राजस्व

1459. श्री जी.एस. बसवराजः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को सावधानीपूर्वक गैर-योजना राजस्व बनाने के प्रयास का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने स्टडी ऑफ स्टेट्स बजट ऑफ 1999-2000 नाम से प्रतिवेदन में इस आशय का प्रस्ताव दिया है कि वित्तीय स्थिति के प्रभाव को ठीक

करने के लिए सार्वजनिक जमा के बकाया स्टाक में कटौती शुरू किया जाना चाहिए;

(ग) इस प्रतिवेदन में उल्लिखित अन्य मुद्दे क्या हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार ने किस सीमा तक राज्यों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधक और बैंकर के रूप में राज्य सरकारों के साथ नियमित आधार पर निकटस्थ पारस्परिक संबंध रखता है। राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में अपनी रिपोर्ट में, 1999-2000 के एक बजटीय अध्ययन में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के वृहत्त वित्तीय घटक के संदर्भ में राज्यों की वित्तीय व्यवस्था के ढांचागत असंतुलन का विश्लेषण किया है। इस रिपोर्ट में व्यय प्रबंधन, संसाधन संवृद्धि और सार्वजनिक ऋण के बकाये में कमी के क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता बताई गई है। रिपोर्ट से यह भी संकेत मिलता है कि राज्यों को गैर-योजनागत राजस्व व्यय को नियंत्रित करके तथा कर आधार एवं लागत वसूली बढ़ाकर राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास करना होगा।

(घ) राज्य संविधान के अंतर्गत समय-समय पर अपने वरीयता क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में दी गई सलाह पर स्वत: अमल करने के लिए स्वायत्तशासी हैं। तथापि भारत सरकार ने उन राज्यों को सहायता प्रदान की है, जिन्होंने राजकोषीय सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार ने अर्थोपाय की सहायता उन्हीं राज्यों को प्रदान की है, जिन्होंने स्वीकार्य और प्रबोधन योग्य राजकोषीय सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत की है।

फर्मों की धनराशि का बाजारों में उपयोग

1460. श्री रघुनाथ झा:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 फरवरी, 2000 के "द इंडियन एक्सप्रैस" में "बैंकर्स फियर एंड डाइवर्जन बार फर्मस इनटु बाउरसिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि आरबीआई द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार अलग अलग उधारकर्ताओं के लिए निर्धारित की गई विवेकपूर्ण सीमाओं और बैंकिंग संबंधी साधारण रक्षापायों के अध्यधीन, बैंक, व्यक्तियों को अधिकार निर्गम या नए शेयरों, डिबेंचरों/बाण्डों का अभिदान के लिए या शेयरों/डिबेंचरों तथा अमूर्त (डीमैट) या प्रत्यक्ष रूप में बाण्डों की प्रतिभूति के बदले गौण बाजार में खरीद करने के लिए उचित अग्रिम दे सकता है। हाल में संपन्न हुई बैठक में आरबीआई ने बैंकरों से कहा है कि वे शेयरों के बदले अग्रिमों के अपने संपूर्ण पोर्टफोलियो की आंतरिक समीक्षा करें और पोर्टफोलियो का निर्धारण करें। वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसे अग्रिमों के बदले पर्याप्त मार्जिन का रखरखाव किया जा रहा है और यह कि बैंक का विशेष रूप से गारंटी के संबंध में सीमाधिक ऋण प्रदान नहीं किया गया है तथा नकदी और प्रतिभूतियों दोनों रूप में मार्जिन का रखरखाव किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कपास का आयात

1461. डा. चरणदास महंत: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास के मूल्य में कमी आयी है और कपास का सस्ते मूल्य पर आयात किए जाने के कारण से देश के किसानों को कम मूल्य प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष कितनी मात्रा में कपास का आयात किया गया;

(ग) कम मूल्य पर कपास के आयात के कारण किसानों को हो रहे घाटे से संबंधित क्या कोई अध्ययन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) आयात कर/सीमा शुल्क लगाने की क्या प्रक्रिया है और ऐसे मामलों में किसानों को घाटे से बचाने की क्या प्रक्रिया है;

(च) इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(छ) कपास के आयात के संबंध में क्या नवीनतम निर्णय लिया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामाचन्द्रन): (क) यद्यपि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतों में गिरावट आई है, फिर भी आयात तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की ओर ध्यान दिए बिना सरकार के मूल्य समर्थन तंत्र के माध्यम से किसानों की लाभकारी कीमत सुनिश्चित की जाती है। घरेलू बाजार में कपास की चालू कीमत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से भी सामान्यत: अधिक चल रही है। इस तरीके से कपास उत्पादकों के हितों की मूल्य समर्थन तंत्र के माध्यम से सुरक्षा की जाती है।

(ख) चालू कपास वर्ष 1999-2000 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान, आयात ठेकों की 10,95,360 गांठें (प्रत्येक 170 कि.ग्रा.) का दिनांक 1.1.2000 से 15.2.2000 की अवधि के दौरान वस्त्र आयुक्त के पास पंजीकरण की जा चुकी है तथापि, वास्तविक आयात के ब्यौरों की जानकारी की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। कपास वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 में कपास का आयात क्रमश: 0.30 लाख गांठों, 4.13 लाख गांठों तथा 7.87 लाख गांठों का हुआ था।

(ग) और (घ) सरकार संगत कारकों जैसे सभी निवेशों के लागत तथा उपजकर्ताओं को लाभ का उचित राशि को ध्यान में रखकर कपास (बीज कपास) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) की घोषणा करती है। बाजार मूल्य घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) की घोषणा करती है। बाजार मूल्य घोषित न्यूनयम समर्थन मूल्य से कम होने की स्थिति में, सरकार बिना किसी मात्रात्मक सीमा के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास खरीदती है जिससे उपजकर्ताओं को लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित होती है। मौजूदा मंच अर्थात कपास सलाहकार बोर्ड (सी ए बी) कपास स्थिति की समीक्षा करता है तथा समय-समय पर सरकार को परामर्श देता है।

(ङ) से (छ) सरकार देश के व्यापक हित में सभी संगत प्राचलों को ध्यान में रखने के बाद आयात शुल्क/सीमा शुल्क लगाती है। चालू वर्ष के बजट से, 5% (10% अधिभार) का आयात शुल्क लगाया गया है। चालू वर्ष से, वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के पास कपास के आयात का पंजीकरण रखा गया है।

[अनुवाद]

त्रावणकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड

1462. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केरल के त्रिवेन्द्रम नामक स्थान पर स्थित त्रावणकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लि. अपनी गतिविधि के क्षेत्र में अकेला ऐसा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जो टिटेनियम डाइआक्साइड पर कम आयात शुल्क होने के कारण चुनौतियों का सामना, कर रहा है; और

(ख) क्या सरकार ने अगले तीन वर्षों तक सीमासुल्क के वर्तमान स्तर को 4 प्रतिशत प्लस 4 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क जारी रखने हेतु कोई उपाय किए हैं जिससे कि उक्त अवधि तक भारत में टिटेनियम डाइऑक्साइड उत्पादन करने वाली कम्पनियों को अपनी क्षमता बढ़ाने, आधुनिकीकरण करने तथा उत्पादन की लागत को कम करने का समय मिल जाये और इसे अर्थशास्त्र का पैमाना प्राप्त हो जो भारत को दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों को टिटेनियम डाइऑक्साइड का निवल निर्यातक बनने में मदद करेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) सरकार को त्रिवेन्द्रम स्थित ट्रावणकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लि. (टीटीपी) के सामने आ रही समस्याओं की जानकारी है। टिटेनियम-डाइ-ऑक्साइड पर सीमाशुल्क 40% के अधिकतम स्तर से नहीं घटाने के लिए केरल सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(ख) वित्त विधेयक 2000-2001 में मौलिक सीमाशुल्क की अधिकतम दर की 40% से घटाकर 35% कर दिए जाने से, टिटेनियम-डाइ-आक्साइड पर अब 35% मौलिक शुल्क और उस पर 10% अधिभार लगता है। इसके अलावा, व्यापारियों द्वारा आयातित वस्तुओं के लिए उपलब्ध विशेष अतिरिक्त शुल्क (सैड) से छूट वापस ले लिए जाने के कारण व्यापारियों द्वारा किए गए टिटेनियम डाइआक्साइड के आयात पर 4% का विशेष अतिरिक्त शुल्क भी लगेगा जिसकी गणना निर्धारण योग्य मूल्य जमा मौलिक शुल्क जमा अधिभार पर की जायेगी। इससे भारत में टिटेनियम-डाइऑक्साइड की घरेलू विनिर्माता कम्पनियों को पर्याप्त संरक्षण मिलेगा।

उड़ीसा में बाक्साइट के भंडार

1463. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापुट जिलों में एशिया में सबसे बड़ा और विश्व में दूसरा बड़ा बाक्साइट भण्डार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्राकृतिक संसाधन के दौरान और भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्र ''के बी के'' के औद्योगिकीकरण हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) एल्यूमिनियम धातु के निर्माण को अनिवार्य लाइसेंसीकरण के प्रावधान से छूट दी गई है। नए एल्यूमिनियम संयंत्रों को स्थापित करने की इच्छुक पार्टियों को मात्र एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) फाइल करना होता है। उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापुट जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र का कोई ग्रीनफील्ड एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) अपनी बॉक्साइट खानों की क्षमता 24 लाख टन से बढ़ाकर 48 लाख टन करने और एल्यूमिनियम शोधनशाला की क्षमता 8 लाख टन से बढ़ाकर 15.75 लाख टन करने के लिए विस्तार परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है।

उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापुट जिलों में निजी (प्राइवेट) क्षेत्र में निम्नलिखित कम्पनियों ने एल्यूमिना शोधनशाला/बॉक्साइट खानों के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन फाइल किए हैं:

(1) मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड ने उड़ीसा के कालाहांडी जिले में प्रतिवर्ष एक मिलियन टन क्षमता का एल्यूमिना उत्पादन के लिए, आई.ई.एम. फाइल किया है।

(2) मैसर्स आदित्य एल्यूमिनियम ने उड़ीसा के रायगढ़ा जिले में एल्यूमिना शोधनशाला स्थापित करने के लिए आई.ई.एम. फाइल किया है जिसके लिए वे उड़ीसा के कोरापुट जिले में 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली बॉक्साइट खानों को स्थापित करेंगे।

(3) सरकार ने मैसर्स एल.एंड.टी. को उड़ीसा के रायगढ़ा जिले में एक मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली 100% निर्यातोन्मुखी इकाई (ई.ओ.यू.) एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी है। इसके लिए वे उड़ीसा के रायगढ़ा और कालाहांडी जिलों में बॉक्साइट खानें स्थापित करेंगे।

(4) मैसर्स उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल लिमिटेड को सरकार ने उड़ीसा राज्य के रायगढ़ा जिले में एक मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली 100% निर्यातोन्मुखी इकाई (ई.ओ.यू.) एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना को भी अनुमोदित कर दिया है जो रायगढ़ा में बाफलीमाली खानों से बॉक्साइट निकालेगी।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1464. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान आज तक महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से विश्व बैंक की सहायता से परियोजनाएं शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितनी परियोजनाएं केन्द्र सरकार की स्वीकृति के अभाव में लंबित पड़ी हैं; और

(घ) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) राज्य सरकारों या अन्य अभिकरणों द्वारा तैयार किए गए परियोजना संबंधी प्रस्ताव आवश्यक सांविधिक और वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग को अग्रेषित किये जाते हैं। इसके पश्चात्, आर्थिक कार्य विभाग इन परियोजनाओं को विश्व बैंक के पास इनके निधिकरण हेतु प्रस्तुत करता है। किसी भी निश्चित समय पर ऐसे अनेक परियोजनागत प्रस्ताव हो सकते हैं जो संभव सहायता के लिए लम्बित पड़े रहते हैं। विश्व बैंक से संभव सहायता के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहित अन्य राज्यों से प्राप्त ऐसे अनेक परियोजनागत प्रस्ताव हैं। इनमें तृतीय चेन्नई जलापूर्ति, द्वितीय हैदराबाद जलापूर्ति और सफाई, राजस्थान राज्य राजमार्ग, कर्नाटक जलापूर्ति और प्रबंधन एवं नगर सुदृढ़ीकरण, द्वितीय कुष्ठ रोग निवारण, राजस्थान डीपीईपी II, तकनीशियन शिक्षा-III, उत्तर प्रदेश विद्युत एपीएल-I, राजस्थान विद्युत एपीएल-I/II, पावरग्रिड III, गुजरात नगर सुदृढ़ीकरण एवं बुनियादी ढांचा परियोजना, महाराष्ट्र वानिकी, आंध्र प्रदेश वानिकी, पश्चिम बंगाल वानिकी, महाराष्ट्र में सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं उन पर काली पट्टियां बिछाना, त्रिपुरा कृषि विकास परियोजना आदि शामिल हैं। ये परियोजनाएं कार्यवाही किये जाने, तैयारी किये जाने, स्वीकृतियां प्राप्त होने आदि जैसी विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि. के लिए गठित समितियां

1465. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लि. की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के लिए गठित विभिन्न समितियों के नाम क्या हैं और इन समितियों द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कंपनियों के लिए गठित जांच समितियों पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया है और

इन अनुषंगी कंपनियों के हित में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान तत्कालीन कोयला मंत्रालय द्वारा कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कंपनियों का गठन किया गया। सरकार ने इन जांच समितियों के गठन पर कोई व्यय नहीं किया है। समिति के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

1. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. और भारत कोकिंग कोल लि. के रानीगंज और झरिया कोलफील्ड्स में आग और धंसाव की समस्या पर विचार करने के लिए दिसम्बर, 1996 में सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।

सरकार ने समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन को स्वीकार कर लिया है और तदनुसार भा.को.को.लि. के संबंध में कुल 16.18 करोड़ रु. की लागत की 8 योजनाएं (धंसाव के संबंध में 4 और आग से संबंधित 4 योजनाएं) अनुमोदित की हैं और वे कार्यान्वयनाधीन हैं। ई.को.लि. के 5 अस्थिर स्थलों पर सुदृढ़ीकरण के कार्य पहले ही शुरू किये जा चुके हैं तथा 5 और योजनाओं को अनुमोदन दे दिया गया है। उन्हें शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा। पुन: जो योजनाएं, ई.को.लि. और भा.को.को.लि. में से प्रत्येक के लिए एक-एक योजना, जो क्रमश: 32.52 करोड़ और 33.88 करोड़ रु. की अनुमानित लागत की हैं, सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं। ये योजनाएं आग/धंसाव प्रवृत्त क्षेत्रों से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित हैं और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

2. जनवरी, 1998 में श्री आर.जी. महेंद्रू, भूतपूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय खान आयोजित एवं डिजाइन संस्थान लि. की अध्यक्षता में लांगवाल और भारतीय खनन परिस्थिति में अन्य भूमिगत खनन प्रौद्योगिकी पर एक समिति का गठन किया गया ताकि ई.को.लि. की कोट्टाडीह खान में पावर सपोर्ट फेस के समय पूर्व बंद होने के कारणों और परिस्थितियों की जांच की जा सके।

समिति द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

3. भा.को.को.लि. की मधुबन वाशरी में आग की घटना के ब्यौरे की जांच के लिए जून, 1999 में श्री एन.के. शर्मा, निदेशक (तकनीकी), को.इं.लि. की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति का गठन किया गया।

सरकार ने समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और उसे कार्यान्वयन के लिए तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भा.को.को.लि. को अग्रेषित कर दिया गया है।

4. ई.को.लि. की पारसकोले कोलियरी में दुर्घटना के ब्यौरे की जांच के लिए दिनांक 29.7.1999 को श्री एच.बी. घोष, भूतपूर्व खान सुरक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया।

समिति अपनी रिपोर्ट का अंतिम रूप दे रही हैं।

5. अपर सचिव, कोयला विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 7.5.1999 को हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी की उपलब्धता और उपयोगिता संबंधी मानदंडों में संशोधन के लिए कोयला कंपनियों के द्वारा एक समिति का गठन किया गया।

समिति के विचार-विमर्श जारी हैं।

[अनुवाद]

कृषि ऋण स्थिरीकरण योजना

1466. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कृषि ऋण स्थिरीकरण योजना के तहत राज्य सहकारी बैंकों के स्तर पर ऋण स्थिरीकरण निधियों के निर्माण में सहायता करने हेतु 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण के अनुपात में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रत्येक राज्य को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को आबंटन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दलहन आयात

1467. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने जुलाई-अगस्त, 1999 में आस्ट्रेलिया से तूर दाल सहित दलहनों का जिस दर पर आयात

किया गया था वह जून, 1999 में म्यांमार से किये गये आयात की दर से कहीं अधिक था;

(ख) यदि हाँ, तो दोनों खरीदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) एक समान वस्तु को अधिक दर पर खरीदने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम रहा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) राज्य व्यापार निगम ने आस्ट्रेलिया के मूल की केवल डन पीज का आयात किया है। म्यांमार से डन पीज की कोई खरीद नहीं की गई है। इसलिए दरों में तुलना नहीं की जा सकती।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विकास केन्द्र

1468. श्री अकबर अली खांदोकर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित विकास केन्द्रों की योजना का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो योजना के वित्तपोषण के स्वरूप का ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान कितने विकास केन्द्र कहां-कहां खोले गए;

(घ) इन विकास केन्द्रों ने किस सीमा तक अपने मुख्य उद्देश्य प्राप्त किए; और

(ङ) नौवीं योजना अवधि के दौरान कितने नए विकास केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) भारत सरकार ने विकास केन्द्र योजना 1988 में घोषित की थी।

(ख) विकास केन्द्रों के लिए वित्त-पोषण पद्धति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार को इक्विटी के माध्यम से प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए 10 करोड़ रु. (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 15 करोड़ रु.) का योगदान करता है तथा शेष राशि राज्य सरकारों/कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा पूरी की जानी है।

(ग) से (ङ) विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण देश में 71 विकास केन्द्र को विकसित किये जाने का प्रस्ताव है जिनमें से अब तक 68 विकास केन्द्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। आठवीं तथा नवीं योजना अवधि के दौरान अनुमोदित विकास केन्द्रों की एक सूची उनके स्थलों सहित संलग्न विवरण में दी गई है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आठवीं योजना अवधि के दौरान अनुमोदित 28 विकास केन्द्रों में से 8 में प्लांटों का वितरण तथा 5 में निवेश तथा रोजगार सृजन का कार्य आरम्भ हो गया है। शेष विकास केन्द्र विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण

आठवीं योजना तथा नवीं योजना अवधि के दौरान अनुमोदित विकास केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम, विकास केन्द्र (जिला)
1	2
क. आठवीं योजना (1992-93 से 1996-97)	
1.	आंध्र प्रदेश खम्मा (खम्मा)
2.	गोवा इलैक्ट्रोनिक्स सीटि (बर्मा-प्लैटिओ)
3.	गुजरात गांधी नगर (कच्छ)
4.	पालन पुर (बनासकंठा)
5.	बागरा (भारुच)
6.	मध्य प्रदेश सतलापुर (रायसेन)
7.	राजस्थान धोलपुर (धोलपुर)
8.	झालवार (झालवार)
9.	तमिलनाडु इरोड (पेरियार)

1	2
10.	उत्तर प्रदेश बचौली-बजरंग (झांसी)
11.	बनथारा (शाहजहांपुर)
12.	चौधरपुर (मुरादाबाद)
13.	खुरजा (बुलन्दशहर)
14.	सथारिया (जौनपुर)
15.	सहजनवा (गोरखपुर)
16.	केरल कन्नूर-कोजीकोड (कन्नूर-कोजोकोट)
17.	अलाफुजा-मालापुरम (अलाफुजा मालापुरम)
18.	बिहार बेगुसराया (बेगुसराया)
19.	हजारीबाग (हजारीबाग)
20.	भागलपुर (भागलपुर)
21.	छपरा (छपरा)
22.	मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)
23.	हिमाचल प्रदेश कांगड़ा (कांगड़ा)
24.	उड़ीसा छतरापुर (गंजाम)
25.	कलींगनगर-धुबरी (कटक)
26.	पश्चिम बंगाल बोलपुर (बीरभूम)
27.	जलपाईगुड़ी (जलपाईगुड़ी)
28.	मालदा (मालदा)
ख. नवीं योजना (1997-98 से 2001-2002)	
29.	अरूणाचल प्रदेश निकलोक-नौगढलंग (पूर्वी स्यांग)
30.	असम मटिया (गोलपारा)

1	2
31.	चारिदौर (सोनीतपुर)
32.	बिहार दरभंगा (दरभंगा)
33.	हरियाणा सहां (अम्बाला)
34.	जम्मू और कश्मीर ओमपारा-नासीपुरा (बड़गाम-पुलबामा)
35.	महाराष्ट्र नान्देड़ (नान्देड़)
36.	मणिपुर लामलाई-नापेट (इम्फाल)
37.	मेघालय मेहन्दीपाथर (पूर्वी गारोहिल्स)
38.	मिजोरम लौंगमोल (आईझौल)
39.	नागालैंड गणेश नगर (कोहिमा)
40.	उड़ीसा जरसुगधा (जरसुगधा)
41.	पांडिचेरी पोलागाम-कराइकल (कराइकल)
42.	राजस्थान भिलवाड़ा (भिलवाड़ा)
43.	त्रिपुरा बोद्धजंग नगर (पश्चिमी त्रिपुरा)
44.	उत्तर प्रदेश दिबाईपुर (औरिया)
45.	उड़ीसा किर्सींगा (कालाहांडी)
46.	तमिलनाडु ओरागडम (कांचीपुरम)

राजसहायता योजना

1469. श्री दिन्शा पटेल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक परिवहन के क्षेत्र में राजसहायता योजना को समाप्त कर दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार योजना अवधि को बढ़ाने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश के पर्वतीय, दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण में सहायता हेतु कौन-कौन से वैकल्पिक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जुलाई, 1971 में आरम्भ की गई परिवहन राजसहायता पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए 31.3.2007 तक वैध है। अन्य क्षेत्रों अर्थात् जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिले, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए यह योजना 31.3.2000 तक वैध है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में जहां यह योजना इस समय 31.3.2000 तक वैध है, इस योजना को और आगे विस्तार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत की स्टील प्लेट के निर्यात पर अमेरिका द्वारा पाटनरोधी शुल्क

1470. श्री शीश राम सिंह रवि:
श्री रामसागर रावत:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी, 2000 के ''दि इक्नामिक टाइम्स'' में ''यू एस स्लेप्स एंटी-डम्पिंग ड्यूटी आन स्टील प्लेट्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है.

(ख) यदि हाँ, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) स्टील प्लेटों के निर्यात पर इस शुल्क का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हाँ।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका सरकार ने भारत से होने वाले कट-टू-लैन्थ कार्बन स्टील प्लेट्स के आयात पर 722.49% पाटनरोधी शुल्क और 12.82% प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया है।

(ग) स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (सेल) यू एस ए को प्रति वर्ष 100,000-150,000 टन के बीच कट-टू-लैन्थ कार्बन स्टील प्लेट्स का निर्यात कर रहा है। इन शुल्कों के लगाए जाने से यू एस ए को होने वाले कार्बन स्टील प्लेट्स के निर्यात बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है।

(घ) भारत सरकार और सेल ने संयुक्त राज्य में इस मामले का बचाव किया। सरकार सेल के साथ विचार-विमर्श करके इस निर्णय का विरोध करने की संभावनाओं का पता लगा रही है।

ऋण वसूली ट्रिब्यूनल

1471. श्री रामसागर रावत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण वसूली ट्रिब्यूनलों की संख्या उनमें लंबित पड़े मामलों की संख्या की तुलना में बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो और अधिक ऋण वसूली ट्रिब्यूनलों की स्थापना करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के अंतर्गत, आरम्भ में, कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, बेंगलूर, अहमदाबाद, चेन्नई, मुम्बई, जबलपुर, गुवाहाटी तथा पटना में 10 ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) और मुम्बई में एक ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी) स्थापित किये गये थे। विद्यमान अधिकरणों पर काम के बोझ को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने हैदराबाद, चंडीगढ़, एर्णाकुलम, इलाहाबाद तथा कटक में 5 और अतिरिक्त ऋण वसूली अधिकरण तथा चेन्नई, कलकत्ता, इलाहाबाद और दिल्ली में 4 अतिरिक्त ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन अतिरिक्त अधिकरणों में से हैदराबाद और एर्णाकुलम में ऋण वसूली अधिकरण तथा चेन्नई में ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण

अब तक स्थापित किये जा चुके हैं। शेष अतिरिक्त अधिकरणों की स्थापना प्रक्रियाधीन है

[हिन्दी]

खान और खनिज अधिनियम में संशोधन

1472. **श्री रामदास आठवले:** क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार संबंधित प्रक्रिया में बड़े सुधार के लिए और राज्य सरकार को और अधिकार प्रदान करने के लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई और इसे कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने, खनन पट्टे/पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने/नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने, अवैध खनन को रोकने के उपाय करने संबंधी प्रावधानों को शामिल करने के लिए 30 नवम्बर, 1999 को लोक सभा में खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 1999 प्रस्तुत किया गया। दोनों सदनों द्वारा इसे पारित करने के बाद 18 दिसम्बर, 1999 को महामहिम राष्ट्रपति जी की मंजूरी प्राप्त की गई। 20 दिसम्बर, 1999 को अधिनियम में किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किया गया था। फलस्वरूप, इस अधिनियम के तहत बनाई गई दो नियमावली अर्थात् खनिज रियायत नियमावली, 1960 और खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 में भी संशोधन किया गया और इन्हें 18 जनवरी, 2000 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में भी अधिसूचित किया गया है। इन संशोधनों, जिनमें अन्य बातों के अलावा, वर्तमान कानून में, टोही परमिट देने का प्रावधान है, से निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में सहायता मिलेगी। अधिनियम में किए गए विविध संशोधनों जैसे विभिन्न प्रतिबंधों को कम करने और राज्यों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने से पारदर्शिता, हाई-टैक कम्पैटीबिलिटी बढ़ाने तथा निवेशक अनुकूल विधिक फ्रेमवर्क बनाने में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

औद्योगिक/ढांचागत निवेश

1473. **श्री सुबोध राय:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में औद्योगिक और ढांचागत निवेश का प्रतिशत कितना रहा;

(ख) क्या इस निवेश में कमी की प्रवृत्ति जारी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वांछित सूचना निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

प्रयोग-वार उद्योग का सकल पूंजी निर्माण में हिस्सा

(प्रतिशत)

	उद्योग	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1.	कृषि	7.5	6.6	8.2	8.0	8.1
2.	उद्योग*	50.9	60.1	58.2	57.7	57.9
3.	सेवाएं	41.6	33.3	33.5	34.3	34.0
	(क) व्यापार	6.1	3.0	-0.1	4.2	2.6
	(ख) परिवहन	11.9	10.3	11.5	9.9	9.4
	(ग) वित्तपोषण	14.3	12.3	13.3	12.1	12.1
	(घ) सामुदायिक	9.3	7.7	8.7	8.1	9.9
	जोड़	100	100	100	100	100

*उद्योग में खनन और उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जल-आपूर्ति और निर्माण शामिल हैं।

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी.एस.ओ.)।

(ख) और (ग) 1994-95 से 1998-99 के दौरान सकल पूंजी निर्माण में उद्योग और सेवाओं का हिस्सा कुल मिलाकर तकरीबन स्थिर रहा है। तथापि, जहां समग्र निवेश में उद्योग के हिस्से में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति दिखाई दी है, वहीं सेवाओं में मुख्यतया परिवहन, व्यापार और होटलों तथा वित्तपोषण में निवेश के हिस्से में कमी के कारण गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

रेलवे साइडिंग से कोयले की चोरी

1474. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेलवे साइडिंगें और कोयला डिपों से कोयले की चोरी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान पुलिस ने राज्य-वार चोरी के कितने मामले दर्ज किए;

(ग) वास्तव में कोयले की कितनी मात्रा की चोरी हुई और इसके फलस्वरूप विभिन्न कोयला कंपनियों को कितनी हानि हुई;

(घ) क्या इस चोरी में रेलवे, कोयला कंपनियों और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कुछ अधिकारी लिप्त पाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) चोरी/उठाईगिरी का पता लगाने के लिए सुरक्षा कार्मिकों के द्वारा मारे गए छापे के साथ-साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से मारे गए छापे के अनुसार दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या, बरामद किए गए कोयले की मात्रा और उसकी अनुमानित कीमत के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

वर्ष	प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	बरामद मात्रा (टन में)	अनुमानित कीमत (लाख रुपए में)
1996-97	438	16,026	110.59
1997-98	643	11,301	83.14
1998-99	766	16,328	132.74

(घ) और (ङ) खान कार्मिकों की मिलीभगत से वाहक द्वारा बिहार में भा.को.को.लि. के गोविंदपुर क्षेत्र, बसुरिया कोलियरी और गोधूर कोलियरी में कोयले की चोरी किए जाने के तीन मामलों से संबंधित आरोप हैं। विभागीय के साथ-साथ पुलिस की ओर से संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

कोयला कंपनियों पर ऋण

1475. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कोयला कंपनियां घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में प्रत्येक कोयला कंपनियों पर कितना ऋण भार है; और

(घ) कोल इंडिया लि. द्वारा ऋण वापसी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) की 3 सहायक कंपनियां, नामतः ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.), भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (से.को.लि.) को घाटा हुआ है।

(ख) इन तीन कंपनियों को हुए घाटे के निम्नलिखित कारण हैं:

(1) पुरानी गहरी, मुख्य रूप से भूमिगत खानों की बड़ी संख्या तथा खनन क्षेत्र के समीपवर्ती कोयला सीमों में लगी आग।

(2) छोटे आकार और समाप्त होने वाले भंडारों के कारण गैर किफायती खानें।

(3) इन तीन कंपनियों में नियोजित अधिशेष श्रमशक्ति।

(4) कोककर कोयले की कम मांग और आयातित कोककर कोयले से प्रतियोगिता।

(5) प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियां।

(ग) को.इं.लि. की 8 अनुषंगी कंपनियां हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं:-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.), भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.), सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (से.को.लि.). नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (ना.को.लि.), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (साई.को.लि.), महानदी कोलफील्ड्स लि. (म.को.लि.), वेस्टर्न

कोलफील्ड्स लि. (वे.को.लि.) तथा केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. (के.खा.आ.डि.सं.लि.)। 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार, को.इं.लि. की प्रत्येक कंपनी का ऋण भार नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

	ईसीएल	बीसीसीएल	सीसीएल	एनसीएल	डब्ल्यूसीएल	एसईसीएल	एमसीएल	सीएमपी डीआईएल	सीआईएल	जोड़
सीआईएल से ऋण	615.57	1406.76	1106.06	109.36	226.61	371.05	184.59	2.12		4022.12
विदेशी ऋण	389.90		409.54	178.17	56.97	79.55	87.02		393.32	1593.57
आवधिक ऋण	0.76		59.12		150.00	157.50				367.38
बैंक ओवरड्राफ्ट	8.97	95.40	1.94						610.14	716.45
वित्तीय संस्थानों तथा निगों से ऋण		125.11	65.83	0.72		200.00			575.00	966.66
बांड									884.34	884.34
भारत सरकार से ऋण									1920.58	1920.58
प्रोद्भूत ब्याज									26.93	26.93
जोड़	1014.30	1627.27	1642.49	288.25	433.58	808.10	271.61	2.12	4410.31	10498.03

(घ) ऋणदाताओं के साथ पुन: अदायगी की अवधि पर हुई सहमति के अनुसार सी.आई.एल. ऋण की पुन: अदायगी कर रही है।

विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अपनी सूची से हटायी गई कंपनियां

1476. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 नवम्बर, 1999 से 31 जनवरी, 2000 के दौरान विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अपनी सूची से हटायी गयी कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) इसके कंपनीवार कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा यही एकमात्र दंड लगाया जा सकता है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध अन्य क्या दंड लगाए जाने का विचार है;

(ङ) इसके बाद कितने लघु निवेशक प्रभावित हुए हैं तथा इसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(च) सरकार द्वारा लघु निवेशकों के हितों की संरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या ऐसी कंपनियों को सूचीबद्धता मानदंड पूरा करने हेतु कोई निदेश जारी किये गये हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ञ) उक्त कंपनियों को कब तक सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (च) 1 नवम्बर, 1999 से 31 जनवरी, 2000 के दौरान विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सूची से हटाई गई कंपनियों के हटाए जाने के कंपनी-वार कारणों सहित नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। स्टॉक एक्सचेंजों की सूची से प्रतिभूतियों का हटाया जाना अनिवार्यत: दंड नहीं है। उदाहरणार्थ, कंपनियों के अनुरोध पर स्वेच्छा से सूची से हटाया जाना स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अनुमत किया जाता है। तथापि, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहे एक्सचेंजों द्वारा अनिवार्य रूप से सूची से हटाया जाना प्रभावी किया जा सकता है।

प्रतिभूतियों का सूचीकरण तथा सूची से हटाना प्रतिभूति कानूनों जो लघु निवेशक समाहित सभी निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए बनाये जाते हैं, के अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है। विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान कंपनियों की प्रतिभूतियों का सूची से हटाया जाना सूचीकरण करार के किसी खण्ड के उल्लंघन अथवा कंपनी के विरुद्ध किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की वजह से नहीं है। सूची से हटाया जाना सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार अथवा सेबी द्वारा अधिग्रहण विनियमों के अंतर्गत विलयन, परिसमापन, न्यायालय आदेश, बांडों के मोचन, स्वेच्छा से सूची से हट जाने की वजह से प्रभावी किया गया है। सूची से हटाए जाने के कतिपय मामलों में क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण जारी रहता है तथा शेयरधारकों को एक निकास-मार्ग भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा प्रतिभूति बाजार को सुरक्षित, पारदर्शी, आधुनिक बनाने तथा बाजार की अखण्डता का संरक्षण करने तथा लघु निवेशकों को दलालों तथा अन्य बाजार मध्यवर्तियों की चूकों तथा वित्तीय असफलता से बचाने के लिए संस्थागत प्रबंधों को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किये गये हैं। सेबी ने सभी स्टॉक एक्सचेंजों को अपनी निवेशक संरक्षण निधियों, जिनका उपयोग दलालों द्वारा चूक के मामले में निवेशकों की क्षतिपूर्ति करने के लिए किया जाता है, को सुदृढ़ करने की सलाह दी है। सेबी ने सभी स्टॉक एक्सचेंजों को व्यापार गारंटी/निपटान गारंटी निधियों स्थापित करने की सलाह भी दी है। सेबी द्वारा किए गए अन्य उपायों में दैनिक मार्क-टू-मार्केट, अग्रनयन तथा अस्थिरता मार्जिन समाहित व्यापक मार्जिन प्रणाली, सर्किट फिल्टर्स तथा एकसमान अत:दिवस मूल्य वर्ग का कार्यान्वयन, पूंजी पर्याप्ता से जुड़े स्टॉक दलालों के लिए अत:दिवस व्यापार तथा सकल प्रतिपादन सीमाएं आदि शामिल हैं।

(छ) से (ज) उपर्युक्त भाग (ङ) तथा (च) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

एक्सचेंज का नाम	नवम्बर, 1999 से जनवरी, 2000 तक एक्सचेंजों द्वारा अपनी सूची से हटाई गई कंपनियों के नाम	सूची से हटाए जाने के कारण
1	2	3
अहमदाबाद	1. नाहर फाइबर्स लि.	1. विलयन
	2. अनाग्राम फिन. लि.	2. विलयन
	3. एफकोन सैक. लि.	3. परिसमापन
	4. केएचएसएल इंड. लि.	4. विलयन
	5. अरिहंत फिन. लि.	5. स्वेच्छा से सूची से हटना
	6. देश रक्षक औषधालय लि.	6. स्वेच्छा से सूची से हटना
	7. इंडस्ट्रियल आक्सीजन लि.	7. सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम, 1997 के अंतर्गत
कलकत्ता	1. हुगली फ्लोर मिल्स कंपनी लि.	1. सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम, 1997 के अंतर्गत
	2. आई एफ बी वेंचर कैपिटल फाइनेंस लि.	2. न्यायालय आदेश

1	2	3
	3. कुसुम एग्रोटेक लि.	3. न्यायालय आदेश
	4. भारती टेलीकॉम लि.	4. सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम, 1997 के अंतर्गत
	5. इंडस्ट्रीयल आक्सीजन कंपनी लि.	5. सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम, 1997 के अंतर्गत
	6. एफडीसी लि.	6. स्वेच्छा से सूची से हटना
दिल्ली	1. एशियन कंसोलिडेटिड इंड. लि.	1. न्यायालय आदेश
	2. इंडस्ट्रियल आक्सीजन कंपनी लि.	2. सेबी के पर्याप्त अर्जन विनियमों के अंतर्गत
	3. एपल म्युचुअल फंड	3. योजना असीमित अवधि वाली बन गई
	4. न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन लि.	4. बांड का मोचन
	5. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि.	5. बांड का मोचन
	6. सुमित्रा फार्मा एण्ड कैमिकल्स लि.	6. विलयन
	7. राजदूत पेंट्स लि.	7. विलयन
लुधियाना	1. अभिषेक स्पिनफैब कार्पोरेशन लि.	विलयन
मद्रास	1. कुचरमाला प्लांटिशन्स लि.	1. सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम, 1997 के अंतर्गत
	2. सुराना टेलीकॉम लि.	2. स्वेच्छा से सूची से हटना
	3. इंडस्ट्रियल आक्सीजन कंपनी लि.	3. सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम, 1997 के अंतर्गत
	4. श्री अजीत पम्प एण्ड पेपर लि.	4. स्वेच्छा से सूची से हटना
राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज	1. पीरामल होल्डिंग्स लि.	1. सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम, 1997 के अंतर्गत
स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई	1. पीरामल होल्डिंग्स लि.	1. सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम, 1997 के अंतर्गत
	2. केमवेल इंटरनेशनल लि.	2. सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम, 1997 के अंतर्गत
	3. इंडस्ट्रियल आक्सीजन कंपनी लि.	3. सेबी (शेयरों का पर्याप्वत अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम, 1997 के अंतर्गत
	4. भारती टेलीकॉम लि.	4. सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम, 1997 के अंतर्गत
उत्तर प्रदेश	1. मोदी जीरोक्स लि. 2. मोदी जीरोक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	1. विलयन 2. विलयन
बंगलौर	सून्य	
भुवनेश्वर	शून्य	

1	2	3
कोचीन	शून्य	
कोयम्बटूर	शून्य	
हैदराबाद	शून्य	
इंटरकनैक्टिड	शून्य	
जयपुर	शून्य	
मध्य प्रदेश	शून्य	
मगध	शून्य	
मंगलौर	शून्य	
ओटीसीईआई	शून्य	
पुणे	शून्य	
सौराष्ट्र कच्छ	शून्य	
गुवाहाटी	उपलब्ध नहीं	
वडोदरा	शून्य	

व्यय-आयोग

1477. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज-सहायता, व्यय इत्यादि की समीक्षा करने के लिए व्यय आयोग का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका संगठन संबंधी विवरण और विचारार्थ विषय क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) दिनांक 29.02.2000 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग I खण्ड I में प्रकाशित, श्री के.पी. गीताकृष्णन, पूर्व वित्त सचिव, अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्यों (एक अर्थशास्त्री सहित) वाले व्यय सुधार आयोग का गठन इस संबंध में जारी एक सरकारी संकल्प के जरिए किया गया, जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

1. सरकार की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध संगठनों तथा राज्य सरकारों की भूमिका के क्रियाकलापों में दोहराव (ओवर लैपिंग) से बचने और समाभिरूपता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के तहत केन्द्रीय सरकार के प्रकार्यों, क्रियाकलापों और प्रशासनिक ढांचे में कमी लाने के लिए उचित मार्गदर्शन की सलाह देना।

2. आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की सब्सिडी के ढांचे की समीक्षा करना, उनके जारी रहने के आर्थिक औचित्य की जांच तथा सब्सिडीज को पारदर्शी बनाने के लिए लिए सिफारिश एवम् न्यूनतम लागत में लक्षित जनसंख्या पर इसके अधिकतम प्रभाव के उपाय की सलाह देना।

3. विभागीय और वाणिज्यिक चीजों के उपभोक्ता प्रभार निर्धारण के ढांचे की समीक्षा और उपभोक्ता प्रभार के जरिये लागत वसूली की प्रभावी रणनीति की सलाह देना।

4. केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, संबद्ध कार्यालयों तथा संस्थानों के तहत कर्मचारियों की संख्या की पर्याप्तता की समीक्षा और विभिन्न सेवाओं के संवर्ग और स्टाफ को तर्कसंगत बनाने के उपायों पर सलाह देना। इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान पुनर्नियुक्ति तथा पन·

प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा भी करना है ताकि अधिशेष कर्मचारियों को सरकारी गतिविधियों के नए क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त श्रमशक्ति की जरूरत के मुताबिक पुनर्नियुक्त किया जा सके।

5. सरकारी तौर पर वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थानों के गठन की प्रक्रिया और उनके वित्तपोषण के तौर-तरीकों की समीक्षा करना तथा उनके क्रियाकलापों के लिए बजटीय सहायता में कमी तथा सुधार को प्रभावी बनाने के लिए उपायों की सलाह देना।

6. सरकार में व्यय प्रबंधन संबंधी अन्य प्रासंगिक मामलों पर विचार करना और उचित सिफारिशें देना।

[हिन्दी]

राजस्थान की सूती कपड़ा मिलें

1478. **प्रो. रासासिंह रावत:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत इस समय राजस्थान में स्थानवार कितनी सूती कपड़ा मिलें चल रही हैं;

(ख) इन मिलों कें कर्मचारियों की संख्या, काम, उत्पादन प्रबंधन, लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) बी.आई.एफ.आर. द्वारा इन रुग्ण मिलों को फिर से चलाने के लिए कब तक संसाधन जुटाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने एन टी सी की इन मिलों में निरंतर घाटे के कारणों की कोई जांच करायी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को एडवर्ड और महालक्ष्मी मिलों के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष की जानकारी है और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(च) क्या सरकार का विचार एन टी सी की इन मिलों को कर्मचारियों के हित में चलाने का है;

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या हैं; और

(झ) श्रम संगठनों के साथ सहमति कायम करने और श्रमिकों की बकाया राशि का भुगतान करने के साथ-साथ उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिन्नी एन. रामचन्द्रन): (क) राजस्थान में एन टी सी (डी पी एंड आर) के अधीन चार मिलें हैं जिनके स्थान सहित नाम नीचे दिये गये हैं:

(1) एडवार्ड मिल्स, ब्यावर, जिला-अजमेर

(2) महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर, जिला-अजमेर

(3) श्री विजय काटन मिल्स, विजय नगर

(4) उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर

(ख) इन मिलों के कामगारों की संख्या, जाब कार्य उत्पादन और लाभ/हानि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) एन टी सी (डी पी एंड आर) का मामला अपनी सभी मिलों सहित बी आई एफ आर को भेजा गया है। पुनरुद्धार पर अंतिम निर्णय बी आई एफ आर द्वारा लिया जाना है।

(घ) सरकार द्वारा अधिग्रहीत/राष्ट्रीय मिलें मूलतः रुग्ण एकक थी। इन मिलों में सतत घाटे के प्रमुख कारण पुरानी तथा अप्रचलित मशीनरी, आधुनिकीकरण का अभाव, अत्यधिक श्रमशक्ति, उच्च निर्धारित लागत; कार्यशील पूंजी का सतत कमी तथा घटिया कार्य संस्कृति हैं।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन दोनों मिलों के कामगार अस्थायी छंटनी की मजदूरी के अपने पुराने मामले के निपटान की मांग कर रहे हैं जो औद्योगिक ट्रिब्यूनल, अजमेर के समक्ष लंबित है। एडवार्ड मिल्स के कामगार महालक्ष्मी मिलों में अपने स्थानांतरण का कथित रूप से विरोध कर रहे हैं जिसे महालक्ष्मी मिल्स में बेहतर क्षमता उपयोग को सुकर बनाने के लिए किया गया है।

(च) से (ज) एन टी सी द्वारा किये गये एकक-वार व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर, सरकार एन टी सी के अर्धक्षम सहायक निगमों के साथ-साथ उनके अधीन अर्धक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण नीति पर विचार कर रही है जिसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर निवल पूंजी के धनात्मक होने के बी आई एफ आर के मानदंडों को ध्यान में रखा जा रहा है। कामगारों के हित को पुनरुद्धार योजना में ध्यान में रखा जाएगा।

(झ) आज की तारीख के अनुसार, कामगार संघ के साथ क्षेत्रीय स्तर पर करार को पालन किया जा रहा है। राजस्थान में स्थित सभी चार मिलों में वेतन/मजदूरी का जनवरी, 2000 तक भुगतान किया जा चुका है।

विवरण

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.

क्र.सं.	मिलों के नाम	कामगारों की सं. 31.12.99 की स्थिति अनुसार पंजी में	लाभ/हानि (रु. करोड़ में)				जाब कार्य उत्पादन (लाख किग्रा.)		
			97-98	98-99	अप्रैल-दिसं. 31.12.99 तक (अनंतिम)	संचित घाटे अनंतिम	97-98	98-99	1999 अनंतिम
1.	एडवर्ड मिल्स	293	-3.46	-4.99	-4.04	-39.03	8.04	शून्य	शून्य
2.	महालक्ष्मी मिल्स	372	-3.07	-4.30	-3.75	-33.05	7.61	1.98	8.35
3.	श्री बिजय काटन मिल्स	475	-2.90	-3.74	-2.91	-25.66	5.82	1.82	शून्य
4.	उदयपुर काटन मिल्स	482	-2.12	-3.81	-3.26	-18.99	16.27	1.03	8.11

[अनुवाद]

समान बिक्री कर

1479. **श्री पवन कुमार बंसल:**
श्री वैको:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र देशभर में समान बिक्री कर लगाने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय के वास्तविक क्रियान्वयन से पूर्व ही चंडीगढ़ प्रशासन ने कतिपय मदों पर अन्य मदों में बिक्री कर की कमी किए बगैर, बिक्री कर की दर में अत्यधिक वृद्धि कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पांडिचेरी सरकार ने समान बिक्री कर नीति के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि के संबंध में अभ्यावेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) 16 नवम्बर, 1999 को हुए मुख्य-मंत्रियों/राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि बिक्री कर की एक-समान न्यूनतम दरों को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा 1.1.2000 तक अपना लिया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) अभ्यावेदन की जांच की गई है तथा 16.11.1999 को सर्व-सम्मति से लिया गया निर्णय अभी भी मान्य है।

[अनुवाद]

कागज और पल्प उद्योग

1480. **श्री मोहन रावले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण मुक्त वातावरण को ध्यान में रखते हुए, कागज और पल्प उद्योग के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त उद्योग को इस दिशा में प्रोत्साहित करने हेतु क्या पहल की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने निम्नलिखित सहित पर्यावरण के संरक्षण के लिए कागज तथा लुग्दी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाये हैं:

(1) केन्द्रीय लुग्दी तथा कागज अनुसंधान संस्थान (सी पी पी आर आई) द्वारा कई अनुसंधान परियोजनायें निष्पादित की गई हैं जो पर्यावरण संरक्षण के सिलसिले में प्रौद्योगिकियों के अभिज्ञान विकास और अंगीकरण से संबंधित हैं।

(2) सी.पी.पी.आर.आई. ने कागज उद्योग द्वारा अंगीकरण हेतु चूना-गाद के कारण ठोस अपशिष्ट कम करने के लिए पर्यावरणानुकूल स्वदेशी प्रौद्योगिकी, नामतः लुग्दी तथा कागज मिल निस्राव की उच्च दर वायोमेथीनेशन और "डिसिल्लीकेसन ऑफ सिलिका रिच ब्लैक लिकर," का विकास किया है।

(3) प्रायोगिक स्तर तथा प्रदर्शन स्तर पर मार्जक उत्पादन प्रौद्योगिकियों के संवर्धन के लिए योजनायें/कार्यक्रम भी आरम्भ किये गये हैं। विश्वव्यापी पर्यावरणीय सुविधा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से आरम्भ किया है तथा उद्योगों में कागज उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो इस परियोजना में शामिल है।

[अनुवाद]

सामाजिक क्षेत्र में निवेश

1481. श्री माधवराव सिंधिया: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ऋण को शीघ्रतापूर्वक कम करने और सामाजिक क्षेत्र में निवेश के लिए संसाधनों को स्वतंत्र करने के लिए त्वरित विनिवेश के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में निवेश के लिए, विचारित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वर्ष के दौरान किस सीमा तक विनिवेश किया जाना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयरधारिता का विनिवेश, सामान्यतः सभी मामलों में सरकारी शेयरधारिता को कम करके 26% तक करने की घोषित नीति के अनुसार किया जा रहा है। सामरिक विचारणाओं वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों में सरकार अधिकांश धारिता रखना जारी रखेगी। विनिवेश से वसूली गई राशि भारत की समेकित निधि में जमा की जाती है। भारत की समेकित निधि सरकार के सभी सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम के निधिपोषण का स्रोत भी है।

(ग) 10,000 करोड़ रु. के लक्ष्य की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 31.1.2000 तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश से 1585 करोड़ रु. की राशि वसूल की गयी है।

[हिन्दी]

पटसन संबंधी स्थिति पत्र

1482. श्री रामशकल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न प्रकार के उत्पादों को लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र के सभी पहलुओं विशेष रूप से कच्ची पटसन के विपणन और भारतीय पटसन निगम की भूमिका के संबंध में कोई स्थिति पत्र तैयार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त स्थिति पत्र को कब तक प्रकाशित किये जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिंगगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां सरकार ने पटसन क्षेत्र में विविधीकरण लाने के लिए अनेक पहल की हैं। इस दिशा में किये गये उपायों में विशेष पटसन विकास निधि (एस जे डी एफ) शामिल है जिसके अंतर्गत विविधीकृत पटसन सामान का विकास करने के लिए यू एन डी पी की सहायता से अनेक परियोजनाएं शुरू की गयी हैं। विविधीकृत पटसन के समान का उत्पादन और विपणन करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र की स्थापना की गयी है।

(ग) और (घ) सरकार इस समय उत्पादकता, पटसन किसानों की आय, अधिक उपज देने वाली किस्मों के अनुसंधान, प्रौद्योगिकी

का अंतरण, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार लाने, पटसन उत्पादों के विविधीकरण और विपणन के मुद्दे को हल करने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अनुरूप प्रस्तावित "पटसन प्रौद्योगिकी मिशन" बनाने के कार्य में लगी हुई है।

वित्तीय संस्थानों के प्राथमिक क्षेत्र में उद्योगों को शामिल किया जाना

1483. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण प्रदान करने हेतु वित्तीय संस्थानों के प्राथमिक क्षेत्र में कुछ उद्योगों को विभिन्न नए क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय कुल कितने उद्योगों को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है तथा उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक क्षेत्र को कितने प्रतिशत ऋण जारी किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जबकि वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र उधार संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वित्तीय संस्थाओं के लिए ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। बैंकों द्वारा उधार के लिए प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत हाल ही में शामिल किये गये नये खण्ड निम्नानुसार है:

(1) सॉफ्टवेयर उद्योग को ऋण जिनकी ऋण सीमा एक करोड़ रुपए से अनधिक हो;

(2) खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र को ऋण।

(ग) वर्तमान में उपर्युक्त सूचीबद्ध खण्डों के अतिरिक्त प्राथमिकता क्षेत्र में निम्नलिखित खण्ड शामिल हैं:

1. कृषि
2. लघु उद्योग (औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना सहित)
3. लघु सड़क एवं जल परिवहन परिचालक (10 वाहनों तक रखने वाले)
4. लघु कारोबार (कारोबार के लिए उपयोग किये जाने वाले उपस्कर की वास्तविक लागत 10 लाख रुपये से अनधिक कार्यशील पूंजी सीमा 5 लाख रुपए)
5. खुदरा व्यापार (निजी खुदरा व्यापारी को 5 लाख रुपए तक अग्रिम)
6. व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्तियों (ऋण सीमा 5 लाख रुपये से अनधिक जिसमें से कार्यशील पूंजी 1 लाख रुपए से अनधिक, ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने वाले अर्हता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनरों के मामले में यह उपर्युक्त आंकड़ों से दो गुनी होगी और एक मोटर वाहन की खरीद इन सीमाओं के भीतर प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन शामिल की जा सकती है)
7. अ.जा./अ.जन.जा. के लिए राज्य प्रायोजित संगठन
8. शिक्षा (बैंकों द्वारा अपनी स्वयं की योजना के अधीन व्यक्तियों को शैक्षिक ऋण मंजूर किये जाते हैं)
9. आवास (5 लाख रुपए तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ऋण शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में 10 लाख रुपए तक प्रत्यक्ष ऋण)
10. उपभोग्य• ऋण (कमजोर वर्गों के लिए उपभोग्य ऋण योजना के अधीन)
11. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों द्वारा पुनर्वित्त पोषण।
12. स्व-सहायता समूहों/एस एच जी/एन जी ओ को ऋण ताकि वे एस एच जी को उधार दे सकें।
13. जोखिम पूंजी में बैंकों द्वारा निवेश।

(घ) प्राथमिकता क्षेत्र को भारतीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार देने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य/उपलब्ध निर्धारित किए गए हैं:

कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	निवल बैंक ऋण का 40%
जिसमें से कृषि क्षेत्र के लिए अग्रिम	निवल बैंक ऋण का 18%
कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम	निवल बैंक ऋण का 10%

[अनुवाद]

काली मिर्च और इलायची का निर्यात

1484. **श्री पी.सी. थामस:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय काली मिर्च और इलायची ने विदेशी बाजार में अपनी पैठ बनाई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान इन मदों का कितना निर्यात किया गया; और

(ग) इन मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, हाँ। गत तीन वर्षों के दौरान कालीमिर्च और इलायची के निर्यात नीचे दिए गए हैं:

(मात्रा टनों में, मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	कालीमिर्च		इलायची	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1996-97	47893	412.32	226	8.70
1997-98	35907	496.36	370	12.67
1998-99	34864	638.11	475	25.21

(ग) सामान्य नीतिगत सुधारों के अलावा, कालीमिर्च और इलायची के निर्यात को सुधारने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में शामिल हैं-विदेशों में भारतीय ब्रांडों का संवर्द्धन, लोगो वाले उपभोक्ता पैकों में कालीमिर्च का संवर्द्धन, विदेशों में भारतीय कालीमिर्च के उत्पादों का संवर्द्धन, पैकेजिंग में सुधार एवं बार कोडिंग प्रणाली शुरू करना, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण एवं प्रक्रिया उन्नयन, सामग्री को स्वास्थ्यवर्द्धक तरीके से सुखाने की सुविधा प्रदान करके मसालों की गुणवत्ता को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए सहायता प्रदान करना, सफाई के वातावरण में प्रसंस्करण, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना और अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी।

इलायची के निर्यात के लिए, मसाला बोर्ड ने उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए योजना तैयार की है जिसमें शामिल हैं गुणवत्तायुक्त पौधरोपण सामग्री की आपूर्ति, पुराने और अलाभकारी बागानों का पुनर्रोपण, सिंचाई एवं भूमि विकास और परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।

शेयर दलालों द्वारा कर-अपवंचन

1485. **श्री अनंत गुढ़े:**
श्री नरेश पुगलिया:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने शेयर दलालों और अन्य व्यवसायियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है और पाया है कि देश में उनमें से अधिकांश करोड़ों रुपये का कर-अपवंचन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आयकर अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव कर अपवंचन को रोकने के लिए कर अपवंचन संबंधी कानूनों को और सख्त बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान बकाया करों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) और (ख) वित्त वर्ष 1999-2000 (दिनांक 28.2.2000 तक) के दौरान आयकर अधिकारियों ने शेयर दलालों के मामले में 28 और अन्य व्यावसायिकों के मामले में 49 सर्वेक्षण किए हैं। जिनके परिणामस्वरूप क्रमश: 144.20 करोड़ रुपये और 6.74 करोड़ रुपये की कुल अतिरिक्त आय का प्रकटन हुआ है।

(ग) और (घ) इस समय सरकार के पास कर अपवंचन कानूनों को और सख्त बनाने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) आवधिक समीक्षा के सिवाय कोई विशिष्ट कार्य योजना तैयार नहीं की जाती हैं और कर बकायों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उपाय किये जाते हैं।

महाराष्ट्र में निर्यातोन्मुखी इकाईयां

1486. **श्री अनंत गंगाराम गीते:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में निर्यातोन्मुख इकाईयों का स्थानवार ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा किये गये निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन इकाइयों ने अपने निर्यात लक्ष्यों को हासिल नहीं किया है उनका ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इन इकाईयों के कार्यकरण की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अपने निर्यात लक्ष्य प्राप्त करे, क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) महाराष्ट्र में 196 निर्यात अभिमुख इकाइयां (ईओयू) कार्य कर रही हैं। इन निर्यात अभिमुख इकाइयों का जिलेवार ब्यौरा एवं 1998-99 के दौरान इनके द्वारा किए गए निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1997-98 के लिए महाराष्ट्र में निर्यात अभिमुख इकाइयों के निष्पादन की मानिटरिंग पूरी हो गई है और यह देखा गया है कि उस वर्ष के दौरान 159 कार्यरत इकाइयों में से 38 इकाइयाँ अपने निर्यात प्रतिबद्धताओं को प्राप्त नहीं कर सकी हैं। 1998-99 के लिए निष्पादन की मानिटरिंग की जा रही है। खराब निष्पादन के कारण थे-बाजारों की कमी एवं वित्तीय तथा प्रबंधकीय समस्याएँ।

(ग) सरकार द्वारा निर्यात अभिमुख इकाइयों के निष्पादन की समीक्षा निर्यात संसाधन क्षेत्रों के विकास आयुक्तों की मानिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक आधार पर की जाती है। चूंकि योजना के अंतर्गत इन इकाइयों के पास अपनी निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पांच वर्ष का समय होता है, इसलिए जिन मामलों में निर्यात दायित्व की प्राप्ति में मामूली कमी होती है उन पर विकास आयुक्तों द्वारा नजर रखी जाती है, जबकि गंभीर चूकों के मामलों को विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए भेज दिया जाता है। इकाइयों के बाह्य विपणन प्रयासों को बाजार प्रदर्शनियों एवं क्रेता-विक्रेता बैठकों इत्यादि के आयोजन द्वारा भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, वाणिज्य मंत्रालय के अनुरोध पर महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्षस्थ समिति का गठन किया है और उक्त शीर्षस्थ समिति द्वारा निर्यात इकाइयों को अपेक्षित सहायता मुहैया करने के लिए राज्य सरकार के विभागों से संबंधित इकाइयों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाता है।

विवरण

महाराष्ट्र में 100% निर्यात अभिमुख इकाइयों का जिले-वार ब्यौरा और 1998-99 के दौरान उनके द्वारा किए गए निर्यात

(लाख रु. में)

क्र.सं.	जिला	इकाइयों की सं.	1998-99 के दौरान-निर्यात
1	2	3	4
1.	अहमदनगर	3	234.22
2.	औरंगाबाद	2	12.06
3.	बांद्रा	1	-
4.	जालौन	4	9285.82
5.	कोल्हापुर	13	44620.77
6.	मुम्बई	13	10799.77
7.	मुम्बई सबवे	5	4552.30
8.	नासिक	16	7264.59
9.	नांदेड़	1	1228.93
10.	नागपुर	4	12816.22
11.	पुणे	45	20970.52
12.	रतनागिरी	4	5675.32
13.	रायगढ़	30	13255.32
14.	संगली	2	1047.79
15.	सतारा	2	3455.62
16.	सोलापुर	3	5177.93
17.	सिंधदुर्ग	1	-
18.	थाने	46	18378.45
19.	योटमाल	1	-
	योग	196	158775.32

विश्व व्यापार संगठन की बैठक

1487. डा. संजय पासवान: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटान प्रक्रिया में भागीदारों की सूची में बाल श्रम और पर्यावरण गतिविधियों से संबद्ध गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठन के विचाराधीन ,

(ख) यदि हां, तो भारत के ऐसे संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे किसी संगठन ने अब तक विश्व व्यापार संगठन की बैठक में भाग लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विश्व व्यापार संगठन के स्तर पर इन संगठनों की भागीदारी के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) की विवाद निपटान कार्रवाईयों में भागीदारी के लिए सिविल सोसायटी गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों को शामिल करने के लिए किसी विशिष्ट सूची के बिना सामान्य रूप में कुछ सदस्य देशों द्वारा प्रस्ताव किए गए हैं।

(ग) और (घ) डब्ल्यू टी ओ पर्यावरण और विकास जैसे मुद्दों पर समय-समय पर विचार संगोष्ठियों का आयोजन करता आ रहा है, जिनमें गैर-सरकारी संगठनों को भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। डब्ल्यू टी ओ द्वारा इस प्रकार की एक विचार गोष्ठी 29 नवम्बर, 1999 को सिएटल में भी आयोजित की गयी थी।

(ङ) भारत डब्ल्यू टी ओ की विवाद निपटान कार्रवाई में सिविल सोसायटी/गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों को शामिल करने का विरोध करता है क्योंकि इससे उसकी सरकार-से-सरकार वाला स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसके अलावा, इस बात की आशंका है कि ऐसी भागीदारी से विवाद निपटान तंत्र की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राजसहायता

1488. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गत पांच वर्षों में राज्यवार और वर्षवार केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पहलुओं पर उपलब्ध कराई जा रही राजसहायता की वर्तमान स्थिति की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र और राज्य के स्तर पर राजस्व घाटे को नियंत्रित करने हेतु संघ सरकार ने गैर महत्वपूर्ण चीजों पर चरणबद्ध ढंग से राजसहायता समाप्त करने हेतु एक नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(च) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग से इस विषय का अध्ययन करने के लिए कहा गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (छ) केन्द्र सरकार का यह प्रयास रहा है कि सब्सिडी व्यवस्था को पारदर्शी और बेहतर लक्ष्ययुक्त बनाकर और जब कभी आवश्यक हो, सब्सिडी प्राप्त मद के मूल्यों में परिवर्तन करके इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। सरकार द्वारा गठित व्यय सुधार आयोग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, सभी प्रकार की सब्सिडियों के ढांचे की पुनरीक्षा करने, उनके जारी रहने के पीछे आर्थिक तर्काधार की जांच करने और सब्सिडियों को पारदर्शी बनाने के लिए सिफारिशें करने और न्यूनतम लागत पर लक्षित आबादी पर उनके प्रभाव को अधिकतम करने हेतु उपाय सुझाने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

जलापूर्ति और जल-मल व्ययन हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

1489. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जलापूर्ति और जल-मल व्ययन के लिए जिस प्रकार से ऋण दिये जाते हैं उसमें कुल ऋण राशि अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत से भी कम रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का इस प्रतिशत को बढ़ाने का विचार है;

(ग) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम योजना में लागत वृद्धि हेतु पर्याप्त ऋण देता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वह निम्नलिखित स्तरीकृत पैमाने के अनुसार योजना आबंटन द्वारा किए वार्षिक आवंटन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित की गई जलापूर्ति एवं जल-मलव्ययन योजनाओं के लिए राज्य स्तर के जलापूर्ति और जल-मलव्ययन बोर्ड तथा स्थानीय निकायों को ऋण प्रदान करता है:

योजना की लागत	ऋण
5 करोड़ रु. तक	67% तक
5 से 10 करोड़ रु. तक	46.7% तक
10 करोड़ रु. से अधिक	कम किए गए स्तरीकृत आधार पर

वित्त पोषण के पैटर्न की समीक्षा समय-समय पर की जाती है।

(ग) और (घ) जीवन बीमा निगम लागत के आधिक्य हेतु मूल और संशोधित अनुमानित लागत के बीच अंतर के 25% की सीमा तक ऋण प्रदान करने के संबंध में इस शर्त पर विचार करता है कि राज्य सरकार लागत-आधिक्य के शेष 75% हिस्से का खर्च पूरा करे। यह सहायता किसी परियोजना विशेष के लिए केवल एक बार ही दी जाती है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

1490. श्री प्रियरंजन दासमुंशीः
श्री पवन कुमार बंसलः

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विनिवेश आयोग के गठन के उपरान्त से किन सरकारी क्षेत्र की इकाईयों ने 31 दिसम्बर, 1999 तक अपनी इक्विटी का यथापूर्व विनिवेश कर दिया है;

(ख) बोर्ड के निर्णय की तारीख कौन सी थी और ऐसी इक्विटी के वास्तविक क्रयकर्ता कौन थे;

(ग) इस विक्रय की तिथि को बाजार-शेयर की प्रचलित दर क्या थी; और

(घ) विभिन्न सरकारी क्षेत्र इकाईयों में विनिवेश से कितनी राशि प्राप्त की गई और इसे किस प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयरधारिता के विनिवेश के निर्णय सरकार द्वारा किये जाते हैं न कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडलों द्वारा।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) विनिवेश आयोग के गठन के पश्चात अगस्त, 1996 से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश से 8238 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई है। यह राशि भारत की समेकित निधि में जमा कर दी गई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि विनिवेश प्राप्तियों के 10 प्रतिशत हिस्से का उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उपलब्ध कराई गई बजटीय सहायता विनिवेश प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक है।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास केन्द्र

1491. श्री जगदम्बी प्रसाद यादवः क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार में कितने औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन केन्द्रों में कितनी धनराशि निवेश की गई है;

(ग) क्या उनके द्वारा सड़क और पानी की टंकियों का निर्माण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विकास केन्द्रों की संख्या तथा विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन विकास केन्द्रों को दी गई केन्द्रीय सहायता नीचे दी गई है:

वर्ष	अनुमोदित विकास केन्द्रों की संख्या	दी गई केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)
1996-97	03	150.00
1997-98	01	50.00
1998-99	शून्य	शून्य

(ग) और (घ) बिहार राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा किसी भी विकास केन्द्र में सड़कों तथा जलाशयों का निर्माण नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

बीमा क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों द्वारा अपनी भूमिका की मांग

1492. श्री विलास मुत्तेमवारः
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने सरकार से बीमा और निर्माण जैसे क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों को वाजिब हिस्सा देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों के अनुरोध पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक उनकी मांगें मानी गयी हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) चल रही उदारीकरण की प्रक्रिया के अनुसरण में अनिवासी भारतीयों के निवेशों को शासित करने वाली नीतियों और क्रियाविधियों को, अनिवासी भारतीयों के लिए अधिक अनुकूल निवेश संबंधी वातावरण सृजित करने हेतु समय-समय पर, सरल और कारगर बनाया गया है; जिनमें (1) उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में शत-प्रतिशत तक स्वत: अनुमोदन मिलना, (2) क्षेत्र-गत सीमाओं वाले क्षेत्रों में उच्च स्तरीय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमाएं लगाना, (3) आवासन और स्थावर सम्पत्तियों के क्षेत्रों में 100 प्रतिशत निवेश की अनुमति देना, और (4) अलग-अलग गौण बाजारों में निवेश की सीमाओं में वृद्धि करना शामिल हैं। बीमा क्षेत्र में, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में भारतीय बीमा कम्पनी में अधिकतम 26 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी पूंजी लगाए जाने का प्रावधान है जिसमें अनिवासी भारतीयों द्वारा किया गया निवेश भी शामिल है। एक बार स्थापित होने के पश्चात्, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करना आरम्भ कर देगा।

पाकिस्तान से कपास का आयात

1493. श्री एस. वेंकटेश नायक:
श्री सुबोध मोहिते:
श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री ए. नरेन्द्र:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से आयात की गयी कपास की गांठों का मात्रा-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पाकिस्तान से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने पाकिस्तान, चीन और अन्य देशों से कपास की गांठों पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इसके परिणामस्वरूप कपास के आयात की मात्रा में कमी आयी है; और

(छ) यदि हां, तो कपास की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या विकल्प अपनाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) कपास वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान कपास का आयात क्रमश: 0.30 लाख गांठ, 4.13 लाख गांठ और 7.27 लाख गांठ था। जिन प्रमुख देशों से भारत में कपास आयात की जाती है, वे हैं: आस्ट्रेलिया, मिश्र, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमरीका आदि।

(ख) और (ग) सरकार ने वनस्पति स्वच्छता उपायों की दृष्टि से, कपास में विदेशी मूल के बिनौले, सूखे पत्ते तथा डंठलों में घातक बेक्टेरिया, वायरल और फुंगल रोगों के व्याप्त होने के कारण जो भारतीय जलवायु परिस्थितियों में हानिकारक है। पाकिस्तान से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(घ) से (छ) चालू वर्ष के बजट से 5 प्रतिशत (10 प्रतिशत अधिकार सहित) आयात शुल्क लगाया गया है। यह सभी देशों से होने वाले आयात पर लागू होगा। अप्रैल-नवंबर, 1999 के दौरान 1,20,858 टन कपास (अपशिष्ट कपास सहित) का आयात किया गया जबकि इसकी तुलना में अप्रैल-नवंबर, 1998 के दौरान 63,340 टन का आयात किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष आयात में वृद्धि हुई है। कपास के आयात की मात्रा का निर्णय लेते समय गुणवत्ता ऋण, सुविधाओं आदि अन्य कारकों सहित उसके शुल्क पर भी विचार किया जाता है।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए विश्व बैंक की सहायता

1494. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने पुन: संरचना/आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो बैंकवार प्रस्तुत/विचाराधीन/अंतिम रूप से निपटान किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1995 में अनुमोदित परियोजना में बैंकों के लिए पूंजी पुनर्संरचना ऋण (सी आर एल) तथा आधुनिकीकरण एवं संस्थागत विकास ऋण (एम आई डी एल) शामिल है। सी आर एल के तहत सरकार द्वारा अब तक

200 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्राप्त की गई है। एम आई डी एल के बैंकवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(राशि: मिलियन अमरीकी डालर)

क्रमांक	बैंक का नाम	आबंटित राशि	दिनांक 28.2.2000 की स्थिति के अनुसार आहरित राशि
1.	इलाहाबाद बैंक	14.4	7.4
2.	बैंक आफ इंडिया	36.2	16.1
3.	देना बैंक	17.7	12.0
4.	इंडियन बैंक	10.0	1.3
5.	इंडियन ओवरसीज बैंक	10.4	8.6
6.	सिंडिकेट बैंक	10.0	6.3
	कुल	98.7	51.7

[हिन्दी]

वस्त्र मशीन

1495. श्रीमती शीला गौतम:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र संबंधी मशीनों के निर्माण में शामिल उद्योगों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा देश में गुणवत्ता तथा अधिक उत्पादकता वाली वस्त्र संबंधी मशीनों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1999-2000 की पहली छमाही के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में वस्त्र संबंधी मशीनों के उत्पादन में अनुमानतः कितनी कमी आई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) 'दि फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्री' ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान बहुत सारी लघु इकाइयाँ और छः बड़ी इकाइयाँ बंद हो गई हैं। बताए गए कारण हैं: क्रयादेशों की कमी और आयात से प्रतिस्पर्द्धा। अप्रैल-सितम्बर, 1999 की अवधि के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि में 559.36 करोड़ रुपये की तुलना में वस्त्र मशीनरी का उत्पादन 446.65 करोड़ रुपये था। सरकार ने समग्र रूप से वस्त्र और जूट उद्योग के विकास के लिए 1.4.1999 से 5 वर्षों के लिए एक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) जारी की है। यह आशा की जाती है कि इस योजना से स्वदेशी उत्पादन और वस्त्र मशीनरी की बिक्री में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

गैर-पारम्परिक राज्यों में चाय का उत्पादन

1496. श्री अनन्त नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-पारम्परिक राज्यों में चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) उक्त राज्य में, विशेषतः क्योंझर जिले में अब तक कितने हैक्टेयर भूमि में चाय बागान लगाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां। चाय बोर्ड द्वारा नौवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा सहित उन गैर-परम्परागत अभिज्ञात क्षेत्रों में चाय की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ''नया क्षेत्र विकास योजना'' नामक एक योजना कार्यान्वित की जा रही है, जहां की मिट्टी तथा कृषि संबंधी मौसमी दशाएं चाय की उपज के लिए उपयुक्त पाई गई हैं।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य में चाय की खेती हेतु भूक्षेत्रों की उपयुक्तता के आकलन के लिए चाय बोर्ड द्वारा कालाहांडी, फुलबनी तथा क्योंझार जिले में सर्वेक्षण किए गए थे। क्योंझार जिले में अब तक 213 हेक्टेयर भूमि को चाय की खेती के तहत लाया गया है। राज्य सरकार के पास लघु जनजातीय किसानों के लाभ के लिए 1000 हेक्टेयर भूमि को चाय की खेती के अंतर्गत लाने की योजनाएँ हैं। राज्य सरकार द्वारा चाय के तत्काल रोपण के लिए 100 हेक्टेयर का एक भूक्षेत्र पहले ही अभिज्ञात कर लिया गया है।

रूस में सिक्कों की ढलाई

1497. श्री वैको: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांच रुपए के सिक्के की ढलाई रूस में होती है;

(ख) यदि हां, तो रूस को दिए गए ढलाई आदेश का ब्यौरा क्या है और कितने सिक्कों की ढलाई पहले ही करके उनकी आपूर्ति भारत की जा चुकी है;

(ग) भारत और रूस में सिक्कों की ढलाई का लागत अनुपात क्या है;

(घ) क्या सरकार ने स्वदेश में ही सिक्कों की ढलाई की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) पांच रुपए मूल्यवर्ग के 400 मिलियन अदद सिक्कों की आपूर्ति का एक आर्डर मैसर्स मॉस्को मिंट ऑफ गोजनाक, रूस को, उस फर्म के इस प्रयोजन हेतु निकाली गई विश्व व्यापी संविदा में सबसे न्यूनतम बोलीकर्ता पाए जाने पर दिया गया था। आज की तारीख तक 178.5 मिलियन अदद सिक्कों का निरीक्षण किया जा चुका है और उनके जहाज पर लदान के लिए मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें से 60.9 मिलियन अदद सिक्के पहले ही भारत में आ चुके हैं।

(ग) देश में निर्मित और आयातित सिक्कों के लिए 5 रुपए के सिक्के की लागत क्रमश: 3.10 रुपए और 1.63 रुपए है।

(घ) और (ङ) जी हां, देश में निर्माण के लक्ष्य की तुलना में मांग के आकलन के बाद सिक्कों के आयात को मंजूरी दी गई है।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर

1498 श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी कर्मचारियों द्वारा आयकर भुगतान के नियमों और शर्तों का पालन न करने तथा अपने वेतन को विदेश में ही रखने से आर्थिक घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक हुए घाटे का विवरण क्या है;

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके कर्मचारियों ने आयकर भुगतान के नियम और शर्तों का पालन नहीं किया है; और

(घ) सरकार द्वारा इन कर्मचारियों से आयकर भुगतान के नियम और शर्तों का पालन करें, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान यह पता चला था कि कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में की गई सेवाओं के लिए विदेशों में अपने कर्मचारियों को भुगतान किये गये वेतन के कुछ भाग के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती नहीं की थी। राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि 640 करोड़ रुपये से अधिक राशि के कर और अतिरिक्त ब्याज की पूरी राशि आयकर विभाग द्वारा पहले ही वसूल कर ली गई है।

(ग) उन कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिन्होंने स्रोत पर कर की कटौती के उपबंधों की अनुपालना नहीं की है।

(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133क के अंतर्गत कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर सर्वेक्षण किए गए हैं। सभी मामलों में सांविधिक ब्याज प्रभारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे कई मामलों में जहां लागू है, स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए अधिनियम की धारा 271ग के अंतर्गत अर्थदंड लगाया गया है।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	2
1.	आल निप्पन एअरवेज कं. लि.
2.	मैसर्स अन्तुसु कार्पोरेशन
3.	मैसर्स आई.एच.आई.
4.	मैसर्स डेन्सो इंडिया
5.	मै. फ्युजी बैंक लि.
6.	मैसर्स ई पी डी सी
7.	मैसर्स जापान ब्रांडकास्टिंग कार्पोरेशन
8.	मैसर्स एरिक्सन कम्युनिकेशन प्रा. लि.
9.	मैसर्स अल्काटेल मोदी नेटवर्क्स सिस्टम्स
10.	मैसर्स अल्काटेल साऊथ एशिया पैसिफिक लि.
11.	मैसर्स केगेलेक इंडिया लि.

1	2
12.	मैसर्स केगेलेक इंडिया लि. (नोएडा ऑफिस)
13.	मैसर्स ह्यून्दई इंजी. कन्स लि. कम्पनी
14.	मैसर्स देवू मोटर्स इंडिया लि.
15.	मैसर्स बैंक परिबा
16.	मैसर्स एयरोफ्लोट
17.	जापान रेडियो कं. लि.
18.	मैसर्स असाही ग्लास कं. लि.
19.	मैसर्स केशियो भारती मोबाइल कम्यूनिकेशन लि.
20.	मैसर्स फ्युजीत्सु लि.
21.	मैसर्स इटोचु कार्पोरेशन
22.	मैसर्स चोरी कं. लि.
23.	मैसर्स एस्कोर्टस यामहा मोटर्स लि.
24.	मैसर्स फ्यूजी फोटो फिल्म (सिंगापुर)
25.	मैसर्स हिटाची कैबिल्स लि.
26.	मैसर्स एक्सेडी सीके लि.
27.	मैसर्स होंडा मोटर्स कं.
28.	मैसर्स केन्वूड
29.	मैसर्स जुकी सिंगापुर
30.	मैसर्स हिटाची इंडिया ट्रेडिंग प्रा.लि.
31.	द बैंक आफ टोकियो
32.	दी साकुरा बैंक लि.
33.	जापान एअरलाइन्स
34.	मैसर्स सान्वा बैंक लि. नई दिल्ली
35.	मैसर्स नेशनल पैनासोनिक
36.	मैसर्स निशो इवाई कारपोरेशन
37.	मैसर्स मित्शुबीशी कारपोरेशन
38.	एल जी इलैक्ट्रानिक्स
39.	मैसर्स सेमसंग इलैक्ट्रानिक्स
40.	द कमर्शियल बैंक आफ कोरिया लि.
41.	द बैंक आफ नोवा स्कोटिया
42.	नोकिया प्राइवेट लिमिटेड
43.	मैसर्स लुफ्तहांसा एयरलाइन्स
44.	मैसर्स टोक्यो मोटर्स कारपोरेशन
45.	मैसर्स सोनी इंडिया प्राइवेट लि.
46.	मैसर्स सोनी गल्फ
47.	मैसर्स सोनी कारपोरेशन लि.
48.	मैसर्स एस डब्ल्यू एस इंडिया होल्डिंग लि.
49.	मैसर्स सूमी मदरसन इनोवेटिव इंजी. लि.
50.	मैसर्स सूमी मदरसन इनटेग्रेटिड टेक्नालाजी लि.
51.	मैसर्स मदरसन सूमी सिस्टम लि.
52.	मैसर्स एन इ सी कार्पोरेशन
53.	मैसर्स मारूबेनी कारपोरेशन, नई दिल्ली
54.	मैसर्स वाई के के इंडिया प्रा.लि.
55.	मैसर्स मितसुई कनसट्रक्शन कं. लि.
56.	मैसर्स मितसुई केनसेतसू इंडिया प्रा.लि.
57.	मैसर्स टी एस टेक. कं. लि.
58.	मैसर्स सुमिटोमो कारपोरेशन
59.	मैसर्स सनदन विकास इंडिया लि.
60.	मैसर्स तोशिबा कारपोरेशन
61.	मैसर्स रूबेनी कारपोरेशन प्रोजेक्ट आफिस
62.	मैसर्स मरूबेनी इंडिया प्राइवेट लि.
63.	मैसर्स मितसुई मेरीन एण्ड फायर इंश्योरेंस कम्पनी लि.
64.	मैसर्स टेरूमों कारपोरेशन
65.	मैसर्स मित्शुबीशी इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन इंडिया सम्पर्क आफिस
66.	मैसर्स शोबा कारपोरेशन (मुनजई)
67.	मैसर्स मोरीरको कं. लि.
68.	मैसर्स मित्सुई एंड कंपनी

1	2
69.	मैसर्स के ई आई एच एन कार्पोरेशन
70.	मैसर्स सवरोस लि.
71.	मैसर्स सुमिटोमो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री लि.
72.	मैसर्स रिसो कागाको कार्पोरेशन
73.	मैसर्स केनवुड कार्पोरेशन
74.	मैसर्स लमेक्स इंडस्ट्रीज लि.
75.	मैसर्स यसुदा फायर एण्ड मेरिन इंश्योरेंस कं. लि.
76.	मैसर्स मत्सुशिता टेलीविजन एण्ड आडियो इंडिया लि.
77.	मैसर्स सताके कारपोरेशन
78.	मैसर्स मत्सुशिता इलेक्ट्रिस वर्क्स लि. (नेशनल पैनासोनिक)
79.	मैसर्स निशा हवाई कार्पोरेशन (बम्बई कार्यालय)
80.	मैसर्स टोयोटा त्सुशियो कारपोरेशन
81.	मैसर्स पायनियर इलेक्ट्रिक कारपोरेशन
82.	मैसर्स सुमितामो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज लि.
83.	मैसर्स आई सी आई इंडिया लि.
84.	नेमुरा ट्रैडिंग कं. लि.
85.	मित्सुभीशी हैवी इंडस्ट्रीज लि.
86.	किन्शो मताई सी कार्पोरेशन
87.	सुमिकिन बसन कारपोरेशन
88.	द आसही बैंक लि.
89.	द सुमितोमो मेरीन एंड फायर इन्सुरेंस कार्पोरेशन
90.	द सुमितोमो बैंक लि.
91.	निशीमेल कारपोरेशन
92.	टोमेन कारपोरेशन
93.	हिताची जी. मोटर इंजी. लि.
94.	सकूरा कैपिटल मार्केट
95.	मैसर्स क्वाशो कारपोरेशन
96.	मैसर्स नगासे एण्ड कं. लि.
97.	मैसर्स मुराटे मशीनरी लि.
98.	बी.पी.एल. सान्यो लि.
99.	बी.पी.एल. सान्यो फाइनेंस
100.	योकागावा ब्लूस्टार
101.	इंडो निशिन फूड्स लि.
102.	जुकी सिंगापुर लि.
103.	हिताची कोकी

[अनुवाद]

जौ के माल्ट का आयात

1499. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जौ के माल्ट के आयात की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जौ के माल्ट के आयात से देश में जौ के उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) वर्ष 1998-99 और चालू वर्ष के दौरान जौ के माल्ट के आयात के कारण कितनी विदेशी मुद्रा का निर्गम हुआ है; और

(ङ) इस नीति की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ङ) निर्यात एवं आयात मदों का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 1997-2002 के अंतर्गत जौ की माल्ट को अलग से वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तथापि माल्ट को निर्यात एवं आयात मदों का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के एग्जिम कोड़ शीर्ष 11.07 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। जौ की माल्ट सहित माल्ट का आयात मुक्त है। सरकार के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार जौ की माल्ट सहित माल्ट के आयात पर किया गया विदेशी मुद्रा का भुगतान 1998-99 के दौरान 7238567 रुपए और अप्रैल, 99 से अगस्त, 99 की अवधि के दौरान 7824164 रुपए का था।

सरकार 90 के दशक की शुरुआत से ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंधों को हटाने की नीति का पालन कर रही है। माल्ट के आयात पर प्रतिबंधों को हटाना इस नीति का परिणाम था। तथापि, इस प्रकार के सभी आयातों को सीमाशुल्क की लागू दरों और तत्समय प्रवृत्त सभी राष्ट्रीय कानूनों के उपबंधों के अधीन रखा जाता है, जैसाकि ऊपर दिए गए आयात संबंधी आंकड़ों से देखा जा सकता है कि आयातों के इस स्तर से देश के जौ उत्पादकों पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

औद्योगिक विकास केन्द्र

1500. श्री भर्तृहरि महताब: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में उड़ीसा में जिला-वार कितने औद्योगिक विकास केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछ और औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने का है और क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में क्या प्रगति हुई और इन औद्योगिक विकास केन्द्रों की कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आज तक इन केन्द्रों के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा में अनुमोदन प्रदान किए गए विकास केन्द्रों की जिलावार संख्या निम्न है:

जिले का नाम	अनुमोदन प्राप्त विकास केन्द्रों की सं.
1. गंजम	1
2. कटक	1
3. भरसुगुडा	1
4. कालाहांडी	1

केन्द्र सरकार की भूमिका अपने इक्विटी के शेयर विकास केन्द्रों को उपलब्ध कराने तक सीमित है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार की है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

कपास उत्पादकों को ऋण

1501. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सरल शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और ऋण संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि वे फसल ऋण प्रणाली के नाम से जानी जाने वाली उत्पादोन्मुख प्रणाली के अंतर्गत कपास समेत कृषि फसलों को बढ़ाने के लिए किसानों को अल्पावधि ऋण प्रदान करें। विभिन्न कारकों, जैसे कृषि संबंधी मौसम की दशाएं, नकद ऋण के संवितरण में लोच, ऋण देने और वसूली में मौसम संबंधी अनुपालन आदि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न फसलों के लिए वित्त निर्धारित किया जाता है जिसे किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, श्री आर वी गुप्ता की उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में ऋण मंजूरी तथा संवितरण प्रक्रिया के सरलीकरण, शाखा प्रबंधकों को और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करने, संमिश्र नकदी ऋण योजना शुरू करने, किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए नये ऋण उत्पादों को सृजित करने, ऋणों के नकद संवितरण, 'अदेयता प्रमाणपत्र' पर अधिक जोर न देने आदि को भी बैंकों द्वारा शुरू किया गया है। किसानों को कृषि के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण की उपलब्धता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा कोआपरेटिव बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य किसानों के लिए ऋण का प्रावधान करना है जिससे कि वे कृषि संबंधी वस्तुएं जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीद सकें तथा अपने उत्पादन की आवश्यकता के लिए बिना परेशानी के लागत प्रभावी तरीके से नकदी आहरित कर सकें।

किसानों को ऋण

1502. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों पर बकाया ऋण पर किसी प्रकार की कोई छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) उन निरंतर चूककर्ता किसानों को जो अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण संचित ब्याज सहित मूलधन की वापसी अदायगी कर पाने में असमर्थ हैं, उचित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 1998 में राहत उपाय के रूप में प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर ऐसे किसानों से संबंधित अतिदेय राशियों के निपटान पर विचार करने के लिए कहा है।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन परिषदें

1503. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में स्थापित निर्यात संवर्धन परिषदों की चर्म, मसालें, काफी और चाय जैसे उत्पादों के निर्यात संवर्धन में क्या भूमिका है;

(ख) क्या इन निर्यात संवर्धन परिषदों के क्षेत्रीय केन्द्र निर्माताओं, प्रसंस्करणकर्त्ताओं और उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्यात संवर्धन परिषदों के निष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 2000-2001 के दौरान कितना निष्पादन अपेक्षित है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) की संख्या 20 है, जिनमें से 11 परिषदें वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं तथा 9 परिषदें वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं। ये परिषदें कम्पनी अधिनियम/सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत लाभ न कमाने वाले संगठनों के रूप में पंजीकृत हैं। निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा एक ऐसा मंच प्रदान किया जाता है जिस पर उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र/उद्योग के निर्यात निष्पादन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाता है। उनके द्वारा प्रदर्शनियों के आयोजन/क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन/शिष्टमंडलों को विदेश भेजने इत्यादि जैसे अनेक निर्यात निष्पादन संबंधी क्रियाकलाप किये जाते हैं। उनके द्वारा अपने सदस्यों को बाजार रुझानों, व्यापारिक पूछ-ताछ इत्यादि के बारे में संगत सूचना भी मुहैया करवायी जाती है। मसालों, कॉफी तथा चाय के निर्यात संवर्धन की देख-रेख इनमें से प्रत्येक वस्तु के लिए सरकार द्वारा गठित किए गए बोर्डों द्वारा की जाती है। इन उत्पादों के लिए अलग निर्यात संवर्धन परिषद् (ईपीसी) नहीं हैं।

कुछ निर्यात संवर्धन परिषदों ने स्थानीय निर्यातकों के साथ बातचीत को सुकर बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं।

(घ) और (ङ) निर्यात संवर्धन परिषदें निर्यात संबधी क्रियाकलापों में सीधे शामिल नहीं होती हैं। उनकी भूमिका मुख्य रूप से संवर्धनात्मक प्रकृति की होती है और इसलिए यह उचित नहीं है कि उनके निष्पादन का मूल्यांकन निर्यातों के संदर्भ में किया जाए क्योंकि निर्यात अलग-अलग निर्यातकों द्वारा किए जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए प्रमुख वस्तुओं के निर्यातों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यह व्यावहारिक नहीं है कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रत्याशित निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए क्योंकि भविष्य में होने वाले निर्यात विभिन्न घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कारकों पर निर्भर होते हैं जिनका निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

विवरण

प्रमुख वस्तुओं का निर्यात 1996-97 से 1998-99

(मूल्य अमरीकी मिलियन डालर में)

	वस्तुएं	1996-97	1997-98	1998-99
	1	2	3	4
I.	**बागान**	693.99	961.24	952.04
1.	चाय	292.14	504.86	547.19

1		2	3	4
2.	कॉफी	401.86	456.38	404.85
II.	कृषि एवं सह उत्पाद	4596.29	4236.56	3952.25
1.	अनाज	1104.07	910.54	1478.25
	(क) चावल	893.62	907.04	1473.90
	(ख) गेहूं	196.75	0.11	0.65
	(ग) अन्य	13.70	3.39	3.69
2.	दालें	37.06	97.10	51.99
3.	तम्बाकू	213.18	287.97	185.19
	(क) गैर-निर्मित	186.05	246.87	140.48
	(ख) निर्मित	27.13	41.10	44.71
4.	मसाले	338.63	379.30	384.30
5.	गिरी व बीज	532.22	612.39	489.70
	(क) गिरी समेत काजू	362.89	378.60	383.44
	(ख) सीसेम व नईजर सीड	77.54	81.42	77.15
	(ग) मूंगफली	91.79	152.38	29.11
6.	आयल मील	984.61	924.32	454.56
7.	ग्वारगम मील	100.32	146.64	171.53
8.	अरण्डी तेल	176.69	155.02	158.96
9.	चपड़ा	14.73	15.63	16.53
10.	चीनी व शीरा	303.63	68.59	5.44
11.	प्रसंस्कृत खाद्य	482.02	346.63	310.01
	(क) फल व सब्जियां	163.04	158.70	125.84
	(ख) प्रसंस्कृत फल व रस	11.85	14.39	14.58
	(ग) प्रसंस्कृत मदें एवं विविध प्रसंस्कृत मदें	307.13	173.54	169.59
12.	माँस व मांस उत्पाद	199.69	217.51	180.77
13.	कुक्कुट एवं डेयरी उत्पाद	34.87	31.76	23.52
14.	पुष्पोत्पाद	17.86	23.34	24.59
15.	स्पिरिट व ब्रीवरेज	56.70	19.81	16.90

1		2	3	4
III.	**समुद्री उत्पाद**	1128.91	1207.26	1038.24
IV.	**अयस्क व खनिज**	1172.37	1061.06	890.94
1.	लौह-अयस्क	480.69	476.17	380.20
2.	माईका	7.05	10.77	10.35
3.	प्रसंस्कृत खनिज	339.00	336.85	235.18
4.	अन्य अयस्क व खनिज	322.37	213.50	233.45
5.	कोयला	23.27	23.78	31.77
V.	**चर्म व उत्पाद**	1605.82	1656.69	1653.36
1.	फुटवीयर	586.15	548.33	575.42
2.	चर्म व उत्पाद	1019.67	1108.36	1077.94
VI.	**रत्न व आभूषण**	4752.71	5345.52	5904.05
VII.	**खेल के समान**	78.05	80.76	72.07
VIII.	**रसायन व संबद्ध उत्पाद**	4102.65	4551.09	4180.20
1.	मूल रसायन, भेषज व प्रसाधक	2497.38	2821.79	2645.19
2.	प्लास्टिक व लिलोलियम	539.43	514.33	480.30
3.	रबड़ ग्लास व अन्य उत्पाद	872.97	866.83	808.07
4.	अवशिष्ट रसायन और सह-उत्पाद	192.87	348.14	246.65
IX.	**इंजीनियरी सामान**	4055.14	4435.29	3803.51
X.	**इलेक्ट्रोनिक सामान**	854.91	819.24	563.81
1.	इलेक्ट्रोनिक्स	783.67	759.57	499.26
2.	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	71.23	59.67	64.55
XI.	**परियोजना सामान**	52.64	81.64	48.80
XII.	**वस्त्र**	8045.32	8504.85	8411.02
1.	सिले-सिलाए कपड़े	3753.27	3876.18	4444.42
2.	कॉटन यार्न, फैब्रिक मेड-अप, इत्यादि	3121.73	3264.28	2773.78
3.	मानव निर्मित कपड़े, मेड़-अप, इत्यादि	721.51	822.80	720.82
4.	प्राकृतिक रेशम के कपड़े	128.79	176.43	181.55
5.	ऊन व ऊन उत्पाद	103.65	109.75	74.67
6.	कॉयर व कॉयर उत्पाद	60.99	68.57	74.43

1		2	3	4
7.	जूट उत्पाद	155.37	186.84	141.35
8.	हस्तकला	475.67	525.86	625.78
XIV.	गलीचे	590.51	545.60	534.86
1.	हस्त निर्मित रेशम को छोड़ कर	436.30	410.61	413.38
2.	मिल निर्मित रेशम को छोड़कर	134.83	105.53	99.88
3.	रेशम कारपेट	19.37	29.46	21.60
XV.	कच्चा कपास जिसमें बेकार शामिल हैं	443.52	221.15	53.25
XVI.	पेट्रोलियम उत्पाद	481.79	352.75	89.43
XVII.	गैर-वर्गीकृत निर्यात	339.47	419.79	884.93
	कुल योग	33469.76	35007.85	33641.00

भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन निधि

1504. **श्री मोइनुल हसनः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन निधि में वर्तमान में कितनी राशि संचित है;

(ख) इस विशाल संचित निधि में से कितनी राशि सामाजिक क्षेत्र के लिए नियत की गई है; और

(ग) इन निधियों का किस प्रकार प्रयोग हो रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान का प्रगामी जोड़ 65,523.08 करोड़ रुपए व कर्मचारी पेंशन निधि का 15,586.90 करोड़ रुपए था।

(ख) और (ग) ये निधियां सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेशित की जाती हैं। निवेश की अद्यतन पद्धति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

निवेश पद्धति

		निवेश की जाने वाली प्रतिशत राशि
(i)	लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथा परिभाषित केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां; और/अथवा ऐसे म्युचुअल फण्डों; जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है और जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, की यूनिटें;	पच्चीस प्रतिशत

(ii)	(क) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथापरिभाषित किसी राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी सरकारी प्रतिभूतियां; और/अथवा ऐसे म्युचुअल फण्डों, जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है और जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, की यूनिटें; और/अतवा (ख) अन्य कोई परक्राम्य प्रतिभूतियां; जिनकी मूल राशि और जिन पर ब्याज नीचे iii(क) के अधीन शामिल को छोड़कर केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा किसी शर्त के बिना और पूर्णतः गारंटी शुदा है।	पन्द्रह प्रतिशत
(iii)	(क) कम्पनी अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन यथानिर्दिष्ट सरकारी वित्तीय संस्थाओं; सरकारी क्षेत्र के बैंकों और आधारभूत संरचना विकास वित्त कंपनी सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (36-क) में यथा परिभाषित "सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों" के बाण्ड/प्रतिभूतियां; और/अथवा (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी जमाराशियों के प्रमाण पत्र।	चालीस प्रतिशत
(iv)	न्यासियों द्वारा जैसा निर्णय किया जाए उपरोक्त तीन श्रेणियों में से किसी एक में निवेश।	बीस प्रतिशत
(v)	न्यास, जोखिम-प्राप्ति सम्भावनाओं के उनके निर्धारण के अधीन ऊपर (iv) में से 10 प्रतिशत तक निजी क्षेत्र बाण्ड/प्रतिभूतियों, जिनको कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त है, में निवेश कर सकते हैं।	

2. अनिवार्य व्यय को घटाकर पूर्व निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त कोई भी राशि इस अधिसूचना में निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार निवेश की जाएगी।

3. विशेष जमाराशि स्कीम पर प्राप्त ब्याज विशेष जमाराशि स्कीम में ही निवेशित किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अधीन प्राप्त ब्याज को भी उसी श्रेणी में पुनः निवेशित किया जा सकता है।

विनिवेश का लक्ष्य

1505. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर संग्रहण में वृद्धि के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद दर में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कर संग्रहण तथा सकल घरेलू उत्पाद को संतुलित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) वास्तविक (सकल घरेलू उत्पाद) जीडीपी में वृद्धि द्वारा यथामापित अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि, अन्य बातों के अलावा अनेक कारकों पर निर्भर है जिनमें निवेश के दर तथा उसके उपयोग की दक्षता, कृषि क्षेत्र के निष्पादन जैसे आपूर्ति कारक इत्यादि शामिल हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1998-99 में 6.8 प्रतिशत की तुलना में 1999-2000 (अग्रिम अनुमान) में वास्तविक जीडीपी (उपादान लागत पर) में 5.9 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर्ज की। केन्द्रीय सरकार का सकल कर राजस्व, जो 1999-2000 (संशोधित अनुमान) में 169979 करोड़ रुपए और 1998-99 में 143797 करोड़ रुपए था, के 2000-2001 में 200288 करोड़ रुपए होने की बजटीय व्यवस्था की गई है।

बुनियादी ढांचे हेतु वित्त-पोषण

1506. श्री जी.एस. बसवराज: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए किसी ठोस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) महोदय, सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुए लाभ/घाटा

1507. **श्री कृष्णमराजू:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कार्य कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंक-वार कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटा में चल रहे बैंकों के कार्यकरण में सुधार के मद्देनजर कोई कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ङ) नौवीं योजना के दौरान देश में राज्य-वार ऐसे कितने बैंक खोले जाएंगे; और

(च) ऋण लेने के लिए अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए इन बैंकों की क्या योजनाएं हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) दिनांक 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार, देश के 480 जिलों में 14,486 शाखाओं के नेटवर्क वाले 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) कार्यरत हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभ और हानि की स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करने तथा उन्हें पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से हाल ही में कई नीति संबंधी परिवर्तन किए गए हैं। इनमें से कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के इक्विटी आधार को सुदृढ़ करने तथा उनके वित्तीय निष्पादन को सुधारने के लिए वर्ष 1994-95 में पुनर्पूंजीकरण के उपाय शुरू किए गए थे। कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 187 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अतिरिक्त शेयर पूंजी के रूप में 2188 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। 187 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से, 158 को पूर्णतः पुनर्पूंजीकृत कर दिया गया है जबकि 29 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आंशिक रूप से पुनर्पूंजीकृत किया गया है।

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से वार्षिक आधार पर विकास कार्य योजना (डीएपी/एमओयू) शुरू करना तथा आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी मानदण्डों को कवर करने वाले विवेकपूर्ण मानदण्डों को लागू करना।

(3) व्यवसाय पोर्टफोलियो और गतिविधियों का विभेदीकरण।

(4) अधिशेष गैर एस एल आर निधियों के निवेश के लिए क्षेत्र बढ़ाना।

(5) हानि उठाने वाली शाखाओं के विलय और पुनर्स्थापन समेत शाखा नेटवर्क का युक्तिकरण।

(6) ब्याज दर ढांचे का अविनियमन।

(7) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन के मामलों में प्रायोजक बैंक को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करना।

(ङ) देश में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिक हिताधिकारियों को आकर्षित करने के लिए शुरु की गई योजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) संतोषजनक कार्य निष्पादन रिकार्ड वाले किसानों के लिए संमिश्रऋण सुविधा शुरू करना।

(2) किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करना।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यष्टि ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्वसहायता समूह पद्धति को अपनाना।

विवरण

1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभ और हानि की स्थिति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम	लाभ/हानि		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-1599.56	17.99	110.67
2.	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	-557.42	1230.01	1355.98
3.	हिसार-सिरसा क्षे. ग्रामीण बैंक	64.25	158.06	218.67
4.	अमबाला कुरुक्षेत्र ग्रा. बैंक	-12.37	85.69	109.67
	हरियाणा	*-2105.10*	*1491.75*	*1794.99*
5.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	-269.89	109.52	265.65
6.	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	-106.39	46.64	116.24
	हिमाचल प्रदेश	*-376.28*	*156.16*	*381.89*
7.	जम्मू रूरल बैंक	25.27	507.70	713.92
8.	इलाकी देहाती बैंक	-580.20	-722.86	-359.13
9.	कामराज रूरल बैंक	-480.28	-299.90	-303.60
	जम्मू और कश्मीर	*-1035.21*	*-515.06*	*51.19*
10.	शिवालिक क्षे.ग्रा. बैंक	59.52	261.18	404.76
11.	कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय	-481.56	53.34	103.10
12.	गुरदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय	-293.07	76.75	285.52
13.	मालवा ग्रामीण बैंक	150.47	283.14	311.76
14.	फरीदकोट भटिंडा क्षे.ग्रा.	119.88	150.01	157.88
	पंजाब	*-444.76*	*824.42*	*1263.02*
15.	जयपुर नागौर अंच ग्रा.	-296.97	-76.63	451.84
16.	मारवाड़ ग्रा. बैंक	96.90	65.74	137.51
17.	शेखावती ग्रा. बैंक	-1023.20	33.16	113.24
18.	मरुधार क्षे.ग्रा. बैंक	451.54	-393.96	-385.18
19.	अलवर भरतपुर अंच ग्रा.	774.07	-26.07	-163.92
20.	अरावली क्षे.ग्रा. बैंक	441.52	-234.46	-274.92

1	2	3	4	5
21.	हदोती क्षे.ग्रा. बैंक	-1252.27	-187.58	-90.36
22.	मेवाड़ अंच ग्रा. बैंक	-124.56	-105.55	-100.31
23.	थार अंच ग्रा. बैंक	-98.08	-104.10	-185.39
24.	बुंदी चित्तौड़गढ़ क्षे.ग्रा. बैंक	-411.70	40.38	36.19
25.	भिलवाड़ा अजमेर क्षे.ग्रा. बैंक	8.27	108.71	137.23
26.	डुंगरपुर बांसवाड़ा क्षे.ग्रा. बैंक	-280.30	-81.75	2.24
27.	श्रीगंगानगर क्षे. ग्रामीण बैंक	-147.04	-38.18	3.46
28.	बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-103.91	-36.55	-35.51
	राजस्थान	*-5299.99*	*-1036.8*	*-353.88*
29.	अरूणाचल प्रदेश ग्रामीण	-35.51	8.03	20.30
	अरूणाचल प्रदेश	*-35.51*	*8.03*	*20.30*
30.	परागज्योतिष गांवलिया बैंक	-2370.42	318.45	-194.51
31.	लक्ष्मी गांवलिया बैंक	-1604.27	797.06	101.01
32.	चाचर ग्रामीण बैंक	-284.07	-125.16	92.42
33.	लांग्पी देहांगी रूरल	-246.16	-198.69	-131.25
34.	सुबनसिरी गांवलिया बैंक	-501.91	65.10	176.98
	असम	*-5006.83*	*856.76*	*44.65*
35.	मणिपुर ग्रामीण बैंक	-333.16	-64.13	-53.30
	मणिपुर	*-333.16*	*-64.13*	*-53.30*
36.	खासी जयंतिया रूरल का.	89.26	312.99	292.27
	मेघालय	*89.26*	*312.99*	*292.27*
37.	मिजोरम रूरल बैंक	-274.92	64.50	61.27
	मिजोरम	*-274.92*	*64.50*	*61.27*
38.	नागालैंड रूरल बैंक	-43.47	3.33	7.68
	नागालैंड	*-43.47*	*3.33*	*7.68*
39.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	-3929.83	-1297.52	-738.16
	त्रिपुरा	*-3929.83*	*-1297.52*	*-738.16*
40.	भोजपुर रोहतास ग्रा. बैंक	-2315.94	466.92	408.09
41.	चम्पारण क्षे. ग्रा. बैंक	-867.07	-862.82	-928.69

1	2	3	4	5
42.	मगध ग्रामीण बैंक	-1594.07	122.25	464.62
43.	कोशी क्षेत्र ग्रामीण बैंक	-1023.63	-803.53	-587.12
44.	वैशाली क्षे.ग्रा. बैंक	-1787.05	-962.50	-647.58
45.	मुंगेर क्षे.ग्रा. बैंक	-1749.95	12.18	-1311.46
46.	सन्थाल परगना ग्रा. बैंक	-1335.30	-102.66	106.2[illegible]
47.	मधुबनी क्षे.ग्रा. बैंक	-712.90	-627.01	-541.43
48.	नालंदा ग्रा. बैंक	-638.89	-691.30	-537.72
49.	सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रा. बैंक	-574.99	19.60	22.08
50.	मिथिला क्षे. ग्रामीण बैंक	-943.18	-449.87	-351.26
51.	समस्तीपुर क्षे.ग्रा. बैंक	-297.54	-308.93	-91.67
52.	पलामू क्षे.ग्रा. बैंक	-687.03	-331.60	-178.84
53.	रांचि क्षे.ग्रा. बैंक	-410.67	-250.69	-105.15
54.	गोपालगंज क्षे.ग्रा. बैंक	-142.19	252.63	424.71
55.	लारन क्षे.ग्रा. बैंक	-739.00	-385.96	-314.04
56.	सिवान क्षे.ग्रा. बैंक	-112.15	102.70	420.15
57.	गिरिडीह क्षे.ग्रा. बैंक	-109.58	48.43	24.99
58.	हजारीबाग क्षे.ग्रा. बैंक	37.61	56.25	167.03
59.	पाटलीपुत्र क्षे.ग्रा. बैंक	-77.04	13.47	46.29
60.	भागलपुर बांका क्षे.ग्रा. बैंक	-190.68	-12.45	-92.64
61.	बेगूसराय क्षे.ग्रा. बैंक	-157.01	14.99	2.43
	बिहार	*-16428.3*	*-4679.7*	*-3600.9*
62.	पुरी ग्रामीण बैंक	-789.28	-933.33	-572.42
63.	बोलनगीर अंच ग्रा. बैंक	-1007.56	-1105.71	-1074.55
64.	कटक ग्रा. बैंक	-2686.34	-735.65	-459.17
65.	कोरापुट पंचभटी ग्रा. बैंक	-309.90	325.49	42.79
66.	कालाहांडी आं.ग्रा. बैंक	-652.60	-195.10	11.23
67.	बैतरणी ग्रा. बैंक	-691.11	-421.59	-402.94
68.	जालासूर ग्रा. बैंक	-964.83	-793.59	-954.82
69.	रुसीकूलिया ग्रा. बैंक	-351.14	11.45	251.55

1	2	3	4	5
70.	धनकनाल ग्रा. बैंक	-165.12	14.02	145.37
	उड़ीसा	*-8217.88*	*-3834.0*	*-3013.0*
71.	गौड़ ग्रामीण बैंक	-1866.78	-958.15	-1563.88
72.	मालभूम ग्रा. बैंक	-1594.30	-807.61	-290.22
73.	मयूराक्षी ग्रा. बैंक	-723.89	-312.04	-350.77
74.	उत्तर बंगला क्षे.ग्रा. बैंक	-2103.66	-595.76	-538.97
75.	नाडिया ग्रा. बैंक	-410.58	-137.95	60.83
76.	सागर ग्रामीण बैंक	-1675.87	16.39	13.15
77.	वर्धमान ग्रा. बैंक	103.82	107.07	20.87
78.	हावड़ा ग्रा. बैंक	132.46	104.06	109.02
79.	मुर्शिदाबाद ग्रा. बैंक	6.15	10.93	-135.96
	पश्चिम बंगाल	*-8132.65*	*-2573.1*	*-2675.9*
80.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-1137.82	13.56	24.38
81.	बिलासपुर रायपुर क्षे. ग्रा. बैंक	-462.00	-328.49	37.94
82.	रेवा-सिद्धि ग्रा. बैंक	-151.00	27.68	315.17
83.	बुन्देलखण्ड क्षे.ग्रा. बैंक	-964.00	-117.98	144.69
84.	सारदा ग्रा. बैंक	-541.00	-64.30	54.18
85.	सरगुजा ग्रा. बैंक	-185.04	-360.17	-251.57
86.	बस्तर क्षे. ग्रामीण बैंक	-436.00	-341.06	-352.94
87.	दुर्ग-राजनंदगांव ग्रा. बैंक	-607.00	101.46	191.36
88.	झबूआ-धार क्षे.ग्रा. बैंक	-1360.00	-274.73	1.31
89.	रायगढ़-क्षे. ग्रामीण बैंक	-215.00	-107.92	41.42
90.	शिवपुरी गुना क्षे.ग्रा. बैंक	-337.00	-147.29	19.57
91.	दामोह-पन्ना सागर क्षे.ग्रा. बैंक	-532.00	-226.28	73.95
92.	देवास शाहजहांपुर क्षे.ग्रा. बैंक	-279.00	-73.12	46.83
93.	निमाड़ क्षे.ग्रा. बैंक	-219.00	-30.98	53.00
94.	मण्डला बालाघाट क्षे.ग्रा. बैंक	-276.00	-196.86	-220.94
95.	छिंदवाड़ा सेवनी क्षे.ग्रा. बैंक	-357.00	-245.08	-167.01
96.	राजगढ़ सिहोर क्षे.ग्रा. बैंक	-148.00	-126.96	-49.31

1	2	3	4	5
97.	शहडोल क्षे.ग्रा. बैंक	-290.00	-201.54	-272.31
98.	रतलाम-मंदसौर क्षे.ग्रा. बैंक	4.00	5.90	50.07
99.	चम्बल क्षे. ग्रा. बैंक	-165.00	-88.08	17.36
100.	महाकौशल क्षे.ग्रा. बैंक	-521.00	-236.64	-259.28
101.	इन्दौर-उज्जैन क्षे.ग्रा. बैंक	-171.00	3.78	33.22
102.	ग्वालियर दतिया क्षे.ग्रा.बैंक	-164.00	-75.87	-10.48
103.	विदिशाह-भोपाल क्षे.ग्रा. बैंक	-155.00	0.96	85.76
	मध्य प्रदेश	*-9668.86*	*-3028.1*	*-393.63*
104.	प्रथमा बैंक	-432.60	1291.43	2026.59
105.	गोरखपुर क्षे.ग्रा. बैंक	1380.16	1451.55	2073.19
106.	सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	255.36	1879.01	1038.56
107.	बाराबंकी ग्रामीण बैंक	152.22	375.09	440.46
108.	रायबरेली क्षे.ग्रा. बैंक	210.25	12.30	256.04
109.	फर्रूखाबाद क्षे.ग्रा. बैंक	38.15	426.66	647.29
110.	भागीरथ क्षे.ग्रा. बैंक	279.50	1039.89	1408.61
111.	बलिया क्षे.ग्रा. बैंक	-2258.24	171.02	721.23
112.	सुल्तानपुर क्षे.ग्रा. बैंक	-211.41	77.52	271.16
113.	अवध ग्रामीण बैंक	-180.50	514.09	657.68
114.	कानपुर क्षे.ग्रा. बैंक	-1976.85	160.69	283.50
115.	सरस्वती ग्रा. बैंक	-985.86	548.41	612.32
116.	इटावा क्षे.ग्रा. बैंक	-657.75	-355.73	94.44
117.	किसान ग्रामीण बैंक	-366.51	-65.05	23.02
118.	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	-578.72	-301.09	-324.52
119.	काशी ग्रामीण बैंक	-1757.17	9.77	235.78
120.	बस्ती ग्रामीण बैंक	-635.23	441.38	502.21
121.	इलाहाबाद क्षे.ग्रा. बैंक	-1016.93	-770.34	34.93
122.	प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-239.15	-137.46	147.07
123.	फैजाबाद क्षे.ग्रा. बैंक	-239.81	208.41	381.41
124.	फतेहपुर क्षे.ग्रा. बैंक	-363.55	-163.29	27.11

1	2	3	4	5
125.	बरेली क्षे.ग्रा. बैंक	-384.13	2.11	250.42
126.	देवी पटन क्षे.ग्रा. बैंक	-280.92	253.71	484.87
127.	अलीगढ़ क्षे.ग्रा. बैंक	187.01	736.16	1034.17
128.	तुलसी ग्रा. बैंक	-912.26	193.76	144.14
129.	ऐटा ग्रा. बैंक	11.58	229.75	353.19
130.	गोमती ग्रा. बैंक	-687.81	431.14	854.25
131.	छत्रसाल ग्रा. बैंक	-166.83	113.68	122.47
132.	रानी लक्ष्मीबाई क्षे.ग्रा. बैंक	-465.08	-295.45	-405.28
133.	विदुर ग्रामीण बैंक	-26.61	-88.35	153.64
134.	शाहजहांपुर क्षे.ग्रा. बैंक	16.08	146.16	458.25
135.	नैनीताल अल्मोड़ा क्षे.ग्रा. बैंक	1.71	76.26	204.14
136.	विंध्यावासनी ग्रा. बैंक	-649.88	198.70	85.52
137.	सरयू ग्रा. बैंक	167.34	347.52	492.33
138.	जमुना ग्रा. बैंक	-195.67	296.05	431.62
139.	मुजफ्फरनगर क्षे.ग्रा. बैंक	-210.63	45.83	107.04
140.	पिथौरागढ़ क्षे.ग्रा. बैंक	50.19	126.26	158.80
141.	गंगा-यमुना ग्रा. बैंक	-157.16	16.80	56.98
142.	अलकनंदा ग्रा. बैंक	-109.29	78.21	80.06
143.	हिंडन ग्रामीण बैंक	-109.93	23.15	52.72
	उत्तर प्रदेश	*-13927.4*	*9922.41*	*16677.4*
144.	कच्छ ग्रा. बैंक	50.58	123.91	219.10
145.	जामनगर ग्रा. बैंक	-170.66	93.91	207.99
146.	बनासकंठा मेहसाणा ग्रा. बैंक	-466.90	-192.16	-73.40
147.	पंचमहल ग्रा. बैंक	-187.54	159.38	63.18
148.	सुरेन्द्रनगर भावनगर	-125.16	64.94	154.10
149.	वलसाड डांग ग्रा. बैंक	-66.62	165.56	230.96
150.	सूरत भरुच ग्रा. बैंक	22.27	207.23	171.46
151.	साबरकंठा गांधीनगर	27.56	81.84	202.81
152.	जूनागढ़ अमरेली ग्रा. बैंक	-36.65	112.37	146.94
	गुजरात	*-953.12*	*816.98*	*1323.14*

1	2	3	4	5
153.	मराठवाड़ा ग्रा. बैंक	-190.73	-153.44	36.16
154.	औरंगाबाद जालना ग्रा. बैंक	-264.54	57.72	76.23
155.	चन्द्रपुर-गढ़चिरौली ग्रा. बैंक	-180.91	-189.13	-137.90
156.	अकोला ग्रा. बैंक	-145.86	-162.96	-122.84
157.	रत्नागिरी सिन्धुदुर्ग ग्रा. बैंक	-117.14	1.33	13.36
158.	सोलापुर ग्रा. बैंक	-219.57	38.34	2.58
159.	भंडारा ग्रा. बैंक	-353.12	-179.54	-115.34
160.	यवतमाल ग्रा. बैंक	7.58	98.99	118.70
161.	बुलडाणा ग्रामीण बैंक	-5.72	25.19	29.46
162.	थाणे ग्रामीण बैंक	80.76	123.69	136.21
	महाराष्ट्र	*-1389.25*	*-339.81*	*36.62*
163.	नागार्जुन ग्रामीण बैंक	-766.89	-84.63	146.56
164.	रायलसीमा ग्रा. बैंक	-305.39	460.56	995.89
165.	श्री विशाखा ग्रा. बैंक	-1144.21	5.93	150.34
166.	श्री अनन्त ग्रा. बैंक	309.45	741.74	936.28
167.	श्री वेंकटेश्वरा ग्रा. बैंक	-18.62	202.26	271.99
168.	श्री सरस्वती ग्रा. बैंक	40.76	166.60	537.73
169.	संगमेश्वरा ग्रा. बैंक	157.72	391.10	189.41
170.	मंजिरा ग्रा. बैंक	-476.92	318.33	401.82
171.	पिनाकिनी ग्रा. बैंक	-854.83	229.77	365.97
172.	ककातिया ग्रा. बैंक	-167.85	-15.22	13.52
173.	चेतन्य ग्रा. बैंक	-20.21	171.09	268.66
174.	श्री सत्वाहना ग्रा. बैंक	-468.42	161.12	206.02
175.	गोलकुण्डा ग्रा. बैंक	-54.96	78.43	72.06
176.	श्रीरामा ग्रा. बैंक	46.33	109.83	228.68
177.	कनकदुर्गा ग्रा. बैंक	121.48	172.50	221.40
178.	गोदावरी ग्रा. बैंक	81.77	142.58	185.32
	आंध्र प्रदेश	*-3520.79*	*3251.99*	*5191.65*

1	2	3	4	5
179.	तुंगभद्रा ग्रा. बैंक	749.26	1125.00	1200.00
180.	मालप्रभा ग्रा. बैंक	30.15	922.18	1134.68
181.	कावेरी ग्रा. बैंक	-662.83	255.69	102.23
182.	कृष्णा ग्रामीण बैंक	284.44	547.90	579.27
183.	चित्रदुर्ग ग्रा. बैंक	-447.08	223.78	286.58
184.	कल्पतरू ग्रा. बैंक	-426.34	135.06	182.34
185.	कोलार ग्रा. बैंक	-323.42	290.37	418.87
186.	बिजापुर ग्रा. बैंक	314.46	550.50	455.58
187.	चिकमंगलूर-कोडागु ग्रा. बैंक	81.34	236.48	224.32
188.	सहयाद्री ग्रा. बैंक	44.59	87.15	111.30
189.	नेत्रवती ग्रा. बैंक	-23.94	6.89	23.24
190.	वर्धा ग्रा. बैंक	148.99	100.07	123.24
191.	विश्वेसरैया ग्रा. बैंक	-15.86	20.11	53.11
	कर्नाटक	*-246.24*	*4501.18*	*4894.93*
192.	साउथ मालाबार ग्रा. बैंक	-219.57	888.16	909.66
193.	नार्थ मालाबार ग्रा. बैंक	793.20	1059.85	1204.02
	केरल	*573.63*	*1948.01*	*2113.68*
194.	पण्डयान ग्रा. बैंक	-548.31	216.07	425.02
195.	अधियमन ग्रा. बैंक	-22.49	133.52	181.00
196.	वल्लालार ग्रा. बैंक	138.00	225.38	227.78
	तमिलनाडु	*-432.80*	*574.97*	*833.80*
	कुल	-81139.4	7365.30	24159.8

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कोयले का उत्खनन

1508. **डा. चरणदास महंत:** क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 से 2000 तक आज की तारीख में मध्य प्रदेश की कोयला खानों से वर्षवार कितनी मात्रा में कोयले का उत्खनन हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य को दी गई रायल्टी का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यावसायिक घरानों द्वारा मध्य प्रदेश की कोयला खानों से करोड़ों रुपए के सीमा और उत्पाद शुल्क का अपवंचन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ङ) ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) कोल इंडिया लि. द्वारा वर्ष 1994-95 से अब तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश की खानों से किए गए कोयले के उत्पादन के वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	मध्य प्रदेश में कोयला खानों से निकाला गया कुल कोयला
1994-95	74.86
1995-96	79.76
1996-97	83.28
1997-98	84.41
1998-99	84.89
1999-2000 (जनवरी, 2000 तक)	69.48 (अनंतिम)

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार को किए गए रायल्टी के भुगतान का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रदत्त रायल्टी
1994-95	438.91
1995-96	666.77
1996-97	684.14
1997-98	663.63
1998-99	671.58
1999-2000 (जनवरी, 2000 तक)	557.38

(ग) देशी कोयले पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। तथापि, कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि कोयला कंपनियां कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के प्रावधानों के अंतर्गत उगाहे जाने वाले उत्पाद शुल्क को एकत्र करती हैं और उन्होंने उठाए और प्रेषित किए गए सभी कोयले और कोलियरी से निर्मित और प्रेषित सभी कोक से संबंधित धनराशि कोयला नियंत्रण के पास जमा कर दी है। अत: कोल इंडिया लि. और उसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को सीमा तथा उत्पाद शुल्क के भुगतान के अपवंचन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त प्रश्न (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

रिडफ III के तहत नाबार्ड ऋण

1509. श्री कोडीकुनील सुरेश:
श्री राजो सिंह:
श्री पी.सी. थामस:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को ग्रामीण बाजारों में अवसंरचना का निर्माण करने और कृषकों की शीत भंडारण और वितरण सुविधाओं 'हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए' रिडफ III योजना के तहत नाबार्ड की सहायता से परियोजनाओं को पूरा करने हेतु विभिन्न राज्यों तथा विशेषकर केरल और बिहार से कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना/प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा उनके लक्ष्य सहित उनका प्राक्कलन क्या है;

(ग) नाबार्ड के तहत आने वाली परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर आई डी एफ)-III के तहत उसने बिहार तथा केरल से शीतगृह सुविधाओं के साथ-साथ ग्रामीण बाजारों से संबंधित कोई परियोजना प्राप्त नहीं की थी। तथापि, नाबार्ड ने आर आई डी एफ-2, 4 और 5 के तहत अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड तथा कर्नाटक से विपणन केन्द्र से संबंधित परियोजनाएं प्राप्त की थीं। जबकि नागालैंड तथा कर्नाटक से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को आर आई डी एफ-V के तहत अनुमोदित कर दिया गया, फिर भी अरूणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा से कुछ अतिरिक्त सूचनाएं अपेक्षित हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा अब भी प्रस्तुत किया जाना है।

भारत में कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना

1510. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में कृषि आधारित उद्योगों सहित अन्य उद्योगों को स्थापित करने के लिए विदेशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार और क्षेत्रवार अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है;

(घ) सरकार के पास कितने प्रस्ताव अभी भी लंबित पड़े हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषरूप से जनजातीय क्षेत्रों में विदेशों की भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) जी हां। सरकार ने अगस्त 1991 से दिसम्बर, 1999 तक की अवधि के दौरान, कृषि आधारित उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 16,454 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश-प्रस्तावों (एफ डी आई) पर विचार किया तथा अनुमोदित किया है जिनमें 209663.08 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त है। राज्यवार तथा क्षेत्रवार सूचियां क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

(घ) आज की स्थिति के अनुसार, 19 प्रस्ताव विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के विचारार्थ लम्बित पड़े हैं।

(ङ) और (च) संयुक्त उद्यम की स्थापना निवेशक के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर होती है तथा केन्द्रीय सरकार इसमें केवल सहायक की भूमिका अदा करती है।

विवरण I

अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1999 तक के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों के राज्य-वार ब्यौरे

राज्य	अनुमोदनों की सं.			अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (करोड़ रुपए में)	कुल का प्रतिशत
	कुल	तकनीकी	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	701	197	504	8685.42	4.14
असम	17	13	4	1.50	0.00
बिहार	110	65	45	831.17	0.40
गुजरात	850	430	420	11083.47	5.29
हरियाणा	644	249	395	2938.81	1.40
हिमाचल प्रदेश	84	51	33	360.31	0.17
जम्मू तथा कश्मीर	5	3	2	8.41	0.00
कर्नाटक	1234	365	869	15820.19	7.55
केरल	167	51	116	808.00	0.39
मध्य प्रदेश	238	94	144	9491.52	4.53
महाराष्ट्र	2487	880	1607	28467.76	13.58

1	2	3	4	5	6
मणिपुर	1	0	1	3.19	0.00
मेघालय	4	0	4	52.96	0.03
नागालैंड	2	1	1	3.68	0.00
उड़ीसा	128	48	80	7986.74	3.81
पंजाब	156	51	105	1926.62	0.92
राजस्थान	274	92	182	2441.16	1.16
तमिलनाडु	1476	460	1016	14059.91	6.71
त्रिपुरा	2	1	1	0.68	0.00
उत्तर प्रदेश	639	251	388	3708.00	1.77
पं. बंगाल	460	165	295	7687.80	3.67
अंडमान तथा निकोबार	7	0	7	13.79	0.01
अरूणाचल प्रदेश	2	0	2	11.06	0.01
चण्डीगढ़	25	3	22	140.03	0.07
दादर तथा नागर हवेली	65	42	23	123.94	0.06
दिल्ली	1045	130	915	30267.62	14.44
गोवा	130	51	79	502.26	0.24
लक्षद्वीप	1	0	1	0.50	0.00
पाण्डिचेरी	80	33	47	393.43	0.19
दमन तथा दीव	33	14	19	42.59	0.02
अन्य राज्य जो दर्शाये नहीं गये	5387	2476	2911	61800.56	29.48
कुल	16454	6216	10238	209663.08	

विवरण II

नीति के बाद की अवधि (1.8.1991 से 31.12.1999 तक) के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा तकनीकी सहयोग के क्षेत्र-वार ब्यौरे

(राशि करोड़ रुपये)

क्र.सं.	उद्योग का नाम	अनुमोदन की संख्या			अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	कुल अनुमोदित राशि का %
		कुल	तकनीकी	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7
1.	ईंधन	673	215	458	63453.12	30.26
2.	दूरसंचार	586	113	473	36642.63	17.48

1	2	3	4	5	6	7
3.	परिवहन उद्योग	1112	498	614	17430.39	8.31
4.	सेवा क्षेत्र	726	42	684	13857.46	6.61
5.	धातु उद्योग	595	320	275	12549.84	5.99
6.	विद्युत उपकरण	2957	1052	1905	12062.41	5.75
7.	रसायन (उर्वरकों से भिन्न)	1489	736	753	12040.58	5.74
8.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	749	138	611	8482.02	4.05
9.	होटल तथा पर्यटन	395	135	260	4275.12	2.04
10.	विविध उद्योग	1322	643	679	3344.74	1.60
11.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित सहित)	625	124	501	3129.67	1.49
12.	कागज उत्पाद सहित कागज तथा लुगदी	168	63	105	2994.54	1.43
13.	औद्योगिक मशीनरी	1265	776	489	2227.82	1.06
14.	परामर्शदायी सेवाएं	518	90	428	1961.85	0.94
15.	कांच	93	32	61	1767.01	0.84
16.	ट्रेडिंग	409	18	391	1457.11	0.69
17.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग	694	290	404	1395.30	0.67
18.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	90	37	53	1383.69	0.66
19.	रबड़ की वस्तुएं	194	98	96	1181.20	0.56
20.	किण्वन उद्योग	61	19	42	1127.73	0.54
21.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	76	29	47	1067.11	0.51
22.	चीनी	7	1	6	1000.75	0.48
23.	औषध तथा भेषज	351	195	156	881.76	0.42
24.	सिरेमिक	200	57	143	858.46	0.41
25.	कृषि संबधी मशीनरी	41	30	11	434.84	0.21
26.	मशीन औजार	185	85	100	375.76	0.18
27.	साबुन, शृंगार तथा सौंदर्य-प्रसाधन निर्मितियां	51	16	35	337.42	0.16
28.	चमड़ा, चमड़े का माल तथा पिकर्स	176	35	141	300.79	0.14

1	2	3	4	5	6	7
29.	उर्वरक	64	57	7	246.88	0.12
30.	चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा उपकरण	73	24	49	245.66	0.12
31.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	40	3	37	242.23	0.12
32.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	23	10	13	229.79	0.11
33.	बायलर तथा भाप उत्पादनकारी संयंत्र	75	42	33	146.66	0.07
34.	औद्योगिक यंत्र	167	95	72	121.52	0.06
35.	रंजित सामग्री	19	3	16	111.22	0.05
36.	विद्युत से भिन्न प्राइम मुवर्स	61	38	23	91.72	0.04
37.	मिट्टी के हटाने की मशीनरी	58	35	23	85.19	0.04
38.	वैज्ञानिक उपकरण	41	14	27	61.73	0.03
39.	गणितीय, सर्वेक्षण तथा आरेख	6	2	4	38.37	0.02
40.	लकड़ी के उत्पाद	12	2	10	16.32	0.01
41.	रक्षा उद्योग	5	4	1	3.47	0.00
42.	ग्लू तथा गिलेटिन	2	0	2	1.20	0.00
	कुल	16454	6216	10238	209663.08	

कृषि क्षेत्र को बैंक ऋण

1511. **श्री आर.एल. भाटिया:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पंजाब में कृषि क्षेत्र को कितने प्रतिशत ऋण प्रदान किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा पंजाब में किसानों को अधिकतम सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विशेष कृषि ऋण योजना (एस ए सी पी) के अंतर्गत पंजाब राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को संवितरित ऋणों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1996-97	1039.51	971.49	93.46
1997-98	1200.56	1270.56	105.83
1998-99	1561.65	1774.47	113.63

यह देखा जा सकता है कि पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पंजाब में निर्धारित लक्ष्य से अधिक ऋणों का संवितरण किया है।

(ख) देश में किसानों को ऋण का प्रवाह और अधिक सुदृढ़ करने के लिए आर बी आई ने कई उपाय किए हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

(1) अच्छे कार्य निष्पादन वाले किसानों की संमिश्र ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए नकदी ऋण सुविधा को शुरू करना।

(2) कृषि उधारकर्ताओं के लिए किसान ऋण योजना को शुरू करना।

(3) बैंकों से कहा गया है कि वे उच्च तकनीक वाली कृषि परियोजनाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ कृषि शाखाएं खोलें।

(4) आर बी आई ने ऋण आवेदनों को सरल बनाने, शाखा प्रबंधकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने, किसानों के लिए संमिश्र नकदी ऋण सीमा को शुरू करने, नए ऋण उत्पादों को शुरु करने, ऋणों के नकद संवितरण, 10,000 रुपये से अधिक के ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति आवश्यकता के संबंध में बैंकों को स्वविवेक का निर्णय लेने तथा आवश्यकता के रूप में 'अदेयता प्रमाणपत्र' देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

[हिन्दी]

सामुदायिक विकास की बैठकों का आयोजन

1512. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों विशेषत: भारत कोकिंग कोल लि. में सामुदायिक विकास की बैठकों को बुलाए जाने से संबंधित नियम क्या है;

(ख) क्या गत पांच वर्षों में सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) और भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) में सामुदायिक विकास की कोई बैठक नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सामुदायिक विकास की नियत समय पर नियमित बैठक बुलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार, सामुदायिक विकास कार्य के संबंध में कार्य योजना को अंतिम रूप दिये जाने के लिए, को.इं.लि. की अनुषंगी कंपनियों में क्षेत्रीय स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाता है और कार्यरत मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके कार्रवाई योजना तैयार की जाती है। कुछ कंपनियों/क्षेत्रों में स्थानीय प्राधिकारी भी इन बैठकों में भाग लेते हैं।

(ख) और (ग) भा.को.को.लि. में, प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय पर ये बैठकें आयोजित की जाती हैं और से.को.लि. में ये बैठकें क्षेत्रीय स्तरों पर निर्धारित समय पर आयोजित की जाती थी। कुछ क्षेत्रों में बैठकें आयोजित करते समय कुछ प्रक्रियात्मक दोष सामने आए थे। को.इं.लि. ने उपयुक्त प्रतिनिधियों को शामिल करने संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

रुग्ण औद्योगिक कंपनियों का पुनर्गठन

1513. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने सरकार से रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ के विभिन्न दस्तावेजों/कागजातों में रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने के सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों में रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 में दी गई रुग्ण कंपनी की परिभाषा तथा बी आई एफ आर/एएआईएफआर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं आदि में परिवर्तन करना शामिल है।

(ग) सरकार रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की समीक्षा कर रही है।

नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

1514. श्री दिन्शा पटेल: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उदारीकरण के बाद कई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषत: "नवरत्न" सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को प्रतिस्पर्धा का सामना करने योग्य बनाने और इनके परिचालन स्तर हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र की कुछ इकाइयां, जिसमें कुछ नवरत्न भी शामिल हैं, वे इस्पात, विद्युत उत्पादन उपस्करों, रसायन एवं पेट्रोरसायन, हल्की इंजीनियरी आदि जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं, जिनमें बोर्डों का व्यवसायीकरण, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डलों को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, संयुक्त उद्यमों का गठन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, पूंजीकरण का पुनर्गठन, मानवशक्ति को युक्तिसंगत बनाना आदि शामिल हैं।

औद्योगिक विकास

1515. **श्री सुबोध राय:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक विकास हेतु कोई योजना और कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) वर्ष 1998-2000 से लागू की गई उदारीकरण नीति के कारण हुए औद्योगिक विकास का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश में उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनायी हैं:

(1) नयी विकास केन्द्र योजना: देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जून, 1988 में विकास केन्द्र योजना घोषित की थी, जिसके अधीन विभिन्न, राज्यों में 71 विकास केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव था। प्रत्येक विकास केन्द्र को 10 करोड़ रु. की राशि की केन्द्रीय सहायता सहित 25-30 करोड़ रु. की अनुमानित परियोजना लागत से विकसित किया जाना है। अभी तक 68 केन्द्रों को अनुमोदित किया गया है और केन्द्रीय सहायता के रूप में 291.35 करोड़ रु. की राशि जारी की गयी है।

(2) परिवहन राजसहायता योजना: यह योजना पर्वतीय, दूरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जुलाई, 1971 में आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत निर्दिष्ट रेल शीर्षों/पत्तनों से औद्योगिक एककों के स्थापना स्थल तक और इसके विपरीत दिशा में कच्चे माल और तैयार माल की ढुलाई पर आयी परिवहन लागत पर 50% से 90% तक राजसहायता स्वीकार्य है। यह योजना 31 मार्च, 2000 तक वैध है। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में यह योजना 31 मार्च, 2007 तक बढ़ा दी गयी है।

(3) पूंजी निवेश राजसहायता योजना: यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की नयी पहलों के अंतर्गत जून 1998 में अधिसूचित की गयी थी। इस योजना के अधीन विकास केन्द्रों में स्थित उद्योगों को संयंत्र तथा मशीनों में निवेश पर 15% की दर से अधिकतम 30 लाख रु. की सीमा तक राजसहायता देय है। राजसहायता की राशि का संवितरण पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. के माध्यम से किया जाना है।

(4) केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना: यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष 1999 में बनायी गयी है इस योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित एककों को उनके द्वारा उत्पादन आरंभ करने के पश्चात दस वर्ष की अवधि के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर 3% की दर से ब्याज राजसहायता देय है।

(5) केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना: यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक एककों के लिए जुलाई, 1999 में अधिसूचित की गयी थी। योजना दस वर्ष की अवधि के लिए लागू है। इस योजना के अधीन 24 दिसंबर, 1997 के बाद इस क्षेत्र में स्थापित किए गए तथा अग्नि नीति "ग" में सम्मिलित सभी औद्योगिक एकक (अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क के अनुसार) उनके द्वारा किए गए बीमा प्रीमियम के भुगतान की प्रतिपूर्ति के रूप में राजसहायता पाने के पात्र हैं।

(6) सरकार ने 30 मार्च, 1999 से औद्योगिक पार्क, औद्योगिक आदर्श नगरी और विकास केन्द्र की स्थापना के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए के अध्याधीन कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना के अधीन 1.4.97 से 31.3.2002 तक की अवधि के दौरान स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक पार्कों कतिपय मानदंड पूरा करने

पर कर प्रोत्साहन दिये जाने हैं। योजना में यह भी व्यवस्था है कि यदि कोई विकासकर्त्ता औद्योगिक पार्क/औद्योगिक संपदा, आदि के विकास के बाद किसी अवस्था में काम छोड़ना चाहता है और कोई नया उद्यमी प्रचालन तथा प्रबंध (ओ. एंड एम.) उपक्रम के रूप में प्रवेश करता है तो प्रचालक को दस वर्ष की शेष अवधि के दौरान वही रियायतें उपलब्ध होंगी (ग) 1998-99 और 1999-2000 (अप्रैल-दिसम्बर, 1999 के दौरान अनुमोदित निवेश प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण I के रूप में दर्शाए गए हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़े तथा मझौले उद्योगों, खनिज विकास तथा ग्रामीण और लघु उद्योगों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार अनुमोदित किये गये परिव्यय को दर्शाने वाला एक अन्य ब्यौरा विवरण II के रूप में संलग्न है।

विवरण I

वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 (दिसम्बर, 1999 तक) के दौरान अनुमोदित निवेश प्रस्तावों को राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	कुल निवेश	
	1998-99	1999-2000 (अप्रैल-दिसम्बर 1999)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	7352	3864
असम	340	102
अरूणाचल प्रदेश	0	0
बिहार	1780	503
दिल्ली	5664	2073
गोवा	587	228
गुजरात	10136	14163
हरियाणा	2152	1302
हिमाचल प्रदेश	575	256
जम्मू और कश्मीर	182	17
कर्नाटक	9014	3780
केरल	1195	499
मध्य प्रदेश	8329	6631
महाराष्ट्र	46067	33267
मणिपुर	0	0
मेघालय	51	62
मिजोरम	0	0
नागालैंड	17	0
उड़ीसा	2807	6343
पांडिचेरी	84	228
पंजाब	2147	13618
राजस्थान	1926	2071
सिक्किम	0	0
तमिलनाडु	8223	8771
त्रिपुरा	0	1
उत्तर प्रदेश	3677	5393
पश्चिम बंगाल	994	6641
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13	0
चंडीगढ़	94	191
दादरा और नगर हवेली	499	1678
दमन और दीव	165	356
लक्षद्वीप	0	0
एक से अधिक राज्य	7522	3619
कुल	121592	115657

विवरण II

नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के कार्यक्रमों/योजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	नौवीं योजना (1997-2002) परिव्यय
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश	962.13
2.	अरूणाचल प्रदेश	46.10
3.	असम	380.04
4.	बिहार	400.00
5.	गोवा	34.55
6.	गुजरात	1205.00
7.	हरियाणा	144.68
8.	हिमाचल प्रदेश	150.00
9.	जम्मू और कश्मीर	*395.00
10.	कर्नाटक	1026.00
11.	केरल	1125.86
12.	मध्य प्रदेश	1112.97
13.	महाराष्ट्र	902.60
14.	मणिपुर	126.51
15.	मेघालय	102.00
16.	मिजोरम	68.92
17.	नागालैंड	121.00
18.	उड़ीसा	123.49
19.	पंजाब	281.30
20.	राजस्थान	1753.38
21.	सिक्किम	70.00
22.	तमिलनाडु	1402.91
23.	त्रिपुरा	79.34
24.	उत्तर प्रदेश	526.65
25.	पश्चिम बंगाल	1326.30
	कुल राज्य	13866.73
	संघ शासित प्रदेश	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	38.00
2.	चंडीगढ़	3.09
3.	दादरा और नगर हवेली	5.74
4.	दमन और दीव	3.60
5.	दिल्ली	110.00
6.	लक्षद्वीप	9.16
7.	पांडिचेरी	185.00
	कुल संघ शासित प्रदेश	354.59
	महायोग राज्य+संघ शासित प्रदेश	14221.32

*केवल प्रस्तावित परिव्यय दर्शाता है।

पशुधन का निर्यात

1516. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशु धन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की बड़ी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या प्रयास किये गये हैं;

(ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान अब तक पशुधन उत्पादों के निर्यात का कार्य निष्पादन कैसा रहा है; और

(घ) नौवीं योजना अवधि की शेष अवधि हेतु क्या अनुमान लगाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) भारत से पशुधन उत्पादों के निर्यातों की संभावना आयातक देशों

द्वारा मानव खपत के लिए ऐसे उत्पादों के लिए निर्धारित किए गए गुणवत्ता स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी उच्च मानकों द्वारा सीमित हो गई हैं।

(ख) सीमित संभावना को देखते हुए पशुधन उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करने हेतु किए गए प्रयास ये हैं:

1. देश से निर्यात किए जाने वाले पशुधन के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न पशुधन उत्पादों अर्थात कच्चा मांस (शितित/प्रशीतित), प्रसंस्कृत मांस के उत्पाद, अंडे के उत्पाद तथा पशुखोलों के निर्यात के लिए मानकों को निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

2. मांस प्रसंस्करण सुविधाओं का निरीक्षण एक समिति द्वारा आवधिक रूप से किया जाता है जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के सदस्य होते हैं। यह निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि वे निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अंतर्गत निर्धारित किए गए मानकों का अनुपालन करें। मानकों के अनुरूप संयंत्रों का पंजीकरण एपीडा के पास किया जाता है।

3. कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने विकासात्मक तथा संवर्धनात्मक क्रियाकलापों जैसे बाजार विकास, ब्रांड प्रचार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग का विकास, मांस प्रसंस्करण सुविधाओं आदि के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं ताकि पशुधन के उत्पादों के निर्यातकों की सहायता की जा सके।

4. पशुओं के उत्पादों का निर्यात करने के लिए संभावना/क्षमता वाले देशों को सरकारी तथा व्यापार शिष्टमंडल भेजे जाते हैं।

5. प्रसंस्करण संबंधी सुविधाओं का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करने के लिए इंडोनेशिया, सीआईएस आदि से सरकारी शिष्टमंडलों को आमंत्रित करके नए बाजारों में प्रवेश करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय गोजातीय मांस के आयात पर कुछेक देशों (सऊदी अरब, तुर्की) द्वारा लगाई गई रोक को समाप्त करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान भारत से अब तक पशुधन के उत्पादों के निर्यात निम्नानुसार रहे हैं:

(मूल्य करोड़ रुपए में)

	1997-98	1998-99*	अप्रैल-नवम्बर, 1999*
1. मांस तथा मांस से तैयार उत्पाद	796.65	775.53	469.78
2. कुक्कुट तथा डेयरी उत्पाद	118.04	98.96	52.82

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता

*अनंतिम

(घ) शेष की नौवीं योजना अवधि के लिए प्रस्तावित अनुमान निम्नानुसार हैं:

(मूल्य: करोड़ रुपये में)

	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1. मांस तथा इसके उत्पाद	745.00	900.00	लागू नहीं
2. कुक्कुट तथा डेयरी उत्पाद	100.00	100.00	लागू नहीं

सी.आई.आई. द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन

1517. श्री माधवराव सिंधिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित साझेदारी शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए अपने विश्व व्यापार संगठन से गैर-व्यापारिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करके विकासशील देशों की प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के प्रयासों से दूर रहने और संगठन को केवल व्यापार संबंधित मुद्दों तक ही अपने को सीमित रखने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो विकासशील देशों की मुख्य चिंताएं क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) द्वारा 10 जनवरी, 2000 को आयोजित किए गए साझेदारी शिखर सम्मेलन-2000 को संबोधित करते हुए यह आग्रह किया गया था कि डब्ल्यू टी ओ को बहुत ही कम, व्यापारोन्मुख छूट दी जानी चाहिए। इस बात पर बल दिया गया था कि डब्ल्यू टी ओ को केवल व्यापार संबंधी मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिए क्योंकि केवल विकसित देशों द्वारा संरक्षणवादी उपायों के रूप में महत्वपूर्ण श्रम मानकों जैसे अनेक गैर-व्यापारिक मुद्दों को डब्ल्यू टी ओ की कार्यसूची में शामिल करने की मांग की गई थी जिससे कि विकासशील देशों के तुलनात्मक लाभ पर अंकुश लगाया जा सके। इस बात पर भी बल दिया गया था कि गैर व्यापारिक मुद्दों का विधिवत समाधान उचित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किया जा सकता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के मामले में श्रम संगठन द्वारा, क्योंकि वे इन मुद्दों का संचालन करने के लिए डब्ल्यू टी ओ की तुलना में अधिक सक्षम और बेहतर ढंग से सज्जित हैं।

(ख) विभिन्न मंचों पर इस बात पर बल दिया गया है कि डब्ल्यू टी ओ को सबसे पहले ''क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों'' की चिंताएं दूर करनी चाहिए जैसा कि तीसरे डब्ल्यू टी ओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की तैयारी प्रक्रिया में अन्य विकासशील देशों के साथ भारत द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था। ये 'क्रियान्वयन मुद्दे' इन मामलों से संबंधित हैं: (1) कुछ डब्ल्यू टी ओ करारों में निहित असंतुलन और असमानताएँ; (2) कृषि और वस्त्र जैसे विषयों से संबंधित डब्ल्यू टी ओ करारों के माध्यम से अपेक्षित लाभ प्राप्त न होना (3) विकासशील देशों के पक्ष में विशिष्ट व्यवहार एवं विभेदकारी व्यवहार संबंधी प्रावधानों के संविदात्मक दायित्वों को कार्यान्वित करना। इस बात पर भी बल दिया गया है कि डब्ल्यू टी ओ करार में ऐसी अनिवार्य वार्ताओं और अनिवार्य समीक्षाओं का पहले से ही प्रावधान है जो स्वयं में ''क्रियान्वयन मुद्दों'' समेत बड़ी कार्य सूची बन जाती है और डब्ल्यू टी ओ की कार्य सूची को गैर व्यापारिक मुद्दों से और अधिक भारी भरकम बनाने की आवश्यकता नहीं है।

केबल आपरेटर्स

1518. श्री अनन्त गुढ़े: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केबल-आपरेटरों और केबल-उपयोगकर्त्ताओं की संख्या राज्यवार कितनी है; और

(ख) ग्राहकों से कितना शुल्क वसूल किया गया और शहरी क्षेत्रों और महानगरों में किस तरह की सेवाएं प्रदान करायी गयी हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) सरकार देश में केबल आपरेटरों तथा इसके उपयोगकर्त्ताओं की राज्यवार संख्या संबंधी कोई सूचना नहीं रखती है। तथापि, राष्ट्रीय पाठकगण सर्वेक्षण (एन.आर.एस.), 1999 के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि देश में 29.4 मिलियन केबल एवं उपग्रह केन्द्र हैं।

(ख) सरकार, केबल आपरेटरों द्वारा ग्राहकों से चार्ज किए जाने वाले शुल्क के बारे में कोई सूचना नहीं रखती है। केबल नेटवर्क मुख्य रूप से उपग्रह चैनलों से प्रसारित कार्यक्रमों को पुन: प्रसारित करते हैं जिनमें समाचार, फिल्म, प्राकृतिक एवं वन्य जीव, विज्ञान, स्वास्थ्य, फन्तासी, पौराणिक कथाएं, संगीत, सोप ओपेरा, खेल आदि जैसे विषयों पर कार्यक्रम शामिल होते हैं। कुछ नेटवर्क उपरोक्त विषयों में से कुछ विषयों पर अपने कार्यक्रम भी बनाते हैं।

मसालों का निर्यात

1519. श्री राजैया मल्याला: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में हाल ही में विश्व मसाला कांग्रेस आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तीन दिवसीय सम्मेलन में किन-किन व्यापारोन्मुखी विषयों में विचार विमर्श हुआ; और

(ग) भारतीय मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए मसाला बोर्ड द्वारा क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, हाँ। पांचवें विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन

27 से 29 जनवरी, 2000 को मुम्बई में हुआ था। कांग्रेस का मूल विषय था ''आहार हेतु मसाले: नई प्रवृत्तियां, नए आयाम''। इस आयोजन के दौरान निम्नलिखित तीन कारोबार सत्रों का आयोजन किया गया था, जिनमें योग्य वक्ताओं द्वारा व्याख्यान दिये गये थे:

(1) फसल एवं बाजार

(2) मसाले एवं आहार

(3) क्षमता एवं सामर्थ्य

(ग) अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच एवं मसाला बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मसाला कांग्रेस, मसाला क्षेत्र में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में उभरा है जैसा कि बढ़ते हुए विश्व-व्यापी और घरेलू प्रत्युत्तरों से स्पष्ट होता है। इस कांग्रेस में 37 देशों के लगभग 150 विदेशी प्रतिनिधियों एवं 250 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कारोबार सत्रों के दौरान दिए गए व्याख्यानों एवं हुए विचार विमर्शों के अलावा, कांग्रेस ने भारतीय निर्यातकों के लिए मसालों के प्रमुख आयातक देशों के आयातकों से मिलने एवं सीधे बातचीत करने का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध किया।

लंबित कर अपीलें

1520. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31.12.99 तक राज्यवार कुल कितनी कर संबंधी अपीलें लम्बित हैं और मुख्य मामलों की अवधि तथा बकाया कर राशि के वर्गीकरण आधार पर कर दावों के रूप में कुल कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ख) मामलों के तेजी से निपटान और कर बकाए/दावों की उचित/कठिनाई मुक्त वसूली के लिए क्या विशेष पहल की गई/किए जाने का विचार है;

(ग) प्रत्येक राज्य में विशेषरूप से महाराष्ट्र में वरिष्ठ कर अधिकारियों की रिक्तियों की संख्या और प्रत्येक राज्य में कर निर्धारण/वसूली अधिकरणों को सुदृढ़ करने के लिए 2000-2001 के दौरान उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बढ़ते हुए लम्बित कर निर्धारण मामलों से निपटने और बेहतर राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) दिनांक 31.12.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया कर अपीलों की राज्य-वार संख्या विवरण के रूप में संलग्न है। आयकर से संबंधित ऐसे मामलों की संख्या 27108 है जहाँ मांग एक लाख रुपए से अधिक है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से संबंधित बकाया की कुल राशि क्रमश: 3017.61 करोड़ रुपये और 216.65 करोड़ रुपए है।

(ख) मामलों के शीघ्र निपटान के लिए और बकाया कर की वसूली के लिए किए गए उपायों में, विषय-वार अथवा उच्चतर न्यायालयों द्वारा पहले दिए गए निर्णयों के अंतर्गत आने वाले मामलों को एक साथ इकट्ठा करना, न्यायालयों में तत्काल याचिकाएं दायर करने के माध्यम से न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन को रद्द करवाने के लिए विशेष प्रयास करना, संबंधित अधिकारियों के साथ विशेष बैठकें/विचार-विमर्श करके बकाया मामलों का समन्वय करना और उनकी आवधिक निगरानी करना, आयकर अपीलीय अधिकरण की अतिरिक्त पीठों की संस्वीकृति और अधिकरण के एकल तिष्ठित सदस्य द्वारा सुनी जाने वाली अपीलों की वित्तीय सीमा को बढ़ाना शामिल है।

(ग) मुख्य आयुक्तों/आयुक्तों की रिक्ति स्थिति राज्य-वार निम्नानुसार है:

राज्य	रिक्ति संख्या
बिहार	1
दिल्ली	3
गुजरात	3
हरियाणा	1
कर्नाटक	2
केरल	1
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	7
राजस्थान	1
तमिलनाडु	5
उत्तर प्रदेश	1
पश्चिम बंगाल	4

कर समझौता प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1999 में एक सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग गठित किया गया है।

(घ) वर्ष 1998-99 में बकाया कर देयताओं की वसूली हेतु एक एक मुश्त कर विवाद समाधान योजना लागू की गई थी, जो विभाग के साथ विवादों में अंतर्ग्रस्त तथा दिनांक 01.3.98 के अनुसार कर बकाया देयताएं रखने वाले करदाताओं को योजना चुनने तथा कर बकाया का केवल 50% भुगतान करने की सुविधा देती है। दिनांक 1.10.98 से प्रभावी रूप से, किसी कानून के प्रश्न को उच्च न्यायालय को भेजने के लिए अपीलीय अधिकरण के समक्ष संदर्भ आवेदन दायर किये जाने की पुरानी प्रणाली को हटाते हुए, आयकर अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को सीधे अपील करने का प्रावधान शुरू किया गया है। वित्त-अधिनियम, 1999 के तहत आयकर अधिनियम को संशोधित किया गया है, जिससे आयुक्त (अपील) तथा अधिकरण के लिए जहां यह संभव हो, प्रत्येक अपील को, अपील दायर किये जाने के वित्तीय वर्ष के अंत से क्रमश: एक वर्ष तथा चार वर्ष की अवधि के अन्दर निर्णय करना संभव होता है। राजस्व वसूली में सुधार हेतु किए गए उपायों में, उत्पाद शुल्क से संबंधित लेखा परीक्षा की आधुनिक प्रणाली को लागू करना, जो न्यून भुगतानों अथवा शुल्क अपवंचन का पता लगाने में सहायता प्रदान करेगी, आसूचना के प्रभावी संग्रहण द्वारा अपवंचन को रोकने के उपायों को करना, उत्पादन तथा निकासी के आकस्मिक निरीक्षण तथा टैरिफ संरचना को औचित्यपूर्ण बनाना, दंड लगाने हेतु प्रविधियों तथा प्रावधानों के सरलीकरण जैसे विधायी कदम शामिल हैं।

विवरण

दिनांक 31.12.99 की स्थिति के अनुसार बकाया कर अपीलों की राज्य-वार संख्या

राज्य	बकाया अपीलों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	18288
असम	4764
बिहार	2719
दिल्ली	52338
गोवा	3102
गुजरात	58517
हरियाणा	13075
हिमाचल प्रदेश	1509
जम्मू एंड कश्मीर	1188
केरल	13499
महाराष्ट्र	113501
मध्य प्रदेश	9229
मणिपुर	41
मेघालय	239
कर्नाटक	19194
नागालैंड	26
उड़ीसा	9581
पंजाब	10955
राजस्थान	28298
तमिलनाडु	42172
त्रिपुरा	42
उत्तर प्रदेश	46138
पश्चिम बंगाल	35473

मूल्य में हेराफेरी

1521. श्री इन्द्रजीत गुप्त:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीपीएल, स्टरलाइट और वीडियोकॉन की मूल्य हेराफेरी की 'सेबी' जांच ने यह दर्शाया है कि प्रवर्तक हर्षद-मेहता के साथ संलग्न थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेबी की जांच के निष्कर्षों के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) अप्रैल-मई, 1998 के दौरान बीपीएल, स्टरलाइट और वीडियोकॉन की स्क्रिपों में असामान्य कारोबार तथा जून, 1998 में दो मुख्य एक्सचेंजों, मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आकस्मिक भुगतान संकट की संभावना को देखते हुए सेबी द्वारा जांच-पड़ताल की गई। जांच-पड़ताल में प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकला कि सामान्य उपभोक्ताओं की ओर से

संयुक्त रूप में काम कर रहे स्टाक-ब्रोकरों और उप-ब्रोकरों के एक समूह ने मुम्बई स्टाक एक्सचेंज और नेशनल स्टाक एक्सचेंज के शेयरों के काफी बड़े हिस्से को समेट लिया। उपभोक्ताओं का यह समूह मेहता के लिए मोर्चे के रूप में कार्य कर रहा था। जांच-पड़ताल के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, सेबी विनियमों के अधीन 34 स्टाक ब्रोकरों के विरुद्ध जांच-कार्यवाहियां शुरू की गई और 18 ब्रोकरों के विरुद्ध आदेश पारित किए गए जिनमें उन पर जांच कार्यवाहियों के पूरा होने तक ब्रोकरों के रूप में नए कार्यकलाप करने पर रोक लगा दी गई। मुम्बई स्टाक एक्सचेंज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में विफलता और उनके आचरण के लिए, जो प्रणाली की अखंडता के लिए हानिकारक था, कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। मानीटरिंग करने में असावधानी और प्रभावी निगरानी कार्रवाई न करने के लिए नेशनल स्टाक एक्सचेंज को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जांच-पड़ताल के निष्कर्षों और कारण बताओ नोटिसों के परिणामस्वरूप, सेबी ने अध्यक्ष मुम्बई स्टाक एक्सचेंज के विरुद्ध आदेश पारित किए थे जिनमें उन्हें अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के लिए कहा गया था। सेबी ने यह भी निदेश दिया था कि मुम्बई स्टाक एक्सचेंज के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक भविष्य में शासी बोर्ड और पूंजी बाजार से संबंधित सरकारी संस्थाओं में 3 वर्षों की अवधि के लिए सदस्य के रूप में कोई सरकारी पद धारण करने के पात्र नहीं होंगे। मुम्बई स्टाक एक्सचेंज और नेशनल स्टाक एक्सचेंज के उपाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाहियां चल ही हैं। जांच-पड़ताल से यह भी संकेत मिला कि बीपीएल, स्टरलाईट और वीडियोकॉन कंपनियों ने मूल्य-हेराफेरी करने में हर्षद मेहता को गुप्त रूप से सहयोग दिया था जिसके परिणामस्वरूप हर्षद मेहता और उन कंपनियों के निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है। जांच-पड़ताल से कुछ सर्वांगी कमियां भी सामने आई जिनके लिए सेबी ने उपयुक्त कदम उठाए हैं।

बुने वस्त्रों और पोलिएस्टर का संवर्धन

1522. **श्री सी.पी. राधाकृष्णन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान मिश्रित कपास से बुने वस्त्रों और शत प्रतिशत बुने पोलिएस्टर क्षेत्र के संवर्धन से कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(ख) इन क्षेत्रों के संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) मिश्रित कपास से बुने वस्त्रों और शत-प्रतिशत बुने पोलिएस्टर क्षेत्र के प्रसंस्करण के संबंध में न तो कोई अलग से राजस्व आंकड़े एकत्र किये जाते हैं और न ही वे उपलब्ध हैं।

(ख) बिजली अथवा भाप के बिना प्रसंस्कृत सभी प्रकार के बुने वस्त्रों और साथ ही 50% से अधिक कपास के अंश वाले प्रसंस्कृत बुने वस्त्रों को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है। जहां तक अन्य बुने वस्त्रों का संबंध है, उन पर मूल्यानुसार 16% की दर से उत्पाद शुल्क लगता है, जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत लगाया गया मूल उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत लगाया गया अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (बिक्री कर के बदले) शामिल है।

निर्यात करने पर, बुने वस्त्र या तो उनमें समाविष्ट निविष्टियों पर अथवा निर्यातित अंतिम उत्पादों पर प्रदत्त सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वापसी, रिबेट और प्रति अदायगी के लिए पात्र हैं।

[हिन्दी]

नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1523. **श्री राजो सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषत: बिहार के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य-वार स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ऐसी परियोजनाओं, विशेषत: बिहार की परियोजनाओं की कितनी परियोजनाओं को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अभी स्वीकृति मिलनी बाकी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की गतिविधियों की सरकार द्वारा सदा निगरानी की जाती है। नाबार्ड के परिचालन की गहन समीक्षा इसके निदेशक मण्डल जिसमें अन्यों के साथ-साथ वित्त, कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं, द्वारा की जाती है। नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ नाबार्ड की गतिविधियों

की वार्षिक समीक्षा भी संसद के पटल पर रखी गई है। ऋण संबंधी राज्य-वार कार्यकलापों, निवेश ऋण एवं उत्पादन ऋण के अंतर्गत उपलब्धियों का विश्लेषण किया जाता है और उसका नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है। नाबार्ड के पास भी एक सुसंगत निगरानी व्यवस्था है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जिलोन्मुख निगरानी, तकनीकी निगरानी, योजनोन्मुख निगरानी, योजना के कार्यान्वयन की मध्यावधि समीक्षा तथा योजना की कार्योत्तर निगरानी शामिल है। राज्य स्तरीय कमियों और कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयों की भी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैन्कों, जिसमें राज्य सरकार, वाणिज्यिक बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के प्रतिनिधि भी होते हैं, में समीक्षा की जाती है। इसके अलावा जहां कहीं भी आवश्यक हो, बकाया मुद्दों का समाधान निकालने के लिए राज्य सरकार के विभागों के साथ भी बुनियादी विचार-विमर्श किये जाते हैं।

(घ) नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संचयी संख्या, ग्रामीण आधारभूत विकास निधि I से V के अंतर्गत, बिहार राज्य समेत स्वीकृत/संवितरित की गई कुल राशि के राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

ग्रामीण आधारिक विकास निधि-I से V के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संचयी संख्या, स्वीकृत और संवितरित राशि का राज्य-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1431	1345.26	483.38
2.	अरूणाचल प्रदेश	7	25.10	–
3.	असम	30137	233.25	36.81
4.	बिहार	1213	289.36	–
5.	गोवा	23	15.78	7.74
6.	गुजरात	2179	752.13	271.42
7.	हरियाणा	104	308.80	88.24
8.	हिमाचल प्रदेश	889	264.60	83.01
9.	जम्मू व कश्मीर	356	230.14	17.25
10.	कर्नाटक	2554	772.18	272.93
11.	केरल	965	438.14	140.87
12.	मध्य प्रदेश	795	965.62	324.82
13.	महाराष्ट्र	3396	1311.97	345.93
14.	मणिपुर	63	1.75	0.96
15.	मेघालय	56	20.97	4.20
16.	मिजोरम	43	51.06	2.37

1	2	3	4	5
17.	नागालैण्ड	32	8.16	1.38
18.	उड़ीसा	2714	690.04	255.13
19.	पंजाब	329	439.92	191.04
20.	राजस्थान	1017	764.96	280.20
21.	सिक्किम	112	21.29	–
22.	तमिलनाडु	2693	653.06	207.00
23.	त्रिपुरा	536	232.23	0.32
24.	उत्तर प्रदेश	14491	2002.41	588.47
25.	पश्चिम बंगाल	4422	805.29	193.42
	कुल	70557	12643.47	3796.89

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन शिखर सम्मेलन-2000

1524. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2000 विश्व व्यापार संगठन शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों के कृषि विकास और पौध संरक्षण अधिकारों से संबंधित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(ख) इन पर क्या निर्णय लिए गए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) दिनांक 30 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 1999 के दौरान सिएटल, यूएसए में आयोजित डब्ल्यूटीओ के तृतीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कृषि संबंधी करार के अधीन तयशुदा वार्ताओं के दौरान डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा क्रियाविधिक मामलों से लेकर सैद्धांतिक मामलों तक के विभिन्न प्रस्ताव पर विचार करने हेतु रखे गए थे। इसी प्रकार, व्यापार से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकारों के पहलुओं से संबंधित करार (ट्रिप्स) के अनुच्छेद-27.3(ख) की समीक्षा के एक भाग के रूप में डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा पौधों की किस्मों के संरक्षण से संबंधित लोचशीलता को बनाए रखने की आवश्यकता से संबंधित कुछ प्रस्ताव भी रखे गए थे। तथापि, डब्ल्यूटीओ के तृतीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया गया था क्योंकि यह सम्मेलन अनिर्णायक रहा था।

डब्ल्यूटीओ की महापरिषद ने दिनांक 7-8 फरवरी, 2000 को जेनेवा में हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि कृषि संबंधी करार के तहत तयशुदा वार्ताएं कृषि समिति के विशेष सत्रों के जरिए आयोजित की जाएंगी और इसकी पहली बैठक मार्च, 2000 में होने वाली है।

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 3 बजकर 20 मिनट पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.20 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.20 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.21 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.21 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुईं]*

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): बिहार में डैमोक्रेसी की हत्या की जा रही है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: एक मिनट आप बैठिए। एक-एक करके बोलिए, क्या बात है पता तो लगे।

...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): राज्यपाल महोदय ने जो निर्णय दिया है उस पर यहां टिप्पणी नहीं हो सकती ...*(व्यवधान)* राज्यपाल महोदय की कार्यवाही पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती ...*(व्यवधान)* जनता ने जनादेश दिया है, उसको स्वीकार करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, एक-एक करके बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): सभापति महोदय, बिहार में क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)* संसद का नियम क्या है? ...*(व्यवधान)* इस देश में संसदीय प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। केन्द्र सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाए। मुद्दा क्या है? कृपया मुझे पहले सुनने तो दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाए। मैं सुन पाने में असमर्थ हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न $3.21^{1}/_{2}$ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): महोदया, मैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1380/2000]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 37 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बंधपत्र और निक्षेप (नामांकन) विनियम, 1997 जो 3 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या एलडी 779ए में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 1999 जो 19 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 67 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1381/2000]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 803(अ) जो 7 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 11 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 36/97-सी.शु. में संशोधन करना है, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1382/2000]

(3) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1383/2000]

(4) (एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, अधिनियम, 1964 की धारा 18 की उपधारा (5) और 23 के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1384/2000]

(5) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 19 की उपधारा (5) और धारा 24 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1385/2000]

(6) (एक) आचार्यकुल, पौनार के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आचार्यकुल, पौनार के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1386/2000]

(8) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत तदर्थ छूट आदेश संख्या 78/1/2000-सीएक्स जिसका आशय उड़ीसा में आए चक्रवात से प्रभावित लोगों को राहत देने और उनका पुनर्वास करने के संबंध में धर्मार्थ प्रयोजन के लिए दिये गये दान अथवा नकद दान से खरीदे गए सभी शुल्क्य माल को 30 अक्तूबर, 1999 से 1 नवम्बर, 1999 की अवधि के दौरान शुल्क से छूट देना है तथा 25 जनवरी, 2000 का एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1387/2000]

(9) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1388/2000]

(ख) (एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) की मद संख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1389/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 32 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1997 जो 13 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 26(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1998 जो 9 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 606(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1390/2000]

(2) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 569(अ) जो 8 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय 14 जून, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 437(अ) में कतिपय संशोधन करना है।

(दो) का.आ. 421(अ) जो 19 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10 के उपबंध का प्रचालन को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में 30.6.1998 तक की अवधि के लिए निलंबित करना है।

(तीन) का.आ. 233(अ) जो 7 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10 के उपबंध के प्रचालन में कर्नाटक राज्य में 25.4.1999 तक की अवधि के लिए छूट देना है।

(चार) का.आ. 437(अ) जो 14 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10 के उपबंध के प्रचालन में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में 15.7.1999 तक की अवधि के लिए छूट देना है।

(पांच) का.आ. 1254(अ) जो 17 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय फल्यू क्योर्ड वर्जिनिया टोबैको के स्क्रैप एंड बिट्स की बिक्री के संबंध में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 13 और 13क के उपबंधों के प्रचालन में कर्नाटक राज्य में 30 अप्रैल, 2000 तक छूट देना है।

(छह) का.आ. 613(अ) जो 30 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय फल्यू क्योर्ड वर्जिनिया टोबैको के स्क्रैप एंड बिट्स की बिक्री के संबंध में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 13 और 13क के उपबंधों के प्रचालन में आंध्र प्रदेश राज्य में 16 अगस्त, 1999 तक छूट देना है।

(सात) का.आ. 53(अ) जो 18 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10 के उपबंध के प्रचालन में 31 मार्च, 2000 तक की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य में छूट देना है।

(आठ) का.आ. 37(अ) जो 13 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10 के उपबंध में प्रचालन में कर्नाटक राज्य में 31 जनवरी, 1998 तक की अवधि के लिए छूट देना है।

(नौ) का.आ. 427(अ) जो 9 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में संशोधन करना है।

(दस) का.आ. 568(अ) जो 9 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 14 जून, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 436(अ) में संशोधन करना है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1391/2000]

(3) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 20क के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 436(अ) जो 14 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में रजिस्ट्रीकृत और गैर-रजिस्ट्रीकृत किसानों द्वारा उत्पादित अनधिकृत तम्बाकू को अपने नीलामी मंच पर खरीदने के लिए तम्बाकू बोर्ड के नियमित और रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों और विक्रेताओं को कतिपय शर्तों के अध्यधीन स्वीकृति देने के लिए तम्बाकू बोर्ड को 15.8.1999 तक की अवधि के लिए प्राधिकृत करना है।

(दो) का.आ. 234(अ) जो 7 अप्रैल 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय कर्नाटक राज्य में रजिस्ट्रीकृत और गैर-रजिस्ट्रीकृत किसानों द्वारा उत्पादित और अनधिकृत

तम्बाकू को अपने नीलामी मंच पर खरीदने के लिए तम्बाकू बोर्ड के नियमित और रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों और विक्रेताओं को कतिपय शर्तों के अध्यधीन स्वीकृति देने के लिए तम्बाकू बोर्ड को 25.4.1999 तक की अवधि के लिए प्राधिकृत करना है।

(तीन) का.आ. 52(अ) जो 18 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय कर्नाटक राज्य में रजिस्ट्रीकृत और गैर-रजिस्ट्रीकृत किसानों द्वारा उत्पादित अनधिकृत तम्बाकू को अपने नीलामी मंच पर खरीदने के लिए तम्बाकू बोर्ड के नियमित और रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों और विक्रेताओं को कतिपय शर्तों के अध्यधीन स्वीकृति देने के लिए तम्बाकू बोर्ड को 31 मार्च, 2000 तक की अवधि के लिए प्राधिकृत करना है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1392/2000]

(4) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1999 जो 9 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1226(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1393/2000]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1394/2000]

(7) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1395/2000]

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2000 जो 18 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 55(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) खनिज संरक्षण (संशोधन) नियम, 2000 जो 18 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 56(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1396/2000]

अपराह्न 3.25 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोर्ट

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): श्री मुरली मनोहर जोशी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खंड (1) के उपखंड (चौबीस) के अनुसरण में इस

सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।''

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खंड (1) के उपखंड (चौबीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: मद संख्या 9, अगले सप्ताह के सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मद संख्या 9, अर्थात् वक्तव्य और निवेदनों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा।

...(व्यवधान)

सभा का कार्य*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 6 मार्च, 2000 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2. वर्ष 2000-2001 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा।

3. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:

    (क) वर्ष 2000-2001 के लिए अनुदान (लेखानुदान) की मांगें (रेल)

    (ख) वर्ष 1999-2000 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

4. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) अध्यादेश, 2000 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार और पारित करना।

5. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार और पारित करना।

6. वर्ष 2000-2001 के लिए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।

7. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:

    (क) वर्ष 2000-2001 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

    (ख) वर्ष 1999-2000 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद-महाराष्ट्र): सभापति महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़ा जाये:

1. देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कपास उत्पादकों की समस्या पर चर्चा की आवश्यकता।

2. देश में शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारी की समस्या दिन प्रति दिन विकराल होती जा रही है। इसलिए बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की आवश्यकता है।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): महोदय, दिल्ली में 30 लाख लोग झोपड़-पट्टी के निवासी हैं और इससे अधिक रीसैटलमेंट और अनॉथराइज्ड कालोनियों के वासी हैं जो जैसे-तैसे इस हालत में गुजर बसर कर रहे हैं। इस वर्ग की दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या होने के कारण ही यहां बिजली, पानी, आवास, राशन, रियायती दरों पर निर्धन और निर्बल वर्ग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी थी और इसी कड़ी में दिल्ली दुग्ध योजना की

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्थापना की गयी थी कि यहां से इस वर्ग को सस्ते दामों पर दूध मिलता रहे। परंतु अभी सरकार ने इस दूध की कीमत 7 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये किलो कर देने की घोषणा से इस आंशिक मलाई युक्त दूध की कीमतें खुले बाज़ार के दूध के बराबर पहुंच गयी हैं।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस जन विरोधी निर्णय को अविलंब वापस ले।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को जोड़ा जाए:

(1) तमिलनाडु में नामक्कल, रासीपुरम निर्वाचन क्षेत्र में तिरुचेनगौडे और चिन्नामुडीपट्टी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को बेहतर बनाने और उसकी मरम्मत कार्य के लिए 4 करोड़ रुपए आबंटित करने की आवश्यकता।

(2) जनजातीय क्षेत्रों में अवरुद्ध विकास कार्य के कारणों को दूर करने के लिए रासीपुरम निर्वाचन-क्षेत्र में कोल्ली पहाड़ियों के पास नरियाकडू और मुल्लाक्कूरिची के बीच सड़क निर्माण के लिए यथाशीघ्र वन विभाग से अनुमति और धनराशि को आबंटित करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डा. बलिराम (लालगंज): सभापति महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़ा जाए:

1980-82 के दौरान कैबिनेट ने पास किया कि मंत्रालय में कुछ पदों का पुनर्गठन किया जाए जिसके तहत स्थायी मजदूर, लाइनमैन, वायरमैन, तार मैसेंजर, केबल ज्वाइन्टर से फोन मैकेनिक (वर्तमान में टेलीकाम मैकेनिक) फोन मैकेनिक से टी.टी.ए. व टी.टी.ए. से जे.टी.ओ. यह टैक्नीकल प्रमोशन होगी लेकिन मंत्रालय ने इन नियमों का पालन नहीं किया।

सरकार से मांग करता हूं कि दूरसंचार विभाग में टेलीफोन मैकेनिक से टी.टी.ए. पद पर प्रमोशन के लिए जनवरी, 1999 में बने नियमों का सख्ती से पालन किया जाए जिससे देश में टी.टी.ए. के रिक्त 14000 पदों को भरा जा सके।

[अनुवाद]

डा. ए.डी.के. जयशीलन (तिरूचेंदूर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मद जोड़े जाएं:

1. टूटीकोरिन विमानपत्तन को उन्नत बनाने और वहाँ से उड़ानों को प्रचालित करने की आवश्यकता।

2. कन्याकुमारी में पर्यटन की दृष्टि से इसके महत्व को ध्यान में रखकर, तारामण्डल, मछली घर और स्वास्थ्य/योग केन्द्र को स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने की आज्ञा प्रदान करें:-

1. अजमेर में रेलवे के दो पुराने और बड़े कारखाने हैं, परन्तु रेल मंत्रालय की ओर से इन दोनों लोको और केरीज कारखानों को उनकी क्षमताओं के अनुरूप कार्य नहीं सौपा है। अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर की आर्थिक व्यवस्था की धुरी इन कारखानों में क्षमता के अनुरूप डिब्बों के निर्माण, इंजनों के अनुरूप आदि कार्य और प्रारम्भ किये जायें, ताकि श्रमिकों की छंटनी न हो।

2. अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर निर्माणाधीन उच्च शक्ति के टी.वी. ट्रांसमीटर (प्रसारण केन्द्र) के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि अजमेर नागौर, पाली, भीलवाड़ा आदि जिलों के लाखों नागरिक दूरदर्शन के सभी चैनलों के कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकें।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाए:

1. आज का संचार विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग और सभी मंत्रालय आदि अपने-अपने विभाग में रुपए 6500 के वेतन दर वाले कर्मचारियों को राजपत्रित अधिकारी के दर्जे की मान्यता दे चुके हैं। रेलवे विभाग ने अब तक इसके बारे में न्यायोचित कोई कदम नहीं उठाया है।

2. केन्द्रीय लोक निर्माण, सूचना और प्रसारण विभाग, एम.टी.एन.एल. आदि विभाग में जूनियर अभियंता के वेतन दर रुपए 5500 से 6500 शुरू किया जाता है जबकि रेलवे विभाग में अभी तक जूनियर अभियंता के वेतन को 5000 से ही शुरू किया जाता है। इसके बारे में न्यायोचित कदम उठा कर इस वेतन दर को 6500 से शुरू कराया जाये।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए:

1. भारत के समस्त किसानों को खेती में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ट्यूब वैल, खनन एवं पम्प लगाकर विद्युत सहित शत-प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार वहन करे।

2. 30 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र तक के शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को रोकने तथा उन्हें प्रत्येक वर्ष रोजगार उपलब्ध कराने हेतु गारंटी योजना लागू की जाए।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए:

1. सरकार द्वारा कानून तोड़ने वालों को प्रोत्साहन न दिया जाए। जैसे-स्वेच्छा से काले धन को सफेद कराना व अनधिकृत निर्माणों को अधिकृत करवाना।

2. सरकारी स्कूलों की गिरती हुई स्थिति को देखते हुए प्रत्येक सरकारी स्कूल में प्रबंध समितियां बनाई जाएं जिसमें जनता के प्रतिनिधि व समाजसेवी हों।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, कृपया सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाये:

(क) महाराष्ट्र के शोलापुर स्थित आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण क्षमता को बढ़ाए जाने से संबंधित विषय।

(ख) महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के अंतर्गत पंढरपुर में चन्द्रभागा नदी पर स्थित विट्ठल रकुमई मंदिर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किए जाने और वहां आने वाले देश के विभिन्न भागों के श्रद्धालुओं को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए एक्शन प्लान को लागू किए जाने से संबंधित विषय।

अपराह्न 3.26 बजे

(इस समय श्री तूफानी सरोज, श्री सुनील खां, कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

सभापति महोदय: गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का क्या हुआ?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: एक मिनट बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस होगा कि नहीं? बोलिए।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, बिहार में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उन्होंने श्री नीतीश कुमार को सरकार के गठन के लिए बुलाया है। यह पूरी तरह असंवैधानिक है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप एक-एक करके बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: वे सुनने को तैयार ही नहीं है। उधर जाकर बात करिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने कहा कि आपको जो बोलना है, आप उधर जाकर बात करिए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.29 बजे

(इस समय, श्री तूफानी सरोज, सुनील खां, कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदय, साढ़े तीन बज गए हैं, प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस होगा कि नहीं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): हम आपका ध्यान पटना में जो कुछ हो रहा है, उस ओर दिलाना चाहते हैं। यह लोकतंत्र की सोंच-विचार कर हत्या हो रही है।

संसदीय लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब समय साढ़े तीन बजे का है। मैं चाहती हूं सभा निर्णय करें कि वह गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य करना चाहती है या नहीं। अन्यथा मैं सभा को स्थगित कर दूँगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, बिहार में लोकतंत्र की हत्या हुई है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। इसलिए इस विषय पर आप पहले चर्चा कराइए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री पांडियन, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): सभापति महोदया, यह पिछले चार-पांच दिन से चल रहा है। सभा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पा रही है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसी बात का हम निर्णय कर रहे हैं। कृपया बैठ जाएं।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदया, सभा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पा रही है। सरकार चुप है। पिछले चार-पांच दिन से सभा के नेता अनुपस्थित हैं। हम कुछ भी कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं *...(व्यवधान)*। आप विवाद का निपटारा किस प्रकार करने जा रहे हैं? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सदस्य किस विषय पर बोल रहे हैं। प्राइवेट मैम्बर बिजनेस का समय हो गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप चर्चा कराना चाहते हैं। परन्तु कोई भी मुझे सभा का कार्य-संचालन करने नहीं दे रहा है। मैं सभा का कार्य-संचालन किस तरह करूँ?

श्री पी.एच. पांडियन: दूसरी बात, ए.आई.ए.डी.एम.के., की ओर से, हम बिहार के राज्यपाल के श्री नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की कार्रवाई का विरोध करते हैं। आवश्यक संख्या के अभाव में, वे सरकार का गठन किस प्रकार कर सकते हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं जानना चाहती हूं गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य किया जाएगा या नहीं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सभा सोमवार 6 मार्च, 2000 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 6 मार्च, 2000/16 फाल्गुन, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/4/8/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।